दशम माला, खंड 12, अंक 43

सोमवार, 4 मई, 1992
14 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिंदी संस्करण

तीसरा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

[खंड 12 में अंक 41 से 49 तक है]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

विषय-सूची

दशम माला, खंड 12 तीसरा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 43 सोमवार, 4 मई, 1992/14 वैशाख, 1914 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 841, 843, 846, 848, 850 और 853	1—21
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	21—232
तारांकित प्रश्न संख्या : 842, 844, 845, 847, 849, 851, 852 और 854 से 860	21—40
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8715 से 8920, 8922, से 8947, 8947क और 8947ख	40—233

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र	233—234
राज्य सभा से सन्देश	235
राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक	235
कृषि समिति	235
पहला प्रतिवेदन तथा	
कार्यवाही सारांश — प्रस्तुत	
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक	236
वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक, 1992	236—273
पुरःस्थापित करने के लिए प्रस्ताव	236—272
श्री एम० ओ० एच० फारूक	236—272
श्री जार्ज फर्नान्डीज	237—266
श्री सोमनाथ चटर्जी	237—267
श्री चन्द्र शेखर	248
श्री चन्द्रजीत यादव	249
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	249
श्री राम कापसे	249—264
श्री राम नाईक	255—267
श्री रंगराजन कुमारमंगलम	264
मंत्री द्वारा वक्तव्य	273—275
उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना	
श्री अर्जुन सिंह	273

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	275—278
(एक) बम्बई से कराड तक तीसरे टियर की एयर लाइन की विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण	275
(दो) भुसावल और जलगांव के बीच, तीसरी रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	
श्री विजय एन० पाटील	275
(तीन) मध्य प्रदेश के वन विकास निगम को रेलवे स्लीपर सप्लाई करने का काम फिर से सौंपे जाने की आवश्यकता	
श्रीमती सुमित्रा महाजन	276
(चार) मध्य प्रदेश की महेश्वर जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता	
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय	277
(पाँच) अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित केन्द्रों के लिए आवश्यक अनुदान आबंटित किए जाने की आवश्यकता	
श्री ई० अहमद	277
(छः) वर्तमान बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करके भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की उठाई-धराई संबंधी कार्यों का विभागीयकरण किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	218
(सात) उड़ीसा में हीराकुंड, तृतीय चरण, जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता	
श्री के० पी० सिंह देव	278
(आठ) आजमगढ़-मऊ-बलिया मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम नंदन	279
वित्त विधेयक, 1992	279—308
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री जसवन्त सिंह	280—287
डा० देवी प्रसाद पाल	287—293
प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती	293—299
श्री गिरधारी लाल भार्गव	299—303
श्री पीटर जी० मरबनिआंग	303—306
श्रीमती गीता मुखर्जी	306—308

लोक सभा

सोमवार, 4 मई, 1992/14 वैशाख, 1914 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कालीकट से खाड़ी देशों के लिए विमान-सेवा

[अनुवाद]

*841. **श्री ई० अहमद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी मांग को देखते हुए इंडियन एयरलाइन्स का कालीकट-शारजाह विमान मार्ग पर प्रतिदिन विमान सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : (क) से (ग) यातायात संबंधी मांग का जायजा लेने के बाद, इंडियन एयरलाइन्स ने 3-5-1992 से उड़ानों की आवृत्ति को सप्ताह में तीन बार से बढ़ाकर सप्ताह में पांच बार कर दिया है।

श्री ई० अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं अत्यन्त कृतज्ञता पूर्वक और संतोष भाव के साथ अपना अनुपूरक प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे प्रसन्नता हो रही है कि सरकार ने कालीकट से शारजाह के बीच पहले ही विमान सेवा आरम्भ कर दी है और सप्ताह में तीन दिन की आवृत्ति को सप्ताह में अब पांच दिन की आवृत्ति कर दिया गया है। परन्तु वास्तविकता अब भी यह है कि कालीकट और शारजाह के बीच 30 से 45 दिन पूर्व टिकट आरक्षित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त शारजाह से कालीकट के लिए अगले तीन महीनों के लिए टिकटों का आरक्षण पहले ही किया जा चुका होता है। अतएव वहां पर स्थित भारतीयों और उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि दैनिक सेवा में इसकी आवृत्ति को बढ़ाया जाये। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि अबूधाबी, मस्कट, दोहा, बहरान, जेद्दाह और रियाद एवं दहरन में लाखों भारतीय रह रहे हैं। भारतीय समुदाय के लोग भी यह अनुरोध और मांग

करते रहे हैं कि इन देशों से भी कालीकट के लिए विमान सेवा आरम्भ की जाए ताकि कालीकट से दोहा, अबूधाबी, मस्कट, बहरान, जेद्दाह, रियाद ओर दहरन के लिए एक नया मार्ग बन सके।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इन स्थानों पर रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा की जा रही लगातार मांगों को ध्यान में रखते हुए और इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए कि कालीकट और शारजाह के मध्य पहले ही एक उड़ान सेवा कार्यरत है, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसके मद्देनजर क्या कालीकट से कोई नयी उड़ान सेवा शुरु की जायेगी? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि वर्तमान कालीकट से शारजाह के मध्य उड़ान आवृत्ति को पांच दिन से बढ़ाकर सात दिन कर दिया जायेगा।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, 15 फरवरी 1992 को कालीकट—शारजाह उड़ान आरम्भ की गई है। हमने देखा कि इसके लिए पर्याप्त आवृत्ति प्रदान की गई है। कालीकट में जहाज पर चढ़ने वाले और जहाज से उतरने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमने कल से ही उड़ानों की संख्या 2 से 5 बढ़ा दी है। अतएव हमें पहले इस ओर ध्यान देना चाहिए। चूंकि हमने उड़ानों की संख्या दो से पांच कर दी है, अत: हमें ध्यान देना चाहिए कि हम इस स्थिति में क्या कर सकते हैं। यदि जरूरत होगी तब हम उस दिशा में भी कार्रवाई करेंगे। यह पहला कार्य है।

दूसरे, यह ठीक है कि कालीकट को दूसरे स्थानों जैसे दोहा, अबूधाबी, बहरान, तेहरान, रियाध और अन्य स्थानों से जोड़ने के लिए अनुरोध किया गया है। हमें इस पर भी विचार करना है और हमें यात्री क्षमता भी निर्धारित करनी है। यह सब वायुयान की उपलब्धता पर निर्भर है। मैं माननीय सदस्य की व्यग्रता को समझ सकता हूं। मैं इस पर विचार करूंगा और हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं।

श्री ई० अहमद : अब निश्चित रूप से कालीकट एक अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन हो गया है। मैं यह अवश्य कहूंगा कि कालीकट विमानपत्तन पर अपर्याप्त सुविधायें दी हुई हैं जो कि मेरे निर्वाचन-क्षेत्र के अन्दर आता है। मुझे उस निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से रात के समय वायुयान के उतरने की सुविधा प्रदान करने, वर्तमान हवाईपट्टी को 6000 फीट से बढ़ाकर कम से कम 7500 फुट तक लम्बा करने और यात्रियों की सेवा के लिए अपर्याप्त सुविधायें प्रदान करने और इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या के बारे में पूछना चाहूंगा। **(व्यवधान)**, मेरे विचार से सरकार इस पक्ष पर विचार करेगी। मुझे विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली है कि शारजाह में . . . .

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में कहिये।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : शारजाह में यात्रियों की वर्तमान मांगे पूरी करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई है। मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या सरकार कालीकट और शारजाह दोनों में जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए उचित और तुरन्त कदम उठायेगी?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता और उनका दु:ख समझ सकता हूं। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि यात्रियों को उचित सेवा प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो हम शारजाह और कालीकट दोनों में इंडियन एयरलाइन्स के सम्बन्धित कर्मचारियों की संख्या बढ़ायेंगे। हम ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे। हम इस मामले पर विचार करेंगे और ऐसा करने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : अध्यक्ष जी, जो पेसेंजर ट्रेफिक है उसकी सुविधा को देखते हुए, रिकवायरमेंट को देखते हुए यह फ़लाइटं बढ़ाई जाती है और उसके मुताबिक इण्डियन एयरलाइन्स काम कर रही है और एक एसेंशियल पार्ट ऐसा है कि यह फ़लाइट टाइम पर जानी चाहिए। आज कल इण्डियन एयरलाइन्स की सब लाईंस [अनुवाद] कलकत्ता से जाने वाली एयरलाईने भी, वे छः घंटे विलम्ब से है दूसरी लाईनों पर भी लगातार ऐसा किया जा रहा है। इस विलम्ब का क्या कारण है। क्या मंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे कि इन सभी लाइनों पर उड़ान समय से जाये जिसमें कालीकट शारजाह लाईन भी शामिल है?

अध्यक्ष महोदय : परन्तु बुद्धिमतापूर्ण तरीके से प्रश्न पूछा गया है।

(व्यवधान)

श्री राम कापसे : यह कल की बात है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी : 6-6 घंटे लेट रहती हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : चार घंटे तो कल हम ही रात को दो बजे लेट पहुंचे। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारुक : यद्यपि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, परन्तु मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं कि हमारे पास बहुत कम वायुयान हैं और कुछेक विमान तकनीकी खराबी के कारण इस्तेमाल नहीं किये जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि हम इस मामले पर विचार करेंगे और कुछ ही दिनों में इसका हल खोज निकालेंगे।

डाक सामग्री हेतु उपग्रह प्रणाली

*843. **डॉ० लक्ष्मीनारायण पांडेय†**
डॉ० ए० के० पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मनी-आर्डरों, तारों तथा फैक्स संदेशों को शीघ्र पहुंचाने हेतु अपना निजी उपग्रह स्थापित करने का और पत्रों, पार्सलों तथा पैकेटों की छंटाई हेतु कम्प्यूटर लगाने का भी विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे डाक सेवाओं तथा विद्यमान कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (पी० वी० रंगय्या नायडु : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

डाक विभाग का इस समय अपना निजी उपग्रह स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, डाक विभाग का प्रस्ताव माइक्रो भू-स्टेशन लगाने और अंतरिक्ष विभाग द्वारा प्रक्षेपित "इनसेट" उपग्रह का प्रयोग करने का प्रस्ताव है । उपग्रह संचार का प्रयोग करने का उद्‌देश्य मनी-आर्डर संदेश प्रेषित करने का है । दूसरे चरण में, धन अन्तरण करने की नई सेवायें और इलेक्ट्रॉनिक मेल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है ।

इलेक्ट्रानिक मनी-ट्रांसफर प्रोजेक्ट के प्रथम चरण में, 75 डाकघरों में माइक्रो भू-स्टेशन स्थापित करने और दूरसंचार विभाग का "रिमोट एरिया बिजनेस मेसेज नेटवर्क" का प्रयोग करने का प्रस्ताव है । मनी-आर्डरों की अदायगी में तेजी लाने के उद्‌देश्य से मनी-आर्डर संज्ञापनों को इलेक्ट्रानिक विधि से प्रेषित करने के लिए माइक्रो भू-स्टेशनों का प्रयोग किया जाएगा । दूसरे चरण में, "आर ए बी एम एन" जैसा अपना ही नेटवर्क स्थापित करने का विभाग का प्रस्ताव है ।

इलेक्ट्रानिक मनी-ट्रांसफर प्रोजेक्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में मनीआर्डरों की अदायगी में तेजी आएगी । दूसरे चरण में, इलेक्ट्रानिक मेल सेवायें प्रदान की जाएंगी । इसके अलावा, अधिक परिष्कृत धन अन्तरण की और सेवायें (मनी-ट्रांसफर सर्विसेज) भी प्रारंभ की जाएंगी । इन सभी उपायों से उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी । इससे जनशक्ति में भी कुछ बचत होगी । इस जनशक्ति को रिक्त पदों और जहां जरूरत हो वहां लगाया जा सकेगा । कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी ।

प्रथम चरण की इलेक्ट्रानिक मनी-ट्रांसफर प्रोजेक्ट में कुल निवेश 12 करोड़ रु० और दूसरे चरण में 62 करोड़ रु० का होगा । इसके अलावा, कुछ आवर्ती व्यय भी होगा । लेकिन, इसके बावजूद प्रतिवर्ष 5.51 करोड़ रु० की कुल बचत होने का अनुमान है ।

बंबई में पत्रों के भारी परियात को सुगम बनाने के लिए, बंबई में मशीनीकृत छंटाई उपस्कर स्थापित करने के लिए मैसर्स बेल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी, बेल्जियम को आदेश दे दिये गये हैं । इस उपस्कर में एक कम्प्यूटर घटक है । आठवीं योजना में छः महानगरों में ऐसे उपस्करों की एक श्रृंखला स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

बंबई के लिए जिस मशीनीकृत छंटाई उपस्कर का आदेश दिया गया है उसमें कूटबद्ध डाक (कोड मेल) को अलग करने के लिए 30 कोडिंग डेस्क हैं । इस कूटबद्ध डाक की प्रति मशीन 30,000 पत्र प्रति घंटे की रफ़्तार से दो छंटाई मशीनों का प्रयोग करके मशीनीकृत ढंग से छंटाई की जाएगी ।

मशीनीकृत छंटाई उपस्कर से छंटाई में आने वाली अड़चनें दूर होंगी और डाक के वितरण में भी तेजी आएगी । इससे जनशक्ति में भी कुछ बचत होगी । इस जनशक्ति को रिक्त पदों और जहां जरूरत हो वहां लगाया जा सकेगा । कर्मचारियों की छंटनी नहीं होगी ।

बंबई के लिए जिस मशीनीकृत छंटाई उपस्कर का आदेश दिया गया है उस पर 8.00 करोड़ रु० का निवेश होगा । इसके अलावा सीमा-शुल्क भी लगेगा ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदय उपभोक्ताओं की सुविधाओं की दृष्टि से संचार माध्यमों में नया परिवर्तन करने जा रहे हैं और उसी सन्दर्भ में मनी-आर्डर के संबंध में सबसे पहला प्रयोग प्रथम चरण के रूप में उनको सैटेलाइट द्वारा भेजने का प्रयत्न करेंगे । यह प्रथम चरण कब से

प्रारंभ होगा। इलेक्ट्रानिक माध्यम के इस प्रथम चरण प्रारंभ होने से कितने कर्मचारी कम किए जायेंगे। आपने कहा कि कम किए गए कर्मचारियों को दूसरी जगह सेवाएं देंगे। उनकी सेवाएं लेते हुए जो आपके ऊपर व्यय भार पड़ेगा तो उस भार को कम करने की दृष्टि से आप मनी-आर्डर की दरों में परिवर्तन करेंगे या मनी-आर्डर की दरें बढ़ायेंगे।

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : अध्यक्ष जी, खासकर डाक विभाग में हमारे मंत्रालय की कोशिश है कि इसमें कुछ आधुनिकीकरण किया जाए और जैसा कि माननीय सदस्य ने पूछा है मनी-आर्डर के बारे में तो उस तरफ सरकार की पूरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी मनी-आर्डर हमारे भाई-बहनों के पास दूर-दराज के इलाकों में पहुंचाया जाए। उसके लिए जो सैटेलाइट स्कीम की कोशिश की है तो सारे देश में 75 जगह ऐसी छांटी हैं जिनसे सारा देश कवर हो जायेगा। बड़े-बड़े शहरों में जल्दी पहुंच जाते हैं, लेकिन गांवों में बहुत देर से पहुंचते हैं। अगर गांव के पास अर्थ स्टेशन छांट लें और यहां से खबर भेज दें कि फलां आदमी को फलां गांव के पते पर पांच सौ रुपए का मनी-आर्डर पहुंचना है। अर्थ स्टेशन से उसका गांव सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर से दूर न हो, ऐसी हमने लोकेशन छांटी है, उस पर कार्य चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसका पूरा विवरण सदन में हम बता पायेंगे।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष जी, उन्होंने सार्टींग या पत्रों को छंटनी कार्य के लिए बम्बई में एक फर्म मैसर्स बेल टेलिफोन मैन्युफैक्चरींग कंपनी बेल्जियम को आर्डर दे दिया है। क्या भारत में ऐसी कंपनी नहीं है जिसको कि आप इस प्रकार का आर्डर देते और वह सक्षमता से अपना उपस्कर लाकर देती और इस प्रकार की सुविधाएं उपभोक्ताओं को प्रदान करती। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह द्वितीय चरण कब से प्रारंभ होने जा रहा है और किन-किन क्षेत्रों में प्रयत्न होगा। मेरे प्रश्न का "ग" भाग का उत्तर नहीं आया मैंने पूछा यह है कि आपने 75 शहर आइडेन्टीफाइड किए हैं तो क्या उन शहरों में देश की सभी राजधानियां, प्रादेशिक सरकारों की कवर हो जायेंगी।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, जहां तक मशीन का सवाल है कि किसी फर्म को आर्डर दे दिया है अगर आप मुझे पूरी खबर देते तो मैं पता करके माननीय सदस्य को बता सकता हूं। अभी मेरे पास खबर नहीं है.............(**व्यवधान**)

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आपके वक्तव्य में है कि "आर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड"। वह सार्टींग मशीन के बारे में है। क्या भारत की कोई कंपनी इस प्रकार की मशीन बनाने में समर्थ नहीं है।

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, जहां तक मशीन का सवाल है, यह बिल्कुल टेन्डर के हिसाब से हुआ है और मैंने खासतौर से इस बारे में कोशिश की थी और उस पर यह खबर थी कि सबसे कम कीमत होनी चाहिए। आज जब टेन्डर की बात होती है तो उसमें मूल प्रश्न रखते हैं.......... (**व्यवधान**) जहां तक देशी और स्वदेशी की बात है तो वह फैक्टर आपसे ज्यादा दिमाग में रखकर चलते हैं और कोशिश की जाती है कि इंडीजीनिस इक्वीपमेंट ज्यादा से ज्यादा मिले। क्या कारण हो सकता है तो इसका विवरण माननीय सदस्य को दे सकते हैं। किस बेसिस पर सिलेक्ट किया है तो इस संबंध में मुझे पूरा याद नहीं है। अभी मेरे पास खबर आई है कि बेल्जियम का साफ्ट क्रेडिट एवेलेबल था हमारी सरकार को तो उस क्रेडिट को यूज़ करने के लिए हमने कंसीडर किया और ज्यादा डिटेल्स मैं माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : आपने कहा कि क्रेडिट को यूज़ करने की दृष्टि से किया। आपको भविष्य में और मशीनों की आवश्यकता है तो आप भारतीय कंपनी के निर्माताओं को इस प्रकार का आर्डर दें ताकि उस प्रकार का उपस्कर यहां प्रयोग हो सके। या क्या भारत में ऐसी बनी ही नहीं है?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने पूछा है कि भारत में ऐसी मशीन बन सकती है या नहीं, अधिकारियों से मुझे खबर मिली है कि ऐसी मशीन हिन्दुस्तान में एवेलेबल नहीं है और ज्यादा खबर मैं आपको पूरी डिटेल्स लिखकर दे दूंगा। जहां तक दो बातें और आपने कही हैं। सारा देश इससे कवर होगा या नहीं होगा, ये 75 स्टेशन्स इसी क्राइटेरिया से छाटे गये हैं जिससे सारा देश भौगोलिक दृष्टि से कवर हो जाये और यह सुविधा दूर-दराज तक सेटेलाइट स्टेशन तक पहुंच सके। आपने कहा है कि इससे मनी-आर्डर की कास्ट बढ़ेगी, वह नहीं बढेगी। इसका हम खास तौर से खयाल रख रहे हैं। कर्मचारी एक्सेस में आ सकते हैं, क्योंकि मशीन से काम होगा, तो इसके बारे मे मैं कहना चाहता हूं मनी-आर्डर का सिस्टम है चिट्ठियां मेल बैग से जाती हैं, मनी-आर्डर का कागज, परफोरमा भी बैग में जाता है इसलिए मैन पावर का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वह जल्दी पहुंचेगा। मनी-आर्डर की सूचना सेटेलाइट कम्युनिकेशन से तीन या चार मिनट में उस जगह भी जायेगी। अगर एक्सेस होगा तो हमारा विभाग आधुनिकीकरण करते हुए खयाल कर रहा है कि वह अपने कर्मचारियों को ट्रेंड करे। कहीं शिफ्ट करना पड़े तो विभाग में ही आधुनिकीकरण के हिसाब से उनका एडजेस्टमेंट होगा। इसके लिए जाब के साथ-साथ हम उनके प्रशिक्षण के लिए तीन-चार महीने की ट्रेनिंग भी रख रहे हैं जिससे वर्कर्स विभाग के आधुनिकीकरण के साथ-साथ सब चीजें सीख सकें।

श्री पी० एम० सईद : मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि जो 75 स्टेशन्स सारे देश में इन्होंने छाटे हैं इसमें लक्षद्वीप के 6 अर्थ स्टेशन हैं मेरी जानकारी है कि वे इनमें नहीं आते, अगर नहीं आते तो क्या इनको इनमें शामिल किया जायेगा या नहीं ?

श्री राजेश पायलट : उन्हीं दूर-दराज इलाकों की सुविधा के लिए तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि अण्डमान, लक्षद्वीप और आदिवासी क्षेत्र या दूर-दराज के क्षेत्र इसमें न आते हों। उनको ही तो हम प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली, बम्बई की प्राब्लम नहीं है। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि वे क्षेत्र जरूर इसमें शामिल किये जायेंगे।

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं इस देश में भौगोलिक दृष्टिकोण से जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जैसे नदी से घिरा हुआ क्षेत्र है या रेगिस्तानी क्षेत्र है उनको उपग्रह के माध्यम से ज्यादा सुविधा देंगे ? क्योंकि उपग्रह का उपयोग ही ऐसे एंटीरियर क्षेत्रों को फायदा पहुंचाने के लिए होना चाहिए। अमरीका, रूस आदि में भी इसका उपयोग इसीलिए हो रहा है और किसानों को ज्यादा सुविधा दी जा रही है। क्या 75 स्टेशंस में इन दूर दराज के क्षेत्रों को भी आप केन्द्र बना रहे हैं ?

श्री राजेश पायलट : अध्यक्ष जी, इनीशियल स्टेज पर 75 केन्द्र छाटे हैं, लेकिन सर्वे किया गया है सारे देश को कवर करने के लिए उसमें हमें 200 स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 200 का लक्ष्य है। अभी शुरूआत करने के लिए 75 इसलिए छाटे हैं जिससे जितना ज्यादा से ज्यादा देश का हिस्सा कवर हो सके वह हम करेंगे। जो क्षेत्र बचेगा उसको अगले 200 में जोड़ेंगे और जैसी माननीय सदस्य की भावना है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ों से, नदियों से कटे हुए हैं या रेगिस्तानी क्षेत्र है, इन सभी इलाकों और चीजों को ध्यान में रखते हुए उन 200 केन्द्रों में इनको शामिल करने की कोशिश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सूचना के लिए यह बताना चाहूंगा कि इनके अलावा भी हमारे संचार विभाग ने एक रूरल रिमोट एरिया बिजनेस नेटवर्क की शुरूआत की थी पांच-छ: महीने पहले। यह ऐसा सिस्टम है कि आप यहां बैठे हुए चिट्ठी के माध्यम से कुछ चीज भेजनी हो वह भेज सकते हैं। यह हमने चलाया था उद्योगों को

बढ़ावा देने के लिए। जहां पिछड़ा इलाका है और उद्योगपति जाना नहीं चाहते संचार की सुविधा न होने के कारण, हमने उनके लिए यह योजना शुरू की थी कि रिमोट एरिया में यह नेटवर्क काम करेगा और आप दिल्ली से कोई मैसेज वहां भेजना चाहो वह भेज सकते हो। टेलीग्राफ और मनी-आर्डर तक के लिए उस सुविधा को सारे देश में जनता ने यूज करना शुरू किया है। एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर हमने अपने विभाग से कहा है कि इस रूरल रिमोट एरिया बिजनेस नेटवर्क से मनी-आर्डर और टेलीग्राम पहुंचाने की देश में शुरूआत करें। मुझे उम्मीद है इस सुविधा के पूर्णतः आ जाने पर थोड़ा बहुत सुधार अवश्य होगा।

[हिन्दी]

राज्यों में गांवों का विद्युतीकरण

*846. श्री राम टहल चौधरी
श्री नवल किशोर राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में राज्यवार अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा राज्यवार कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा ?

[अनुवाद]

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों और वर्ष 1992-93 के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है

क्र० सं०	राज्य	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-3-92 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव (अनन्तिम)	वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	27379	27358	—
2.	अरुणाचल प्रदेश	3257	1625	200
3.	असम	21995	21385	50
4.	बिहार	67546	47240	400
5.	गोवा	386	377	—
6.	गुजरात	18114	17892	—
7.	हरियाणा	6745	6745	—
8.	हिमाचल प्रदेश	16807	16761	—

क्र० सं०	राज्य	गांवों की कुल संख्या (1981 की जनगणना के अनुसार)	31-3-92 की स्थिति के अनुसार विद्यु-तीकृत गांव (अनन्तिम)	वर्ष 1992-93 के लिए लक्ष्य
9.	जम्मू एवं कश्मीर	6477	6162	10
10.	कर्नाटक	27028	26483	—
11.	केरल	1219	1219	—
12.	मध्य प्रदेश	71352	64488	950
13.	महाराष्ट्र	39354	39106	—
14.	मणिपुर	2035	1580	190
15.	मेघालय	4902	2315	55
16.	मिजोरम	721	517	50
17.	नागालैण्ड	1112	1099	—
18.	उड़ीसा	46553	32082	1100
19.	पंजाब	12342	12342	—
20.	राजस्थान	34968	27777	565
21.	सिक्किम	440	405	—
22.	तमिलनाडु	15831	15822	—
23.	त्रिपुरा	856*	3028**	130
24.	उत्तर प्रदेश	112560	82865	995
25.	प० बंगाल	38024	28020	545
	जोड़ (राज्य)	578009	484693	5240
	जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)	1123	1120	—
	जोड़ (अखिल भारत)	579132	485813	5240

*1971 की जनगणना के अनुसार 4727 गांव। **1971 की जनगणना के अनुसार उपलब्धि।

[हिन्दी]

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमने विद्युतीकरण के संबंध में जानना चाहा था और उसमें बिहार का आंकड़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसमें 25—30 प्रतिशत तो बिलकुल गलत ही होगा क्योंकि अब जब क्षेत्र में घूमते हैं या घूमने का मौका मिला है तो जिस रोड पर बिजली का तार गया और उस पर जितने गांव पड़े, उन सब को विद्युतीकरण में दिखलाया जाता है, ऐसा हमको व्यक्तिगत अनुभव है और यहां तक कि बिना घर में बिजली लगे लोग बिल देते आये हैं, खासकर हम अपने निर्वाचन क्षेत्र रांची की बात कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसकी जांच-पड़ताल मंत्री जी करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, सही मायनों में बिहार में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है, मैं यह कहूंगा कि ये जो आंकड़े दिये गये हैं, वे गलत हैं। इसमें पैसे का दुरूपयोग किया गया है। तार खूंटे से गाड़कर विद्युत दी गयी है। अनेक गांवों मे इस तरह की हालत है और सभी जगह पर यही स्थिति है तो इसकी जांच करेंगे या नहीं ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण विद्युतीकरण का काम 1969 में रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन कार्पोरेशन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा एक योजना के तहत शुरू किया गया। प्रदेश की सरकारों ने अपने स्टेट फण्ड में से ग्रामीण विद्युतीकरण का काम किया। आज हमारे पास आंकड़े है, उसके अनुरूप हिन्दुस्तान के 12 राज्यों में शतप्रतिशत विद्युतीकरण किया गया है। जिन राज्यों में पूरा विद्युतीकरण नहीं हुआ है, वे बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान हैं। इन राज्यों में अभी पूर्ण विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, दो बातें मुख्य रूप से हैं। पहला तो यह है कि माननीय सदस्य ने जिस बिहार राज्य की चर्चा की है, उस बिहार राज्य को 1990-91 में जितना पैसा दिया गया, उसका पूरा इस्तेमाल उस राज्य ने नहीं किया यानि उनको 44 करोड़ 66 लाख रुपया दिया गया, जिसमें उन्होंने केवल 26 करोड़ 41 लाख रुपये का इस्तेमाल किया। 1991-92 में उन्हें 14 करोड़ 85 लाख रुपया दिया गया, केवल 6 करोड़ रुपया बिहार राज्य ने इस्तेमाल किया। 1992-93 में 14 करोड़ रुपया दिया गया है। तो बिहार राज्य एक ऐसा राज्य है जिसको जितना पैसा दिया जाता है, उसका वे लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से कहें कि वे ग्रामीण विद्युतीकरण के काम को तेज़ करें और केन्द्रीय सरकार से उनको जो सहायता उपलब्ध है, उस सहायता को लेने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात यह है कि राज्य सरकार भी विद्युतीकरण के काम में सहयोग प्रदान करे तभी बिहार राज्य का विद्युतीकरण संभव हो सकता है।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमारा बिहार, खासकर छोटा नागपुर का क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है चूंकि वह गरीब और आदिवासी क्षेत्र है और हम लोग रोज़-रोज़ इस सदन में इस बात को उठा रहे हैं कि इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए इस क्षेत्र को अलग कर दिया जाये। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि बिहार सरकार को जो दिया जाता है, वह खर्च नहीं करते हैं और पैसा वापिस हो जाता है। यह जानकारी मुझे भी है तो मैं केन्द्रीय सरकार से जानना चाहूंगा कि अगर बिहार सरकार इस काम में रूचि नहीं लेती है तो क्या केन्द्र द्वारा कोई व्यवस्था करके वहां विद्युतीकरण करने का प्रयास करेगी और खासकर छोटा नागपुर और रांची के देहाती क्षेत्रों में ?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने आदरणीय मित्र से निवेदन किया था कि ग्रामीण विद्युतीकरण का काम राज्य सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों के द्वारा दिए गए पैसे से होता है और जो केन्द्र ने

प्रतिवर्ष प्लान आउटले किया, उस प्लान आउटले के पैसे को भी बिहार राज्य ने नहीं लिया, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा ? आप इसकी खुद चिन्ता करें ! दूसरी बात...... ।

अध्यक्ष महोदय : ....वह पूछ रहे हैं कि केन्द्र की ओर से करेंगे क्या ?

श्री कल्पनाथ राय : केन्द्र सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए पैसे की प्लान अलोकेशन को बढ़ाकर दे सकती है । मैं आपको वचन देता हूं कि बिहार राज्य के विद्युतीकरण के लिए जो भी पैसा होगा, हम उस पैसे को ज्यादा से ज्यादा देंगे । लेकिन सवाल है कि उस पैसे का उपयोग कराने के लिए स्टेट ऐजेन्सी है ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह कहनी है कि बिहार राज्य के ऊपर जो आर० ई० सी० का पैसा बाकी है उसमें अब तक 65 करोड़ रुपया उनका बाकी है और वह भी राज्य ने नहीं दिया है । दूसरी बात यह कहनी है कि बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए अभी भारत सरकार ने कोइलकारो, रांची के इलाके में 1338 करोड़ रुपए की लागत से कोइलकारो योजना की मंजूरी दे दी है और उससे 710 मैगावॉट बिजली बनेगी, लेकिन आपके राज्य के उस इलाके में 710 मैगावॉट की बिजली परियोजना पर काम नहीं होने दिया जा रहा है । इसके लिए जिम्मेवार कौन है ? सबसे बड़ी विकास की परियोजना हिन्दुस्तान में इस वर्ष पानी पर आधारित बिजली योजना को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दी है । मुझे खुशी है कि लालू यादव जी ने भी इसका स्वागत किया, लेकिन उसे इलाके में कोइलकारो में इस योजना को कार्यान्वित नहीं होने दिया जा रहा है । मैं आपसे निवेदन करूंगा और सभी बिहार के माननीय संसद सदस्यों से, कि भगवान के नाम पर बिहार के विकास के लिए आप एकजुट हो जाइए ।

श्री राम टहल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, एक चीज़ है कि इस पर वहां विद्युतीकरण की कोई योजना है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न हो गया है ।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग : महोदय, मैं प्रश्न संख्या 846 के उत्तर में दिये गये वक्तव्य का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें यह बताया गया है कि मेघालय में गावों की कुल संख्या 4902 है और 31 मार्च 1992 तक 2315 गावों का विद्युतीकरण किया गया है । राज्यों के पास धनाभाव होने का कारण हमने यह पाया है कि राज्य सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण के क्षेत्र में अधिक सहायता नहीं कर सकती, यद्यपि राज्य सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है । मैंने यहां पर देखा है कि वर्ष 1992-93 के दौरान केवल 55 गावों का ही विद्युतीकरण किया जायेगा । ऐसा राज्य में निधि की कमी के कारण किया जायेगा । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह कृपया मेघालय में ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधि को बढ़ायें ।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, मेघालय के मुख्यमंत्री को केन्द्रीय सरकार के पास एक ज्ञापन भेजने दें । मैं उन्हें वचन देता हूं कि राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में कितने भी गांवों के लिए वह ग्रामीण विद्युतीकरण निगम कोष में से धन मंजूर करा देंगे ।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने तो बिहार की बात कही । इनकी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है, दूसरी जगह की बात आप क्या कर रहे हैं ? आपकी

कास्टीट्यूएंसी में कहीं हुआ है ? मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि आपने कहा है कि पूरे देश में पांच लाख अठहत्तर हज़ार गांव हैं और उसमें से 4 लाख 84 हजार गावों में विद्युतीकरण हो चुका है । आपके पास कोई आंकड़ा है ? ये 5 लाख 78 हज़ार तो 1981 का आंकड़ा है । अब हम 1992 में चल रहे हैं और लेटेस्ट आपके पास क्या पोज़ीशन है, क्या आपके पास कोई आंकड़ा है । और दुसरी बात यह कि इनमें से कितने गांव हैं जो शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के हैं और उनमें कितने गावों में आपका विद्युतीकरण हो पाया है ? मैं सिर्फ इनफॉर्मेशन चाहता हूं, भाषण नहीं करना चाहूंगा । दुसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि आपकी दो स्कीम हैं—एक स्पेशल कंपोनेंट प्लान है और दूसरी ट्राइबल सब प्लान है । इन दोनों स्कीम के तहत आप अलग-अलग पैसा रखते हैं । इनके माध्यम से कितने शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्ज़ के गावों में विद्युतीकरण हो चुका है और कब तक आप ये एश्योर कर सकते हैं कि कम से कम शेड्यूल कास्ट्स के गावों में तो विद्युतीकरण हो जाएगा ? क्यों कि जनरल गावों में जहां हो भी चुका है, और जहां शेड्यूल्ड कास्टस एण्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बस्तियों में भी होना चाहिये, वहां अभी तक इलैक्ट्रिफिकेशन नहीं हो पाया है, बशर्ते की प्लान के अलावा, प्लान एलोकेशन के बावजूद भी आप कहते हैं । क्या आप कोई समय-सीमा बांध सकते हैं, इसका कम्पलीट जवाब मैं चाहता हूं ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आदरणीय पासवान जी ने जो भावना यहां व्यक्त की है, हम उससे सहमत हैं कि शैड्यूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और जनजाति के गावों का विद्युतीकरण किया जाना चाहिये और आपको यह जानकर कि भारत सरकार ने कुटीर उद्योग योजना को प्रारंभ किया था, लेकिन आप मानियेगा कि 1990 में, जब आपकी सरकार आयी तो. . .

श्री राम विलास पासवान : हम सिर्फ आपसे इन्फार्मेशन चाहते हैं, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि ऐसे कितने गांव हैं । यदि आपके पास इन्फार्मेशन नहीं है तो बाद में हमे दे दें । यदि आपके पास नहीं है, इस क्वैश्चन से नहीं उठता हो तो आप इन्फार्मेशन हमें बाद में दे दें कि कितने शैड्यूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के ऐसे विलेजेज़ हैं, कितने गावों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है और जहां नहीं हुआ है, कितने दिनों तक आप पूरा करेंगे । बस, इतना ही हम आपसे जानना चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : आप जानते हैं कि हिन्दुस्तान में जितने लाख गांव हैं, उनमें शैड्यूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स के गांव अलग नहीं हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अलग अलग गांव हैं, सर । यदि नहीं हैं, आप मानते हैं कि नहीं हैं तो शैड्यूल्ड कास्टस एण्ड शैड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की रिपोर्ट को रैफर करके देख लीजिये । अलग अलग गांव हैं इनके ।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके अनुसार हिन्दुस्तान में जितने लाख गांव हैं, उन गांवों में विद्युतीकरण का काम हो रहा है और 12 राज्यों में, शत-प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है । जो राज्य शेष हैं, उन राज्यों में बिजलीकरण के लिये हम प्रयास कर रहे हैं । आप जानते हैं कि इलैक्ट्रिसिटी का विषय कान्करेंट सब्जैक्ट है और इसे केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार, दोनों के संयुक्त प्रयासों से चलाकर, लक्ष्य को हम पूरा करेंगे । आद० पासवान जी ने जो सवाल पूछा है मैं उनकी मनोभावना का आदर करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप मालूमात करेंगे ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं यह कोशिश करूंगा कि सभी अनुसूचित जाति और जनजाति के गांवों का विद्युतीकरण किया जाये ।

[अनुवाद]

डा० देबी प्रसाद पाल : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के बारे में जानना चाहूंगा, यथा पश्चिम बंगाल को कितनी धनराशि आबंटित की गई है और इस अवधि के दौरान कितनी धनराशि का सदुपयोग किया गया है। ग्रामवासियों को मनोवैज्ञानिक रूप से संतोष नहीं मिलता कि उनके गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मैं जानना चाहूंगा कि दिन में उन गांवों में कितनी बिजली की आपूर्ति की जाती है जहां पर विद्युतीकरण का काम पहले ही पूरा किया जा चुका है। मैं विशेष रूप से माननीय मंत्री जी से पश्चिम बंगाल में गांवों के सम्बन्ध में यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, आर०ई०सी० द्वारा पश्चिम बंगाल को वर्ष 1990-91 के दौरान 48 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था और उन्होंने इसमें से 43 करोड़ रुपये की राशि खर्च की थी। वर्ष 1991-92 में 30 करोड़ रुपये आबंटित किये गये थे और उन्होंने 26 करोड़ रुपये व्यय कर दिये थे। वर्ष 1992-93 में उन्हें 29 करोड़ रुपया आबंटित किया गया था और उनका व्यय केवल. . .

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि कितनी इलैक्ट्रिसिटी बंगाल में सप्लाई हो रही है। वे पैसे के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बल्कि इलैक्ट्रिसिटी के बारे में जानना चाहते हैं कि कितने मेगावाट इलैक्ट्रिसिटी बंगाल को सप्लाई हो रही है। यदि आपके पास है तो इन्फार्मेशन आप दे दें।

[अनुवाद]

श्री देबी प्रसाद पाल : गांवों का विद्युतीकरण किया जा सकता है, परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में दिन में कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की जाती है।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, इसके लिए अलग से नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि मेरे राज्य में कई गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा की जा चुकी है परन्तु यह केवल कागज पर ही है और वास्तव में उनका विद्युतीकरण नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकार पहले ही अपना योगदान दे चुकी है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब राज्य सरकार द्वारा इतनी गलत जानकारी दी जाती है तब क्या सरकार के पास इन तथ्यों की वास्तविकता का पता लगाने का कोई तरीका मौजूद है। क्या भारत सरकार के पास इसका पता लगाने का कोई तरीका है अथवा क्या सरकार इससे अवगत है अथवा नहीं ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से ऐसे गाँवों का कागजों पर विद्युतीकरण हो चुका है, जिनके लिए भारत सरकार के योगदान की राशि पहले ही खर्च कर दी गई है ? मैं जानना चाहता हूं कि उन गावों का भविष्य क्या होगा ?

श्री कल्पनाथ राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि गाँवों का कागजों पर विद्युतीकरण हो चुका है, लेकिन वास्तव में उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ है। किसकी गलती है ? आपकी, बंगाल सरकार की।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा सरकार।

श्री कल्पनाथ राय : आपकी उड़ीसा सरकार।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसका पता लगाने के लिए आपने कोई तरीका सोचा है ? आपका यह तरीका क्या है ?

श्री राम विलास पासवान : माननीय अध्यक्ष महोदय, वे न केवल विद्युत मंत्री है, बल्कि वे एक ताकतवर मंत्री हैं ।

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, विद्युत एक संवर्ती सूची विषय है । राज्य सरकार तथा आर०ई०सी० ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निधि देते हैं । मैंने आपको बताया है कि जो कुछ भी राशि उड़ीसा को आबंटित की गई थी, उन्होंने उसका शत प्रतिशत उपयोग नहीं किया है । ऐसा न करके उड़ीसा सरकार ने ही चूक की है । इसलिए यह दायित्व राज्य सरकार का है न कि केन्द्र सरकार का ।

श्री लोकनाथ चौधरी : महोदय, माननीय मंत्री जी मेरे प्रश्न को नहीं समझे हैं । निःसन्देह, उन्होंने राशि का उपयोग नहीं किया है । लेकिन उन्होंने पहले ही रिपोर्ट दे दी है कि उन्होंने राशि का उपयोग कर लिया है और गाँवों को विद्युतीकृत घोषित कर दिया है ।

उस स्थिति में, क्या केन्द्रीय सरकार ने, जो कि गाँवों के लिए राशि मंजूर करती है, उसका पता लगाया है अथवा उसका मूल्यांकन किया है अथवा मूल्यांकन करने के लिए कोई ऐसी युक्ति तय की है और यदि हाँ, तो इस स्थिति में वे कौनसे कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं ?

मेरा दूसरा मुद्दा यह है । जो गाँव कागजों पर तो विद्युतीकृत घोषित हो चुके हैं लेकिन वास्तव में विद्युतीकृत नहीं हुए हैं, उस स्थिति में क्या होगा ? मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय सरकार उनको अतिरिक्त अनुदान देगी ।

श्री कल्पनाथ राय : माननीय अध्यक्ष महोदय, विद्युत एक संवर्ती विषय है । हमें राज्य सरकारों के लिए योजना परिव्यय रखना होगा । राज्य सरकारों को अपनी रिपोर्ट देनी होंगी और उन रिपोर्टों के आधार पर हम उन्हें धनराशि देंगें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बुरा न माने तो मैं आपको बताऊँ । वह यह जानना चाहते हैं । मान लीजिए इस तरह की कोई बात होती है कि गाँव वास्तव में विद्युतीकृत नहीं हुए हैं, तो क्या आप राज्य सरकारों के विरुध्द कुछ सुधारात्मक कार्यवाही करेंगे ।

श्री कल्पनाथ राय : मैं मामले की जांच करूंगा ।

[हिन्दी]

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह ग्रामीण विद्युतीकरण का मामला है । मैं समझता हूं कि इसको मंत्री जी गम्भीरता से नहीं ले रहे हैं । इस सदन के बहुत सारे सदस्यों ने इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की है कि ग्रामीण विद्युतीकरण जो कागजों पर हो गया है और जो हकीकत में नहीं हुआ है, उसमें माननीय मंत्री जी आपने क्या स्टैंड लिया है, केन्द्र सरकार का इस बारे में क्या स्टैंड होगा, यह बात माननीय सदस्य भी जानना चाहते हैं और मैं भी जानना चाहता हूं । वर्ष 1980 में जो ग्रामीण विद्युतीकरण हुआ उसमें 7 हजार गांव ऐसे हैं जिनका कागजों पर विद्युतीकरण हुआ है, लेकिन हकीकत में उनका विद्युतीकरण नहीं हुआ ।

अध्यक्ष महोदय : उनका कहना है कि यह स्टेट गवर्नमेंट से पूछिए कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट कैसे दे दी ।

श्री बृशिण पटेल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है । 7 हजार गांव विद्युतीकृत बताए गए हैं, उन पर पैसा खर्च कर दिया गया, लेकिन वे विद्युतीकरण के अन्तर्गत नहीं हैं । वहां हकीकत में

बिजली नहीं पहुंची है । राज्य सरकारों को केन्द्र इस काम के लिए पैसा देती है । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिनकी सरकार थी उस वक्त, यानी 1980 में जिनकी सरकार थी, जिनके पास यह काम था, क्या उनके खिलाफ आप कोई क्रिमिनल एफ०आई०आर० दर्ज करेंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता कि किसी उत्तर की आवश्यकता है ।

राजघाट बांध

*848. **डा० परशुराम गंगवार**
श्री रामपाल सिंह } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के संयुक्त उद्यम के रूप में किया जा रहा है;

(ख) यदि हां तो उसकी लागत और लाभ में दोनों राज्यों की कितनी-कितनी भागीदारी होगी; और

(ग) केन्द्र सरकार का दोनों राज्य सरकारों को अपने-अपने हिस्से की देय राशि का भुगतान करने के लिये प्रेरित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

[हिन्दी]

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी. हां ।

(ख) परियोजना की लागत और लाभ को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाना है ।

(ग) बेतवा नदी बोर्ड भागीदार राज्यों द्वारा किए गए निधियों के प्रावधान सहित परियोजना की प्रगती को भी देखता है । योजना आयोग ने संबंधित राज्य वार्षिक योजनाओं में परियोजना के लिए अलग से परिव्यय रखना भी शुरु कर दिया है ।

डा० परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, बेतवा नदी बुन्देलखंड क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है । यदि इस नदी के जल का भरपूर उपयोग किया जा सके तो उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश को बहुत ज्यादा लाभ होगा । मैं माननीय मैत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण कार्य ठप्प क्यों पड़ा हुआ है ? इसके निर्माण में इतनी अधिक देरी के विशेष कारण क्या हैं ? बांध और उससे संबंधित निर्माण कार्यों पर अनुमानित लागत कितनी थी और क्या अब इसी कार्य पर अनुमानित लागत बढ़ गई है ? यदि हां तो कितनी और इस बांध का निर्माण कार्य पूर्ण होने का निश्चित समय क्या था तथा अब इस कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष महोदय, इस बांध के बनाने में प्रारंभ में देर इसलिए हुई कि इसकी नींव डालने की जो समस्या थी उसको इंजीनियर्स द्वारा हल करने में काफी समय लगा । अब उस बांध का काम काफी अच्छी तरह से शुरु हो गया है । इसमें 46.8 मीटर का ऊंचा मैसनरी डैम बनेगा । उसके साथ-साथ 562 मीटर की लम्बाई का एक और अर्दन डैम बनेगा जिसकी लम्बाई करीब 10.79 किलोमीटर होगी और उसमें जो सिंचाई होने वाली है, उसकी सिंचाई की योजना के अन्तर्गत 1 लाख 9 हजार हेक्टेयर उत्तर प्रदेश और 1 लाख 16 हजार

हैक्टेयर मध्य प्रदेश में लाभान्वित होंगे । इसके साथ-साथ वहां पर बिजली बनाने का विद्युत का एक संयंत्र स्थापित किया जा रहा है जिसका काम भी ठीक चल रहा है । इसके बारे में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में कुछ मतभेद था । उसके बारे में एक समझौता 1973 में हुआ और उसके अन्तर्गत बेतवा रिवर बोर्ड एक्ट इस सदन के द्वारा पारित किया गया और एक कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया । इस कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष जल संसाधन मंत्री हैं । उसमें विभिन्न केन्द्र के मंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं इसका मुख्यालय झांसी में है । इसके साथ-साथ अभी जो स्थिति है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि 75 प्रतिशत मैसनरी डैम का काम पूरा हो चुका है । इसके जो फैबरीकेशन रेडियल क्रेस्ट गेटस हैं, वह भी बन चुके हैं । जो डैम बनने का मैंने आपको बताया, उसमें 98 प्रतिशत अर्दन डैम भी बन चुका है । पावर हाउस का काम शुरू है । इसमें जो नहरें बनानी हैं वे नहरें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारें बना रही हैं जिसका बेतवा कंट्रोल बोर्ड से कोई अर्थ नहीं है । हम लोग केवल उन नहरों की प्रगति के ऊपर निगाह रखते हैं और समय-समय पर जैसी सहायता की आवश्यकता होती है वह सहायता उनको देते हैं ।

माननीय सदस्य ने जो इसकी लागत जाननी चाही है, अभी जो इसकी लागत लगायी गई है वह 214 करोड़ रुपये है । जब इस योजना का प्रारंभ किया गया था तब इसकी लागत 123.22 करोड़ रुपये लगाई गई थी । अभी तक इसमें जो खर्च हुआ है वह मात्र 1992 तक लगभग 155 करोड़ रुपये हो चुका है । इसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने 91 करोड़ 57 लाख रुपये दिए हैं और मध्य प्रदेश सरकार ने 65 करोड़ 44 लाख रुपये दिए हैं । हम लोग चाहते हैं कि कम से कम यह परियोजना 1995 तक पूरी हो जाए । और उसके लिये जो-जो पैसा मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश सरकार से मिलना चाहिये वह ठीक से नहीं मिल पा रहा है । हम पीछे लग कर उनसे पैसा लेते जा रहे हैं । पर अभी भी उसमें कुछ थोड़ी सी कमी हम लोगों को महसूस हो रही है । यद्यपि दोनों राज्य सरकारों ने वादा किया है कि उनका जो भाग खर्च का है, वह उसमें देते रहेंगे जिससे कि पैसा मिल सके । इसमें अभी की जो स्थिति है वह यह है कि 1990-91 में 6 करोड़ रुपये इनको देना था । 1991-92 में मध्य प्रदेश ने अपनी तरफ से 2.25 करोड़ रुपये दे दिया है और अपनी तरफ से जो खर्चा करना था उसमें से 3.62 करोड़ रुपये दे दिया है । उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें कुछ भी पैसा नहीं दिया है । हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वह इसका पैसा दें । इस तरह से मैंने आपके सामने जो विवरण दिया है, वह काफी लम्बा विवरण केनाल आदि का है । अगर माननीय सदस्य और कोई विवरण चाहें तो उनके आने पर वह मैं उन्हें दे सकता हूं ।

श्री परशुराम गंगवार : अध्यक्ष महोदय, इस परियोजना में जिन परिवारों की जमीन ली गई है, उसमें कुल कितने परिवार प्रभावित हुए हैं ? कितनों को मुआवजा दिया गया और कितने बाकी रहे और इन सबको मुआवजे की रकम कब तक अदा कर दी जायेगी ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, इसमें मध्य प्रदेश के 35 गांव प्रभावित हुए हैं और उत्तर प्रदेश के 49 गांव । इसमें से जो गांव पूरी तरह से डूब में आ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश के 13 गांव हैं और उत्तर प्रदेश के 17 गांव हैं । जो हेक्टेयर इलाका डूब में आयेगा उसमें 11779 हेक्टेयर आयेगा मध्य प्रदेश में और 12792 हेक्टेयर उत्तर प्रदेश में । इसमें से सरकारी जमीन छोड़कर जो निजी जमीन प्रभावित हो रही है, उसकी मात्रा 12599 हेक्टेयर है और 1991 के अंत तक जो हमने जमीन का अधिग्रहण किया है वह 8758 हेक्टेयर है । 1992-1993-1994 के लिये जो हमें भूमि का अधिग्रहण करना है उसमें 1992 में हम लोगों ने 337 हेक्टेयर अधिग्रहण करना है, 1992-93 में 1500 और 1993-94 में 2004 हेक्टेयर अधिग्रहण करना है । इसमें करीब 8354 परिवार इसके प्रभाव क्षेत्र में आते हैं और इसमें से 6456 परिवारों को मुआवजा दे दिया है । जहां तक पुनर्वास की योजना का सवाल है, 1991-92 और 1992-93 में हम लोग जल्दी से जल्दी जमीन का अधिग्रहण करके इनको मुआवजा देने की तैयारी कर रहे हैं ।

2—20 LSS/ND/93

श्री राम पाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित रहता है और यहां निरंतर पानी की कमी रहती है । कई जगहों में पीने के पानी की समस्या रहती है, सिंचाई की समस्या रहती है । यह योजना 1973 से चालू है और 1992 तक अभी तक पूरी नहीं हुई है । यह योजना जो इतने दिनों तक पड़ी रही इसके लिये कोई जिम्मेदार है या नहीं ? 1995 तक इसके पूरा होने की बात है लेकिन कोई पक्की बात नहीं हो रही है । दो प्रदेशों में जहां भी ऐसा झगड़ा होता है, वहां केन्द्रीय जल आयोग इसका निर्धारण करता है और उसी की जिम्मेदारी रहती है कि इसको ठीक-ठाक कराया जाये, इसके लिये मंत्री जी क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे कि यह समय पर पूरी हो जाये । दूसरा पार्ट मेरे प्रश्न का यह है कि इसमें कितनी दोनों प्रदेशों में नहरें बन चुकी हैं और उसकी लम्बाई क्या है ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : अध्यक्ष जी, जहां तक जिम्मेदारी का सवाल है, यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है । जिम्मेदारी का बंटवारा करने के लिये और जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से, प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए हमने बेतवा नियंत्रण बोर्ड का निर्माण किया है । इसके अन्तर्गत हम लोग बैठ कर विभिन्न प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, उनको हम लोग समय-समय पर निपटाते रहते हैं । इसके साथ-साथ जो नहरों को अभी तक बनाने की प्रगति हुई है, उसमें करीब-करीब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बराबर-बराबर की प्रगति की गई है । नहरों की जो प्रगति है, उसको मैं संतोषप्रद नहीं मानता हूं । हम लोगों ने इस बात के लिए प्रयास किया है कि नहरों को बनाने में दोनों तरफ से प्रगति और ज़्यादा बढ़े । इसके आंकड़ें मैं आपको अभी दे सकता हूं, आज उत्तर प्रदेश में कैनाल बनाने में जो लागत है, वह 126.44 करोड़ रुपए की है और उसमें से अभी तक मार्च, 1991 तक उत्तर प्रदेश सरकार ने 35.36 करोड़ रुपए खर्च किए हैं । इसके साथ-साथ 1991-92 के लिए आठ करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया था और अभी इस आठवीं पंच वर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 करोड़ रुपए खर्च करके इसको आगे बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । जैसा मैंने कहा, मध्य प्रदेश में भी नहरों को बनाने में जो लागत है, वह 287.38 करोड़ रुपए आएगी और मार्च, 1991 के अंत तक 35.95 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं । अभी हम लोग हिसाब लगा रहे हैं, उसके हिसाब से अभी-अभी जो वित्तीय वर्ष समाप्त हुआ है, उसमें अन्दाज है कि करीब 16 करोड़ रुपया खर्च हुआ होगा । राज्य सरकार, मध्य प्रदेश, ने इस बात का प्रयास किया है कि आठवीं पंच वर्षीय योजना में इन नहरों को पूरा करने में दो सौ करोड़ रुपए लगायें और 1992-93 में 16 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव कर रहे हैं ।

इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग अकादमी

[अनुवाद]

*850. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री जीवन शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग अकादमी में प्रवेश पाने की प्रक्रिया क्या है;

(ख) इसमें अब तक कितने पाठ्यक्रम चलाए गए हैं और वहां से अब तक पाठ्यक्रमवार कितने कैडेट पास होकर निकल चुके हैं;

(ग) क्या वहां पाठ्यक्रम निर्धारित अवधि के अनुरूप चलाये जाते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक) : (क) से (घ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(क) प्रवेश संबंधी कार्यविधि में प्रवेश परीक्षा सम्मिलित है, जो लिखित और मौखिक दोनों रूप से ली जाती है, जिसके पश्चात उम्मीदवारों की चिकित्सा जांच की जाती है ।

(ख) फिक्स्ड विंग विमानों के लिए छ: पाठ्यक्रम और रोटेरी विंग विमानों के लिए दो पाठ्यक्रम पूरे कर लिये गये हैं । उन विमानचालकों की पाठ्यक्रमवार संख्या नीचे दी गयी है जिन्होंने इसे उत्तीर्ण कर लिया है:

पहला पाठ्यक्रम (फिक्स्ड विंग)	19
दूसरा पाठ्यक्रम (फिक्स्ड विंग)	20
तीसरा पाठ्यक्रम (फिक्स्ड विंग)	23
चौथा पाठ्यक्रम (2 बैच) (फिक्स्ड विंग)	31
पांचवां पाठ्यक्रम (2 बैच) (फिक्स्ड विंग)	32
छठा पाठ्यक्रम (2 बैच) (फिक्स्ड विंग)	37
पहला पाठ्यक्रम (रोटेरी विंग)	10
दूसरा पाठ्यक्रम (रोटेरी विंग)	9

सातवां और आठवां पाठ्यक्रम (फिक्स्ड विंग) अभी चल रहा है ।

(ग) और (घ) फिक्स्ड विंग विमान के मामले में पहला, दूसरा और तीसरा पाठ्यक्रम निश्चित अवधि के दौरान पूरा कर लिया गया था । अधिक संख्या में प्रशिक्षुओं के आ जाने के कारण, चौथे, पांचवें और छठे पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सका । अब निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षुओं की संख्या 20 तक सीमित कर दी जाये जिससे पाठ्यक्रम को समय पर पूरा किया जा सके ।

जहां तक हेलीकाप्टर विमान-चालकों के प्रशिक्षण का संबंध है, दूसरे पाठ्यक्रम में व्यवधान आ गया था और इसे समय पर इसलिए पूरा नहीं किया जा सका था क्योंकि अतिरिक्त पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण हेलीकाप्टर को ग्राउंड कर देना पड़ा था । हेलीकाप्टर के सेवा योग्य हो जाने के बाद पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया गया ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब में कहा है, पहला, दूसरा व तीसरा पाठ्यक्रम तो पूरा कर दिया गया है, लेकिन चौथा, पांचवां और छठा पाठ्यक्रम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ट्रेनीज़ की संख्या, जो आपका टार्गेट था, उससे ज़्यादा हो गई । आपने कहा है कि संख्या बीस कर दी जाए, ताकि पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जो ज़्यादा लिए गए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है ? अगर आपने फिक्स किया, बीस से ज़्यादा नहीं लेंगे, तो क्या कारण है कि 33, 34, 35 ट्रेनीज़ लिए गए और कोर्स पूरा नहीं किया जा रहा है ? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, उसके लिए ज़िम्मेवार कौन हैं और जो लोग बैठ गए हैं या जिनका पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है, उनकी ट्रेनिंग को आप कब तक पूरा करवा देंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, यह राष्ट्रीय वाहकों द्वारा परियोजित विमान-चालक परियोजना की बढ़ी हुई आवश्यकताओं के कारण हैं । चौथे, पांचवे, छठे और सातवें पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों की संख्या को बढ़ाकर 31, 32, 37 और 40 कर दिया गया । जब कि पहले प्रति पाठ्यक्रम यह संख्या 20 थी । विमानों की अनुपलब्धता के कारण, उपर्युक्त पाठ्यक्रमों को समय से पूरा नहीं किया जा सका । यह प्रमुख कारण था । विदेशी वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण अतिरिक्त विमान खरीदे नहीं जा सके । उपलब्ध प्रशिक्षकों की संख्या भी बहुत सीमित है । अब हम इंडियन एयरलाइन्स से प्रतिनियुक्ति पर अस्थायी प्रशिक्षकों को नियुक्त कर रहे हैं । जिसके परिणामस्वरूप, हम इन पाठ्यक्रमों को पूरा कर लेने की स्थिति में होंगे ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न पूछा था, आपने संख्या फिक्स की कि बीस से ज़्यादा नहीं लेंगे और 31 से ज़्यादा ट्रेनीज़ लिए, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि नेशनल कैरियर की डिमांड पर किया था ।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : मेरा दूसरा इसका हिस्सा यह है कि जो आपने कहा हेलीकाप्टर्स का ट्रेनिंग इसलिए बन्द कर दिया गया, इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि हेलीकाप्टर के पुर्जे नहीं मिल रहे हैं इसलिए ट्रेनिंग बन्द कर दी गई । स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पा रहे इसलिए ट्रेनिंग बंद कर दी गई । अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे वे कौनसे स्पेयर पार्ट्स हैं या जिस समय आपने यह कोर्स शुरू किया क्या उस समय आपको पता नहीं था कि ये स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो इन सबका जिम्मेदार कौन है ? मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके अन्दर केवल पुर्जे कम हैं इसलिए नहीं, इसके अन्दर और भी बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं जिसके कारण आपको यह कोर्स बंद करना पड़ा, क्या आप इसकी जांच करवाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, यह सच है कि हेलीकाप्टर का प्रशिक्षण बंद कर दिया गया था क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा है कि फालतू पुर्जे मिलने में कुछ कठिनाई थी । लेकिन, हमें वर्ष 1991 में फालतू पुर्जे मिल गए थे । दो हेलीकाप्टर थे । जिसमें से एक हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था । और दूसरा पुर्जों की अनुपलब्धता के कारण बेकार खड़ा था । मैं आपसे सहमत हूं और हम देखेंगे कि इस हेलीकाप्टर प्रशिक्षण को पुनः चालू किया जाए और यह आने वाले समय में किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैंने जाँच के लिए पूछा है क्योंकि बच्चों को ट्रेनिंग के लिए भर्ती कर दिया गया और उनके साल बेकार हो रहे हैं, क्या इसमें और भी अनियमितताएं हैं और आप उनकी जाँच करवाएंगे ?

[अनुवाद]

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, यदि माननीय सदस्य अनियमितताओं के बारे में मुझे लिखते हैं, तो हम उनकी जाँच करने के लिए तैयार हैं।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपके पास सब चीजें आई हुई हैं।

[अनुवाद]

श्री मुमताज अन्सारी : मैं माननीय मंत्रीजी से प्रशिक्षुओं की रोजगार सम्भावना के बारे में जानना चाहूंगा और क्या इन सब प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् काम पर लगा लिया जाएगा अथवा नहीं?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: भई वे कम पढ़ रहे हैं एम्प्लायमेंट पोटेंशल की क्या बात है।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : वास्तव में, तीसरे पाठयक्रम से अधिक विद्यार्थी लेने आरम्भ किए गए थे। आपने तीसरे पाठयक्रम में 23 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया था। तत्पश्चात्, यह संख्या चौथे, पांचवे और छठे पाठयक्रम में बढ़ती चली गई। मैं जानना चाहूंगा कि अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश देने तथा उसके कारण समस्याएं उत्पन्न होने पर विद्यार्थियों का कितना समय नष्ट हुआ था? मैं जानना चाहूंगा कि कितने विद्यार्थियों को कितने दिन बेकार करने पड़े और कब उन्होंने अपना पाठयक्रम पूरा कर लिया था। दूसरे हेलीकाप्टर पाठयक्रम के संबंध में सभी विद्यार्थियों के दिन बेकार हो गए हैं। इसलिए, आप कब से यह पाठयक्रम आरम्भ कर रहे हैं? हेलीकाप्टरों की अनुपलब्धता के कारण आप इसे पूरा नहीं कर सकते। इसलिए, मेरा प्रश्न है कि उस पाठयक्रम में विद्यार्थियों का कितना समय बेकार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपके पास बेकार गए दिनों का ब्यौरा है?

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, मेरे पास ब्यौरा नहीं है। मैं माननीय सदस्य के पास ब्यौरा भेज दूंगा।

गान्धार विद्युत परियोजना

*853. **श्री जार्ज फर्नान्डीज**
श्री अनिल बसु } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान प्रस्तावित 615 मेगावाट गान्धार कम्बाइंड साईकिल गैस टर्बाइन प्रोजेक्ट हेतु ठेका देने के सम्बन्ध में 8 अप्रैल, 1992 के "इंडियन एक्सप्रेस", नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत हेवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बजाय विदेशी कम्पनी को ठेका दिए जाने के क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हां। कथित समाचार के माध्यम से ऐसा आभास दिए जाने का प्रयास किया गया है कि ठेका दिए जाने में अनावश्यक जल्दबाजी की गई है, आसिया ब्राउन बोवेरी (ए० बी० बी०) गैस टर्बाइनों का चयन किए जाने में अपेक्षित सावधानी नहीं बरती गई है और गैस की कमी के कारण विद्युत संयंत्र को चालू करने की तारीख से एक वर्ष तक के लिए भी प्रचालित नहीं किया जा सकेगा। कथित समाचार में निर्दिष्ट पहलू तथ्यों पर आधारित नहीं थे और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन० टी० पी० सी०) द्वारा विशिष्ट प्रैस सम्मेलनों में प्रचार माध्यमों को इन मामलों के बारे में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है तथा बाद में उक्त स्पष्टीकरण प्रचार माध्यमों में प्रकाशित भी किए गए थे।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली के अन्तर्गत, मुख्य संयंत्र उपस्कर पैकेज हेतु "बोली के लिए आमंत्रण" सम्बन्धी विज्ञापन के उत्तर में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) द्वारा अपना प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया था, जबकि वे इसके लिए पात्र थे। चूंकि सभी प्राप्त प्रस्ताव, विदेशी कम्पनियों से प्राप्त हुए थे, अतः भेल को ठेका दिए जाने/न दिए जाने सम्बन्धी प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, जापान की मैसर्स निस्सो-इवाई कारपोरेशन के नेतृत्व वाले व्यापारसंघ में भेल एक भागीदार के रूप में सम्मिलित था परन्तु उक्त व्यापारसंघ को ठेका इसलिए नहीं दिया जा सका क्योंकि उनके द्वारा प्रस्तुत बोली को पर्याप्त रूप से निम्नतम मूल्यांकित बोली नहीं पाया गया था।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने मंत्री जी के बयान को पढ़ लिया है लेकिन इस योजना को लेकर जो बहस पिछले कई दिनों से देश में चली है उसमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर आपके बयान में हमको नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष जी, समय का अभाव है इसलिए मैं दो ठोस प्रश्न पूछना चाहूंगा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सही नहीं है कि उद्योग मंत्रालय की ओर से आपके मंत्रालय को एक लिखित मेमोरेंडम आया था जिसमें इस सारे काम को जिस कम्पनी के हाथ में आपने अभी सौंप दिया है उसको न देते हुए बी० एच० ई० एल० को केन्द्र बिन्दु बनाकर इस कांट्रेक्ट को देने का प्रस्ताव था?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जो गांधार प्रोजेक्ट है वह ओ० ई० सी० एफ० फंडिंग के ऊपर आधारित है। ओ० ई० सी० एफ० के रूलज़ के अनुकूल ही टैंडर होते हैं। 1990 में ओ० ई० सी० एफ० फंडिंग इस प्रोजेक्ट के लिए मिली, फिर 1991 में मिली। उसका 1991 में बिड किया गया, फिर 1992 में उसको रिबिड किया गया।......

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत सीमित है। इन सब चीजों की जानकारी सबको है। इस पर बहुत चर्चा हो चुकी है। मैंत्री जी ने अभी जो बात कही मैं इसी को चुनौती दे रहा हूं। मेरे पास यहां पर ए०बी०बी० के अध्यक्ष का पत्र है, जिसमें वे कहते हैं :

[अनुवाद]

यह सबसे बड़ी एक ऐसी रुपया घटक वाली परियोजना है, जो हम भारत में पाने में सफल हुए हैं।

[हिन्दी]

210 करोड़ रुपये का इसका रूपी कंपोनेंट है, जो ए०बी०बी० को मिला है। उस कम्पनी के अध्यक्ष का पत्र है और आप कह रहे हैं कि विदेशी पैसे पर यह प्रोजेक्ट हो रहा है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो लोएस्ट टैंडर होगा उसी पर कंट्रैक्ट जाएगा, ओ०ई०सी०एफ० के अनुकूल। जहां तक बी०एच०ई०एल० का सवाल है उसको हम प्राथमिकता देते हैं यदि उसकी कोटेशन सबसे लोएस्ट होगी। बी०एच०ई०एल० को प्राथमिकता देना हमारी सरकार का कर्तव्य है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मेरा सवाल कुछ और है और इनका उत्तर कुछ दूसरा है। अगर यह प्रश्न नहीं आया होता तो अच्छा था। क्योंकि इस प्रकार अधूरा इनका उत्तर न आता। अध्यक्षजी, आप इस पर कोई उपाय निकालिए। इस पर आधे घण्टे की बहस कराइये।....(**व्यवधान**)....

श्री कल्पनाथ राय : जो सवाल पूछा था, उसका उत्तर मैंने दे दिया है कि लोएस्ट कोटेशन नहीं दी थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

विदेशों को सीधे टेलीफोन करने की सुविधा

*842. **कुमारी उमा भारती :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किन-किन देशों को सीधे टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध है;

(ख) क्या कुछ और देशों को सीधे टेलीफोन करने की सुविधा दी जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) इस समय 226 देशों के लिए सीधे डायल घुमाकर टेलीफोन करने की सुविधा उपलब्ध है। उन देशों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ख) और (ग) यह सेवा चार अन्य देशों अर्थात अफगानिस्तान, कंपूचिया, दिआ रिआ गार्जिया तथा टोकेलन द्वीप समूह के लिए प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है और इस सेवा का विस्तार इन स्थानों के तकनीकी दृष्टि से सेवा शुरू करने के लिए तैयार हो जाने पर कर दिया जाएगा। फिलहाल इसके लिए कोई विशिष्ट समय अवधि नहीं नियत की जा सकती।

विवरण

आई एस डी देशों की सूची

क्रम सं०	देश	देश का कोड	आई०एस०डी० की तारीख एम०एम०डी०डी०वाई०वा०ई०
1	2	3	4
1.	अलास्का	1-809	11/20/87
2.	अलबेनिया	355	11/20/87
3.	अल्जीरिया	213	09/25/87
4.	अण्डोरा	33628	03/12/88
5.	अंगोला	244	03/12/88
6.	अंगुइल्ला	1-809	11/20/87
7.	अंटीगुआ	1-809	11/20/87
8.	अर्जनटिना	54	11/20/87
9.	अरितरा	297	09/25/87
10.	ऐसेन्सेन द्वीपसमूह	247	09/25/87
11.	आस्ट्रेलिया	61	04/01/83
12.	आस्ट्रिया	43	01/09/86
13.	अजोरस	351	08/14/87
14.	बहमास	1-809	11/20/87
15.	बहरीन	873	01/14/87
16.	बंगलादेश (डी ओटी)	880	08/14/87
17.	बरबाडोस	1-809	11/20/87
18.	बेल्जियम	32	02/25/86
19.	बलीज	501	11/20/87
20.	बनीन	229	11/20/87
21.	बेरमुडा	1-309	11/20/87
22.	भूटान (डी ओ टी)	975	07/27/89
23.	बोलिविया	591	11/20/87
24.	बोत्सवाना	267	06/25/87
25.	ब्राजील	55	11/20/87
26.	ब्रूनी	673	08/14/87
27.	बल्गारिया	359	08/14/87
28.	बर्किनो फासो	226	08/14/87
29.	बर्मा	95	03/12/88

1	2	3	4
30.	बुसण्डी	257	03/12/88
31.	केमरुन	237	03/25/87
32.	कनाडा	1	11/20/87
33.	कनारी द्वीप समूह	34	03/12/88
34.	केपवर्डे	238	01/26/91
35.	केमान द्वीप समूह	1-809	11/20/87
36.	सेंट्रल अफरीकन रिप०	236	11/20/87
37.	चाड रिपब्लिक	235	12/30/87
38.	चीली	56	11/20/87
39.	चीन	85	17/20/88
40.	क्रिसमस द्वीप समूह	672	11/20/87
41.	कोकोस द्वीप समूह	672	01/26/91
42.	कोलम्बिया	57	11/20/87
43.	कांगो पीपल्स रिप०	242	12/30/87
44.	कुक द्वीप समूह	682	03/12/88
45.	कोस्टा रिका	506	11/20/87
46.	क्यूबा	53	11/20/87
47.	साईप्रस	357	09/14/87
48.	चकोस्लोवाकिया	42	09/25/87
49.	डेनमार्क	45	05/21/87
50.	जीबुटी	253	09/25/87
51.	डोमिनिकन द्वीप समूह	1-809	11/20/87
52.	डोमिनिकन रिपब्लिक	1-809	11/20/87
53.	इक्वाडोर	593	12/30/87
54.	मिस्त्र	20	09/25/87
55.	रिपब्लिक आफ एलसल्वाडोर	503	01/26/91
56.	ईक्वेटोरियलगिनी	240	01/25/91
57.	इथोपिया	251	09/25/87
58.	फाल्क लैण्ड द्वीप समूह	500	12/30/87
59.	फैरो द्वीप समूह	298	01/26/91
60.	फिजी	679	08/14/87
61.	फिनलैण्ड	358	05/21/87
62.	फ्रांस	33	03/28/84
63.	फ्रैंकगुयाना	594	01/26/91

1	2	3	4
64.	फ्रैनेक फौलिन्सिया	689	03/14/91
65.	गबोन	241	09/25/87
66.	जाम्बिया	220	09/25/87
67.	पूर्वी जर्मनी जी डी आर	37	08/14/87
68.	पश्चिमी जर्मनी एफ आर जी	49	04/28/86
69.	घाना	233	09/25/87
70.	जिब्राल्टर	350	09/25/87
71.	ग्रीक	30	08/14/87
72.	ग्रीनलैण्ड	299	01/26/91
73.	ग्रेनाडा	1-809	11/20/87
74.	गुआडेलोप	590	11/20/87
75.	गुआम	671	11/20/87
76.	गुआटेमाला	502	11/20/87
77.	रिपब्लिक आफ गिनी बिसाड	245	01/26/91
78.	गिनी रिपब्लिक	224	01/26/91
79.	गुयाना	592	09/25/87
80.	हाटी	509	12/30/87
81.	हवाई	1-808	11/20/87
82.	होण्डूरस	504	11/20/87
83.	हांगकांग	852	10/02/83
84.	हंगेरी	36	08/14/87
85.	आईस लैण्ड	354	08/14/87
86.	इण्डोनेशिया	62	08/14/87
87.	ईरान	98	12/30/87
88.	ईराक	964	12/30/87
89.	आयरलैण्ड	353	09/25/87
90.	इटली	39	12/17/85
91.	आयरी कोस्ट	225	11/20/87
92.	जमाइका	1-809	11/20/87
93.	जपान	81	05/01/84
94.	जोरडन	962	08/14/87
95.	कैन्या	254	03/25/87
96.	किरिबटी	686	03/12/88
97.	कोरिया (उत्तरी) पीडीआर	850	01/26/91

1	2	3	4
98.	कुवैत	965	08/14/87
99.	लाओ पीडीआर	856	01/26/91
100.	लेबनान	961	11/20/87
101.	लेसोटो	266	11/20/87
102.	लाइबेरिया	232	09/25/87
103.	लीबिया	218	11/20/87
104.	लिचटेनसटीन	41	01/26/91
105.	लक्समबर्ग	352	08/14/87
106.	मकाओ	853	08/14/87
107.	मलगाजी	261	09/25/87
108.	मलावी	265	09/25/87
109.	मलेशिया	60	01/09/86
110.	मालदीव	960	11/20/87
111.	माली	233	09/25/87
112.	माल्टा	356	08/14/87
113.	मरीना द्वीप समूह	670	01/26/91
114.	मारशल द्वीप समूह	692	11/20/87
115.	मारटीनिक	596	11/20/87
116.	मौरिटेनिया	222	03/14/81
117.	मारिशस	230	03/12/88
118.	मायोट	269	03/14/91
119.	मेडेरिया	351	08/14/87
120.	मैक्सिको	52	11/20/87
121.	माइक्रोनोक्टिया	691	11/20/87
122.	मोनाको	33	03/12/88
123.	मंगोलिया	976	03/14/91
124.	मोंटसेरट	1-809	11/20/87
125.	मोरक्को	212	09/25/87
126.	मोजाम्बिक	258	12/30/87
127.	नामिबीया	264	12/30/87
128.	नाउरू	674	08/14/87
129.	नेपाल (डी ओ टी)	977	08/14/87
130.	नीदरलैंड	31	02/25/86
131.	नीदरलैंड एंटीलेस	599	08/14/87

1	2	3	4
132.	न्यू कलेडोनिया	687	03/14/91
133.	न्यूजीलैंड	64	08/14/87
134.	निकारागुआ	505	12/30/87
135.	नाइजर	227	09/25/87
136.	नाईजेरिया	234	09/25/87
137.	नीऊ द्वीप समूह	683	01/26/91
138.	नोकोल्क द्वीप समूह	672	03/12/88
139.	नार्वे	47	05/21/87
140.	ओम	68	11/20/87
141.	पाकिस्तान (डीओटी)	92	10/06/87
142.	पलाऊ	680	11/20/87
143.	पनामा	507	11/20/87
144.	पपुआ न्यू गुएना	675	08/14/87
145.	पारागाय	595	11/20/87
146.	पेरू	51	12/30/87
147.	फिलीपीन्स	63	08/14/87
148.	पोलैंड	48	08/14/87
149.	पुर्तगाल	351	09/25/87
150.	प्यूरतो रिको	1-809	11/20/87
151.	कतर	974	08/14/87
152.	रियूनियन	262	03/14/91
153.	रोहरीग्वेज आइलैंड	450	01/26/91
154.	रोमानिया	40	09/25/87
155.	खांडा	250	03/12/88
156.	समोआ अमेरिकन	684	01/26/91
157.	समोआ वेस्ट	685	08/14/87
158.	सैन मैरिनो	39	03/12/88
159.	साओटोम एंड प्रिंसिप आई.	239	01/26/91
160.	साऊदी अरब	966	11/20/87
161.	सेनेगाल	221	09/25/87
162.	साईचिल्स	248	09/25/87
163.	सिएरालिओन	232	09/25/87
164.	सिंगापुर	65	02/30/86
165.	सोलोमन आईलैंड	677	11/20/87

1	2	3	4
166.	सोमालिया	252	12/30/87
167.	दक्षिण अफ्रीका	27	01/26/91
168.	दक्षिण कोरिया	82	08/14/87
169.	स्पेन	34	08/14/87
170.	श्रीलंका	94	08/24/87
171.	सेंट क्रिस्टोफर	1-809	11/20/87
172.	सेंट हेलेना	290	01/26/91
173.	सेंट लूसिया	1-809	11/20/87
174.	सेंट पियारे एंड	508	03/14/91
175.	सेंट विंसेट	1-809	11/20/87
176.	सूडान	249	09/25/87
177.	सूरीन	597	12/30/87
178.	स्वाजीलैंड	268	09/25/87
179.	स्वीडन	46	05/21/87
180.	स्विट्जरलैंड	41	07/06/87
181.	सीरिया	963	08/14/87
182.	ताइवान	886	08/14/87
183.	तंजानिया	255	11/20/87
184.	थाइलैंड	66	08/14/87
185.	टोगोलाज़ रिपब्लिक	228	09/25/87
186.	टोंगा	676	11/20/87
187.	त्रिनिडाड एवं टोबागो	1-809	11/20/87
188.	ट्यूनीशिया	216	11/20/87
189.	तुर्की	90	05/22/86
190.	टर्क्स एवं काईकास आई.	1-809	01/26/91
191.	तुवालू	688	01/26/91
192.	संयुक्त अरब अमीरात	971	11/10/87
193.	रूस	7	10/20/86
194.	यूगांड	256	09/25/87
195.	यूनाइटेड किंगडम	44	10/10/76
196.	संयुक्त राज्य अमेरिका	1	08/14/86
197.	उरूगाय	598	11/20/87
198.	वनौटू (न्यू हब्रिड्स)	678	11/20/87
199.	वेटिकन सिटी	39	08/14/87

1	2	3	4
200.	वेनेजुएला	58	11/20/87
201.	वियतनाम	84	03/14/91
202.	वरजिन आई. (बी)	1-809	11/20/87
203.	वरजिन आई. (यूएस)	1-809	01/26/91
204.	वालिस अंड फुटना आई.	681	01/26/91
205.	यमन (पीडीआर)	969	01/26/91
206.	यमन अरब रिप	967	11/20/87
207.	यूगोस्लाविया	38	11/20/87
208.	जैरे	243	11/20/87
209.	जाम्बिया	260	03/25/87
210.	जिम्बाब्वे	263	03/25/87
211.	आरमेनिया	7	10/20/86
212.	अजरबेजन	7	10/20/86
213.	बेलारूस	7	10/20/86
214.	एस्टानिया	7	10/20/86
215.	जार्जिया	7	10/20/86
216.	कजाकिस्तान	7	10/20/86
217.	किरगोजस्तान	7	10/20/86
218.	लाविया	7	10/20/86
219.	लिथुनिया	7	10/20/86
220.	मोलडोवा	7	10/20/86
221.	ताडजिकिस्तान	7	10/20/86
222.	तुकमेनिस्तान	7	10/20/86
223.	उकरेन	7	10/20/86
224.	उजबेकिस्तान	7	10/20/86
225.	इजराइल	972	02/01/92
226.	कॉमरोस	269	02/01/92

रिहन्द बांध परियोजना

*844. श्री सुकदेव पासवान
श्री नीतीश कुमार } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन की सरकार ने रिहन्द बांध परियोजना के द्वितीय चरण को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देने में अपनी असमर्थता प्रकट की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है;

(ग) मूलतः यह परियोजना कब तक पूरी होनी थी और इस पर अनुमानतः कितनी लागत आनी थी; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या प्रबन्ध करने का प्रस्ताव है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना चरण-2 (2 × 500 मे॰ वा॰) का कार्यान्वयन राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) द्वारा किया जा रहा है। यू॰ के॰ सरकार द्वारा अभी तक वित्त पोषण के सम्बन्ध में पुष्टि नहीं की गई है। फरवरी, 1991 में जी॰ ई॰ सी॰ —अल्स्थॉम (जी॰ ई॰ सी॰ ए॰) से प्राप्त प्रस्ताव, एक निर्देशात्मक वित्त पोषण प्रस्ताव से सम्बद्ध था जिसमें उल्लेख किया गया था कि जी॰ ई॰ सी॰ ए॰ के पक्ष में अधिकृत रूप से प्रायोजित वित्तीय प्रस्ताव में ओवरसीज़ एण्ड इकोनॉमिक को-आपरेशन डेवलपमेंट (ओ॰ ई॰ सी॰ डी॰) अनुदान का भाग कम से कम 35% होगा। 9/10 सितम्बर, 1991 को यू॰ के॰ प्राधिकारियों के साथ हुई बैठक में यू॰ के॰ पक्ष द्वारा विचार प्रकट किया गया था कि भारतीय पक्ष द्वारा वित्त पोषण सम्बन्धी वैकल्पिक स्रोतों के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

(ग) परियोजना से आठवीं योजना के दौरान लाभ प्राप्त होने की परिकल्पना की गई है और प्रथम 500 मे॰ वा॰ यूनिट को मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर हेतु ठेका दिए जाने की तारीख से 5 वर्ष में और तत्पश्चात् द्वितीय 500 मे॰ वा॰ यूनिट को एक वर्ष बाद चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है। परियोजना के सम्बन्ध में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है और वित्त पोषण को अभी सुनिश्चित किया जाना है। 1988 की चौथी तिमाही के मूल्य स्तर के आधार पर परियोजना की अनुमानित लागत 1528.25 करोड़ रुपये है।

(घ) पर्यावरणीय स्वीकृति के मामले में एनटीपीसी द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से लगातार सम्पर्क रखा जा रहा है। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त किए जाने सहित, परियोजना के वित्त पोषण हेतु वैकल्पिक स्रोतों की सम्भावना पर भी विचार किया जा रहा है।

राजस्थान की लम्बित पड़ी सिंचाई परियोजनाएं

*845. **श्री राम सिंह कस्वा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई उन सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जो केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं;

(ख) ये परियोजनाएं कब से लम्बित पड़ी हैं;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन कारणों से लम्बित पड़ी हैं; और

(घ) इन्हें मंजूरी कब तक दिए जाने की सम्भावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं॰	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्ति की तारीख	मूल्यांकन की स्थिति
1	2	3	4	5	6
क.	बृहद				
1.	जैसमण्ड आधुनिकीकरण	12.40	14.40	7/89	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा 12.4 करोड़ रुपए की लागत के लिए 12/91 में आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार्य पाया।
2.	नर्मदा नहर	521.83 / 493.70	73.16	2/90 / 7/90	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस स्कीम की तकनीकी-आर्थिक रूप से जांच की गयी तथा इसे 4 दिसम्बर, 1991 को आयोजित परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्रस्तुत किया गया। इस परियोजना को 467.53 करोड़ रुपए की लागत के लिए परामर्शदात्री समिति द्वारा स्वीकार्य पाया गया है।
3.	बिलासपुर पेयजल और सिंचाई परियोजना	328.03	49.890 तथा 458.36 मि॰ घ॰ मी॰ जल आपूर्ति	11/91	जल वैज्ञानिक पहलुओं को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। राज्य को तकनीकी और वित्तीय पहलुओं को हल करना है तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है।
ख.	मध्यम				
1.	गरारदा सिंचाई	18.90 / 24.89	7.35 / 9.19	11/88 / 3/90	राज्य को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है।

1	2	3	4	5	6
2.	बांदी सेन्द्रा	4.20 9.39	1.80 2.36	3/83 11/91	संशोधित प्रोफार्मा की जांच की गयी है तथा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा अंतिम रूप दिये गये जल विज्ञान पर आधारित संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए दिसम्बर, 1991 में राज्य से अनुरोध किया गया है ।
3.	सुकली	11.48 15.55	3.21 3.754	10/89 10/91	राज्य को केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ।
4.	गम्भीरी आधुनिकीकरण	11.76 16.71	9.6	1/81 8/89	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है । राज्य सरकार को निधियों के आबंटन पर योजना आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ।
5.	बेताली सिंचाई	12.93	4.32	10/91	अन्य मुद्दों के अतिरिक्त, राज्य के पुनर्वास और पुनर्स्थापना योजना पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है ।
6.	चौली सिंचाई	24.46 28.87	5.92 8.96	2/91 10/91 2/92	तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पूरा हो गया है तथा परामर्शदात्री समिति द्वारा 4/92 को आयोजित अपनी बैठक में स्वीकार्य पाया गया ।

टिप्पणी : परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है, पर्यावरण और वन दृष्टि से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से तथा पुनर्वास और पुनर्स्थापन पहलुओं, यदि इसमें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आबादी का पुनर्स्थापन शामिल है, पर कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करनी है ।

[अनुवाद]

कलकत्ता में फिल्म संस्थान की स्थापना

*847. श्री वी॰ कृष्णा राव
श्री सी॰ पी॰ मुदालगिरियप्पा } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में फिल्म संस्थान की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संस्थान पर कुल कितना खर्च होने का अनुमान है; और

(ग) इस संस्थान के क्या लक्ष्य हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) कलकत्ता में एक फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया गया है।

(ख) प्रस्तावित संस्थान की स्थापना पर जमीन की लागत को छोड़कर अंतरिम रूप से 23.00 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्तावित संस्थान के लिए 20 एकड़ भूमि निःशुल्क देना स्वीकार कर लिया है और उसने यह भूमि तय भी कर ली है।

(ग) इस संस्थान का उद्देश्य फिल्म निर्माण, निर्देशन, ध्वनि आलेखन, टेलीविजन आलेखन और अन्य सम्बद्ध क्षेत्रों में लोगों को आधुनिक और अद्यतन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना तथा उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का विकास करने के लिए अवसर प्रदान करना है।

अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे

*849. श्रीमती भावना चिखलिया
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ और हवाई अड्डों को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे घोषित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अखबारी कागज का आयात

*851. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद
श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक को अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति प्राप्त है;

(ख) क्या भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक ने अखबारी कागज के आयात करने का काम राज्य व्यापार निगम से अपने हाथ में ले लिया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) समाचार पत्रों के पंजीयक से देश भर के समाचार पत्रों को अखबारी कागज पर्याप्त मात्रा में समय पर किस हद तक प्राप्त हो सकेगा।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (घ) जी नहीं। भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर० एन० आई०) को अखबारी कागज का आयात करने का अधिकार नहीं है। दिनांक 31 मार्च, 1992 को वाणिज्य मंत्रालय द्वारा घोषित सरकार की नई निर्यात-आयात नीति के अधीन समाचार पत्रों को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा निर्धारित हकदारी के अनुसार सीधे अथवा किसी प्राधिकृत एजेंट द्वारा अखबारी कागज का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

हवाई अड्डों के लिए फ्रांस से सहायता

*852. **श्री ए. अशोकराज :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने देश के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और इनका दर्जा बढ़ाने के लिए सहायता देने का कोई प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम में किन-किन हवाई अड्डों को सम्मिलित किया गया है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ फ्रांस सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

वायुदूत सेवायें

*854. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत द्वारा उपयोगावधि और तकनीक की दृष्टि से पुराने पड़े विमानों को उड़ाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वायुदूत द्वारा आगामी तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उड़ान योग्य विमान खरीदने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वायुदूत द्वारा नये विमान प्राप्त किये जाने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

आदिवासी क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सुविधाएं

*855. **श्रीमती शीला गौतम**
श्री तेज नारायण सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के दृष्टिकोण से आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार सुविधाएं देने हेतु कोई उपचारात्मक कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) और (ख) सरकार का आठवीं योजना के दौरान देश भर में डाक और दूरसंचार सुविधाओं में सुधार करने का प्रस्ताव है । इसमें जनजातीय उप योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों तथा जनजाति बहुल अन्य क्षेत्रों पर विशेष रूप से बल दिया जाएगा । देश में जनजातीय क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए जनजातीय उप योजना के तहत डाक और दूरसंचार सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिलों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है । जनजातीय क्षेत्रों में प्रदान की गई डाक और दूरसंचार सुविधाओं की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है ।

(ग) और (घ) **डाक** :—देश के जनजातीय क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से आय और जनसंख्या संबंधी मानदंडों में छूट दी गई है । आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में भी जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जोर दिए जाने का प्रस्ताव है और इसे ध्यान में रखते हुए इस उद्देश्य से एक अलग जनजातीय उप योजना बनाई गई है ।

दूरसंचार :—आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के प्रारूप के अनुसार, योजना अवधि की समाप्ति (मार्च 1997) तक जनजातीय क्षेत्रों में मांग होने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन सुविधाएँ प्रदान करने और मार्च, 1995 तक जनजातीय क्षेत्रों में सभी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधाएँ प्रदान करने का प्रस्ताव है ।

विवरण-I

उन जिलों की राज्य/संघ क्षेत्रवार सूची जो अंशतः/पूर्णतः जनजातीय हैं और जनजातीय उप योजना की समन्वित जनजातीय विकास परियोजनाओं में शामिल हैं

क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	जिला का नाम	क्र० सं०	राज्य/संघ क्षेत्रों के नाम	जिला का नाम
(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश	खम्माम			श्रीकाकुलम
		पश्चिम गोदावरी			वारंगल
		पूर्वी गोदावरी			आदिलाबाद
		विशाखापटनम			विजयानगरम

(1)	(2)	(3)
2.	असम	कछार
		गोलपाड़ा
		कामरूप
		नोगांव
		दारंग
		शिवसागर
		डिब्रुगढ़
		लखीमपुर
3	बिहार	रांची
		सिंघभूम
		पलामू
		लोहरदगा
		गुमला दुमका
		साहिबगंज और गोड्डा
4.	गुजरात	डांग
		पंचमहाल
		बनासकंठा
		भड़ौच
		बड़ोदरा
		वलसाड
		साबरकंठा
		सूरत
5.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर
		लाहुलसपीती
		चम्बा
6.	कर्नाटक	चिकमंगलूर
		कूर्ग
		मैसूर
		साउथ कनारा
7.	केरल	इडुक्की
		पालघाट
		मालापुरम
		कोजीकोड
		कन्नानोर
		त्रिवेन्द्रम
		क्विलोन
		एर्नाकुलम
		वायनाड
8.	मध्य प्रदेश	बस्तर
		रायगढ़
		सरगुजा
		मांडला
		जबलपुर
		देवास
		झाबुआ
		धार
		खरगांव (पश्चिम नीमर)
		बिलासपुर
		सिद्धी
		शहडोल
		बैतुल
		छिन्दवाड़ा
		सियोनी
		मुरैना
		राजनंदगांव
		बालाघाट
		रायपुर
		रतलाम
		खंडवा (पूर्वी नीमर)
		होशंगाबाद
		दुर्ग
9.	महाराष्ट्र	चंदरपुर
		यवतमाल
		अहमदनगर
		पुणे
		नांदेड़
		अमरावती
		थाणे
		नासिक
		धूले

(1)	(2)	(3)
		जलगांव
		धूले II (नन्दूरबार)
10.	मणिपुर	मणिपुर उत्तर
		मणिपुर दक्षिण
		मणिपुर पश्चिम
		मणिपुर पूर्व
		तेंगनुपाल
11.	उड़ीसा	कालाहांडी
		फुलबनी
		सुन्दरगढ़
		कोरापुट
		मयूरभंज
		क्योंझर
		बालासोर
		संबलपुर
		गंजाम
12.	राजस्थान	बांसवाड़ा
		डूंगरपुर
		चित्तौड़गढ़
		उदयपुर
		सिरोही
13.	सिक्किम	उत्तरी जिला
		दक्षिणी जिला
		पूर्वी जिला
		पश्चिमी जिला
14.	तमिलनाडु	सलेम
		उत्तरी अरकोट
		तिरुचिरापल्ली
		धर्मपुरी
		दक्षिणी अरकोट
15.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा
		पश्चिमी त्रिपुरा
		दक्षिणी त्रिपुरा
16.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी
		गोंडा
17.	पश्चिमी बंगाल	दार्जिलिंग
		जलपाईगुडी
		माल्दा
		पश्चिमी दिनाजपुर
		बांकुरा
		पुरुलिया
		मिदनापोर
		24 परगना
		बीरभूम
		मुर्शीदाबाद
		हुगली
		बुर्दबान
18.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	निकोबार
19.	दमन और दियू	दमन

टिप्पणी :—उपर्युक्त सूची के अतिरिक्त, जनजातीय क्षेत्रों के कुछ अलग समूह और बस्तियां हैं उन्हें भी डाक और दूरसंचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए डाक विभाग और दूरसंचार विभाग ने अपनी योजनाओं में शामिल किया है ।

विवरण-II

क्र० सं०	राज्य/दूरसंचार सर्किल का नाम	दूर संचार				डाक	
		टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	टेलीफोन स्विचिंग क्षमता (लाइनों की संख्या)	सीधी एक्सचेंज लाइनों की संख्या	लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन (संख्या)	संयुक्त डाक-तारघर सहित डाकघर	डाकघरों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	66	3765	2822	99	46	886
2.	असम	43	4360	3533	208	28	700
3.	बिहार	99	34395	25120	450	170	1462
4.	गुजरात (जिसमें दादर और नगर हवेली, दमन व दियू शामिल हैं)	120	18585	14614	207	235	1611
5.	हिमाचल प्रदेश	5	395	305	—	19	153
6.	कर्नाटक	252	45452	38706	65	326	1122
7.	केरल (जिसमें लक्षद्वीप शामिल हैं)	90	13524	11323	27	40	362
8.	मध्य प्रदेश	399	58481	45932	1999	67	2200
9.	महाराष्ट्र	101	8917	7289	227	210	807
10.	उत्तर पूर्व (जिसमें अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं)	137	23302	18602	171	153	1785
11.	उड़ीसा	131	20325	16147	654	666	1642
12.	राजस्थान	54	5408	4451	180	139	916

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	तमिलनाडु	10	651	540	45	45	167
14.	उत्तर प्रदेश	16	894	561	22	26	59
15.	पश्चिमी बंगाल (जिसमें सिक्किम राज्य और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह शामिल है)	147	27580	23305	312	1579	469

टिप्पणी :—3 राज्य अर्थात् पंजाब, हरियाणा और जम्मू व कश्मीर में जनजातीय उप योजना के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का पता नहीं चला है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नालों का नहरीकरण

*856. **श्री हरि केवल प्रसाद** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में नालों के नहरीकरण की कोई योजना केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्वीकृति मिलने की संभावना है और इस पर अनुमानतः कितनी धन-राशि खर्च होगी;

(घ) क्या इस योजना को पहले स्थगित कर दिया गया था; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कुल तीन जल निकास सुधार स्कीमें नामशः (1) चोयानाला (लागत 164.63 लाख रु०),(2) महाराजगंज (लागत 135.40 लाख रु०) और (3) मगर (लागत 193 लाख रु०) तकनीकी मूल्यांकन हेतु प्राप्त हुई हैं । प्रथम दो स्कीमों पर टिप्पणियां राज्य सरकार को अनुपालना हेतु भेजी गई हैं । मार्च, 1992 में प्राप्त तीसरी स्कीम की जांच पूरी नहीं हुई है ।

(ग) स्कीमों का निर्धारण राज्य सरकार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

निजी क्षेत्र द्वारा विद्युत उत्पादन

*857. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्ति
श्रीमती बासवा राजेश्वरी } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी कुछ वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के सम्बन्ध में सरकार को निजी क्षेत्र से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं में कुल कितना निवेश करने का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) इनसे विद्युत की कुल कितनी अतिरिक्त क्षमता पैदा होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित किए जाने के बारे में आन्ध्र प्रदेश सरकार को निजी क्षेत्र उद्यमियों से 61 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । 9 प्रस्ताव विशाखापत्तनम ताप विद्युत केन्द्र (2 × 500 मे॰ वा॰) के लिए, 28 प्रस्ताव गैस आधारित विद्युत केन्द्रों के लिए और 24 प्रस्ताव माइक्रो जल-विद्युत एवं अन्य अपारंपरिक स्रोत परियोजनाओं के लिए प्राप्त हुए थे । आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के लिए 3088 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 1911 मेगावाट की कुल क्षमता का प्रस्ताव किया गया है ।

विमान दुर्घटनाओं की जांच

*858. श्रीमती रीता वर्मा
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विगत पांच वर्षों के दौरान हुई विमान दुर्घटनाओं की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, ये विमान दुर्घटनाएं किन कारणों से हुई; और

(ग) ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने हैं जिनसे भविष्य में ऐसी विमान दुर्घटनाएं न हों ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केवल एक मामले को छोड़कर, 1987 से सभी गंभीर दुर्घटनाओं की पहले ही जांच कर ली गई है । ये दुर्घटनाएं मोटे तौर पर पायलट की भूल और यांत्रिक खराबियों के कारण हुई है ।

(ग) विमान दुर्घटनाओं की जाच की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाये गए कदमों में जांच रिपोर्टों से उत्पन्न सिफारिशों का कार्यान्वयन, सुरक्षा सूचना का प्रसारण, काकपिट वाइस रिकार्डर की निगरानी, विमान-क्षेत्रों का आवधिक निरीक्षण और खतरों के उन्मूलन से संबंधी उपायों का कार्यान्वयन शामिल हैं ।

विमान किराये में वृद्धि

*859. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990 और 1991 में देश में उड़ने वाले विमानों के किरायों में कितनी बार वृद्धि की गई और प्रत्येक बार कितने प्रतिशत वृद्धि की गई;

(ख) वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या चालू वर्ष में भी इस प्रकार की वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइन्स और वायुदूत के अंतर्देशीय हवाई किराये 1990 और 1991 में चार बार संशोधित किये गए थे जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) अप्रैल, 1990 में ईंधन अधिभार के रूप में, किराये में 15.7% की वृद्धि;

(2) जुलाई, 1990 में, अंतर्देशीय हवाई यात्रा कर में, मूल किराये के 10% से बदलकर कुल किराये के 15% के रूप में संशोधन;

(3) सितम्बर, 1990 में लागू किये गए कुल किराये के 10% की दर से गल्फ निष्क्रमण अधिभार; और

(4) गल्फ निष्क्रमण अधिभार का ईंधन अधिभार के साथ विलयन और अक्तूबर, 1991 में मूल किराये में, कुल किराये के 9% का संशोधन ।

(ग) और (घ) इस समय इंडियन एयरलाइन्स का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सैक्टरों को छोड़कर, मार्च, 1992 से वायुदूत के किरायों में विभिन्न दरों से वृद्धि हुई है ।

जल संसाधनों का उपयोग

*860. श्री ए॰ चार्ल्स
श्री गंगाधरा सानीपल्ली } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सभी जल संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक विधान बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) देश में सभी जल संसाधनों के उपयोग के लिए कोई नया कानून बनाने का प्रस्ताव नहीं है । तथापि, जल संसाधनों के एकीकृत निकास हेतु नदी बेसिन संगठनों का गठन करने का विचार किया गया है ।

ड्रिलिंग कर्मचारियों को वापस बुलाने पर व्यय

8715. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिम क्षेत्र, जयपुर ने नवम्बर, 1991 के महीने में चालू

फील्ड मौसम के दौरान ड्रिलिंग एककों तथा फील्ड में जाने वाली पार्टियों के सारे कार्य स्थगित कर दिए थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये उनके मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी;

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में कोई भी कार्य स्थगित न किया जाये; और

(घ) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य के क्षेत्र, आकार एवं कार्य के परिणाम में कमी करने की कोई योजना है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) नवम्बर, 1991 के दौरान, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में, कुछ ड्रिलिंग यूनिटों के कार्य को धन की तंगी के कारण अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया था। किन्तु, बाद में पुनः आरम्भ कर दिया गया।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण को बजटीय प्रावधानों के अनुसार अपने कार्यकलापों को पूरा करने के लिए धन उपलब्ध किया गया है।

(घ) इस समय भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के कार्य की मात्रा कम करने के लिए कोई योजना नहीं है।

कोंकण क्षेत्र में छोटे बांध

8716. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में अनेक स्थल और विशेष रूप से महाराष्ट्र का कोंकण क्षेत्र लेटराइट मृदा वाला होने के कारण छोटे बांधों के निर्माण हेतु उपयुक्त नहीं है;

(ख) क्या 100 से 500 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई करने के लिए बांधों का निर्माण करने संबंधी कोई वैकल्पिक प्रौद्योगिकी विकसित कर ली गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) सरकार को महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र सहित उन क्षेत्रों की जानकारी है जिनकी नींव पर में लेटराइट मृदा है। ऐसे मामलों में नींव पर पर्याप्त सावधानी से कार्य किया जाना है। तथापि, यह मानना सही नहीं है कि ऐसी मृदा वाले भूखंडों में लघु/मध्यम बांधों का निर्माण संभव नहीं है।

(ख) और (ग) लेटराइट बुनियादों पर बांधों का निर्माण करने की प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। तथापि, आर्थिक दृष्टि से कभी-कभी कुछ स्थल इसके लिए उपलब्ध नहीं होते। सेक्शन डिजाइन करने और सीपेज नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए बुनियाद के उपचार के बारे में उचित सावधानी बरतनी जरूरी है। उदाहरणार्थ, लेटराइट संरचना में बृहद परियोजनाएं भी डिजाइन की गई हैं और उनका सफलतापूर्वक निर्माण किया गया है, एक विशिष्ट उदाहरण गोआ में सलौली बांध का है।

निर्माताओं को कार्यक्रम दिये जाने संबंधी मानदण्ड

8717. **श्री राम लखन सिंह यादव** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कमीशन कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माताओं को कार्यक्रम दिये जाने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) कमीशन कार्यक्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान कितने निर्माताओं को कार्यक्रम दिये गये; और

(ग) इन निर्माताओं ने कौन-कौन से कार्यक्रम बनाए और दूरदर्शन ने इस प्रकार निर्मित कार्यक्रमों पर कितने धन का भुगतान किया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ग) दूरदर्शन के लिए कमीशंड कार्यक्रमों का निर्माण करने हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं का पैनल बनाये जाने की अवधारणा की शुरूआत 17-3-92 को जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में की गई । प्रारंभिक पैनल में 723 निर्माता और 581 निर्देशक शामिल हैं । इस पैनल में और नाम शामिल करने के मानदंड विवरण के रूप में संलग्न हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं सोंपा गया है ।

विवरण

कमीशंड कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्देशक/निर्माता के पैनल में नाम जोड़े जाने के मानदंड

1. फिल्म और टेलीविजन माध्यम में पूर्व अनुभव ।
2. भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा फिल्म और टेलीविजन संस्थान, मद्रास से फिल्म निर्देशन में डिप्लोमा ।
3. जामिया-मिलिया का स्नातक और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के डिप्लोमा धारक जिन्होंने उपाधि प्राप्त करने के पश्चात फिल्म/टेलीविजन माध्यम में कुछ कार्य किया हो ।

आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाएं

8718. **श्री जी० एम० सी० बालयोगी** : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तटीय जिलों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की उन परियोजनाओं को बन्द करने का निर्णय किया है जिनका निर्माण कार्य शुरू किया जा चुका है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन परियोजनाओं को अन्यत्र ले जाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली गोदावरी गैस विद्युत परियोजना को आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में काकीनाडा के निकट उप्पादा में स्थापित किया जाना है । राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने तक इस परियोजना के लिए अनुज्ञेय सीमा के भीतर अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किए जाने सम्बन्धी कार्य शुरू कर दिये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) इस मामले में ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है ।

[हिन्दी]

हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा जस्ते का निर्यात

8719. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा**
डा० सी० सिलवेरा : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देशों को जस्ते का निर्यात करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी;

(ग) प्रत्येक देश को कितना-कितना जस्ता निर्यात किया जायेगा तथा इससे कितनी-कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है;

(घ) क्या चन्देरिया लीड जिंक स्मेल्टर में उत्पादन शुरू हो जाने के पश्चात् हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देश की संपूर्ण मांग को पूरा करने के अलावा जस्ते का निर्यात करने में सक्षम हो जायेगा; और

(ङ) यदि हाँ, तो यह संयंत्र कितनी अतिरिक्त मात्रा में जस्ते का उत्पादन करने में सक्षम होगा ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ख) व (ग) हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को यू०ए०ई० और पाकिस्तान को 730 टन जिंक निर्यात करने का आदेश प्राप्त हुआ है । यू०ए०ई० को 160 मिलियन टन निर्यात करने पर 2.00 लाख डालर और पाकिस्तान को 570 टन के निर्यात से 7.50 लाख डालर के बराबर विदेशी मुद्रा की आय होगी । ये निर्यात 1992 के मध्य तक पूरे हो जाएंगे ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) आशा है कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1992-93 में घरेलू बाजार के लिए पूरा उत्पादन, करने के बाद लगभग 27 हजार टन अधिशेष जस्ते का उत्पादन करेगा ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में चावल मिलें

8720. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश के जनजातीय जिलों में कुछ चावल मिलें खोलने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो 1992-93 के दौरान राज्य में विशेषतौर पर रायगढ़ जिले में कितनी चावल मिलें खोलने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आन्ध्र प्रदेश में सोमासिला परियोजना

8721. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश की सोमासिला सिंचाई परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) अभी तक इस परियोजना पर कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा इसके पूरा होने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मिट्टी बांध, सभी 12 द्वारों के निर्माण समेत स्पिलवे, नौन ओवरफलो चिनाई बांध, स्पिलवे और मिट्टी बांध के मध्य घाटक दीवार, दायां मुख्य नियामक और बायां मुख्य नियामक पूर्ण कर लिए गए हैं । तीन मुख्य नहरें और उनकी वितरण प्रणालियां निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं । 104490 हेक्टेयर के कुल परिकल्पित क्षेत्र में से 91,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई स्थिर कर दी गई है और 38480 हेक्टेयर की चरम नई क्षमता के मुकाबले 3720 हेक्टेयर की नई क्षमता सृजित की गई है ।

(ख) दिसम्बर, 1991 तक किया गया कार्य 151.06 करोड़ रुपए है । परियोजना पूर्ण करने में विलम्ब के मुख्य कारण निधियों की कमी और वन भूमि की स्वीकृति का नहीं होना है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई योग्य भूमि

8722. **श्री भुवन चन्द्र खण्डूरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय जिलों में, जहां सिंचाई सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध हैं, सिंचाई भूमि के अन्तर्गत कुल क्षेत्र का, जिला-वार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन जिलों, विशेष रूप से पौड़ी, चमोली और देहरादून जिलों में सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई विशेष सहायता दी जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) वर्ष 1989-90 के लिए नवीनतम उपलब्ध भूमि उपयोग सांख्यिकी के अनुसार सूचना निम्नवत है :

क्रम सं०	जिले का नाम	एकता सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	नैनीताल	156169
2.	अल्मोड़ा	12838
3.	पिथौरागढ़	8435
4.	चमोली	4462
5.	उत्तरकाशी	5499

क्रम सं०	जिले का नाम	एकता सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)
6.	टिहरी गढ़वाल	9871
7.	गढ़वाल	9044
8.	देहरादून	22355

(ख) और (ग) सामान्यतया पहाड़ी क्षेत्रों में सिंचाई विकास लघु सिंचाई, दिकपरिवर्तन अथवा लिफ्ट स्कीम से होता है। केन्द्र में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में किसी बृहद् अथवा मध्यम परियोजना का प्रस्ताव नहीं किया गया है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में भर्ती पर रोक

8723. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में नए पदों के सृजन पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक है; और

(घ) यदि हां, तो वहां कितने कर्मचारी अधिक हैं और इसके परिणामस्वरूप कितना अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० (सेल) में नए पदों के सृजन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। तथापि, विद्यमान आर्थिक स्थिति से निपटने के समग्र प्रयास के एक भाग के रूप में इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपायों की एक सोदाहरण सूची (जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पदों का सृजन भी शामिल है) पर विचार/जांच करने की सलाह दी गई थी तथा संबंधित बोर्ड अथवा प्रबन्धन ने समुचित कार्रवाई करने के लिए मामले पर विचार किया।

सेल जनशक्ति के इष्टतम उपयोग को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक बजटीय नियंत्रण पद्धति को अपना रही है। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990-91 के दौरान सेल में बजटीय स्तर की तुलना में लगभग 16000 कर्मचारी थे जिससे 24.45 करोड़ रुपए का अधिक खर्च होता है।

आकाशवाणी केन्द्र, रांची

8724. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री रामटहल चौधरी } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी केन्द्र, रांची में हुई अनियमितताओं के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) रांची के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जाति मंच ने अपने अभ्यावेदन में यह आरोप लगाया है कि चपरासी के एक आरक्षित पद को भरने में अनियमितताएं बरती गई हैं और यह पद अनारक्षित व्यक्ति द्वारा भर लिया गया है । इसी प्रकार इस अभ्यावेदन में अन्य वर्गों के स्टाफ की नियुक्ति के मामले में अनियमितताएं बरती गई हैं तथा कूलरों, फोटो स्टेट मशीनों आदि की खरीद में गड़बड़ की गई है । किन्तु ये आरोप सही नहीं पाए गए हैं ।

आकाशवाणी, रांची के एक कर्मचारी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था जिसमें उसने उसे कुछ सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की शिकायत की थी । इस अभ्यावेदन की जांच की गई है और केन्द्र निदेशक को उसे नियमानुसार मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कहा गया है ।

[अनुवाद]

मुम्बई हवाई अड्डे पर त्रि-भाषा फार्मूला लागू करना

8725. **श्री मोहन रावले :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमान-पत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई हवाई अड्डे पर त्रि-भाषा फार्मूला लागू करने हेतु कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस फार्मूले के अन्तर्गत सभी संकेत पट्टों, चित्रलेखों, नाम पट्टों, बोर्डों को तीन भाषाओं यानि मराठी, हिन्दी तथा अंग्रेजी में लिखा जाना है;

(ग) क्या इस फार्मूले को मुम्बई हवाई अड्डे पर लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और उक्त दिशा-निर्देशों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

शारजाह से हैदराबाद की उड़ान

8726. **डा० आई० एस० राजशेखर रेड्डी :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शारजाह से हैदराबाद तक सीधी उड़ानें शुरू करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी विदेशी कम्पनी ने अपने शारजाह स्थित कार्यालय के माध्यम से शारजाह से हैदराबाद की उड़ानें आरंभ करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) हैदराबाद और शारजाह के बीच सप्ताह में तीन सेवाएं परिचालित करने के लिए एन०आर०आई० ट्रेडिंग कम्पनी, शारजाह से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । तथापि, अनुसूचित अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का परिचालन केवल संविदाकारी पक्षों की नामित विमान कम्पनियों द्वारा ही किया जा सकता है ।

[हिन्दी]

दिल्ली से मुम्बई के लिए विमान सेवा

8727. **श्री छेदी पासवान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पटना होते हुए दिल्ली से मुम्बई के लिए नियमित विमान सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस सेवा के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स, बम्बई-पटना-रांची-बम्बई मार्ग पर सप्ताह में दो बार की बी-737 सेवा का परिचालन करती है । बम्बई और पटना के बीच यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को सप्ताह में सभी दिनों दिल्ली से होकर दोनों दिशाओं में पर्याप्त हवाई संपर्क भी उपलब्ध कराये गये हैं ।

बृज संस्कृति संबंधी कार्यक्रमों का दूरदर्शन से प्रसारण

8728. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन पर बृज संस्कृति संबंधी कार्यक्रमों को प्रसारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन बृज संस्कृति पर पहले से ही कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है ।

4—20 LSS/ND/93

(ख) ऐसे प्रसारणों का ब्यौरा केन्द्रीय रूप से संकलित नहीं किया जाता।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

[अनुवाद]

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण

8729 श्री पी० सी० थामस : क्या संचार मंत्री 9 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1874 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में अब तक जिन 94 टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है उनके नाम क्या हैं और निकट भविष्य में जिन 73 एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने का विचार है उनके नाम क्या हैं : और

(ख) इस संबंध में भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान जिन टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार किया गया/आधुनिकीकरण किया गया उनकी जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है। यह वह अवधि है जिसके लिए संदर्भित प्रश्न में जानकारी दी गई है। जहां तक एस टी डी सुविधा प्रदान करने का संबंध है, आठवीं योजना मसौदे के उद्देश्यों में, योजना अवधि के अंत तक सभी टेलीफोन एक्सचेंजों में एस टी डी सुविधा का विस्तार करने का उद्देश्य भी शामिल है।

(ख) नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8वीं योजना मसौदे के उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मांग करने पर व्यावहारिक रूप से टेलीफोन प्रदान करना।

—बड़ी टेलीफोन प्रणालियों में प्रतीक्षा अवधि को दो वर्ष तक कम करना।

आठवीं पंचवर्षीय योजना मसौदे के अनुसार उन्नयन/आधुनिकीकरण योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—मियाद समाप्त और घिसे पिटे स्विचों की मियाद समाप्त होते ही उन्हें बदलना।

—छोटे आकार के इलेक्ट्रो-मैकेनिकल एक्सचेंजों (मैक्स-III) और लाइन फाइन्डर (मैक्स-II) टाइप को बदलना।

विस्तार और आधुनिकीकरण की योजनाएं तद्नुसार तैयार की जा रही है।

विवरण

(क) केरल में 1-4-91 से 31-1-92 तक विस्तार किये गए 94 एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. मलयालपुजा
2. वेवलूर
3. कल्लूकाड
4. इवतनट्टुकरा
5. कोयलमन्नार
6. कन्याकुलंगरा
7. वेलानाड
8. सस्तमकोटा

9. वेल्लतूबल
10. ओडाकली
11. इड्डक्की
12. अलवई
13. उप्पाला
14. पुत्ररानी
15. पाडापल्ली
16. अरकुनम
17. मारामपल्ली
18. पोतनीकोड
19. कटापाना
20. अरयानाड
21. पेरिंगमाला
22. विझिंजम
23. कालीकट-वेलायली
24. ओटापलम
25. अंचल
26. मवालीकेरा
27. किडांयूर
28. मोझीकुजम
29. कोट्टापाडी
30. नदुवनू
31. श्रेंगला
32. तिरूवला
33. मरयूर
34. देवीकोलम
35. कुचेरी
36. पारापुर
37. वनियमकुलम
38. कांजीकुझी
39. कोट्टाक्काल
40. कसलाई
41. मट्टानूर
42. चनामेटा
43. करूंगापल्ली
44. घणेलावेरा
45. कोटराकरा
46. परिपली
47. पूर्वी कलाड
48. पनवलम
49. कोनी
50. चितुर-कोचीन
51. इरूमपट्टी
52. कोंडई
53. कांजीकोडे
54. बडकनचेरी
55. इलापुली
56. विलगड
57. अयोली
58. गुरिंजकल
59. कुराविलांगड
60. वलामसडरी
61. कुजीथानी
62. मडाकोटुकुरूसी
63. पंडीकाड
64. कोलातुर
65. कलपेटा
66. मुट्टूर कोचीन
67. तिरूरंगडी
68. मुनरो इसलंड
69. वेटीकवला
70. कुरिचिकरा
71. किझीलम
72. परांपोडे
73. नेट्टूर
74. करिमनूर
75. करीमकुनम
76. अयावना
77. इलांजी
78. नेलीगट्टम

79. पालघाट
80. अेलावकोट
81. शोरनूर
82. पनाम्मन्ना
83. कोटर्या
84. कन्नानूर
85. तेनकुरूसी
86. परपननाडी
87 नकरम्भा
88. कयमकुलम
89. पन्यायुरकुलम
90. कंजीरापली
91. भरणगणम
92. मुन्नार
93. पटाझी
94. पईवलिका

1-2-92 से 31-3-92 के दौरान विस्तार किये गये टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम इस प्रकार है :—

1. कलाकंडी
2. पडगिरी
3. कुर्भुमेडु
4. वेलचुवाडु
5. राजकुमारी
6. पाट्टनकाड
7. चेंगनूर
8. इलानाड
9. तलवीया
10. पांग
11. पलापेटी
12. पदुवधुरम
13. भलयानचिरंगरा
14. रोजक्काड
15. ओचिरा
16. पुनालनूर
17. कवलप
18. कुंभनाड
19. वन्नूर
20. पुलसेरी
21. पारली
22. मुंडूर
23. कलाडिकोडे
24. चेरपलासेरी
25. नयटिकरा
26. त्रिवेन्द्रम मेडिकल कालेज
27. अंबलमुकु
28. करियावट्टम
29. बलरामपुरम
30. चिरयांकिल
31. श्रीकांतपुरम
32. पिंगोटुकुरूसी
33. पचापलोद
34. पनवूर
35. कोट्टायम
36. तिरूवला
37. अलेप्पी यूनिट-II
38. कोचीन यूनिट-II
39. पलारिवटम
40. पनसलीनगार
41. किलोन-चिनकाडा
42. रन्नी
43. कुथातुकुलम
44. मयनाड
45. तानूर
46. वरपुझा
47. अलकोड
48. कोझनचेरी
49. अयरमुनम
50. अभालामुगल
51. मुंडूर-कोचीन
52. मीननगडी

53. कदमेंदी
54. इरिट्टी
55. पटांबी
56. कुधियाथोड
57. कयमगुलम
58. कटाकडा
59. वक्कम
60. कटाघडाका
61. मटमेमलम
62. करीमकुनम
63. मेलाडी
64. नेनपेरा
65. चह्रूर
66. उदयमगेरूर
67. करूकचल
68. वेलारडा
69. तिरुंवमवेडी
70. मनिमाला
71. मुट्टोय
72. तलियोलापारम्बा
73. तियचला
74. पचापलोद
75. वलयार
76. तलापुझा
77. कुडवचूर
78. कुन्नोनी
79. चेनाड
80. कोअनुकल
81. कुरिआनूर
82. तिपोडीकल
83. राममंगलय
84. कडबूर
85. कोरूथोडे
86. पम्पा घाटी
87. कोट्टापडी
88. अरकुनम
89. मूनीलयू
90. मोनीपली
91. मनीड
92. उगुथरा
93. पसर
94. थोडुपुझा
95. गांधीनगर (केटीएम)
96. कजूपरा
97. अधिकनम
98. बेदादका
99. कुनिसेरी
100. अचमपुरा
101. अलनालूर
102. मुजूरकरा पंजाल
103. अरंगोटुकेरा
104. अंबूरी
105. तह्मीकोडे
106. इडवना
107. कटाकंपल
108. ओटशेखमगलम
109. मयील
110. बेनगोड

टिप्पणी :—9 मार्च, 1992 को प्रश्न सं० 1874 के उत्तर में यह बताया गया था कि फरवरी और मार्च, 1992 की अवधि के दौरान 73 और एक्सचेंजों का विस्तार किये जाने की संभावना है । वास्तविक रूप से 110 एक्सचेंजों में विस्तार किया गया । तद्नुसार इस सूची में कुल संख्या 73 से भिन्न है ।

भूमि तथा जल संसाधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी की सहायता

8730. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संसाधनों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से कितनी सहायता राशि की मांग की गई है: और

(ख) इससे महाराष्ट्र कितना लाभान्वित होगा ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूमि तथा जल संसाधनों के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।

सोवियत संघ के साथ सहयोग

8731. **श्री बापू हरि चौरे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल संसाधन के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में सोवियत संघ के साथ कोई समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके अन्तर्गत कितना क्षेत्र शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए कितनी विदेशी सहायता नियत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) भारत और भूतपूर्व यू० एस० एस० आर० ने सिंचाई और जल प्रबन्ध के क्षेत्र में वर्ष 2000 तक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) समझौते में परिकल्पित सहयोग के क्षेत्र विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग) से (ङ) (i) महाराष्ट्र राज्य में काली कपास मिट्टी की जल निकासी; (ii) रेंगाली नहर, उड़ीसा में परीक्षण विस्फोट; और (iii) केन्द्रीय भूजल बोर्ड के लिए संघाती (पर्कशन) ड्रिलिंग रिगों की खरीद से संबंधित तीन मसौदा करार प्राप्त हुए हैं। हाल में, रूस की ओर से मसौदा करार में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है और उस पर सम्बन्धित राज्य सरकारों/कार्यकारी संगठनों से टिप्पणियां देने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

सहयोग के क्षेत्र

आर्थिक और तकनीकी सहयोग

(i) बांधों और नहरों के निर्माण के लिए लक्ष्य किए गये विस्फोटक का उपयोग,

(ii) अस्थिर मृदा पर जलीय संरचनाओं की डिजाइन करना,

(iii) भूकम्पीय झटके द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में उच्च मिट्टी और राकफिल बांधों का अध्ययन, डिजाइन और निर्माण करना,

(iv) जलाशयों और नहरों के लिए गाद नियंत्रण का विकास,

(v) भूजल अन्वेषण और प्रत्याशित ड्रिलिंग,

(vi) यू० एस० एस० आर० के डिजाइन प्रतिष्ठानों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों में भारतीय विशेषज्ञों का प्रशिक्षण।

वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग

(i) जलीय संरचनाओं और जलीय प्रणालियों का भौतिक तथा गणितीय प्रतिरूपण,

(ii) सिंचाई नहर प्रणालियों का स्वचालित प्रचालन,

(iii) सतही और भूजल के संयुक्त उपयोग को इष्टतम बनाना,

(iv) भूमि लवणीयता तथा जल जमाव के प्रभावी नियंत्रण के लिए जल निकास प्रणालियां,

(v) नदी बेसिनों के इष्टतम विकास के लिए आयोजना,

(vi) कृत्रिम भूजल पुनर्भरण,

(vii) भूजल प्रदूषण का नियंत्रण ।

निकिल संयंत्र

8732. **श्री अनादि चरण दास** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कोई निकिल संयंत्र है;

(ख) देश में प्रमुख निकिल भंडारों का ब्यौरा क्या है तथा उनमें लगभग कितना भंडार है;

(ग) निकिल के आयात में गत पांच वर्षों के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(घ) क्या देश में एक निकिल संयंत्र की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) देश में, 0.2 से 0.9% निकिल अंश वाले, निकिल अयस्क के 231.41 मिलियन टन शर्तबध्द स्रोतों का अनुमान लगाया गया है । इन स्रोतों के वितरण का राज्य-वार ब्यौरा इस प्रकार है :—

बिहार	7.31 मिलियन टन
नागालैंड	4.45 मिलियन टन
उड़ीसा	219.65 मिलियन टन

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान निकिल और उसके सामान के निर्यात का मूल्य इस प्रकार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रकम
1986-87	36.50
1987-88	68.93
1988-89	174.43
1989-90	191.95
1990-91	147.66

(घ) व (ङ) स्थायी वैज्ञानिक सलाहकार समूह द्वारा सुकिन्दा निक्षेपों से निकिल के निष्कर्षण के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में विचार किया गया था और इसके परिणामस्वरूप वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी०एस०आई०आर०) को निकिल संयंत्र के लिए एक तकनीकी-आर्थिक साध्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम सौंपा गया है ।

सुकिन्दा निकिल निक्षेप अल्प ग्रेड के हैं । इन निक्षेपों पर आधारित संयंत्र की स्थापना, साध्यता अध्ययन के परिणाम और स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है ।

पेप्सी ड्रिंक्स द्वारा अतिरिक्त बॉट्लिंग एककों की स्थापना

8733. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि शीतल पेय कॉन्सेन्ट्रेट की बिक्री कुल कारोबार के 25 प्रतिशत से अधिक न हो, सरकार ने अतिरिक्त बॉट्लिंग एककों को अनुमति देने पर रोक लगा दी है;

(ख) क्या इस पर पूरी रोक नहीं लगाई गयी है और इसके बारे में जांच के कोई आदेश दिए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो जांच रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

मुम्बई हवाई अड्डा क्षेत्र के आस पास अवैध निर्माण

8734. **श्री राम नाईक** : क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अप्रैल, 1992 के टाइम्स ऑफ इंडिया (मुम्बई) में "बिल्डिंग फ्राड नीयर एयरपोर्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई हवाई अड्डा क्षेत्र के आस-पास निर्धारित ऊँचाई से अधिक ऊँचाई के 15 भवनों के अतिरिक्त मंजिलो को गिराने के लिए कोई नोटिस जारी किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या अतिरिक्त मंजिलों के लिए योजना की मंजूरी देने से पूर्व नगर निगम द्वारा सत्यापन हेतु राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण को अनापत्ती प्रमाण-पत्र भेजा गया था;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) आपत्ति वाली मंजिलों का निर्माण कब किया गया तथा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने किन-किन तरीकों को आपत्तियां प्रस्तुत की थीं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हाँ ।

(ख) तीन भवन निर्माताओं जिन्होंने स्वीकृत ऊँचाई से ऊपर निर्माण किया है, का मामला राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के ध्यान में आया है ।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) जी, नहीं ।

(ग) भवन निर्माता केवल स्वीकृत ऊँचाई तक निर्माण कर सकता है जिसके लिए राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है । इस अनापत्ति प्रमाण-पत्र की एक प्रति राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा मुम्बई नगरपालिका को प्रेषित की जाती है जिससे वह यह सुनिश्चित कर सके कि भवन निर्माता राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र में दी गई ऊँचाई का पालन कर सके ।

(घ) भवन की निर्माण तिथि के बारे में कोई जानकारी नहीं है । हालांकि दो भवन निर्माताओं को स्वीकृत ऊँचाई से ऊपर तक भवन बनाने के संबंध में 4-1-92 को नोटिस जारी कर दिया गया था जबकि तीसरे भवन निर्माता को 9-1-92 को नोटिस जारी किया गया ।

स्वतंत्रता सेनानियों को टेलीफोन

8735. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन्हें अब यह सुविधा उपलब्ध कराने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जी हां । मौजूदा अनुदेशों के अनुसार यथानिर्धारित नियमों के अनुसार जो स्वतंत्रता सेनानी इसकी शर्तों को पूरा करते हैं वे गैर-ओवाईटी विशेष श्रेणी के अंतर्गत एक टेलीफोन कनेक्शन के लिए अपनी मांग दर्ज कराने के पात्र होते हैं बशर्ते कि उनके नाम कोई टेलीफोन उस स्थान पर किसी भी श्रेणी अथवा देश में कहीं भी न हो ।

दूरसंचार परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को एस० टी० डी० सुविधा

8736. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार परामर्शदात्री समिति के सदस्यों को एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) उपर्युक्त भाग "क" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

विदेशी सहायता से बौद्ध पर्यटन केन्द्रों का विकास

8737. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में विदेशी सहायता से बौद्ध पर्यटन केन्द्रों का विकास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक राज्य को कितनी विदेशी सहायता प्रदान की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी सहायता से सिक्किम में भी बौद्ध पर्यटन केन्द्रों का विकास करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों में अभिनिर्धारित बौद्ध परिपथों पर आधारभूत सुविधाओं का विकास जापान के विदेशी आर्थिक सहयोग कोष (ओईसीएफ) से, प्राप्त वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। सरकार और ओईसीएफ द्वारा 15 दिसम्बर, 1988 को हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार 220.43 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत में से ओईसीएफ 9.244 बिलियन जापानी येन (लगभग 100 करोड़ रू०) की ऋण सहायता देगा।

ओईसीएफ महाराष्ट्र राज्य में अजंता और एलौरा क्षेत्र के संरक्षण तथा विकास के लिए भी वित्तीय सहायता देगा। भारत सरकार और ओईसीएफ द्वारा दिनांक 9 जनवरी, 1992 को हस्ताक्षरित ऋण करार के अनुसार 4,406 मिलियन जापानी येन की कुल परियोजना लागत में से ओईसीएफ 3.745 मिलियन जापानी येन वित्तीय सहायता के रूप में देगा।

(ग) और (घ) सिक्किम राज्य सरकार से राज्य में बौद्ध पर्यटक केन्द्रों का विकास करने के लिए विदेशी सहायता हेतु कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

भू जल की खोज

8738. **श्री विश्वनाथ शर्मा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूर संवेदनशील अध्ययन के प्रयोग से तैयार भू-आकृति और विशिष्ट निशान वाले नक्शों से देश में भू-जल की खोज में कोई सहायता मिली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है विशेषत: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जिलावार इससे कितनी सफलता मिली है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने दूरस्थ संवेदन, भू-भौतिकी और जल भूवैज्ञानिक अध्ययनों की सहायता से अपने भूजल अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में 964 कुंओं की ड्रिलिंग की है, जिसमें से 542 सफल रहे हैं। इनमें से 26 कुंएं मध्य प्रदेश में तथा 10 उत्तर प्रदेश में ड्रिल किए गए हैं। दोनों राज्यों में सफल कुंओं की संख्या क्रमश: 10 और 5 है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ड्रिल किए गए तथा सफल कुंओं का जिले-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

केन्द्रीय भू जल बोर्ड के भूजल अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ड्रिल किए गए कुंओं का ब्यौरा।

क्र० सं०	जिला	ड्रिल किए गए कुंओं की संख्या	सफल कुंओं की संख्या
	मध्य प्रदेश		
1.	झबुआ	8	4
2.	खंडवा	6	1

क्र० सं०	जिला	ड्रिल किए गए कुँओं की संख्या	सफल कुँओं की संख्या
3.	राजगढ़	11	5
4.	शाधोल	1	0
		26	10
	उत्तर प्रदेश		
1.	बांदा	3	3
2.	झाँसी	1	0
3.	मिर्जापुर	2	2
4.	मनिरपुर	4	0
		10	5

राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी

8739. **श्री वसुंधरा राजे** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं;

(ख) एजेंसी द्वारा हाथ में लिये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) एजेंसी ने अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय की; और

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जिन मुख्य उद्देश्यों, के लिए राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण की स्थापना 1982 में की गई थी, वे निम्न हैं :

(i) जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के एक भाग के रूप में प्रायद्वीपीय नदी विकास का व्यवहार्यता अध्ययन करके देश में जल संसाधन का इष्टतम उपयोग करने के लिए वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा देना ।

(ii) जल के अन्तःबेसिन अन्तरण समेत उपर्युक्त पर विस्तृत अध्ययन करना ।

(ख) अब तक प्रारंभ किए गए अध्ययनों में (i) महानदी-गोदावरी-कृष्णा-कावेरी नदियों, (ii) पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, बम्बई के उत्तर और तापी के दक्षिण में (iii) चम्बल के साथ केन नदी और (iv) पश्चिम की ओर बहने वाली अन्य नदियों के व्यपवर्तन के अन्तःसम्पर्क अध्ययन सम्मिलित हैं । इनमें 137 बेसिन/उपबेसिनों के लिए जल संतुलन अध्ययन, 49 व्यपवर्तन बिन्दु और 58 स्थलों के लिए जलाशय अध्ययन भी सम्मिलित है ।

1991-92 के दौरान, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के हिमालययी घटक का प्रारंभिक अध्ययन भी प्रारंभ किया गया है ।

(ग) अभिकरण द्वारा मार्च, 1992 तक व्यय की गई कुल राशि 2188.64 लाख रुपए है ।

(घ) वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित निधि 450.00 लाख रुपए है ।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों का निर्माण, नवीकरण एवं सुधार

8740. **श्री विश्वनाथ शास्त्री** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों के निर्माण, नवीकरण और सुधार करने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, नहीं । भारत पर्यटन विकास निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

[हिन्दी]

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

8741. **श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र विशेष रूप से लखनऊ में इंजीनियरिंग डिवीजन तथा परिवहन विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए आरक्षित पद नहीं भरे गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके पदवार क्या कारण हैं;

(ग) इन पदों को भरने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(घ) इस संगठन में आरक्षित पदों को भरने के लिए क्या नीति बनाई गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र में ग्रुप "सी" व "डी" श्रेणी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों की स्थिति इस प्रकार है :—

कुल आरक्षित पद	*भरे हुए*	*रिक्त*
42	10	32

इंजीनियरी और परिवहन प्रभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदों की स्थिति इस प्रकार है :—

रिक्त स्थानों के पदनाम	*अनुसूचित जाति*	*अनुसूचित जनजाति*	*कुल*
कारपेन्टर	शून्य	1	1
मैकेनिक	शून्य	1	1
ड्रायव्हर	1	3	4
कुल	1	5	6

(ख) रिक्त पदों को न भरे जाने का मुख्य कारण, रोजगार कार्यालय से योग्य अभ्यार्थियों का उपलब्ध न होना है ।

(ग) उत्तरी क्षेत्र के ग्रुप "सी" व "डी" समूह में 5 अभ्यार्थियों का चयन किया गया, परन्तु अभी उन्हें पद-भार ग्रहण करना है । इंजीनियरी और परिवहन प्रभाग में 2 रिक्त पदों की भर्ती हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है । संबंधित प्राधिकरण इस पर अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे हैं ।

(घ) सरकार द्वारा समय-समय पर जारी संबंधित नीति/निदेशों के अनुसार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण आरक्षित श्रेणियों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्रवाई कर रहा है ।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष ड्यूटी भत्ता

8742. **डॉ० सी० सिलवेरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्वोत्तर क्षेत्र के डाक सेवा, रेल डाक सेवा तथा सैन्य डाक सेवा (एम० एम० एस०) कर्मचारियों को विशेष ड्यूटी भत्ता देने हेतु कोई अनुरोध मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है अथवा करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र के ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" कर्मचारियों ने उसी प्रकार विशेष ड्यूटी भत्ता देने की मांग की है जिस प्रकार यह भत्ता उत्तर पूर्वी क्षेत्र में तैनात होने पर ग्रुप "क" और ग्रुप "ख" कर्मचारियों को दिया जाता है । चूंकि ग्रुप "ग" और ग्रुप "घ" कर्मचारियों का अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरण नहीं होता है और उनकी भर्ती भी अखिल भारतीय आधार पर नहीं की जाती, इसलिए वे इस संबंध में वित्त मंत्रालय के निदेशों की शर्तों के अनुसार विशेष ड्यूटी भत्ता पाने के पात्र नहीं हैं । इन कर्मचारियों ने विशेष ड्यूटी भत्ते का भुगतान किये जाने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, गुवाहाटी खंडपीठ में दो मूल याचिकाएं दायर की थीं । न्यायाधिकरण ने कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने न्यायाधिकरण के इस निर्णय पर रोक लगा दी और पुनरीक्षण याचिकाएं दायर करने की अनुमति दे दी । पुनरीक्षण याचिका 4-11-91 को दाखिल की गई । इस प्रकार यह मामला अब न्यायाधीन है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में डाकघर भवन

8743. **श्री राजवीर सिंह**
डॉ० लाल बहादुर रावल } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कितने डाकघर किराये के भवनों में हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे डाकघरों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चुने गये स्थलों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 253 ।

(ख) जी, हां । यथा समय, बशर्ते कि धनराशि आदि उपलब्ध रहे ।

(ग) सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अनुबंध

डाकघर भवनों का निर्माण करने के लिए चुने गए स्थानों का जिलावार विवरण ।

जिला	स्थान		
फतहपुर	1. फतहपुर	बलिया	23. नगरा
	2. हायगांव	आजमगढ़	24. दोहरीघाट
गाजियाबाद	3. कविनगर	प्रतापगढ़	25. लालगंज
कानपुर	4. अनवरगंज	इलाहाबाद	26. इलाहाबाद सिटी
	5. किदवई नगर	फैजाबाद	27. फैजाबाद
	6. पनकी	लखनऊ	28. गोमती नगर
फर्रुखाबाद	7. करीमगंज (फतहगढ़)		29. इन्द्रनगर
	8. कन्नौज		30. ट्रांसपोर्ट नगर
	9. फतहगढ़	नैनीताल	31. कोटाबाग
	10. मालखन (फतहगढ़)	पिलीभीत	32. पिलीभीत सिटी
बांदा	11. पिलानी	बरेली	33. भामोरा
	12. बांदा		34. मीरगंज
अल्मोड़ा	13. अल्मोड़ा		35. विसारतगंज
	14. चौबटिया	जालौन	36. उरई
मुरादाबाद	15. मुरादाबाद	आगरा	37. संगाई प्लेस आगरा
	16. अमरोहा	गोरखपुर	38. गोलघर गोरखपुर
पिथौरागढ़	17. पिथौरागढ़	सहारनपुर	39. बावेलबुर्ग
	18. मुनसियारी	चमोली	40. गौचर
एटा	19. एटा	मेरठ	41. आर० पी० रोहला
बहराइच	20. शंकरपुर	मुजफ्फरनगर	42. थाना भवन
बस्ती	21. परकौलिया	सुलतानपुर	43. जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र
	22. बाबहनन		

ग्रामीण विद्युतीकरण, निगम द्वारा गुजरात में विशेष कृषि कार्यक्रम शुरू करना

8744. **श्री महेश कनोडिया** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने गुजरात में विशेष कृषि परियोजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं ; और

(ख) इसमें से जिलावार कितना लक्ष्य पूरा किया जा चुका है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा पम्प ऊर्जन के लक्ष्य का निर्धारण जिलेवार नहीं अपितु समग्र राज्य के लिए किया जाता है। गुजरात में विशेष कृषि परियोजना (एस० पी० ए०) के अधीन 6600 पम्पसेटों सहित 1991-92 के दौरान 10,100 पम्पसेटों को ऊर्जित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपरोक्त लक्ष्य की तुलना में गुजरात बिजली बोर्ड की सूचना के अनुसार 19,524 पम्पसेटों का ऊर्जन किया जा चुका है।

[अनुवाद]

प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोनों की जाली मंजूरी की जांच

8745. श्री जंगबीर सिंह
डॉ० लाल बहादुर रावल
श्री चेतन पी० एस० चौहान
डॉ० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय
श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री महेश कनोडिया
श्रीमती रीता वर्मा
श्री अन्ना जोशी

: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राथमिकता के आधार पर जून, 1991 से पूर्व टेलीफोन देने की कथित जाली मंजूरी की शिकायतों की जांच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या सही मामलों में टेलीफोन कनेक्शन दे दिये गये हैं;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) ये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दिए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं।

(ख) इस स्तर पर प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) माननीय संसद सदस्यों तथा अन्य की सिफारिशों पर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के अलग-अलग मामलों के आधार पर अनुमोदन के पश्चात मंजूरी प्रदान करने की कार्रवाई की गई है। शेष मामले जांचाधीन होने के कारण रोके हुए हैं।

[हिन्दी]

कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना

8746. श्री भोगेन्द्र झा : क्या जल संसाधन मंत्री 6 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6292 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मुद्दों का ब्यौरा क्या है जिन पर 13-14 फरवरी, 1992 को कोसी बहुउद्देश्यीय परियोजना के संबंध में भारत-नेपाल के विशेषज्ञों की बैठक में हुई चर्चा के दौरान आम सहमति और मतभेद थे;

(ख) क्या भारत सरकार ने नेपाल सरकार के पास कोई प्रारम्भिक रिपोर्ट भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर नेपाल सरकार ने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है;

(घ) क्या जापान के विशेषज्ञों ने इस मामले में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले; और

(च) इस संबंध में भारतीय विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत नवीनतम रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) बाढ़ नियंत्रण, गाद नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए कोसी उच्च बांध परियोजना के अन्वेषण और अध्ययन शुरू करने के उद्देश्यों पर मतैक्य था। तथापि, नौवहन संबंधी पहलुओं के लिए संबंधित सरकारों के निदेश प्राप्त करने पर सहमति हुई थी।

(ख) और (ग) कोसी पर उच्च बांध की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट वर्ष 1981 में नेपाल को भेजी गयी थी तथा वर्ष 1985 में इसकी एक प्रतिलिपि दी गयी थी। नेपाल का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) जापान दल ने फरवरी, 1992 में भारत और नेपाल का दौरा किया तथा इस संबंध में प्रारंभिक विचार-विमर्श किया था।

(च) हाल में, भारतीय विशेषज्ञों द्वारा कोई और रिपोर्ट तैयार नहीं की गयी है।

[अनुवाद]

पालाक्कड, केरल में शाखा डाकघर

8947. **श्री वी० एस० विजयराघवन :** क्या संचार मंत्री 12 सितम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6890 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के पालाक्कड जिले में कोई शाखा डाकघर खोले गये हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) 12-9-91 को अतारांकित प्रश्न सं० 6890 के उत्तर में यह कहा गया था कि पालाक्कड जिले में शाखा डाकघर खोलने के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों की उस समय जांच की जा रही थी और यह भी कहा गया था कि उनकी मंजूरी उनका औचित्य पाये जाने पर और निर्धारित मानदंडों के पूरा होने पर दी जाएगी।

(i) अत्तेमपत्ती

(ii) कुट्टीपल्लम

(iii) पेरिंगन्नूर

उपर्युक्त (i) और (iii) में उल्लिखित स्थानों पर 30-11-91 को शाखा डाकघर खोल दिए गए हैं।

(ख) जहां तक कुट्टीपल्लम में शाखा डाकघर खोलने का संबंध है, निर्धारित मानदंडों के अनुसार इसका औचित्य नहीं पाया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात का उत्पादन

8748. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) इस वर्ष के दौरान इस्पात का कुल कितना आयात-निर्यात किया गया;

(ग) देश में इस्पात का कारखाना मूल्य, आयात की लागत, बीमा, भाड़ा, मूल्य और निर्यात का पोत पर्यंत निःशुल्क मूल्य कितना-कितना है; और

(घ) वर्ष के दौरान देश में इस्पात की मांग को पूरा करने का स्तर लगभग कितना था ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) वर्ष 1991-92 के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 142.0 लाख टन हुआ।

(ख) वर्ष 1991-92 में (जनवरी 92 तक) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) द्वारा 2.8 लाख टन परिसज्जित इस्पात का निर्यात किया गया।

वर्ष 1991-92 में (फरवरी, 92 तक) 9.1 लाख टन परिसज्जित इस्पात का आयात किया गया।

(ग) इस्पात की सामान्य श्रेणियों के लिए सेल के कारखाना-बाह्य मूल्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

वर्ष 1991-92 में (फरवरी, 92 तक) परिसज्जित इस्पात के आयात का औसत लागत बीमा भाड़ा मूल्य 13,232 रूपये प्रति टन है।

वर्ष 1991-92 में (जनवरी, 92 तक) सेल और टिस्को के परिसज्जित इस्पात के निर्यात का औसत पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 7400 रूपये प्रति टन है।

(घ) लगभग 87%।

विवरण

प्रतिनिधि इस्पात मदों के कारखाना बाह्य मूल्य—स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड।

श्रेणी	रूपये/एम० टी० 1-3-92 से लागू
बिलेट्स 80-100 मि० मि०	5579
ब्लूमस 150 मि० मी०	5459
स्लैब्स 90 मि० मी० और कम	5429
राउंड्स 16 मि० मी०	6534
टार इस्पात 8 मि० मी०	8029
तार छड़ें 8 मि० मी०	6759

5—20 LSS/ND/93

श्रेणी	रूपये/एम० टी० 1-3-92 से लागू
कोण 65×65×6	7124
चैनल्स 100×50	7799
जाइटस 150×75	8089
प्लेट	
(i) 5 मि० मी० से 10 मि० मी० तक	9713
(ii) 10 मि० मी० से 20 मि० मी० तक	10220
एच० आर० चादरें: 3.15 एम० एम०	9273
एच० आर० क्वायलें: 3.15 एम० एम०	9791
सी० आर० चादरें	
(i) 0.63 एम० एम०	13376
(ii) 1.6 एम० एम०	12500
सी० आर० क्वायल	
(i) 0.63 एम० एम०	13136
(ii) 1.6 एम० एम०	12255
जी० पी० चादरें	
(i) 0.63 एम० एम०	17736
(ii) 1.6 एम० एम०	13560
जी० सी० चादरें	
(i) 0.63 एम० एम०	17797
(ii) 1.6 एम० एम०	13622

विद्युत संयंत्रों में संयंत्र भार क्षमता

8749. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने ताप विद्युत केन्द्रों ने उच्चतम संयंत्र भार क्षमता दिखाई है; और

(ख) इन संयंत्रों के मजदूरों को उच्चतर संयंत्र भार क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान जिन ताप विद्युत केन्द्रों का उच्चतम संयंत्र भार अनुपात रहा है, ये निम्नवत हैं:—

वर्ष	केन्द्र का नाम	संयंत्र भार अनुपात (%)
1989-90	विजयवाड़ा	80.9

वर्ष	केन्द्र का नाम	संयंत्र भार अनुपात (%)
1990-91	विजयवाड़ा	83.8
1991-92	सिंगरौली	77.9

(ख) देश के ताप विद्युत केन्द्रों में प्रतिस्पर्धात्मक भावना को प्रोत्साहन देने के लिए ताप विद्युत केन्द्रों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु ताप विद्युत केन्द्रों के बेहतर कार्य निष्पादन के लिए एक प्रोत्साहन स्कीम लागू है। स्कीम के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण कार्मिकों को नकद पुरस्कार, विद्युत केन्द्र के प्रभारियों को पदक तथा विद्युत केन्द्र प्रबन्धकों/बोर्डों को शील्ड प्रदान किए जाते हैं।

[हिन्दी]

हवाई अड्डों का विकास और एअरोब्रिज का ढहना

8750. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न हवाई अड्डों पर विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराने एवं उनके विकास पर, हवाई अड्डे-वार, प्रत्येक मद पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) मुम्बई में एअरोब्रिज का निर्माण कार्य कब शुरू किया गया था और इस पर अभी तक कितनी राशि व्यय की गई है;

(ग) क्या वह ढह गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इसकी कोई जांच की गई है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(छ) भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) विवरण I और II संलग्न हैं।

(ख) अक्तूबर 1991/अब तक व्यय की गई राशि निम्न प्रकार है:—

(1) अतिरिक्त पुर्जों सहित 401075.91 अमरीकी डालर

(2) सीमा शुल्क : 5209426/- रुपए

(3) स्वदेशी अवयव—2626168/- रुपए तथा उत्पाद शुल्क, बिक्री कर और चुंगी।

(ग) जी, नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस एअरोब्रिज के किसी अवयव की कार्यप्रणाली में खराबी आ गई थी।

(घ) और (ङ) एअरोब्रिज की कार्यप्रणाली में खराबी के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

(च) और (छ) जांच पूर्ण होने तक, तीन इंजीनियरों और एक आपरेटर को निलम्बित कर दिया गया है। जांच के विचारार्थ विषयों में भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाये जाने वाले कदम भी शामिल हैं।

विवरण I

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विभिन्न विकास/विस्तार कार्यों पर वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान किया गया पूंजीगत व्यय

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	दिल्ली		मद्रास		कलकत्ता		बम्बई		त्रिवेन्द्रम	
	90-91	91-92	90-91	91-92	90-91	91-92	90-91	91-92	90-91	91-92
1. परियोजनाएं										
क. बम्बई अंतर्देशीय टर्मि० फेस I का विस्तार	—	—	—	—	—	—	6.83	5.06	—	—
ख. नया अंतर्राष्ट्रीय टर्मि० काम्प्लेक्स-चरण 1, कलकता	—	—	—	—	4.41	6.70				
2. अन्य कार्य										
कारगो विस्तार और वेयरहाउस सुविधाएं	2.04	0.97	0.27	0.06	0.05	0.07	0.59	2.09	—	—
3. धावनपथ, टैक्सीपथ और एप्रन	1.07	0.15	2.54	3.34	0.04	0.02	3.69	1.48	—	0.29
4. सड़कें और अन्य सेवाएं	0.10	—	0.04	0.19	0.23	0.37	1.72	6.31	—	0.06
5. सुरक्षा चार दीवारी सहित अन्य परिचालन कार्य	1.77	0.22	0.43	0.42	0.76	0.81	1.29	1.75	—	0.12
6. भूमि का अर्जन	2.00	2.39	—	0.25	—	—	—	—	—	1.82
7. टर्मिनल भवन, अन्य भवन, परिचालन उपकरण और सुविधाएं	8.20	14.74	2.44	3.61	5.21	3.53	5.49	10.84	—	3.55
	15.18	18.47	5.72	7.87	10.66	11.50	19.61	27.53	—	5.84

विवरण II

वर्ष 1990 और 1991-92 के दौरान अन्तर्देशीय हवाई अड्डों पर विभिन्न स्कीमों पर खर्च किए गए पूंजीगत व्यय का हवाई अड्डावार ब्यौरा (गैर-लेखा परिक्षित आंकड़े)।

(करोड़ रूपयों में)

	हवाई अड्डा स्कीम	90—91	91—92
भुवनेश्वर	— चार दीवारी	0.10	0.04
	— आर०/डब्ल्यू० आदि का विस्तार	0.29	
	— भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	
	— संचार सेवाओं वैमानिकी के विभिन्न उपकरण	0.90	0.13
भुन्तर	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.29	0.02
बम्बई	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.06	
	— जुहू में चार दीवारी का निर्माण	0.08	0.02
	— वैमानिक संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.08	0.22
कलकत्ता	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.03	
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.38	0.58
कालीकट	— सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त अवरोध प्रकाश	0.13	0.06
	— भू एवं सुरक्षा उपकरण.		0.30
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	—	0.31
चंडीगढ़	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.26	—
कोचीन	— टैक्सीपथ और कार पार्कपथ का पुन: सतह लेपन	—	0.40
	— ऊर्जा आपूर्ति का आवर्धन और आपात कालीन ऊर्जा आपूर्ति	—	0.06
	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	—
कोयम्बतूर	— आर/डब्ल्यू का विस्तार	2.07	0.37
	— भूमि का अर्जन	—	0.35
	— टर्मिनल भवन-व-नियंत्रण टावर	1.55	1.30
	— ऊंची भूमि को समतल करना और बाड़ को पुन: लगाना	—	0.07
	— फ्लड लाईट सिस्टिम और 3 बार आवासी सिस्टम	—	0.12
	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	1.12
कूच बिहार	— भू एवं सुरक्षा उपकरण	—	0.02
दिल्ली	— सी० आर० एस० डी० हैंगर	0.77	1.06
	— सफदरजंग पर परिचालनात्मक काम्प्लेक्स	3.48	6.19
	— विश्वासन में ट्रान्समिटिंग	—	1.25
	— आई० एन० ए० में आवासीय कालोनी	—	0.86

विवरण II—(जारी) (करोड़ रूपयों में)

			90—91	91—92
		हवाई अड्डा स्कीम		
	—	भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.20	—
	—	विविध विद्युति कार्य	1.06	—
	—	सी० आर० एस० डी० (इ० एंड एम०) कार्य	0.07	—
	—	टी० ट्रेक और एप्रन—एस० ए० बी० का पुन: सतह लेपन	0.50	0.14
	—	डी० बी० आर० आर० का संस्थापन	—	0.02
	—	वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.98	0.75
देहरादून	—	भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	0.02
डिब्रूगढ़	—	प्रशासन एवं बैगिज हैंडलिंग	—	0.10
	—	एच० आई० आर० एल० पापी, साधारण पहुंच लाईट, टैक्सीपथ लाईट, आपातकालीन ऊर्जा आपूर्ति	—	0.30
	—	भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	0.80
दीमापुर	—	सुरक्षा बाड़	—	0.45
	—	टर्मिनल भवन	—	0.08
	—	आर० डब्ल्यू० का विस्तार	0.72	—
	—	एच० आई० एल० पापी, साधारण पहुंच प्रकाश, टैक्सीपथ प्रकाश, आपातकालीन ऊर्जा पूर्ति	—	0.40
	—	भू-एवं सुरक्षा उपकरण	—	0.40
	—	वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	—	0.31
गुवाहाटी	—	भू एवं सुरक्षा उपकरण	0.26	0.40
	—	डी० वी० ओ० आर० का संस्थापन	0.00	0.03
	—	वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.30	0.49
ग्वालियर	—	टर्मिनल काम्प्लेक्स, एप्रन टैक्सीपथ, पहुंच मार्ग टैक्सीपथ	0.93	2.17
	—	टैक्सीपथ प्रकाश प्रणाली	0.04	0.02
	—	भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.02	0.30
हैदराबाद	—	चार दिवारी	0.07	—
	—	भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.40	0.84
	—	वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	—	0.13
इम्फाल	—	चार दिवारी	—	0.44
	—	सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त अवरोध प्रकाश	0.08	0.05
	—	एच० आई० आर० एल० पापी, साधारण पहुंच प्रकाश, टैक्सीपथ प्रकाश, आपातकालीन ऊर्जा पूर्ति	—	0.40
	—	भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.29	0.40

विवरण II—(जारी)

(करोड़ रूपयों में)

	हवाई अड्डा स्कीम	90—91	91—92
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.11	0.19
इन्दौर	— चार दिवारी	0.33	0.20
	— कन्वेयरबेल्ट	—	0.05
	— आर०/डब्ल्यू० का पुन: सतह लेपन		0.90
	— साधारण पहुंच प्रकाश	—	0.04
	— भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.29	0.80
जयपुर	— आर०/डब्ल्यू० का पुन: सतह लेपन	—	0.07
	— भू-एवं सुरक्षा उपकरण	0.26	0.82
	— भूमि का अर्जन आर०/डब्ल्यू० के विस्तार के लिए	0.00	0.20
	— रिजर्व लाउंज	0.00	0.08
	— सौर ऊर्जा शक्ति प्राप्त अवरोध प्रकाश	0.00	0.09
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.58	
जम्मू	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.26	
जामनगर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.29	
जमशेदपुर	— भू और सुरक्षा उपकरण		0.02
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के विभिन्न उपकरण		0.31
कैलाशहर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.02	
कानपुर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.02	
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.20	0.13
केशोद	— भू और सुरक्षा उपकरण		0.02
खजुराहो	— एप्रन धावनपथ, टैक्सीपथ का विस्तार	0.06	
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.04	0.40
	— डीवीओर की स्थापना	0.00	0.03
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	1.10	0.48
कोल्हापुर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.02	0.02
कोटा	— चारदिवारी	0.04	
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.01	
लेह	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.26	
लीलाबाड़ी	— धावनपथ और टी/डब्ल्यू का सतहलेपन	0.08	
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.29	0.42
लखनऊ	— चारदिवारी का निर्माण	0.07	
	— डीवीओर की स्थापना	0.00	0.09
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.68	0.42
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.60	0.48

विवरण II—(जारी)

(करोड़ रूपयों में)

	हवाई अड्डा स्कीम	90—91	91—92
लुधियाना	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.07	
मद्रास	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.04	
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.27	0.39
मदुरै	— दोनों छोर पर "पापी" प्रणाली	0.09	0.05
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.02	0.40
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण		0.17
मंदसौर	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.43	
मंगलौर	— विद्युत आपूर्ति में वृद्धि		0.10
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.29	0.80
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.26	
नागपुर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.09	0.80
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.49	1.30
पंतनगर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.07	
पटना	— वाहक पट्टियां		0.03
	— डीवीओर की स्थापना	0.06	0.02
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.04	0.80
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.91	0.52
पांडिचेरी	— हवाई अड्डे का निर्माण	0.06	
पोरबंदर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.04	0.02
पोर्ट ब्लेयर	— परिचालन दीवार		0.31
	— एबी-320 परिचालन के लिए हवाई अड्डे का विकास—परामर्श	0.12	
पुणे	— एचटी/एलटी सब स्टेशन		0.15
	— टैक्सी ट्रेक को चौड़ा करना		0.02
	— एप्रन का विस्तार	0.08	
रायपुर	— परिचालन दिवार	0.44	0.10
	— दोनों छोर पर धावनपट्टी का सुदृढ़ीकरण एचआई आरएल प्रणाली, टैक्सीपथ, एप्रन फ्लड लाईट, सिम्पल एप्रोच लाइटनिंग सिस्टम	0.22	0.24 0.09
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.03	0.80
राजकोट	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.38	0.40
रांची	— आर/डब्ल्यू का पुनः सतहलेपन—परामर्शी	0.03	
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.26	0.40
	— वैमानिकी संचार प्रणाली के लिए विभिन्न उपकरण	1.08	

विवरण II—(जारी)

(करोड़ रूपयों में)

	हवाई अड्डा स्कीम	90—91	91—92
सलेम	— डी० जी० सेट और स्ट्रीट लाइट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था		0.11
	— टर्मिनल भवन और नियंत्रण टावर	0.11	0.99
	— धावनपथ एप्रन और टैक्सीपथ	0.34	1.66
	— चारदिवारी		0.39
शिमला	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.28	
श्रावस्ती	— हवाई अड्डे का विकास—परामर्शी	0.02	
श्रीनगर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.53	
सूरत	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.02	
त्रिची	— पापी प्रणाली, एप्रन फ़्लड लाइट एमआईआरएल को एचआईआरएल में बदलना और डीजी सेट	0.26	0.45
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.66	0.40
	— वैमानिकी संचार प्रणाली के लिए विभिन्न उपकरण	0.86	0.13
तिरुपति	— 125 केवीए जेनेरेटिंग सेट की स्थापना		0.05
	— सौर ऊर्जा व्यवधान लाइट	0.10	0.02
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.26	0.40
त्रिवेन्द्रम्	— वैमानिक संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण		0.13
तेरा	— हवाई अड्डे का निर्माण—परामर्शी	0.23	
तूतीकोरिन	— आर/डब्ल्यू एप्रन और टी/डब्ल्यू	1.68	0.05
	— डीजी सेट और स्ट्रीट लाइट के लिए वैकल्पिक व्यवस्था		0.10
	— टर्मिनल भवन और नियंत्रण टावर	0.59	0.50
	— भू और सुरक्षा उपकरण		0.30
उदयपुर	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.28	0.40
	— चारदीवारी का निर्माण	0.05	0.00
वाराणसी	— धावनपथ और सहायक पेवमेंटों का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	0.10	
	— फ्लड लाइट सिस्टम, एप्रोच लाइट		0.15
	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.95	0.80
	— वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.18	0.09
विजयवाड़ा	— बोइंग परिचालनों के लिए हवाई अड्डे का विस्तार—परामर्शी	0.12	
	— एचआईआरएल पापी, टैक्सीपथ, एप्रन, फ्लड लाइट, डीजी सैट	0.26	0.25
	— भू और सुरक्षा उपकरण		0.40

विवरण II—(जारी) (करोड़ रूपयों में)

		90—91	91—92
	हवाई अड्डा स्कीम		
विशाखापत्तनम्	— भू और सुरक्षा उपकरण	0.26	
विविध			
	— इलाहाबाद में नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज का आधुनिकीकरण	1.58	2.15
	— इलाहाबाद में नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज वैमानिकी संचार सेवाओं के लिए विभिन्न उपकरण	0.50	0.17
	— बम्बई/दिल्ली हवाई अड्डों पर एटीएस का आधुनिकीकरण	0.00	0.30
	— विभिन्न क्षमता वाले वीएचएफए एफ एम सैट, रेडियो संचार सेट, विभिन्न उपकरणों आदि के लिए सर्वेक्षण उपकरण पुर्जों के ट्रांसरिसीवर जैसे विभिन्न मदें	5.16	2.26
	— विशेष पूंजीगत मरम्मत कार्य सहित विभिन्न स्टेशनों पर विविध सिविल और वैद्युत कार्य	9.40	0.91
		66.56	68.35

विभागेत्तर कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि

8751. **प्रो० प्रेम धूमल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विभागेत्तर कर्मचारियों के मानदेय/वेतन में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) एक नीतिगत मामले के बतौर, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के वेतन में संशोधन करने से संबंधित प्रस्तावों पर तभी कार्रवाई की जाती है जब नियमित कर्मचारियों के मामले में भी ऐसी ही प्रक्रिया शुरू की जाती है । इस समय, सरकार का नियमित कर्मचारियों के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई करने का इरादा नहीं है ।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में सुपर थर्मल केन्द्रों का निर्माण

8752. **श्री के० पी० रेड्डय्या यादव :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में सुपर थर्मल स्टेशनों के निर्माण हेतु ओ० सी० ई० एफ० ऋण के लिए जापान के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन राज्यों में विद्युत की अत्याधिक कमी को देखते हुए इन दोनों स्टेशनों को इस वर्ष की योजना में शामिल किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश में अनपारा "ख" ताप विद्युत परियोजना (2×500 मे० वा०) को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा ओ० ई० सी० एफ० सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है । इस परियोजना के लिए ओ० ई० सी० एफ० द्वारा पहले से ही 88.196 बिलियन येन ऋण राशि की तीन ट्रैन्च स्वीकृत की जा चुकी हैं । इस परियोजना के लिए 24.144 बिलियन येन के और ऋण का प्रस्ताव है ।

आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की विशाखापटट्नम ताप विद्युत परियोजना (2×500 मे० वा०) के प्रतिष्ठापन के लिए स्कीम को ओ० ई० सी० एफ० सहायता प्राप्त करने के लिए विद्युत विभाग द्वारा आर्थिक कार्य विभाग को सिफारिश की गई है ।

दूरदर्शन के लिए प्रायोजित धारावाहिकों की स्वीकृति में अनियमिततायें

8753. **श्री राम बदन**
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला
श्री महेश कनोडिया
श्री बलराज पासी
श्री आनन्द रत्न मौर्य
श्री सनत कुमार मंडल
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन के लिए प्रायोजित धारावाहिकों को स्वीकृति प्रदान करने में किन्हीं अनियमितताओं की जानकारी सरकार को मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) अक्तूबर, 1990 की प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों के बारे में अन्तिम परिणामों की सूचना स्थगित कर दी गई है क्योंकि यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ।

सुरक्षा शर्तों का उल्लंघन

8754. **श्री गुरुदास कामत** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांटीनेन्टल एयरलाइन्स एयरटैक्सी सेवा, मुम्बई द्वारा सुरक्षा विनियमों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध मे कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) त्रुटियों को रिकार्ड करने/उनकी सूचना देने, दैनिक निरीक्षण के प्रमाणन, पायलट द्वारा विमान की स्वीकृति के लिये उचित प्रमाणपत्र दिये जाने, पर्याप्त कर्मीदल ले जाये जाने और पुन: ईंधन लेने संबंधी समुचित पद्धति का अनुपालन करने में कुछेक प्रक्रियात्मक खामियां देखने में आई हैं । प्रचालक को चेतावनी दी गई है कि वह इन खामियों को दूर करे । इनका अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा नियमित निगरानी जांच की जाती है ।

गहरे समुद्र में मत्स्यन

8755. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य और कृषि संगठन, जो एक संयुक्त राष्ट्र निकाय है, ने भारतीय गहन समुद्र मत्स्यन उद्योग के संबंध में बताया है कि अधिकांश उद्यमों में वित्तीय स्थायित्व की कमी है;

(ख) क्या इस संगठन ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है;

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस संगठन द्वारा दिए गए सुझावों को लागू करने का है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी नहीं

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

विश्व बैंक द्वारा विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण देना स्थगित किया जाना

8756. **प्रो० राम कापसे** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र को ऋण देना स्थगित कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण देना स्थगित नहीं किया है । तथापि, दो परियोजनाओं नामशः अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना तथा उत्तर प्रदेश विद्युत परियोजना में संवितरण को बैंक के साथ की गई प्रसंविदा का अनुपालन करने में परियोजना प्राधिकारियों की विफलता के कारण स्थगित कर दिया गया है ।

400 के० वी० विद्युत लाइन

8757. **श्री राम कृष्ण कोंसाला**
श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी } : क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से "डेसू" का 400 के० वी० की विद्युत लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए विश्व बैंक ने क्या शर्तें रखी हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान दिल्ली के चारों ओर एक 400 के० वी० पारेषण रिंग का निर्माण कर रहा है । विश्व बैंक ऋण के निरस्त हो जाने को दृष्टि में रखते हुए पूरी परियोजना का वित्त पोषण घरेलू स्रोतों से किया जा रहा है ।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी

8758. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुर्गी के मीट और मीट उत्पादों, बर्फानी समुद्री खाद्यों, मेंढक की टांगों अथवा मसालों आदि के परिरक्षण के लिए अर्थक्षम प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए किये गये, प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या खाद्य परिरक्षण के लिए खाद्य किरणन एक अर्थक्षम विकल्प के रूप में व्यवहार्य है और इसका कोई विशेष लाभ है; और

(ग) खाद्य वस्तुओं के परिरक्षण हेतु सरकार का अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) देश में वाणिज्यिक उपयोग वाले मुर्गी मांस, मांस और मांस उत्पादों, प्रशीतित समुद्री खाद्य पदार्थों, मेंढक की टांगों या मसालों आदि के परिरक्षण के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियां या तो विकसित की गई हैं या आयात की गई हैं । यद्यपि कुछ कृषि उत्पादों/खाद्य उत्पादों के परिरक्षण के लिए कुछ बाहरी देशों में किरणन प्रौद्योगिकी प्रयोग में

लाई जाती है और इसे एक अर्थक्षम विकल्प माना जाता है परन्तु ऐसे उत्पादों की आर्थिक व्यवहार्यता और बाजार में स्वीकार्यता अभी तक हमारे देश में प्रतिष्ठित नहीं है। विभिन्न खाद्य उत्पादों के परिरक्षण के लिए लागत में कमी लाने वाली प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास प्रयत्नों को सरकार सहायता देती आ रही है और उदार औद्योगिक नीति के अधीन उद्योगों को प्रौद्योगिकी के आयात की स्वीकृति दी गई है।

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा धनराशि को अन्य प्रयोजनों पर खर्च करना

8759. **डा० परशुराम गंगवार :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि राज्य विद्युत बोर्डों को आवंटित की गई धनराशि को अन्य प्रयोजनों पर खर्च किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

(घ) क्या सम्पूर्ण प्रकरण की जाँच पड़ताल के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कोई समिति गठित की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है तथा राज्य विद्युत बोर्ड को कोई भी विशेष आबंटन नहीं किया जाता।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर को दृष्टि में रखते हुए, जी नहीं।

[हिन्दी]

रिहन्द जल विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश का हिस्सा

8760. **श्री रामेश्वर पाटीदार :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश को, जिसका उत्तर प्रदेश की रिहन्द जल विद्युत परियोजना में 15 प्रतिशत हिस्सा है, गत कई वर्षों से इसका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश को उसका उचित हिस्सा दिलाने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश के हिस्से की बिजली उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश को उसका भुगतान कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हाँ।

(ख) रिहन्द जल विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत की भागीदारी के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के बीच हुए समझौते के अनुसार रिहन्द से मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को इसके समुचित हिस्से की विद्युत सप्लाई किए जाने में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की असमर्थता की

स्थिति के लिए यह प्रावधान है कि समझौते की शर्तों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा इस प्रकार प्राप्त की गई विद्युत की प्रतिपूर्ति करनी होगी। मामले का समाधान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा आपस में द्विपक्षीय रूप से किया जायेगा।

(ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड के अनुसार रिहन्द में इसके हिस्से की विद्युत के बदले में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड, मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड को देय प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नहीं कर रहा है।

(घ) इस मामले पर दोनों राज्यों में द्विपक्षीय रूप से समय-समय पर आपसी विचार-विमर्श भी किया जाता रहा है तथा विगत में 11-11-1988 को मुख्य मंत्री स्तर पर भी इस मामले पर विचार-विमर्श किया गया था। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मामले को केन्द्रीय क्षेत्रीय परिषद स्तर पर उठाए जाने का प्रस्ताव रखा है।

[अनुवाद]

रक्षित विद्युत संयंत्र

8761. **श्री रवि राय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में रक्षित विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु एक विदेशी कम्पनी (ए० सी० ब्रान बावेरी) के साथ बातचीत शुरू की है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में एक विदेशी कम्पनी (आसिया ब्राउन बावेरी) के सहयोग से कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के प्रतिष्ठापन के लिए राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

टिहरी बाँध परियोजना

8762. **श्री मोहन सिंह : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से टिहरी बाँध परियोजना का कार्य पूरा करने का अनुरोध किया है;

(ख) इस परियोजना को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(ग) इस परियोजना का कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी हाँ।

(ख) टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स हेतु 1992-93 के दौरान के लिए केन्द्र सरकार के बजट में 50 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ग) समस्त टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स को 1996-97 के दौरान चालू किए जाने की परिकल्पना की गई है बशर्ते कि पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

8763. **डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा में विशेषत: बालासोर जिले में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार और आधुनिकीकरण करने की कोई योजना विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

8वीं पंचवर्षीय योजना मसौदे में उड़ीसा में टेलीफोन एक्सचेंज प्रणाली का लगभग 60000 लाइनों द्वारा विस्तार, टेलीफोन स्विचन क्षमता में वृद्धि तथा लगभग 48000 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करना शामिल है बशर्ते कि कनेक्शनों की मांग हो और संसाधन उपलब्ध हों। वर्ष 1992-93 के दौरान, बालासोर जिले में अनपिल, बौनसहिडी, चन्दनेश्वर, धुसुरी, बी० टी० पुर, घंटेश्वर, दोलासाही, टिहीडी, बांठ, जालेश्वर, सोरो, भद्रक, भण्डारीपोखरी, गोपालपुर, कुपरी, पिरहाट में एक्सचेंज लगाने का है। वर्ष 1993-94 के दौरान बालासोर और भद्रक में 2500 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जाने का प्रस्ताव है।

केरल में गाँवों का विद्युतीकरण

8764. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केरल के कितने गाँवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) कितने गाँवों का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी जिलावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन गाँवों का कब तक विद्युतीकरण कर दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) मार्च, 1980 के अन्त तक केरल में सभी गाँवों को विद्युतीकृत कर दिया गया था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन

8765. **डॉ० छत्रपाल सिंह**
श्री प्रभु दयाल कठेरिया } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1990-91 और 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में जिलावार कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन आबंटित किए गए; और

(ख) 1992-93 के दौरान राज्य में जिलावार कितने नए टेलीफोन कनेक्शन जारी करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

अनुबंध—एक

क्र० सं०	जिले का नाम	आबंटित/प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन 1990-91	1991-92	1992-93 के दौरान प्रदान किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों का अस्थाई कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	बाराबंकी	385	327	150
2.	बांदा	69	782	200
3.	इटावा	112	270	100
4.	एँटा	165	140	100
5.	फैजाबाद	122	567	100
6.	फरूखाबाद	11	612	200
7.	हरदोई	100	287	50
8.	हमीरपुर	38	307	150
9.	झांसी	402	76	800
10.	लखीमपुर	294	101	100
11.	ललितपुर	157	202	150
12.	मैनपुरी	111	333	50
13.	मथुरा	548	288	100
14.	जालौन (उरई)	29	217	50
15.	सीतापुर	260	311	100
16.	शाहजहांपुर	179	327	150
17.	देहरादून	793	1150	1900
18.	सहारनपुर	1895	1406	1550
19.	चमोली	176	319	200
20.	हरिद्वार	76	315	1150
21.	पौढ़ी	124	160	350

6—20 LSS/ND/93

1	2	3	4	5
22.	मुजफ़्फर नगर	1015	835	2500
23.	टिहरी	20	164	150
24.	उत्तरकाशी	20	38	200
25.	आजमगढ़	139	631	400
26.	बलिया	03	564	300
27.	बहराइच	144	289	300
28.	बस्ती	135	140	400
29.	देवरिया	215	251	400
30.	फतेहपुर	66	99	250
31.	गाजीपुर	111	95	400
32.	गोंडा	259	286	100
33.	गोरखपुर	785	1050	1400
34.	जौनपुर	174	146	500
35.	मिरजापुर	77	88	250
36.	महराजगंज	57	136	400
37.	मत्स्यनाथभंजन	324	37	500
38.	प्रतापगढ़	39	120	500
39.	रायबरेली	(−15)	475	400
40.	सिद्धार्थ नगर	59	30	250
41.	सोनभद्र	74	348	250
42.	सुलतानपुर	300	456	500
43.	अलीगढ़	1394	2037	800
44.	अल्मोड़ा	(−4)	332	250
45.	बरेली	1358	620	500
46.	बिजनौर	229	177	150
47.	बदायूं	57	89	300
48.	मुरादाबाद	743	805	1000
49.	नैनीताल	197	636	2300
50.	पीलीभीत	119	207	200
51.	पिथोरागढ़	(−8)	108	100
52.	रामपुर	129	51	500
53.	इलाहाबाद	2205	3738	4000
54.	कानपुर	2206	7651	2500
55.	उन्नाव	241	304	200
56.	वाराणसी }	3225	3504	3500
57.	भदोही }			

1	2	3	4	5
58.	आगरा	907	865	2200
59.	फिरोजाबाद	शून्य	683	300
60.	लखनऊ	5144	9650	2500
61.	गाजियाबाद	8751	10912	9000
62.	बुलंदशहर	266	546	1000
63.	मेरठ	943	4150	4500
64.	कानपुर देहात	48	229	200
	योग :	38277	62339	55050

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

8766. **श्री चन्दूलाल चन्द्राकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है ;

(ख) क्या सरकार का विचार भविष्य में राज्य में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने का है ;

(ग) यदि हां, तो जिला-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(घ) इनकी स्थापना कब तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) मध्य प्रदेश के सभी 45 जिला मुख्यालयों में पहले से ही एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है ।

(ख) से (घ) जी हां । वर्ष 1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रदान किए जाने वाले इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों के जिले-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं ।

विवरण

1992-93 के दौरान मध्य प्रदेश में प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टाइप एक्सचेंजों के ब्यौरे :

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टाइप एक्सचेंजों की संख्या	क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्तावित इलेक्ट्रानिक टाइप एक्सचेंजों की संख्या
1.	अम्बिकापुर (सरगुजा)	12	4.	भिण्ड	19
2.	बिलासपुर	24	5.	बालाघाट	3
3.	भोपाल	शून्य	6.	बेतूल	10

क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्तावित इले-क्ट्रॉनिक टाइप एक्सचेंजों की संख्या	क्र० सं०	जिले का नाम	प्रस्तावित इले-क्ट्रॉनिक टाइप एक्सचेंजों की संख्या
7.	छिन्दवाड़ा	20	27.	पन्ना	2
8.	छत्तरपुर	9	28.	रायपुर	20
9.	दुर्ग	6	29.	रिवा	17
10.	देवास	515	30.	रायगढ़	8
11.	धर	21	31.	राजनंदगांव	5
12.	दतिया	4	32.	राजगढ़	9
13.	दमोह	8	33.	रायसेन	6
14.	ग्वालियर	8	34.	रतलाम	12
15.	गुना	17	35.	सागर	17
16.	होशंगाबाद	19	36.	सिहोर	6
17.	इन्दौर	9	37.	सिवनी	4
18.	जबलपुर	12	38.	सतना	9
19.	झबुआ	6	39.	शहडोल	11
20.	जगदलपुर (बस्तर)	9	40.	शिवपुरी	17
21.	खाण्डवा	16	41.	सिद्दी	7
22.	खरगांव	20	42.	शाजापुर	12
23.	मंदसौर	42	43.	टिकमगढ़	6
24.	मुरैना	17	44.	उज्जैन	35
25.	माण्डला	4	45.	विदिशा	3
26.	नरसिंहपुर	11			

आठवीं योजना में विद्युत उत्पादन

8767. श्री सत्यगोपाल मिश्र
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव } : क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में राज्य-वार कितने ताप विद्युत केन्द्र हैं;

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कितने ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 27-4-1992 की स्थिति के अनुसार देश में प्रतिस्थापित ताप विद्युत केन्द्रों की राज्य/प्रणालीवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

ताप विद्युत केन्द्रों की राज्य/प्रणाली-वार संख्या

राज्य/प्रणाली	ताप विद्युत केन्द्रों की संख्या (यूटिलिटीज़)
दिल्ली	4
जम्मू एवं कश्मीर	1
हरियाणा	2
राजस्थान	2
पंजाब	2
उत्तर प्रदेश	15
गुजरात	11
महाराष्ट्र	9
मध्य प्रदेश	6
आन्ध्र प्रदेश	6
कर्नाटक	1
तमिलनाडु	5
बिहार	3
उड़ीसा	1
प० बंगाल	11
दामोदर घाटी निगम	4
असम	4
त्रिपुरा	1

तूतीकोरिन में आकाशवाणी केन्द्र

8768. श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में तूतीकोरिन में आकाशवाणी केन्द्र, जिसका निर्माण एक वर्ष पूर्व पूरा हो गया था, ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके द्वारा कब तक कार्य शुरू कर दिए जाने की सम्भावना है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ट्रांसमीटर की स्थापना के लिए स्थल हस्तांतरित करने में विलंब के कारण इसी परियोजना को समय पर पूरा नहीं किया जा सका । तुतीकोरिन में आकाशवाणी का केन्द्र जून, 1992 तक तकनीकी रूप से तैयार होने की परिकल्पना है और केन्द्र के प्रचालन तथा रखरखाव के लिए आवश्यक स्टाफ तैनात हो जाने पर इसे सेवा के लिए चालू कर दिया जायेगा ।

सिंगापुर टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के दल का दौरा

8769. **डा॰ राजागोपालन श्रीधरन :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के एक दल ने मार्च, 1992 में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या था तथा दल के सदस्यों द्वारा किन-किन स्थानों का दौरा किया गया; और

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और गैर-सरकारी क्षेत्र के किए गए समझौतों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

गोवा में टेलीफोन कनेक्शन

8770. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 तक गोवा में शहर-वार, कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गए;

(ख) 31 मार्च, 1992 तक गोवा में शहर-वार टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति थे;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान कितने टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए और इनमें से कितने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदला गया; और

(घ) वर्ष 1992-93 के दौरान कितने और टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा कितने एक्सचेंजों को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों में बदलने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) 1991-92 के दौरान 3 टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए थे । सभी एक्सचेंज सी-डॉट 128 पोर्ट टाइप के इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपस्कर के साथ खोले गए थे ।

(घ) 1992-93 के दौरान 3 नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है और वर्तमान 6 इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध रहें ।

विवरण

अनुबंध 1

क्रम सं०	स्थान का नाम	1991-92 के दौरान प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन	31-3-92 को चालू कनेक्शन	31-3-1992 को प्रतीक्षा सूची
1.	मारगो	35	3774	2824
2.	मापुसा	94	982	1367
3.	वास्को	96	1749	1481
4.	फोंडा	235	971	724
5.	बिकोलिम	54	335	76
6.	कुरचोरेम/सानवोदडेम	72	516	111
7.	पोरवोरिम सहित पंजिम	365	5102	3293

तीन और पांच तारा होटल तथा उन पर किया गया व्यय

8771. **श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला** }
श्री अन्ना जोशी }: क्या **नागर विमानन और पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा फिलहाल कहां-कहां पांच तारा और तीन तारा होटल चलाए जा रहे हैं;

(ख) 1991-92 के दौरान इन होटलों से कितनी आय हुई और इन पर कितना व्यय हुआ; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऐसे होटल कहां-कहां खोलने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग के अपने कोई होटल नहीं हैं और न ही यह होटल चलाता है । तथापि, भारत पर्यटन विकास निगम के देश में अपने होटल हैं तथा वह उनका परिचालन करता है । भारत पर्यटन विकास निगम के पांच सितारा और तीन सितारा होटलों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम की आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

(रुपये लाखों में)

क्रम सं०	होटल का नाम	स्टार श्रेणी	स्थान	1991-92 (अनन्तिम)	
				कुल कारोबार	कुल व्यय
1.	अशोक होटल	5 सितारा डीलक्स	नई दिल्ली	1971.92	2073.92
2.	आगरा अशोक	5 सितारा	आगरा	159.77	161.61
3.	एयरपोर्ट अशोक	5 सितारा	कलकत्ता	718.73	717.92
4.	होटल अशोक	5 सितारा	बंगलौर	575.16	618.64
5.	कोवलम अशोक बीच रिसॉर्ट	5 सितारा	कोवलम	392.98	370.72
6.	एलएमपी होटल	5 सितारा	मैसूर	220.10	173.52
7.	कुतुब होटल	5 सितारा	नई दिल्ली	232.92	246.40
8.	सम्राट होटल	5 सितारा	नई दिल्ली	655.11	902.44
9.	लोदी होटल	3 सितारा	नई दिल्ली	328.04	311.53
10.	मदुरै अशोक	3 सितारा	मदुरै	73.20	77.03
11.	रणजीत होटल	3 सितारा	नई दिल्ली	181.72	234.42
12.	टेम्पल बे अशोक बीच रिसॉर्ट	3 सितारा	मामल्लापुरम	50.00	50.32
13.	बोधगया अशोक	3 सितारा	बोधगया	67.64	61.10
14.	खजुराहो अशोक	3 सितारा	खजुराहो	47.24	48.61
15.	पाटलीपुत्र अशोक	3 सितारा	पटना	97.91	112.38

दूरदर्शन रिले ट्रान्समीटर

8772. श्री दत्तात्रेय बंडारू
श्री चेतन पी॰ एस॰ चौहान } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटरों का आयात किया गया;

(ख) इनका आयात किन-किन देशों से किया गया; और

(ग) कौन-कौन सी स्वदेशी कम्पनियों से ट्रांसमीटर खरीदे गये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दूरदर्शन ने गत तीन वर्षों के दौरान कोई दूरदर्शन ट्रांसमीटर का आयात नहीं किया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दूरदर्शन द्वारा टी॰ व्ही॰ ट्रांसमीटर मैसर्स भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड और मैसर्स गुजरात कम्यूनिकेशन्स एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड से खरीदे जाते हैं।

बिहार में उत्तर कर्णपुर सुपर विद्युत परियोजना

8773. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर कर्णपुर सुपर विद्युत परियोजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कुछ शर्तों के अधीन परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है । परियोजना को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है । परियोजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित होने की आशा नहीं है ।

देश में सोने की खानें

8774. **श्री सुरेशानन्द स्वामी**
श्री अर्जुन चरण सेठी
श्री भुवन चन्द्र खंडूरी } : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के किन स्थानों पर सोने की खानें स्थित हैं;

(ख) उनकी कुल वार्षिक उत्पादन-क्षमता कितनी है;

(ग) क्या सरकार को इन खानों से घाटा हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में विशेषकर उत्तर प्रदेश में कोटद्वार में सोने का पता लगाने के लिए कराये गए या कराये जाने वाले सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) वस्तु स्वर्ण खानों और उनके स्थान तथा वार्षिक उत्पादन क्षमता का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कंपनी/खान का नाम	स्थान	वार्षिक उत्पादन क्षमता (टन में)
1. भारत गोल्ड माईस लि० (भारत सरकार का उपक्रम)		
(क)* मैसूर चैम्पियन एकीकृत खान	कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक	30,750
(ख)* नंदीदुर्ग खान	कोलार स्वर्ण क्षेत्र, कर्नाटक	78,570
(ग) चिगारगुंटा खान	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	71,562

कंपनी/खान का नाम	स्थान	वार्षिक उत्पादन क्षमता (टन में)
(घ) येप्पमाना खान	अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश	75,000
2. हट्टी गोल्ड माईंस लि० (कर्नाटक सरकार का उपक्रम)		
हट्टी समूह की खानें	हट्टी क्षेत्र, जिला रायचूर, कर्नाटक	2,73,000

*क्रमिक आधार पर बंद किए जाने के कार्यक्रम के अंतर्गत

(ग) और (घ) भारत गोल्ड माईंस लिमिटेड को, समाप्त हो रहे अयस्क भंडारों के अलाभकारी खनन, खानों की अत्याधिक गहराई, कठिन खनन परिस्थितियां, निम्न उत्पादन, फालतू श्रमिक, अयस्क के ग्रेड में गिरावट और भारी प्रशासनिक व सामाजिक ऊपरी खर्चों के कारण घाटा हो रहा है ।

(ङ) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने स्वर्ण गवेषण के लिए कोटद्वार, उत्तर प्रदेश में कोई सर्वेक्षण नहीं किया है । यद्यपि, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटद्वार में कुछ सर्वेक्षण किए हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा स्वर्ण गवेषण के लिए किए गए सर्वेक्षणों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

कर्नाटक राज्य : सुरापल्ली, हट्टी खान, बुविनी, वंडाली, चिंचेरगी, ऊटी, टुप्पाघर, कडोनी, मैसूर खान, होसूर-चैम्पियन-पूर्व, चैम्पियन-पश्चिम, होसूर मुख्य, सांगली खान, जी० आर० हाली, बिलारा और अजानहाली क्षेत्र ।

आंध्र प्रदेश : मालपकोंडा प्रखंड, चिगारगुंटा प्रखंड-1 (पश्चिम), चिगारगुंटा प्रखंड-3 (पश्चिम), चिगारगुंटा प्रखंड-4 व 5, चिगारगुंटा (उत्तर), बिसनाथम प्रखंड, भद्रमपल्ली, येप्पमाना खान ।

उत्तर प्रदेश : सिद्दी-सुरा, सोनकारवा, मेराहवा खोकनऊ, सोनभद्र जिले में बिजावर समूह की चट्टानें और शिवालिक पट्टी ।

अन्य राज्य : इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ संभावित क्षेत्रों में गवेषण पूरा किया गया है ।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तावित सर्वेक्षण

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1991-92 के फील्ड सत्र के दौरान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर राज्यों में नए निक्षेपों का पता लगाने हेतु स्वर्ण अन्वेषण की चालीस परियोजनाओं का प्रस्ताव किया गया है ।

[हिन्दी]

सिंगापुर में आई० टी० आई० का संयुक्त विदेशी उपक्रम

8775. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय टेलीफोन उद्योग लिमिटेड ने आई० टी० आई० उत्पाद बनाने के लिए सिंगापुर में अपना प्रथम संयुक्त विदेशी उपक्रम स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में किसी अन्य देश में भी ऐसे कोई दूसरे उपक्रम स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में पाया गया ताम्बा, अबरक और सोना

8776. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ताम्बे, अबरक तथा सोने के भंडार पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इन धातुओं के दोहन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[हिन्दी]

बिहार में बिजली का उत्पादन

8777. प्रो० (श्रीमती) रीता वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता काफी कम हो गई है ;

(ख) यदि हाँ तो इस राज्य में बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है और ये किन-किन स्थानों पर स्थित है ;

(ग) ऐसे बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है जो बन्द होने के कगार पर है तथा उक्त संयंत्रों द्वारा कितनी बिजली का उत्पादन होता है और इनमें से प्रत्येक संयंत्र की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) क्या सरकार का विचार बिजली उत्पादन के मामले मे बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है ;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है : और

(च) यदि नहीं, तो बिहार के साथ भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान बिहार के विभिन्न विद्युत केन्द्रों की उत्पादन क्षमता, ऊर्जा उत्पादन निम्नवत है :—

केन्द्र का नाम	29-4-92 की स्थिति के अनुसार उत्पादन क्षमता (मे०वा०)	ऊर्जा उत्पादन (मि०यू०)	
		1990-91	1991-92
पतरातू	770	1671	1333
बरौनी	310	570	448
मुजफ्फरपुर	220	387	557
कोसी	20	13	17
सुवर्णरेखा	130	333	229

एक राज्य विद्युत बोर्ड की किसी बीमार यूनिट को बन्द करने के बारे में तभी विचार किया जाता है जबकि सम्बन्धित राज्य विद्युत बोर्ड से इस प्रकार का कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त होता है।

(घ) से (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। तथापि, 8वीं योजना के दौरान 31115 मे० वा० के अनुमानित संवृद्धि क्षमता संवर्धन कार्यक्रम के आधार पर, आठवीं योजना के दौरान बिहार में 683.6 मे० वा० क्षमता संवर्धन की परिकल्पना की गई है। इसके अलावा इस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में स्थापित किये जा रहे केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से भी इसका देय हिस्सा मिलेगा। बिहार में विद्युत कि उपलब्धता बढ़ाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपाय ये हैं :— विद्यमान उत्पादन केन्द्रों से अधिकतम उत्पादन करना, नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, प्रभावी भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण आदि। जब प्रणाली परिस्थितियां ऊर्जा अन्तरण के अनुकूल होती हैं तब, पूर्वी क्षेत्र तथा उत्तरी क्षेत्र की निकटवर्ती प्रणालियों से बिहार को सहायता भी उपलब्ध करवाई जाती है।

[अनुवाद]

डाक विभाग में पेंशन

8778. **श्री अन्ना जोशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक कर्मचारियों की डाक विभाग में पद ग्रहण के पूर्व ठेका आधार पर की गई सेवाओं की अवधि को पेंशन और अन्य प्रयोजनों के लिए शामिल करने पर विचार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 में, कुछ शर्तों पर नियमित रूप से खपाए जाने से पूर्व अनुबंध पर की गई सेवा की गणना करने का पहले से ही प्रावधान है। तथापि डाक विभाग में ऐसा कोई मामला नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई मामला नहीं है।

भारत पर्यटन विकास निगम के होटलों में पूंजी निवेश और इनसे होने वाली आय

8779. **श्री महासमुद्रम गणेन्द्र रेड्डी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित होटलों की संख्या कितनी है तथा इनमें लगाई गई कुल पूंजी का ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार, इन होटलों से कितनी आमदनी हुई ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : भारत पर्यटन विकास निगम इस समय देश में 25 होटल चलाता है। इन होटलों में वर्ष-वार किया गया पूंजी निवेश (लगाई गई पंजी) तथा हुए लाभ का विवरण नीचे दिया गया है :—

(लाख रुपए में)

	1989-90	1990-91	1991-92 (अनन्तिम)
लगाई गई पूंजी	6964.75	7285.83	7170.13
लगाई गई पूंजी पर लाभ की दर(%)	9.3%	*शून्य	*शून्य

*देश में मुख्यतया खाड़ी युद्ध तथा मौजूदा हालात के कारण, देश में पर्यटन को पहुंचे समग्र धक्के से हुई हानि के कारण।

[हिन्दी]

बिहार में खनिज

8780. **श्री राम लखन सिंह यादव**
श्री राम टहल चौधरी } : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बिहार में खनिजों के भंडार का पता चलने के पश्चात उस भूमि के मालिक को कोई सुविधा देती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या-क्या सुविधाएं दी जाती हैं; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन-जिन स्थानों पर खनिज पाए गए हैं उसकी भूमि के मालिकों से प्राप्त की गई अनुमति का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) खान और खनिज *(विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 के अंतर्गत अधिसूचित खनिज रियायत नियमावली में निहित प्रावधानों के अनुसार, खनिज की संभावना वाली किसी भूमि के सतह अधिकार-धारी/मालिक की सहमति किसी पूर्वेक्षण/खनन कार्य आरम्भ करने से पहले की एक शर्त है । खनिज रियायत नियमावली, 1960 में* पूर्वेक्षण लाइसेंस अथवा खनन पट्टाधारी द्वारा भूमि सतह अधिकार-धारी/मालिक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक मुआवजे के भुगतान के प्रावधान हैं । इसके अलावा इन नियमों में पूर्वेक्षण अथवा खनन कार्यों से यदि कोई नुकसान होता है तो मुआवजे के भुगतान का प्रावधान भी है । लाइसेंसधारी अथवा पट्टाधारी, जो भी हो, द्वारा भू-सतह के मालिक को देय मुआवजे की राशि की गणना राज्य सरकार को करनी होती है ;

ये प्रावधान बिहार के भू-स्वामियों पर समान रूप से लागू हैं ।

[अनुवाद]

कांसावती जलाशय परियोजना का आधुनिकीकरण

8781. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कांसावती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार का कोई प्रस्ताव मिला है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति मिल जाने की सम्भावना है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) ; (क) जी, हाँ ।

(ख) 311.07 करोड़ रुपए लागत की कांसावती जलाशय परियोजना, जो 3.4 लाख हेक्टेयर कृष्य कमान क्षेत्र को लाभ पहुँचाएगी, के आधुनिकीकरण पर तकनीकी परामर्श समिति द्वारा जनवरी, 1988 में विचार किया गया था और यह पर्यावरण विभाग द्वारा स्वीकृति के अध्यधीन स्वीकार्य पाई गई । पर्यावरण और वन मंत्रालय की टिप्पणियां अक्तूबर, 1989 में पश्चिम बंगाल सरकार को भेजी गई थीं, जिसकी अनुपालना अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार तकनीकी परामर्श समिति द्वारा स्वीकृति हेतु परियोजना की लागत कितनी शीघ्रता से सुनिश्चित करती है और पर्यावरण और वन मंत्रालय की टिप्पणियों की अनुपालना करती है । राज्य सरकार को विश्व बैंक सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजना घटक भी तैयार करना अपेक्षित है ।

[हिन्दी]

ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र की रिपोर्ट

8782. **श्री नीतीश कुमार**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसमें यह कहा गया है कि देश

में बिजली की खपत को सुचारू बनाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक लगभग 5000 मेगावाट बिजली की बचत की जा सकती है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बिजली बचत अभियान शुरू करके कम से कम 25% बिजली की बचत की जा सकती है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या उद्योग, परिवहन, सरकारी विभागों आदि जैसे संगठित क्षेत्रों में बिजली की बचत करके बिजली की काफी अतिरिक्त मात्रा उपलब्ध कराई जा सकती है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हाँ।

(ख) विभिन्न अध्ययनों तथा ऊर्जा लेखा-परीक्षा के आधार पर न केवल विद्युत क्षेत्र में, अपितु अर्थतंत्र के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 23% ऊर्जा संरक्षण शक्यता का अनुमान लगाया गया है।

(ग) विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपाय शुरू किए गए है जिनमें ऊर्जा लेखा-परीक्षा, कृषीय पम्पसेटों का आशोधन, प्रदर्श परियोजनाएं, जागरूकता अभियान आदि शामिल हैं।

(घ) और (ङ) विभिन्न क्षेत्रों के मामले में मूल्यांकित ऊर्जा संरक्षण शक्यता निम्नवत है :—

(1) उद्योग 25% तक

(2) परिवहन 20% तक

(3) घरेलू एवं वाणिज्यिक 20%
(सरकारी विभागों समेत)

[अनुवाद]

मुख्य महा-डाकपाल

8783. **श्री कोडीकुन्नील सुरेश :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक विभाग में, सर्किल-वार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कुल कितने पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) सरकार द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) इस समय देश में कुल कितने मुख्य महा-डाकपाल हैं और इनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के आदेश रिक्त पदों पर लागू होते हैं और आरक्षण की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए रोस्टर बनाया जाता है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अनारक्षित के बतौर प्वाइंट निर्धारित किए जाते हैं। सामान्यतः नियमित भर्ती के समय ही आरक्षित रिक्त पदों को भरने के

प्रयास किए जाते हैं । यदि भरे जाने के लिए आरक्षित रिक्त पद बकाया पड़े हों, तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भर्ती के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाए जाते हैं । हाल में, ऐसे तीन अभियान चलाए गए हैं । पिछला अभियान 31-3-92 को समाप्त हुआ था । पिछले अभियान में भरे जाने के लिए 790 रिक्त पदों का पता लगाया गया था जिनमें से 31-3-92 तक 467 रिक्त पद भर दिए गए हैं ।

सर्किलों से कहा गया है कि वे बकाया रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए अपने प्रयास जारी रखें ।

(ग) 16 मुख्य पोस्टमास्टर जनरल हैं जिनमें से एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति का है ।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश के हासदेव-बांगों परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

8784. **श्री भवानी लाल वर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश की बहु-उद्देशीय मिनी माटा हासदेव-बांगों परियोजना को दी जा रही विश्व बैंक सहायता बन्द कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कब और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस परियोजना हेतु सहायता प्रदान करने का है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और 1990-91 के दौरान कितनी धनराशि जारी की गई ; और

(ङ) इसको पूरा करने हेतु क्या लक्ष्य रखा गया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) हासदेव बांगो परियोजना मध्यप्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना की उन उप-परियोजनाओं में से एक है जिसके लिए विश्व बैंक ऋण 30-6-1991 को बंद हुआ था । विश्व बैंक ने मध्यप्रदेश वृहद सिंचाई परियोजना को 220 मिलियन अमेरिकी डालर की सहायता का वचन दिया था । इसमें से 195.4 मिलियन अमेरिकी डालर की राशि का उपयोग किया गया था । विश्व बैंक से फरवरी, 1991 में परियोजना को पुनः बनाने हेतु अनुरोध किया गया था । तथापि, विश्व बैंक इससे सहमत नहीं हुआ ।

(ग) और (घ) इस प्रकार सिंचाई परियोजनाओं को कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है । योजना आयोग द्वारा राज्य योजना के अंतर्गत सिंचाई परियोजनाओं के लिए केवल अनुदान और ऋण निर्मुक्त किए जाते हैं । सिंचाई परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण तथा वित्त पोषण राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के योजना संसाधनों में से किया जाता है ।

(ङ) इस परियोजना को नौंवी योजना में आगे लाये जाने की संभावना है ।

अनपाड़ा ताप विद्युत केन्द्र

8785. **डा० महादीपक सिंह शाक्य :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह

बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनपाड़ा ताप विद्युत परियोजना, उत्तर प्रदेश का निर्माण कार्य स्थगित किया गया है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी अंशपूंजी के प्रतिशत का भुगतान करने में अपनी असमर्थता जताई है और केन्द्रीय सरकार से परियोजना के लिए शत प्रतिशत राशि देने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) इस परियोजना का क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 100 बिलियन येन ओ०ई०सी०एफ० सहायता, एक्ज़िम बैंक, जापान के 30 बिलियन येन सप्लायर्स क्रेडिट तथा शेष राशि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रुपयों में संसाधन जुटाए जाने के माध्यम से किया जा रहा है । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संसाधनों सम्बन्धी कठिनाइयां व्यक्त किए जाने को ध्यान में रखते हुए विदेशी सहायता के सन्दर्भ में विद्यमान फार्मूले के अनुसार 70% की तुलना में 100% लाभ राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधनों के रूप में प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है । इसके अलावा, उपर्युक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को वर्ष 1991-92 के दौरान 127 करोड़ रुपये की विशेष ऋण सहायता जोकि राज्य सरकार द्वारा जुटाए जाने वाले संसाधनों का 50% है, प्रदान की गई है ।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सूचना परिषद

8786. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने सरकार से देश में एक उपयुक्त प्रचार माध्यम नीति तैयार करने हेतु एक व्यापक आधार वाली राष्ट्रीय सूचना परिषद स्थगित करने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) भारतीय प्रेस परिषद की एक समिति ने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में प्रेस की समस्याओं पर विचार किया था । इस समिति ने एक व्यापक राष्ट्रीय सूचना परिषद की स्थापना की सिफारिश की है जो विचार करने पर ज़ोर दे सकती हो, उपयुक्त नीतियां तैयार कर सकती हो, प्रवृत्तियों की मानीटरिंग कर सकती हो तथा उपयुक्त पहल के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध करा सकती हो ।

(ख) सरकार ने भारतीय प्रेस परिषद की इस समिति की सिफारिशों पर विचार किया था । उसका यह मत है कि राष्ट्रीय सूचना परिषद की स्थापना करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रवृत्तियों की मानीटरिंग करने, मीडिया की प्रतिक्रिया को जानने और उपयुक्त नीतियों और प्रतिक्रियाएं तैयार करने में सरकार के पास पहले से ही उपयुक्त संस्थागत तंत्र उपलब्ध है ।

7—20 LSS/ND/93

[हिन्दी]

बोकारो इस्पात संयंत्र से इस्पात सामग्री की चोरी

8787. श्री ललित उरांव : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 फरवरी, 1992 के हिन्दी दैनिक देशप्राण में बोकारो इस्पात संयंत्र से तथाकथित चोरी के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र में चोरी की कितनी घटनाओं का पता चला और इनमें कुल कितनी धनराशि अन्तर्गस्त है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां । 1-1-91 से 31-12-91 की अवधि के दौरान बोकारो इस्पात संयंत्र से इस्पात और अन्य दूसरी सामग्री की चोरी के मामलों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i)	पुलिस में दर्ज कराए गए मामलों की कुल संख्या	215
(ii)	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की गई कुल गिरफ्तारियां	45
(iii)	चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य	5, 20, 240 रुपये
(iv)	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई सम्पत्ति का कुल मूल्य	5, 20, 240 रुपये
(v)	बरामद सम्पत्ति की प्रतिशतता	100%

(ग) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	पता लगे मामलों की कुल संख्या	चोरी गए माल का मूल्य	पकड़े गए माल का मूल्य
1989	40	66,541 रुपये	66,541 रुपये
1990	18	34,975 रुपये	34,975 रुपये
1991	28	5,20,240 रुपये	5,20,240 रुपये

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित कदम शामिल है :—

(i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा सुरक्षा उपाय कड़े कर दिए गए हैं और संयंत्र परिसर में और उसके आस-पास उनके द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है ।

(ii) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा संयंत्र परिसर से बाहर जाने की अनुमति देने से पूर्व वाहनों और पैदल यात्रियों का सभी दरवाजों पर कड़े उपाय किए गए हैं । जांच की जा रही है ।

(iii) उपरोक्त उपायों के अतिरिक्त, उपचारात्मक उपाय के रूप में समय-समय पर अचानक जांच करने के लिए प्रबंध निदेशक, बोकारो इस्पात संयंत्र द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में बोकारो इस्पात संयंत्र के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश में दूरभाष प्रणाली

8788. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के जौनपुर और गाजीपुर जिले में टेलीफोन कालों के निरन्तर न मिलने सम्बन्धी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) उक्त जिलों को कब तक एस० टी० डी० सुविधा से युक्त किए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां। इस प्रकार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) दोषयुक्त स्विचों का दोष दूर करके इस प्रकार की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता है। एक्सचेंज स्टाफ होल्ड-अप-स्विचों को मॉनीटर करते हैं और जानकारी मिलने पर होल्ड-अप-स्विचों को ठीक कर दिया जाता है। कुछ पुराने एक्सचेंजों, जैसे जौनपुर, के स्थान पर 8वीं योजना के दौरान इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाए जाने की योजना है।

(ग) गाजीपुर और नंदगंज (गाजीपुर/जिला) तथा जौनपुर में एसटीडी सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। 1992-93 के दौरान जौनपुर के सठरिया जिले में एसटीडी प्रदान की जाएगी।

जल संसाधनों का उपयोग

8789. **श्री लाल बाबू राय**
श्री अर्जुन सिंह यादव } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जल संसाधनों का पूरा उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अनेक अन्तर्राज्यीय जल विवादों के कारण जल संसाधनों का उपयोग करने में रुकावट आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय करने पर विचार किया जा रहा है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) देश में होने वाले 4000 घन किलोमीटर औसत वार्षिक अवक्षेपण (बर्फ तथा वर्षापात) में से उपयोज्य जल संसाधन 1140 घन किलोमीटर है। इस समय, बृहद, मध्यम, लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से केवल 552 घन किलोमीटर का उपयोग किया जा रहा है। उपयोज्य जल के उपयोग को बढ़ाने के लिए कई परियोजनाएं निर्माणाधीन/विचाराधीन हैं।

(ख) वाष्पीकरण तथा वनस्पति क्षतियों और नदी प्रणाली के अनुरक्षण के लिए नदी में प्रवाह के वास्ते जल की कुछ मात्रा को बनाए रखने की आवश्यकता के कारण उपलब्ध जल का पूरा उपयोग करना संभव नहीं है।

(ग) और (घ) बेसिन राज्यों के बीच विवादों को हल करने की दृष्टि से बेसिन राज्यों की गतिविधियों के समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय विवादों के अधिनिर्णय में सहुलियत और एक तंत्र की स्थापना करने के लिए संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 तथा नदी बोर्ड अधिनियम, 1956 नामक दो अधिनियम बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों के बीच जल संसाधन में अंतर्राज्यीय मुद्दों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अप्रैल, 1990 में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद की एक स्थायी समिति गठित की गई है। अंतर्राज्यीय जल विवादों को हल करने के लिए अन्य मंच हैं : बातचीत द्वारा समाधान, बेसिन राज्यों के बीच द्विपक्षीय/त्रिपक्षीय करार, संयुक्त नियंत्रण बोर्ड तथा आंचलिक परिषदें।

क्षेत्रीय कार्यक्रमों का दूरदर्शन प्रसारण

8790. **श्री राजेश कुमार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी दूरदर्शन रिले केन्द्र केवल दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों को ही प्रसारित करते हैं;

(ख) क्या इन रिले केन्द्रों से कोई क्षेत्रीय कार्यक्रम भी प्रसारित किये जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इन रिले केन्द्रों से केवल दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रमों को ही प्रसारित करने के बजाय क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) इस समय देश में कार्यरत 531 टी०वी० ट्रांसमीटरों में से 328 ट्रांसमीटर अपने समस्त प्रसारण समय में दिल्ली से टेलीकास्ट कार्यक्रमों को रिले करते हैं। शेष 203 ट्रांसमीटरों द्वारा अपने प्रसारण समय में से कुछ समय क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाते हैं।

(ग) जहां 1992 के उत्तरार्द्ध में गुजरात में उपग्रह पर आधारित क्षेत्रीय सेवा शुरू करने की परिकल्पना की गई है ताकि राज्य के विभिन्न उच्च शक्ति और अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटरों द्वारा क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जा सकें। लेकिन देश में शेष ट्रांसमीटरों से क्षेत्रीय सेवा के कार्यक्रमों का प्रसारण भविष्य में साधनों की उपलब्धता, अपेक्षित अंतरिक्ष खण्ड क्षमता की उपलब्धता और माइक्रोवेव लिंक पर निर्भर करेगा।

[अनुवाद]

लोअर इन्द्रा तेलिंगिरि सिंचाई परियोजना

8791. **श्री के० प्रधानी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा को लोअर इन्द्रा सिंचाई परियोजना और तेलिंगिरि सिंचाई परियोजनाएं क्रमशः जून, 1982 और अक्तूबर, 1985 से सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें कब तक मंजूरी मिलने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) 56.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की लोअर इन्द्रा परियोजना, जिसमें उड़ीसा के कालाहांडी और बोलांगीर जिलों में 43486 हेक्टेयर वार्षिक

सिंचाई की परिकल्पना है, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए जून, 198? में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार द्वारा टिप्पणियों की अनुपालना नहीं किए जाने के कारण इस परियोजना को जांच के बाद मार्च, 1988 में राज्य को लौटा दिया गया था ।

22.96 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की तेलिंगिरि परियोजना जिसमें उड़ीसा के कोरापुट जिले में 10830 हेक्टेयर वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना है, तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए अक्तूबर, 1985 में केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई थी । राज्य सरकार को परियोजना प्रस्तावों पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों की अनुपालना करनी है ।

(ग) परियोजना की स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि कितनी जल्दी राज्य सरकार केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों की टिप्पणियों की अनुपालना करती है तथा पर्यावरण एवं वन दृष्टि से पर्यावरण और वन मंत्रालय से तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आबादी के विस्थापन के लिए कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है ।

[हिन्दी]

अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना

8792. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में पर्यटन को बढ़ावा देने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विमान किराये में कमी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का पर्यटन का विकास करने के लिए अभिनिर्धारण किया गया है । अनुमानों सहित प्राप्त परियोजनाओं के आधार पर और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अनुरोध पर, 1991-92 के दौरान पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए 60.32 लाख रु० की परियोजनाएं/स्कीमें स्वीकृत की गई हैं ।

(ग) और (घ) इंडियन एयरलाइंस ने मुख्य-भूमि और अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के बीच यात्रा करने के लिए घटाए हुए किराए का एक ढांचा तैयार करने का निर्णय लिया है जिसे बाद में किसी तारीख से लागू किया जाएगा ।

महाराष्ट्र में पर्यटक गृह, होटल और यात्री निवासों का निर्माण

8793. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1992-93 के दौरान पर्यटन गृहों, होटलों और यात्री निवासों के निर्माण हेतु महाराष्ट्र सरकार द्वारा भेजे गये उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी केन्द्रीय सरकार के पास लंबित हैं; और

(ख) इन्हें स्वीकृति प्रदान करने हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार से 1992-93 के लिए पर्यटक गृहों तथा यात्री निवासों का निर्माण करने हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता के वास्ते कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

[अनुवाद]

अंगूरों के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी

8794. **डा० आर० मल्लू** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषतौर पर आन्ध्र प्रदेश में अंगूरों का उत्पादन बढ़ रहा है जिससे इसे बाजारों में सुरक्षित भेजने के लिए पर्याप्त शीतागारों तथा पैकिंग सामग्री न होने के कारण किसानों को दिए जाने वाले मूल्य में काफी कमी कर दी गई है;

(ख) क्या अंगूरों की ढुलाई के लिए देश में प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी विकसित नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) यद्यपि आंध्र प्रदेश में अंगूरों के उत्पादन में वृद्धि हुई है परन्तु उत्पादन में वृद्धि के कारण कीमतों में कमी की कोई सूचना नहीं है । अंगूरों की पैकिंग, ढुलाई, प्रसंस्करण और परिरक्षण के लिए देश में कुछ प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं । मूल्यवर्धित उत्पादों के लिए अंगूरों सहित फलों एवं सब्जियों के प्रसंस्करण के लिए वर्तमान उदार नीति में प्रौद्योगिकी के आयात की स्वीकृति दी गई है । खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने फसलोत्तर प्रसंस्करण यूनिटों सहित फल एवं सब्जी प्रसंस्करण युनिटों की स्थापना/विविधीकरण/आधुनिकीकरण के लिए राज्य सरकारों, सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संगठनों आदि को सहायता देने की स्कीमें तैयार की हैं । फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा भी सहायता दी जाती है ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं में निवेश

8795. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं में निवेश करने हेतु अपनी मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इनके कार्यान्वयन हेतु मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंजूर की गई धनराशि अब तक जारी कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस धनराशि को कब तक जारी करने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा अनुमोदित निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं तथा वार्षिक योजना 1992-93 के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा निम्नवत है :

(लाख रुपयों में)

क्र० सं०	परियोजना	स्वीकृति की तारीख	1992-93 के लिए राज्य द्वारा प्रस्तावित परिव्यय
1.	मनेरीभाली-2 (4 × 76 मे०वा०)	1/81	3500
2.	टाण्डा (ताप विद्युत) (4 × 110 मे०वा०)	3/79	3[illegible]
3.	अनपारा "ख" (ताप विद्युत) (2 × 500 मे०वा०)	9/91	49300
4.	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना (6 × 55 मे०वा०)	4/86	4500
5.	लखवाड ब्यासी एम०पी०पी० (3 × 100 + 2 × 60 मे०वा०)	1/76	2000
6.	राजघाट (जल विद्युत) (3 × 15 मे०वा०)*	8/91	1000
7.	विष्णु प्रयाग (जल विद्युत) (4 × 120 मे०वा०)	7/78	100

*मध्य प्रदेश के साथ संयुक्त परियोजना ।

वर्ष 1992-93 के लिए परियोजनावार अनुमोदित परिव्यय को राज्य सरकार के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

(ग) से (ङ) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा निधियां, केंद्रीय सहायता अंशदान जिसमें फार्मूला आधारित सहायता और विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं से सम्बन्धित सहायता शामिल होती है, मुहैया कराई जाती है । प्रारक्षित एवं अनारक्षित दोनों क्षेत्रों में व्यय की जा रही राशि, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं आदि की क्रियान्वयन की गति को मद्देनजर रखते हुए यह राशि ब्लॉक आधार पर मुहैया कराई जाती हैं ।

[अनुवाद]

कर्नाटक में पन बिजली उत्पादन

8796. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में संयुक्त उद्यम द्वारा पन बिजली उत्पादन संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित संयंत्र के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ग) संयंत्र की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी होगी;

(घ) प्रस्तावित संयंत्र पर कितनी लागत आयेगी; और

(ङ) इस संयंत्र को कब तक स्थापित कर दिये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

8797. **कुमारी विमला वर्मा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के कुछ इस्पात संयंत्रों के आधुनिकीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह लक्ष्य कहां तक प्राप्त किये गये ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां ।

(ख) (i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण योजना

सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान आधुनिकीकरण योजना के लिए स्वीकृत 460 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में वास्तविक खर्च 517.45 करोड़ रुपए है ।

आधुनिकीकरण के लिए चालू करने का अनुमोदित कार्यक्रम मार्च, 1993 है और यह सम्भावना है कि धमन भट्टी पैकेज को छोड़कर सभी प्रमुख उत्पादन इकाइयां कार्यक्रम के अनुसार चालू हो जाएंगी । धमन भट्टी पैकेज के जून, 1994 तक पूरा होने की आशा है ।

(ii) राउरकेला इस्पात संयंत्र आधुनिकीकरण योजना

सातवीं योजनावधि में आधुनिकीकरण योजना के लिए 360 करोड़ रु० के अनुमोदित परिव्यय की तुलना में वास्तविक खर्च 88.23 करोड़ रु० हैं । आठवीं योजना के दौरान आधुनिकीकरण कार्यक्रम में स्वीकृत 360 करोड़ रुपये के स्थान पर वास्तविक खर्च 88.23 करोड़ रुपये रहा । इस परियोजना को दो चरणों में पूरा किया जा रहा है । प्रथम चरण-1 को चालू करने की अवधि जुलाई 1993 है और इसका पालन किया जा रहा है । संपूर्ण आधुनिकीकरण की अवधि अप्रैल 1995 तक है । आर्डरों को देने में कुछ देरी हुई है । इस परियोजना को पूर्ण करने की अवधि अब दिसंबर 1995 कर दी गई है ।

[हिन्दी]

नए डाकघर खोलना

8798. **श्री काशीराम राणा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में नए डाकघर खोलने हेतु पिछले एक वर्ष में विभिन्न राज्यों से कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितने डाकघर स्वीकृत किए गए तथा खोले गए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किये गये और खोले गये डाकघरों की राज्यवार संख्या क्रमश: संलग्न विवरण I तथा II में दी गई है । खोले गए डाकघरों की संख्या में वर्ष 1991-92 के दौरान मंजूर किए गए डाकघरों के अलावा उन डाकघरों की संख्या भी शामिल है जिनकी इससे पूर्व मंजूरी दी गई थी किन्तु जिन्हें खोला नहीं गया था ।

विवरण I

1991-92 के दौरान देश में मंजूर किए गए डाकघरों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	सर्किल	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
1.	केरल जिसमें लक्षद्वीप शामिल है	48	—
2.	पंजाब जिसमें चंडीगढ़ शामिल है	38	1
3.	उत्तर प्रदेश	489	—
4.	राजस्थान	310	1
5.	आन्ध्र प्रदेश	3	1
6.	असम	70	—
7.	उड़ीसा	120	—
8.	हिमाचल प्रदेश	37	1
9.	तमिलनाडु जिसमें पांडिचेरी शामिल है	56	1
10.	बिहार	268	—
11.	दिल्ली	—	3
12.	पश्चिम बंगाल	48	—
	सिक्किम	8	—
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
13.	मध्य प्रदेश	150	—
14.	महाराष्ट्र	145	—
	गोवा	3	—
15.	गुजरात जिसमें संघ राज्य दादर, नगर हवेली और दमन तथा दिव शामिल हैं	79	3
16.	कर्नाटक	56	7
17.	हरियाणा	25	2
18.	जम्मू व कश्मीर	30	1
19.	उत्तर पूर्व		
	त्रिपुरा	11	—
	मिजोरम	19	—
	मणिपुर	24	—
	नागालैंड	12	—
	अरुणाचल प्रदेश	11	—
	मेघालय	8	—
		2068	21

विवरण II

1991-92 के दौरान देश में राज्यवार खोले गए डाकघरों की संख्या

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
1.	केरल	17	शून्य
2.	पंजाब/चंडीगढ़	3+1	शून्य
3.	उत्तर प्रदेश	40	शून्य
4.	राजस्थान	124	शून्य
5.	आन्ध्र प्रदेश	शून्य	3
6.	असम	55	1
7.	उड़ीसा	68	4
8.	हिमाचल प्रदेश	31	1
9.	तमिलनाडु	76	2
	पांडिचेरी	3	शून्य
10.	बिहार	123	शून्य
11.	दिल्ली	शून्य	शून्य
12.	पश्चिम बंगाल	60	शून्य
	सिक्किम	13	शून्य
	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	शून्य	शून्य
13.	मध्य प्रदेश	96	8
14.	महाराष्ट्र	96	6
	गोवा	1	शून्य
15.	गुजरात जिसमें संघ क्षेत्र दादर, नगर हवेली तथा दमन और दिव शामिल हैं)	100	3
16.	कर्नाटक	35	1
17.	हरियाणा	2	शून्य
18.	जम्मू व कश्मीर	23*	1*
19.	उत्तर पूर्व		
	त्रिपुरा	10	शून्य
	मिजोरम	8	शून्य
	मणिपुर	18	शून्य
	नागालैंड	9	शून्य

क्रम सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	शाखा डाकघर	उप-डाकघर
	अरुणाचल प्रदेश	11	1
	मेघालय	5	शून्य
	योग :	1028	31

*आंकड़े डाकघर खोलने के लिए जारी की गई मंजूरियों को दर्शाते है ।

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में उप-डाकघर भवन

8799. श्री भीम सिंह पटेल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सभी उप-डाकघर सरकारी भवनों में कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ विभागीय भवन निर्मित कराने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी, हां । उपलब्ध सीमित धनराशि को मद्देनजर रखते हुए इनमें से कुछ डाकघरों के लिए भवन बनाने का प्रस्ताव है ।

(ग) सूची संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

आज की तिथि के अनुसार मध्य प्रदेश के उन उप-डाकघरों का ब्यौरा जिनके लिए सरकारी भवन बनाने का प्रस्ताव है

उप-डाकघर का नाम	
1. धनपुरी	(शहडोल)
2. उमेरिया	(शहडोल)
3. बिलपांक	(रतलाम)
4. रिंगोद	(रतलाम)
5. शक्ति	(बिलासपुर)
6. नौगांव	(छतरपुर)
7. अम्बारकर चौकी	(दुर्ग)

उप-डाकघर का नाम	
8. गुंवरवेही	(दुर्ग)
9. शुजाल मेही	(उज्जैन)
10. आर० एस० एस० नगर	(नन्दनगर-इन्दौर)
11. पीठनपुर	(इन्दौर)
12. कटंगी	(बालघाट)
13. थांदला	(झाबुआ)
14. बनपुर	(मन्दसौर)
15. लश्कर सिटी	(ग्वालियर)
16. भापुरा	(भोपाल)
17. शिवजी नगर	(भोपाल)
18. गरिया बंद	(रायपुर)
19. पथारिया	(विदिशा)
20. मानपुर	(धार)
21. कोंडा	(बस्तर)
22. गुलगंज	(छतरपुर)

विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित किया जाना

8800. **श्री राम चन्द्र घंगारे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत विभागेत्तर कर्मचारियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) उन में से कितने व्यक्ति पांच से अधिक वर्षों से कार्य कर रहे है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनकी सेवाओं को नियमित करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन लोगों को क्या वेतन और भत्ते तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) अतिरिक्त विभागीय एजेंट भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनियमित होते हैं । इस विभाग के साथ उनके संबंध को स्वीकार करते हुए उन्हें ग्रुप "घ" और पोस्टमैन संवर्गों में भर्ती के मामले में प्राथमिकता दी जाती है और जो अतिरिक्त विभागीय एजेंट इस तरह भर्ती होते हैं, उन्हें विभागीय कर्मचारियों को मिलने वाले सभी लाभ अपने आप मिल जाते हैं ।

(घ) वेतन और भत्तों तथा अन्य सुविधाओं का ब्यौरा देने वाला संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

श्रेणी	मासिक भत्ता	
	न्यूनतम	अधिकतम
अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर और अतिरिक्त विभागीय सार्टर	385/-रु०	620/-रु०
अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर	275/-रु०	440/-रु०
अतिरिक्त विभागीय स्टैम्प वैंडर	270/-रु०	420/-रु०
सभी अन्य अतिरिक्त विभागीय एजेंट दो घंटे से कम कार्य भार के लिए	240/-रु० (निर्धारित)	
दो घंटे और अधिक कार्यभार के लिए	270/-रु०	420/-रु०

मासिक समेकित भत्ते के अलावा, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को महंगाई भत्ता और बोनस भी उसी दर और उत्पादकता पर दिया जाता है जैसा कि नियमित कर्मचारियों को दिया जाता है । सेवा निवृत्ति लाभ के रूप में वे अधिकतम 3000/-रु० तक अनुग्रह राशि पाने के भी पात्र हैं ।

उपर्युक्त भत्तों के अलावा, अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की विभिन्न श्रेणियां निम्नलिखित अन्य भत्ते पाने की भी पात्र हैं :—

अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को, जहां कहीं लागू हो, डिलीवरी और वाहन भत्ता	50/-रु० प्रतिमाह
अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर/अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टर को कार्यालय रख-रखाव भत्ता	25/-रु० प्रतिमाह
अतिरिक्त विभागीय सब-पोस्टमास्टर/शाखा पोस्टमास्टर को निर्धारित लेखन-सामग्री भत्ता	3/-रु० प्रतिमाह
अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की अन्य श्रेणियों को निर्धारित लेखन-सामग्री भत्ता	1/-रु० प्रतिमाह
अतिरिक्त विभागीय एजेंटों और अतिरिक्त विभागीय मेल कैरियर को साइकिल भत्ता	20/-रु० प्रतिमाह

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

8801. श्री सत्य देव सिंह
श्री बृज भूषण शरण सिंह
श्री राजवीर सिंह
: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश में कुछ नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान जिलावार खोले जाने वाले नये टेलीफोन एक्सचेंजों के ब्यौरे।

क्रम सं०	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
1.	आगरा	1. जैनपोरा
		2. कुण्डोल
		3. करौली
		4. मालपुर
		5. नुनहाई
2.	अलीगढ़	1. बारागांव
		2. लोढ़ा
		3. सज्जानपुर
3.	अल्मोड़ा	1. पुतलादेवी
4.	बरेली	1. पारसखेड़ा
		2. मेहरागांव
		3. खोई
		4. नथुवाखान
5.	बाराबंकी	1. कोटवासादाक
6.	बस्ती	1. भानपुर
7.	फैजाबाद	1. नेवादा
8.	हरदोई	1. नगेवा
9.	जौनपुर	1. बुढ़वारी बाजार
		2. सिद्दीकीपुर
10.	मुजफ्फर नगर	1. गढ़ी पुख्ता
		2. चौसाना
11.	नैनीताल	1. बेतालघाट
		2. लालपुर
12.	कानपुर देहात	1. नरवाल

क्रम सं०	जिले का नाम	केन्द्र का नाम
13	पौढ़ी	1. श्रीकोट
14.	प्रतापगढ़	1. दिवानगंज
		2. पृथीगंज
15.	पिथौरागढ़	1. वीन
16.	रायबरेली	1. त्रिसुन्दी
17.	सहारनपुर	1. फुंदपुरी
		2. माहेश्वरी
18.	सीतापुर	1. सराय मलाई
19.	सुल्तानपुर	1. कटरा
		2. पांडेबाबा
		3. श्यामपुर
		4. बिनायकगंज
		5. गोलाईगंज
		6. रामगंज
20	मथुरा	1. पतलोनी
		2. सुरसंडा
21	मिर्जापुर	1. कोतवाराज
	जोड़ :	41

[अनुवाद]

आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति

8802. **श्री सुब्रत मुखर्जी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति का संरचनात्मक गठन क्या है ; और

(ख) इन समितियों में राज्य सरकार की भूमिका और स्थिति क्या है तथा इसमें राज्य सरकार का कितना प्रतिनिधित्व है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) आकाशवाणी की कार्यक्रम सलाहकार समिति का संगठनात्मक ढांचा :

अध्यक्ष : केन्द्र का केन्द्र निदेशक ।

सदस्य (गैर-सरकारी) : सामान्यतया गैर-सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या 15 होगी । सदस्य केन्द्र

द्वारा कवर किए गए श्रवण क्षेत्र के विभिन्न विधाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे जैसे कला एवं संस्कृति, सामाजिक कार्य, कृषि, हास्य लेखन, साहित्य, शिक्षा, महिला एवं परिवार कल्याण, जनजाति/अनुसूचित जाति, खेल, संगीत, विज्ञान आदि । राज्य सरकार द्वारा सुझाए गए नामों, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है ।

पदेन सदस्य :

1. महानिदेशक, आकाशवाणी या उनके प्रतिनिधि
2. समिति से संबंधित केन्द्र के अधीक्षक इंजीनियर/केन्द्र इंजीनियर
3. संबंधित राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के सूचना/प्रचार निदेशक
4. समिति से संबंधित केन्द्र के समाचार संपादक/सहायक समाचार संपादक

सचिव :

जिस केन्द्र से समिति संबध्द है उसके सहायक केन्द्र निदेशक ।

(ख) राज्य का निदेशक सूचना/प्रचार, जो राज्य सरकार का प्रतिनिधि होता है, समिति का एक पदेन सदस्य होता है । वह प्रसारित कार्यक्रमों की पुनरीक्षा, नियोजित कार्यक्रमों के पूर्वावलोकन सहित समिति की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है, कार्यक्रमों में सुधार लाने के लिए सुझाव दे सकता है और केन्द्र के कार्यक्रमों की योजना बनाने और उनके प्रस्तुतिकरण से संबंधित मामलों पर सलाह दे सकता है ।

[हिन्दी]

वायुदूत सेवाओं का निजीकरण

8803. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री**
श्री गुरुदास कामत
श्री संतोष कुमार गंगवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत सेवाओं के निजीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वायुदूत द्वारा नए विमान अर्जित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) सरकार वायुदूत के भावी गठन के संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है । इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

हेसू में रिक्तियां

8804. **श्री कड़िया मुण्डा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में काफी संख्या में बेलदार और खलासी के पद लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; क्या रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार/चयन के लिए बुलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने उम्मीदवार हैं; और

(घ) इन रिक्त पदों को कब तक भरे जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) बेलदारों (अब सहायक लाइन मेट, ग्रेड-II के रूप में पदनामित) तथा खलासियों (अब उत्पादन मेट, ग्रेड-II के रूप में पदनामित) की गई रिक्तियां जो समय-समय पर हुई हैं, को किफायत संबंधी उपायों के कारण दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा भरा नहीं गया था। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 21-2-1992 को इन श्रेणियों में 317 रिक्तियों को रोजगार कार्यालय को अधिसूचित किया है। इनमें से 48 रिक्तियां अनुसूचित जाति तथा 24 रिक्तियां अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के लिए आरक्षित हैं। रोजगार निदेशालय, दिल्ली प्रशासन से प्रत्याशियों की अन्तिम सूची की प्राप्ति के पश्चात प्रत्याशियों के साक्षात्कार/चयन की प्रक्रिया में 3-4 मास लगने की संभावना है।

विद्युत उत्पादन क्षमता का कम उपयोग

8805. **श्री बोल्लाबुल्ली रामय्या :** क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ ऐसी विद्युत परियोजनाएं हैं जिनमें शत प्रतिशत विद्युत उत्पादन लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो एकक-वार, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्षमता का कम उपयोग किए जाने के क्या कारण हैं और निश्चित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ऐसे विद्युत केन्द्रों के नाम तथा उनके बारे में ब्यौरा जिनके द्वारा 1991-92 के दौरान उत्पादित ऊर्जा, लक्ष्य की अपेक्षा, लक्ष्य की उपलब्धि का विवरण ब्यौरा संलग्न में दिया गया है।

(ग) ताप विद्युत केन्द्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त न कर पाने के मुख्य कारण कोयला कम सप्लाई किया जाना, उपस्कर संबंधी समस्या के कारण इसकी क्षमता के अनुरूप इसका उपयोग न किया जाना और बंदी की दीर्घावधि होना है। उपस्कर संबंधी समस्या के कारण न्यूक्लीय केन्द्र भी 1991-92 के दौरान लक्ष्य को प्राप्त न कर सके। जल विद्युत उत्पादन, जलाशय में जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

8—20 LSS/ND/93

विवरण

1991-92 के दौरान जिन ताप विद्युत, न्यूक्लीय तथा जल विद्युत केन्द्रों ने लक्ष्य प्राप्त किए इनके नाम

केन्द्र का नाम	लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	वास्तविक (मिलियन यूनिट)	%
1	2	3	4
ताप विद्युत केन्द्र			
इन्द्रप्रस्थ	1400	1481	105.8
डेसू जीटी	540	677	125.4
फरीदाबाद	750	820	109.3
पानीपत	2300	2468	107.3
कोटा	2700	3728	138.1
अन्ता	1200	2394	199.5
अनपारा	3500	3983	113.8
सिंगरौली	12000	14029	116.9
रिहन्द	5350	6522	121.9
औरैया	1900	3835	201.8
धुवरण	2900	2984	102.9
उकाई	4100	4282	104.4
गांधीनगर	2400	2729	113.7
कच्छ लिग्नाईट	250	423	169.2
ए० ई० कम्पनी	258	313	121.3
साबरमती	1861	2016	111.0
कोराडी	6000	6042	100.7
पारास	400	424	106.0
भुसावल	2600	2734	105.2
चन्द्रपुर	4500	5083	113.0
खापरखेड़ा-2	2000	2508	125.4
उरण जीटी	2750	2925	106.4
कोरबा वैस्ट	4400	4662	106.0
कोरबा एसटीपीएस	11900	13247	111.3
रामागुण्डम एसटीपीएस	11000	11291	102.6
नेवेली-I	3400	4030	118.5
कोलाघाट	3300	3884	117.7

1	2	3	4
न्यू कोसिपुरा	650	651	100.2
टिटागढ़	1350	1368	101.3
सदर्न	580	718	123.8
फरक्का	3000	3356	111.9
न्यूक्लीय केन्द्र			
कालपक्कम	1810	2164	119.6
जल विद्युत केन्द्र			
भाखड़ा	5250	6277	119.6
गोंगुवाल एवं कोटला	1180	1232	104.4
डेहर	3280	3568	108.8
पोंग	1300	1458	112.2
सलाल एन एच पी सी	2038	2197	107.8
बैरास्यूल	750	826	110.1
आर० पी० सागर	463	627	135.4
जवाहर सागर	307	424	138.1
माही बजाज	325	339	104.3
शानन	530	568	107.2
मुकेरियां	1130	1139	100.8
आनन्दपुर साहिब	765	886	115.8
रिहन्द	861	1260	146.3
ओबरा	287	446	155.4
राम गंगा	275	347	126.2
यमुना-1	540	544	100.7
यमुना-2	900	924	102.7
खोवरी	410	431	105.1
मनेरी भाली	400	426	106.5
कदाना	200	301	150.5
कोयना	3185	3237	101.6
कोयना डैम	96	175	182.3
वैतरणा	179	180	100.6
भिरा टेल	70	89	127.1
गांधी सागर	450	509	113.1
बारगी	360	519	144.2

1	2	3	4
मचकुण्ट	722	806	111.6
टी० बी० डैम	200	209	104.5
अपर सिलेरू	388	594	153.1
अपर सिलेरू	1000	1483	148.3
नागार्जुनसागर	2029	2999	147.8
श्रीसेलम	2900	3258	112.3
डोकाराई	65	131	201.5
शारावती	4350	4791	110.1
जोग	311	361	116.1
कालीनदी	2425	2764	114.0
सुपा डैम	400	515	128.4
भादा	44	50	113.6
लिंगनामक्की	226	296	131.0
शिवासामुद्रम	120	138	115.0
मुनिराबाद	80	99	123.7
वाराही	1095	1160	105.9
इडडुकी	2100	2312	110.1
साबरीगिरि	1200	1294	107.8
शोलेयार	240	240	100.0
सेंगुलम	138	153	110.9
नारीमंगलम	240	266	110.8
पाट्टीवासाल	215	241	112.1
पाईकारा डैम	314	373	118.8
मोयार	130	154	118.5
सुरूलियार	83	99	119.3
एलियार	130	167	128.5
मैत्तूर	275	765	245.5
लोअर मैत्तूर	250	355	142.0
पापानासाम	100	143	143.0
सरकारपैथी	115	145	126.1
शोलेयार	225	328	145.8
कोडेयार	223	266	119.3
सुरूलियार	20	35	175.0

1	2	3	4
कोसी	6	17	283.3
सुवर्ण रेखा	218	229	105.0
बालीमेला	1130	1808	160.0
हिराकुड	1050	1235	117.6
अपर कोलाब	830	1077	129.8
तिलैया	15	16	106.7
काईडमकुलाई	154	194	126.0
उमियम-1	104	108	103.8
उमियम-2	52	60	115.4
खोंडोंग	211	239	113.3
कोपिली	449	584	130.1
गुम्ती	45	56	124.4
लोकतक एन एच पी सी	410	542	132.2

स्थायी फिल्म समारोह परिसर

8806. **श्री पाला के० एम० मैथ्यू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक स्थायी फिल्म समारोह परिसर बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

वंसधारा परियोजना, चरण-दो

8807. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वंसधारा परियोजना, चरण-दो को स्वीकृति दे दी है;

(ख) इस परियोजना की मूल प्राक्कलित लागत क्या थी और वर्तमान लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना के नेराडी बांध की ऊंचाई कितनी है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार और उड़ीसा सरकार ने इस परियोजना का कार्य पूरा करने के संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी शर्तें क्या हैं:

(च) क्या इस संबंध में उड़ीसा सरकार ने कोई आपत्ति उठाई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ज) क्या उड़ीसा में वंसधारा नदी में मूल अनुमान की अपेक्षा तेजी से गाद भरता जा रहा है; और

(झ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी आर्थिक जांच के बाद वंसधारा परियोजना, चरण-दो को परामर्शदात्री समिति द्वारा अपनी 4-12-91 को आयोजित बैठक में 275.74 करोड़ रुपए (वर्ष 1986-87 मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत के लिए स्वीकार्य पाया गया बशर्ते कि राज्य सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करे। राज्य वार्षिक योजना (1992-93) के अनुसार परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत 387 करोड़ रुपए है।

(ग) बराज का किनारा (क्रेस्ट) औसत नदी तल से लगभग एक मीटर ऊपर है।

(घ) और (ङ) जी, हां। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के मुख्य मंत्री वंसधारा नदी पर नेराडी पर बराज के निर्माण के लिए 18-7-1961 को सहमत हो गए थे जिसमें आन्ध्र प्रदेश द्वारा सभी ब्यौरा भेजने और औपचारिक सहमति प्राप्त करने के अध्यधीन उड़ीसा क्षेत्र में 106 एकड़ (42.92 हेक्टेयर) भूमि अधिग्रहण करने की परिकल्पना की गयी है। दोनों राज्य सरकारें वंसधारा के जल के बराबर-बराबर उपयोग के लिए भी सितम्बर, 1962 में सहमत हो गयी थी।

(च) और (छ) सितम्बर, 1990 में उड़ीसा सरकार ने यह पाया कि आन्ध्र प्रदेश अपने हिस्से से अधिक जल लेना चाहता है। बराज के निर्माण के बाद वर्ष 1980 की बाढ़ के समान स्थिति में उड़ीसा में क्षति बढ़ जायेगी तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों का डिजाइन माडल अध्ययनों के आधार पर किया जाना चाहिए। केन्द्रीय जल आयोग में आयोजित की गयी अन्तर्राज्यीय बैठकों में इन टिप्पणियों को हल किया गया है।

(ज) और (झ) इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश अथवा उड़ीसा से कुछ सुनने को नहीं मिला है।

कर्नाटक दूरसंचार विभाग के कर्मचारी

8808. **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक दूरसंचार की सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में कुल कितने कर्मचारी हैं और 1991 के अन्त तक इनमें मंजूर पदों में से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) कर्नाटक में किन स्थानों पर दूरसंचार और डी ई टी जिला प्रबंधक के कार्यालय हैं और उनकी संख्या कितनी है तथा निकट भविष्य में ऐसे कितने कार्यालय खोलने का विचार है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 31-12-91 की स्थिति के अनुसार, कर्नाटक दूरसंचार सर्किल में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित कार्यरत कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	स्वीकृत पद	कुल वर्तमान सं० (अ०जा०/अ०ज० जाति सहित)	अनुसूचित जाति कर्मचारी	अनुसूचित जन जाति कर्मचारी
क.	104	104	9	—
ख.	666	580	50	35
ग.	19052	17654	2749	784
घ.	4281	3654	842	132

(ख)

क्रम सं०	जिले का नाम	अधिकारी का स्तर
1.	बेंगलूर	महाप्रबंधक ग्रेड "क" व० प्रशासन ग्रेड
2.	मंगलौर	—वही—
3.	हुबली	टी डी एम ग्रेड "क" क० प्रशासन ग्रेड
4.	मैसूर	—वही—
5.	बेलगाम	—वही—
6.	बेल्लारी	टी डी ई ग्रेड "क" व० समयमान
7.	बीजापुर	—वही—
8.	दावणगेरे	—वही—
9.	गुलबर्गा	—वही—
10.	हसन	—वही—
11.	धारवाड	—वही—
12.	माडीकेरी	—वही—
13.	कोलार	—वही—
14.	शिमोगा	—वही—
15.	तुमकूर	—वही—
16.	चिकमगलूर	—वही—
17.	बिदर	—वही—
18.	माण्डया	—वही—
19.	रायचूर	—वही—
	जिलों की संख्या	19

निकट भविष्य में इस प्रकार के अन्य कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिज

8809. **श्री आर० धनुषकोडी आदित्यन** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों के लिए राष्ट्रीय खनिज नीति में संशोधन करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) औद्योगिक नीति में हाल ही में हुए परिवर्तनों के आधार पर गैर-ईंधन तथा गैर-परमाणु खनिजों की राष्ट्रीय खनिज नीति में संशोधन करने संबंधी कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है।

नई मुम्बई के टेलीफोनों को मुम्बई टेलीफोनों के साथ जोड़ना

8810. **श्री गोविन्द राव निकम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को नई मुम्बई के किसी व्यक्ति से टेलीफोन पर बात करने के लिए एस० टी० डी० का प्रयोग करना होता है;

(ख) क्या सरकार का विचार नई मुम्बई के टेलीफोनों को मुम्बई के टेलीफोनों से जोड़ने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) इस समय बम्बई और न्यू बम्बई की टेलीफोन प्रणालियां एक नम्बरिंग स्कीम से जुड़ी हुई हैं और इनके बीच कॉल करने का प्रभार न्यूनतम एस० टी० डी० दरों पर वसूल किया जाता है। इन क्षेत्रों का एक स्थानीय क्षेत्र बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बम्बई और न्यू बम्बई में अलग-अलग नगरपालिकाएं/नगर निगम हैं। अतः, यह प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं है।

[अनुवाद]

असम में टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण

8811. **श्री प्रबीन डेका** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार असम के दारंग और सोनितपुर जिलों में चल रहे टेलीफोन एक्सचेंजों के आधुनिकीकरण और उनके विस्तार का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

एक्सचेंज की किस्म	एक्सचेंज की संख्या	आधुनिकीकरण तथा विस्तार योजना
दारंग जिला		
इलैक्ट्रो-मैकेनिकल	7	1992-93
सोनितपुर जिला		
इलैक्ट्रो-मैकेनिकल	3	1992-93
मैनुअल	1	1992-93

[हिन्दी]

जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य विवाद

8812. **श्री ब्रह्मानंद मण्डल :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मुंगेर में स्थापित करनचौरा विद्युत ट्रांसफार्मर की मरम्मत के मुद्दे पर जनरल इलेक्ट्रिक कम्पनी तथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के मध्य विवाद है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में उपभोक्ताओं को राहत दिलाने हेतु इस मामले में हस्तक्षेप करने का प्रस्ताव रखती है; और

(ग) क्या सरकार गंगा जल का उपयोग करके राज्य में जल विद्युत केन्द्र निर्माण का प्रस्ताव रखती है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

[अनुवाद]

भारत पर्यटन विकास निगम में फालतू कर्मचारी

8813. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के फालतू कर्मचारियों को प्रस्तावित राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड में खपाए जाने की सम्भावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) जी, नहीं । सरकार का राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड स्थापित करने का कोई विचार नहीं है ।

बड़े उद्योगों को बिजली की सप्लाई

8814. **डा० रमेश चन्द्र तोमर :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और राष्ट्रीय पन विद्युत निगम द्वारा पैदा की गई बिजली के 15 प्रतिशत स्वनिर्गम आबंटन के लिए कोई कोटा निर्धारित किया है;

(ख) क्या सरकार को इस कोटे से बड़े उद्योगों को बिजली की सप्लाई करने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां । तथापि, मौसमी तथा अन्य विभिन्नताओं के कारण कमी समेत क्षेत्र के राज्यों में विद्युत की कमी को मद्देनज़र रखते हुए विद्युत की इस मात्रा को सामान्यत: समय-समय पर सम्बन्धित क्षेत्र के लाभान्वित राज्यों को आबंटित किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) समय-समय पर इस कोटे की विद्युत को सप्लाई किए जाने के लिए बृहत् उद्योग, सरकार से अनुरोध करते रहे हैं । सिद्धान्तत: इसे स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की सप्लाई किया जाना राज्य बिजली बोर्डों का ही उत्तरदायित्व होता है ।

एफ० एम० प्रसारण केन्द्र

8815. **श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1992 की स्थितिनुसार एफ० एम० आकाशवाणी केन्द्रों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) आठवीं योजना अवधि के दौरान कितने नये एफ० एम० स्टेशनों की स्थापना करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार का विचार एफ० एम० चैनलों पर स्टिरियोफोनिक प्रसारण शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) दिनांक 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार वर्तमान 39 एफ० एम० प्रसारण केन्द्रों का राज्यवार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) इस समय एफ० एम० केन्द्रों/चैनलों की 86 स्कीमों पर काम चल रहा है और उन्हें 8वीं योजना की अवधि के दौरान पूरा किए जाने की परिकल्पना है ।

(ग) और (घ) फिलहाल दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के महानगरों में एफ० एम० चैनलों से स्टीरियोफोनिक संगीत कार्यक्रम प्रसारित करने का प्रस्ताव है । जहां दिल्ली और बम्बई में स्टीरियो सेवा शुरू की जा चुकी है और रात्रि 9.30 बजे से 11 बजे तक एफ० एम० चैनलों पर उपलब्ध है, वहीं कलकत्ता और मद्रास में स्टीरियो सर्विस के शीघ्र ही शुरू किए जाने की परिकल्पना है ।

विवरण

क्रम सं०	स्थान	राज्य
1.	कोट्टागुडम	आंध्र प्रदेश
2.	तिरूपति	
3.	वारंगल	
4.	निजामाबाद	
5.	अनंतपुर	
6.	हैदराबाद (वी० बी०)	
7.	जोरहाट	असम
8.	सासाराम	बिहार
9.	पटना (वी० बी०)	
10.	सूरत	गुजरात
11.	गोधरा	
12.	कुरूक्षेत्र	हरियाणा
13.	कथुआ	जम्मू और कश्मीर
14.	हसन	कर्नाटक
15.	चित्रदुर्ग	
16.	कन्नानौर	केरल
17.	कोचीन	
18.	शिवपुरी	मध्य प्रदेश
19.	छिंदवाड़ा	
20.	बिलासपुर	
21.	खंडवा	
22.	बेतुल	
23.	इंदौर (वी० बी०)	
24.	अहमदनगर	महाराष्ट्र
25.	बीड	
26.	नांदेड़	
27.	पुणे (वी० बी०)	
28.	बम्बई	
29.	नागपुर (वी० बी०)	
30.	बारीपाड़ा	उड़ीसा
31.	भटिंडा	पंजाब
32.	बांसवाड़ा	राजस्थान
33.	अलवार	
34.	चित्तौड़गढ़	
35.	नागौर	

क्रम सं०	स्थान	राज्य
36.	मद्रास	तमिलनाडु
37.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल
38.	कलकत्ता	
39.	दिल्ली	संघ शासित क्षेत्र

[हिन्दी]

वायुदूत के विमान चालकों द्वारा निजी कम्पनियों के विमान चलाना

8816. **डा० लाल बहादुर रावल**
श्री रतिलाल वर्मा
श्रीमती भावना चिखलिया
डा० रमेश चन्द तोमर
श्री देवी बक्स सिंह : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत के कुछ विमान चालक कतिपय निजी कम्पनियों के वायुयान चला रहे हैं:

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार के साथ किसी प्रकार का समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये विमान चालक वायुदूत से नियमित रूप से वेतन लेते रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है।

वायुदूत सेवाएं

8817. **श्री बलराज पासी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से क्षेत्रों में वायुदूत सेवाएं नियमित नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। कभी-कभी ऐसे कारणों से उड़ानों को रद्द करना पड़ता है/उनमें विलम्ब हो जाता है जो कि एयरलाइन के नियंत्रण से बाहर होते हैं। तथापि, समय पर निष्पादन करने और संसाधनों की कठिनाई के भीतर निरन्तर परिचालनों को सुनिश्चित करने के लिए वायुदूत निरन्तर प्रयास करता है।

विदेशी पर्यटकों पर खर्च

8818. **श्री बृजभूषण शरण सिंह** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशी पर्यटकों पर 20 प्रतिशत व्यय कर लगाने के कारण विदेशी पर्यटकों की संख्या मार्च, 1992 में बहुत कम हो गयी है;

(ख) क्या सरकार का इस कर को न लगाने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, नहीं। विदेशी पर्यटकों पर व्यय कर अभी तक लागू नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात की भाटपुर सिंचाई परियोजना

8819. **श्री चन्दूभाई देशमुख :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात के भरूच जिले में भाटपुर सिंचाई परियोजना की संशोधित रिपोर्ट केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए लंबित पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) गुजरात के भड़ौच जिले में भाटपुर सिंचाई परियोजना की संशोधित रिपोर्ट केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में डाकघर

8820. **श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक डाकघर खोलने का है; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में ये डाक घर कहां-कहां खोले जायेंगे?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) वार्षिक योजना 1991-92 के दौरान जौनपुर जिले के लिए 11 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर मंजूर किये गये थे और ये सभी खोल दिये गए हैं। सात स्थानों पर 28-4-92 को और एक स्थान पर 22-4-92 को हाल ही में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोले गए हैं स्थानों के नाम नीचे दिये गये हैं।

तीन डाकघर 17-3-92 को खोले गये थे।

1. नरौली 2. सेरावन 3. गोकोन 4. विष्णुपुर मझवाड़ा 5. चोरारी 6. दामोदर 7. श्रीकिना	28-4-92 को खोले गए

8.	कच्छावन	22-4-92 को खोला गया
9.	दखिनपगट्टी रन्नो	17-3-92 को खोले गए
10.	साहूपट्टी	
11.	गुरैनी	

चालू वर्ष के दौरान खोले जाने वाले संभावित डाकघरों की संख्या नहीं दी जा सकती क्योंकि वार्षिक योजना 1992-93 को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा स्पैक्ट्रोमीटर की खरीद

8821. **श्री भ॰ मारे गौडा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, बंगलौर ने मल्टीकोर स्पैक्ट्रोमीटर खरीदा है;

(ख) क्या पूरा प्रेषण प्राप्त हो गया है;

(ग) इस उपकरण की कुल लागत कितनी है;

(घ) क्या यह उपकरण बेकार पड़ा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे प्रयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस उपकरण की कुल लागत 6,96,520 अमरीकी डालर थी।

(घ) और (ङ) यह उपकरण जुलाई, 1990 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की बंगलौर प्रयोगशाला में मास, यू॰ एस॰ ए॰ के योग्यता प्राप्त वैज्ञानिक/इंजीनियर द्वारा एसेम्बल किया गया है। इस उपकरण को शीघ्र चालू करने के लिए पहले सप्लाई न की गई कुछ मदों की पूर्ति करने के लिए पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय द्वारा पहले ही आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अन्य देशों से आने वाले पर्यटक

8822. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी**
प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु
श्री शंकर सिंह वाघेला
श्री भार्गव गोवर्धन
श्री भगवान शंकर रावत
: क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान अन्य देशों से देश-वार कितने-कितने पर्यटक आये; और

(ख) देश में विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख पर्यटक भेजने वाले देशों से, देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

देश	पर्यटक आगमन		
	1989-90	1990-91	1991-92 (अप्रैल-दिसम्बर)
यू० के०	237142	219277	152340
यू० एस० ए०	134539	115035	94854
जर्मनी	77716	67060	51261
श्रीलंका	67419	68849	51877
फ्रांस	82215	70946	52307
जापान	60769	52376	33317
इटली	51643	42273	33999
कनाडा	43222	36665	27467
मलेशिया	33700	32633	23753
स्विटजरलैण्ड	32226	31505	21139
यू० ए० ई०	30396	25806	25316
सिंगापुर	30375	31426	21932
अफगानिस्तान	21275	20586	18840
आस्ट्रेलिया	30917	27878	16909
पाकिस्तान	184101	142739	161224
बंगलादेश	220751	230860	185207
अन्य	426673	397767	316848
जोड़	1765079	1613681	1288590

(ख) देश में विदेशी पर्यटकों के आगमन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में आधारभूत सुविधाओं में सुधार और पर्यटक आकर्षणों का विदेश में प्रभावी प्रचार शामिल है।

चित्तमपुन्डी, सेलम, तमिलनाडु में रत्न और प्लेटिनम

8823. **डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के चित्तमपुन्डी, परमती, नामाक्कल तालुम, सेलम जिलों में रत्नों और प्लेटिनम की उपलब्धता के संबंध में कोई भूगर्भिक अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा अध्ययन कराने और इन पत्थरों पर आधारित फैक्टरी की स्थापना के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) रत्न पत्थर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के परिणाम-स्वरूप सेलम जिले की सितमपुण्डी पट्टी में कोरन्डम की सभी किस्म के 15,400 टन अनुमानित भण्डारों का आकलन किया गया है । रत्न किस्मों के लिए अलग से कोई आकलन नहीं किया गया है ।

प्लोटीनायड्स : प्लेटिनम समूह के तत्व क्रोमाइट की परतों के साथ मिले होते हैं जो इसके स्थान पर सेलम जिले की सितमपुण्डी पट्टी में कारुंगल पट्टी क्षेत्र में अल्ट्रामैफिक चट्टानों के साथ मिले हैं । भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी० एस० आई०) द्वारा लिए गए प्राथमिक नमूनों से वहां 0.2 से 2.00 पी० पी० एम० प्लेटिनम और 0.5 से 4.00 पी० पी० एम० प्लेटिनम का पता चला है । इस पट्टी में आगे अध्ययन करने की योजना है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पर्यटन प्रचार-प्रसार हेतु निधि

8824. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए धनराशि में प्रतिवर्ष बढ़ोत्तरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो आबंटित निधि का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान वास्तव में खर्च की गई राशि का आप्रेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) मितव्ययिता बरतने के सरकारी निदेश के बावजूद इस प्रकार की वृद्धि के कारण क्या हैं;

(घ) क्या इस मामले की जांच-पड़ताल कराई गई है, यदि हां, तो इसके परिणाम क्या निकले ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए क्या उपाय किये जायेंगे ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) विवरण संलग्न है ।

(ग) वृद्धि के कारण हैं—रुपए का अवमूल्यन, मुद्रास्फीति और पर्यटक भेजने वाले विदेशी बाजारों में प्रचार एवं संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को चलाने की लागत में हुई समग्र वृद्धि ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) उपर्युक्त कारणों से वार्षिक बजट आबंटन में थोड़ी वृद्धि किया जाना अनिवार्य है ।

विवरण

लाख (रुपये) में

	1989-90		1990-91		1991-92	
	आबंटन	वास्तविक व्यय	आबंटन	वास्तविक व्यय	आबंटन	वास्तविक व्यय
आप्रेशन अमरीका	596.35	596.35	490.00	490.00	560.00	560.00
आप्रेशन यूरोप	641.66	641.66	810.15	810.15	915.00	915.00
आप्रेशन यू० के०	281.50	281.50	308.00	308.00	330.00	330.00
आप्रेशन आस्ट्रोलेशिया	167.95	167.95	164.20	164.20	180.00	180.00
आप्रेशन पूर्व एशिया	254.00	254.00	350.00	350.00	500.00	500.00
आप्रेशन पश्चिम एशिया	150.00	150.00	195.00	195.00	200.00	200.00

तमिलनाडु में पे-फोन

8825. **श्री के० बी० तंगकाबालु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पे-फोनों के आबंटन की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तमिलनाडु में ऐसे कितने फोनों का आबंटन किया गया;

(घ) क्या इस बारे में कोई आवेदन लंबित पड़े हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन्हें कब तक मंजूरी दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोन उन सभी इच्छुक व्यक्तियों को अलाट किए जाते हैं बशर्ते कि विशेषाधिकार स्कीम के अंतर्गत तकनीकी व्यवहार्यता तथा विभागीय औपचारिकताएं पूरी होती हों । विशेषाधिकारी को इस समय, स्थानीय पी० सी० ओ० के मामले में प्रति काल 40 पैसे कमीशन दिए जाते हैं । एस० टी० डी० /आई० एस० डी० पे-फोनों के मामले में 10,000 कालों तक प्रति यूनिट काल 20 पैसे की दर से

कमीशन देय होता है और 10,000 काल से अधिक काल पर 10 पैसे प्रति यूनिट काल की दर पर कमीशन देय होता है।

तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार विकलांग व्यक्तियों, भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों की विधवाओं/दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त व्यक्तियों/शिक्षित तथा बेरोजगार महिलाओं/अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को वरीयता दी जाती है बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से व्यवहार्य हो तथा सामान्य विभागीय औपचारिकताएं पूरी की गई हों। दूरी के संबंध में स्थिति यह है कि दो पे-फोनों के बीच न्यूनतम दूरी की कोई शर्त नहीं है।

पे-फोन के टेलीफोन कनेक्शन के लिए किराया अथवा संस्थापना शुल्क अलग से नहीं लिया जाता परन्तु उपभोक्ता उपकरण की उसे स्वयं व्यवस्था करनी होती है और विशेषाधिकारी को छह महीने की न्यूनतम गारंटी राशि सुरक्षा जमा के रूप में जमा करनी होती है।

फिलहाल, नॉन-एस० टी० डी० पे-फोनों के लिए न्यूनतम सुरक्षा जमा की राशि 1800 रूपए तथा एस० टी० डी० पे-फोन के लिए 9600 रू० जमा कराने होते है जो कि 3 महीने के उनके औसत राजस्व के अनुसार समायोजित किए जाते हैं।

(ग) 1991-92 के दौरान तमिलनाडु में खोले गए पे-फोन के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

1.	पे-फोन	: एस० टी० डी०/आई० एस० डी०	= 235
2.	पे-फोन	: स्थानीय	= 759

(घ) शून्य

(ङ) उपर्युक्त भाग "घ" के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में ग्राम पंचायतों को टेलीफोन उपलब्ध कराना

8826. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिलावार कितने ग्राम पंचायतों को टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध कराये गये है; और

(ख) शेष ग्राम पंचायतों में यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दिए जाने की सम्भावना है?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उन 1509 ग्राम पंचायतों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जिन्हें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है।

(ख) शेष ग्राम पंचायतों को 31 मार्च, 1995 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है बशर्तें संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

31-3-1992 तक जिन ग्रामपंचायतों को टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है उनकी संख्या निम्नानुसार है :–

क्रम सं०	जिला	एस० टी० डी० सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की संख्या
1.	मिदनापुर	241
2.	बांकुरा	120
3.	पुरूलिया	64
4.	बर्दवान	137
5.	24 परगना	189
6.	मालदा	79
7.	मुर्शिदाबाद	124
8.	पश्चिमी दिनाजपुर	48
9.	दार्जिलिंग	64
10.	जलपाईगुड़ी	83
11.	नादिया	106
12.	कूचबिहार	69
13.	बीरभूम	87
14.	हावड़ा	33
15.	हुगली	65
		1509

इंडियन एयरलाइन्स में भर्ती

8827. **श्री राम नारायण बैरवा :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स में अधिकारी वर्ग के 40% रिक्त स्थान सीधी भर्ती द्वारा भरे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन एयरलाइन्स ने उक्त प्रावधान के अन्तर्गत प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) वर्ग की कुछ रिक्तियों को हाल ही में भरा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इनमें किन्हीं अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) सितम्बर, 1991 में 40 प्रतिशत सीधी भर्ती कोटा के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) के पद पर चार नियुक्तियां की गई थीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

(च) जबकि इस पद के लिये अनुसूचित जनजाति का कोई उम्मीदवार पात्र नहीं था, तथापि, अनुसूचित जाति का एक मात्र उम्मीदवार लिखित परीक्षा पास नहीं कर सका ।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अर्जित लाभ

8828. **श्री सुधीर गिरि** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1989-90 तथा 1990-91 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कितना लाभ कमाया गया;

(ख) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौर (ताप) विद्युत के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देने का विचार है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र को इक्विटी देने का प्रस्ताव किया गया है; और

(घ) विद्युत क्षेत्र में अब तक किस सीमा तक निजीकरण किया गया है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1989-90 तथा 1990-91 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अर्जित लाभ क्रमशः 536.58 करोड़ रुपये तथा 700.95 करोड़ रुपये था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में निजीकरण के लिए कोई नीति नहीं है । विद्युत उत्पादन, वितरण तथा सप्लाई में निजी उद्यमों द्वारा अधिक पूंजी-निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति कार्यान्वयनाधीन है । ब्यौरे निम्नवत हैं :—

	परियोजनाओं की संख्या	क्षमता (मे० वा०)
विद्यमान	5	2862
निर्माणाधीन	6	953
सिद्धान्ततः स्वीकृत	1	500

टेलीफोन कॉलों पर दोहरा शुल्क

8829. **श्री अनन्तराव देशमुख** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वाणिज्यिक तथा गैर-वाणिज्यिक इस्तेमाल के आधार पर टेलीफोन कालों पर

दोहरा शुल्क लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) इस समय ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

इस्पात उत्पादन में आदानों की लागत

8830. **श्री भार्गव गोवर्धन** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर, 1990 से इस्पात के उत्पादन के लिए आवश्यक आदानों की लागत में कितनी वृद्धि हुई ; और

(ख) इस्पात के वर्तमान मूल्यों के आधार पर कितना लाभ हो रहा है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड के संयंत्रों में इस्पात का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित मुख्य आदानों की लागत में सितम्बर, 1990 से हुई वृद्धि की प्रतिशतता निम्नानुसार है :—

	सितम्बर, 1990 से हुई वृद्धि (%)
(1) स्वदेशी कोककर कोयले और अकोककर कोयले का आधार मूल्य	30%
(2) आयातित कोककर कोयला	73%
(3) आदानों पर रेल-भाड़ा	28%
(4) खरीदी गई विद्युत	21%
(5) पेट्रोलियम उत्पाद	36%

(ख) विक्रेय इस्पात के विक्रय मूल्य की तुलना में प्रचलित मूल्य/आदानों की लागत के आधार पर सेल के संयंत्रों में लाभ नकारात्मक है ।

लक्षद्वीप में पर्यटकों को सुविधायें

8831. **श्री पी० एम० सईद** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों को क्या सुविधाएं दी जा रही हैं; और

(ख) वहां पर्यटन के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) इनमें शामिल हैं—आवास की व्यवस्था, परिवहन, जल क्रीड़ा के लिए सुविधाएं आदि ।

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान पर्यटन संबंधी आधार-भूत सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए 32.26 लाख

रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी।

कोचीन और त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों से यात्रियों को ले जाना

8832. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एअर इंडिया का विचार अपने यात्रियों को आगे की यात्रा के लिए कोचीन और त्रिवेन्द्रम से मुंबई ले जाने और विदेश से आने वाले एअर इंडिया के यात्रियों को मुंबई से कोचीन और त्रिवेन्द्रम ले जाने का है : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) एयर इंडिया यात्रियों की सुविधा के लिए बम्बई और त्रिवेन्द्रम के बीच पहले से ही सप्ताह में छः उड़ानें परिचालित करती है।

एयर इंडिया का बम्बई से कोचीन तक उड़ानें परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इंडियन एयरलाइन्स बम्बई से कोचीन के लिये और कोचीन से बम्बई के लिये दो दैनिक उड़ानें परिचालित करती है।

पायलट प्रशिक्षणार्थियों का चयन

8833. **श्री राम विलास पासवान** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991 में सी० पी० एल० पाठ्यक्रम में पायलट प्रशिक्षणार्थियों के चयन के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठे;

(ग) इस पाठ्यक्रम के लिए अंतिम रूप से चुने गए इन श्रेणियों के सफल उम्मीदवारों की संख्या कितनी है;

(घ) आठवें सी० पी० एल० पाठ्यक्रम के लिए कुल कितनी सीटें निर्धारित की गई थीं और इनमें से कितनी सीटें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित की गई थीं; और

(ङ) आठवें सी० पी० एल० पाठ्यक्रम के लिए चयन के क्या मानदंड हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति के दो उम्मीदवारों और अनुसूचित जनजाति के एक उम्मीदवार में से, जो परीक्षा में बैठे थे, अनुसूचित जाति के एक उम्मीदवार का चयन किया गया था।

(घ) आठवें सी० पी० एल० पाठ्यक्रम के लिए 32 सीटें उपलब्ध थीं। इनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का कोई आरक्षण नहीं है।

(ङ) पात्र उम्मीदवारों को सी० पी० एल० स्तर के अनुसार वैमानिक विषयों में लिखित परीक्षा और बुद्धि परीक्षा देनी पड़ती है। उसके बाद सफल उम्मीदवारों का एक बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाता है और मेरिट के आधार पर उनका चयन किया जाता है।

[हिन्दी]

कोसी और गंडक परियोजनाओं में जल निकास योजनायें

8834. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कोसी और गंडक परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में जल निकास योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा इन योजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बिहार में गंडक परियोजना के कमान में उच्च प्राथमिकता की जल निकास स्कीमों को 27 करोड़ रु० की उच्चतम सीमा के भीतर कार्यान्वित करने के लिए वर्ष 1977 में अनुमोदन दिया गया था । इसके अलावा, वर्ष 1988 में 42.39 करोड़ रुपए की लागत से गंडक कमान क्षेत्र में 5 और पश्चिमी कोसी कमान क्षेत्र में एक नयी स्कीम को स्वीकृति दी गयी ।

(ग) केन्द्रीय सहायता एक मुश्त अनुदानों और ऋणों के रूप में दी गई और यह किसी विशेष स्कीम/क्षेत्र से जुड़ी नहीं हुई है ।

[अनुवाद]

कर्नाटक में "मैक्स—III" एक्सचेंजों को बदलना

8835. **श्री एच० डी० देवगौड़ा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कर्नाटक में ग्रामीण संचार हेतु कार्य कर रहे पुराने "मैक्स—III" एक्सचेंजों को बदलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) पुराने एक्सचेंजों को 31-3-1997 तक उत्तरोत्तर रूप से बदलने का प्रस्ताव है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । इसका विवरण नीचे दिया गया है :—

वर्ष	बदली जाने वाली प्रस्तावित एमएएक्स—III एक्सचेंजों की संख्या
1992-93	240
1993-94	240
1994-95	240

वर्ष	बदली जाने वाली प्रस्तावित एमएएक्स—III एक्सचेंजों की संख्या
1995-96	240
1996-97	232
कुल	1192

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

मंगलौर में इस्पात संयंत्र की संस्थापना

8836. **श्री वी० धनंजय कुमार** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर में कोई इस्पात संयंत्र लगाने का विचार है ;

(ख) कुद्रेमुख से एक वर्ष में कितनी मात्रा में लौह अयस्क निकाला जाता है ; और

(ग) इसमें से कितनी मात्रा का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) मंगलौर में सरकारी क्षेत्र में इस्पात संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) लगभग 60 लाख टन लौह अयस्क सांद्रण का उत्पादन करने के लिए वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान प्रतिवर्ष लगभग 180 लाख टन कच्चा लोह अयस्क निकाला गया ।

(ग) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 के दौरान 39.16 लाख टन लोह अयस्क सांद्रण और 21.52 लाख टन लोह अयस्क पैलेट्स का निर्यात किया । जापान, इरान और चीन को लोह अयस्क सांद्रण तथा हंगरी, आस्ट्रेलिया, जापान और इंडोनिशिया को पैलेट्स का निर्यात किया जाता है ।

विमान-यात्रा एजेंटो के लाइसेंसों का रद्द किया जाना

8837. **श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से विमान-यात्रा एजेंटों के लाइसेंसों को रद्द/समाप्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में कितने एजेंटों के लाइसेंसों को रद्द अथवा समाप्त कर दिया गया है; और

(ग) उनके लाइसेंसों को रद्द/समाप्त करने के क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) तमिलनाडु में पिछले तीन वर्षों में छः यात्रा एजेन्टों की नियुक्तियाँ रद्द की गई हैं । यह निर्धारित समय-सीमा के भीतर इंडियन एयरलाइन्स को देय राशि का भुगतान न किये जाने, अप्राधिकृत रूप से स्वामित्व बदलने, स्वैच्छिक तौर पर कार्य छोड़ने और यात्रा एजेन्टों के रूप में उनकी नियुक्ति से जुड़ी शर्तों को पूरा न किये जाने के कारण किया गया ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण

8838. **श्री आनन्द रत्न मौर्य :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रस्करण उद्योग का आधुनिकीकरण करने तथा प्रसंस्कृत उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए योजनाएं तैयार की है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को योजना आयोग ने स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने अनेक योजना स्कीमें तैयार की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछ आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों के विविधीकरण/विस्तार/उन्नयन सहित उन्हें स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों, सरकारी सेक्टर के उपक्रमों, संयुक्त सेक्टर के उपक्रमों, सहकारी संगठनों आदि को सहायता देना शामिल है। निर्यातोन्मुखी यूनिटों को ऐसी सहायता के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मंत्रालय ने प्रौद्योगिकी विकास उन्नयन के लिए विभिन्न अनुसंधान और विकास स्कीमें और चावल हलरों के आधुनिकीकरण के लिए भी स्कीमें तैयार की हैं। योजना आयोग ने सिद्धान्त रूप में स्कीमों को स्वीकृति दे दी है। आठवीं योजना अवधि के दौरान स्कीमों को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

राजस्थान की पर्यटन संबंधी परियोजनाएं

8839. **श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की इकाई पर्यटन वित्त निगम द्वारा राजस्थान की कितनी पर्यटन संबंधी परियोजनाओं को वित्तीय सहायता दी गई; और

(ख) यदि कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) 1990-92 के दौरान भारतीय पर्यटन वित्त निगम ने राजस्थान राज्य में चार परियोजनाओं को 1287 लाख रुपए की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में उप डाकघर

8840. **श्री अर्जुन चरण सेठी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में ऐसे कितने उप डाकघर मंजूर किए गए थे जो अभी तक नहीं खोले गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(ग) इन्हें कब तक खोले जाने की सम्भावना है और इन्हें कहां-कहां खोला जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) उड़ीसा में केवल एक ही ऐसा उप डाकघर है जिसकी मंजूरी पहले दे दी गई थी किन्तु उसे अभी खोला नहीं जा सका है ।

(ख) और (ग) यह उप डाकघर सुन्दरगढ़ डिवीजन में कोयलनगर के लिए मंजूर किया गया था जिसे किराये पर उपयुक्त स्थान उपलब्ध न होने के कारण खोला नहीं जा सका है । उपयुक्त स्थान प्राप्त करने के प्रयत्न जारी हैं ।

बोइंग कमान्डर

8841. **मनोरंजन भक्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और बम्बई से कलकत्ता जाने वाले इंडियन एयरलाइंस के बोइंग कमान्डरों को कलकत्ता में होटल ओबरॉय ग्रान्ड में ठहरने के लिए प्रतिवर्ष लाखों रुपए का भुगतान किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का है ; यदि हां, तो नियत अवधि के बाद ऐसे स्थानों पर कब तक ठहरा जा सकता है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) कलकत्ता भेजे जा रहे बोइंग कमान्डरों के लिए होटल आवास पर किया गया व्यय प्रतिवर्ष लगभग 36.00 लाख रुपए है ।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस का बोइंग कमान्डरों को प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त राशि का भुगतान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विमान-परिचारिकाओं को मासिक वेतन

8842. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिचारिकाओं को गर्भावस्था के दौरान मासिक वेतन नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रसूति के बाद अपना कार्यभार संभालने तक उन्हें प्रसूति वेतन के रूप में मासिक वेतन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स दोनों में विमान-परिचारिकाएं, 90 दिन तक की प्रसूति छुट्टी के दौरान प्रसूति वेतन पाने की पात्र हैं, लेकिन गर्भावस्था की संपूर्ण अवधि और उसके बाद की अनुपस्थिति की अवधि के लिए नहीं । इस संबंध में एक विवाद भी उठाया गया है जिसे सरकार ने, न्यायिक निर्णय के लिए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक ट्रिब्युनल, बंबई, को भेज दिया है ।

[हिन्दी]

उड़ीसा में एस॰ टी॰ डी॰ सुविधाएं

8843. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में कितने नगरों और शहरों में एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान कुल कितने नए स्थानों को एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का विचार है; और

(ग) एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) उड़ीसा में पिछले तीन वर्षों के दौरान (1-4-89 से 31-3-92 तक) एक सौ बासठ (162) स्टेशनों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ दिया गया है।

(ख) और (ग) नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1992-93 के दौरान उड़ीसा के लगभग सौ (100) नए स्थानों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों।

(i) जिला मुख्यालय।

(ii) उप-मंडल मुख्यालय समकक्ष तहसील/ब्लॉक विकास मुख्यालय।

(iii) 1-4-90 को 500 और उससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले टेलीफोन एक्सचेंज।

(iv) पर्यटन केन्द्र, औद्योगिक विकास केन्द्र, तीर्थस्थल।

(v) अन्य आटोमेटिक एक्सचेंज परियात की दृष्टि से औचित्य सिद्ध होने एवं व्यवहार्य पाए जाने पर।

[अनुवाद]

विदेशी सहयोग से विद्युत संयंत्रों की स्थापना

8844. **श्री विजय नवल पाटील**
श्री पी० जी० नारायणन
श्री गुरूदास कामत
: क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी कम्पनियों ने विद्युत संयंत्र स्थापित करने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे संयंत्रों की संख्या क्या है; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं और ये संयंत्र किन-किन राज्यों में स्थापित किए जाएंगे?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के संदर्भ में विदेशी कम्पनियों से 8 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जोकि इस प्रकार है :

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	राज्य	अभ्युक्ति
1.	मैसर्स कोलमैन एण्ड एसोसिएट्स	राजस्थान	आस्ट्रेलिया
2.	मैसर्स एस०टी० पॉवर सिस्टम इन्क	तमिलनाडु	एन० आर० आई० (संयुक्त राज्य अमरीका)
3.	मैसर्स सदर्न इलैक्ट्रिक इन्टरनेशनल	उड़ीसा	संयुक्त राज्य अमरीका
4.	मैसर्स नार्थ ईस्टर्न एनर्जी सर्विसेज इन्क	उड़ीसा	भारतीय भागीदार के सहयोग से ।
5.	मैसर्स आशिया ब्राउन बोवेरी	स्थल का चयन किया जाना है ।	भारतीय भागीदार के सहयोग से ।
6.	मैसर्स जी०वी०के० इन्डस्ट्रीज	आन्ध्र प्रदेश	एन० आर० आई० (सं० रा० अमरीका)
7.	मैसर्स स्पैक्ट्रम टैक्नोलोज़ीज	आन्ध्र प्रदेश	एन० आर० आई० (सं० रा० अमरीका)
8.	मैसर्स सीमन्स	तमिलनाडु	भारतीय भागीदार के सहयोग से ।

[हिन्दी]

नयी टेलीफोन योजनाओं के लिए मानदंड

8845. **श्री अवतार सिंह भड़ाना**
श्री एस० एन० वेकारिया } : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने हरियाणा, गुजरात तथा दिल्ली में लोगों की एस०टी०डी०/आई०एस०डी०/फेक्स तथा टेलेक्स आदि से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा प्राधिकृत विभागीय दूरसंचार एक्सचेंज, फ्रैंचाइज़ टेलीफोन एक्सचेंज तथा टेलीफोन एक्सचेंज जैसी नयी मानवचालित टेलीफोन योजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये हैं,

(ख) इन केन्द्रों के आबंटन के लिए क्या मानदंड अपनाये जा रहे हैं और वे किन-किन स्थानों पर हैं, और

(ग) इन योजनाओं के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया तथा उनके लिए पात्र व्यक्तियों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटन-स्थलों का विकास

8846. **श्री शंकरराव काले** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन-स्थलों का विवरण क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा इन स्थलों के विकास हेतु दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) महाराष्ट्र में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक परिपथ पर बंबई, अजंता-एलौरा, एलिफेंटा, महाबलेश्वर, पंचगनी, मथेरन, वर्धा, परभनी, नान्देड, अमरावती आदि जैसे पर्यटक अभिरुचि के स्थान बड़ी संख्या में हैं ।

(ख) पर्यटक स्थलों का विकास करने की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है । तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को पर्यटन संबंधी आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए उनके प्रस्तावों पर गुण-दोष, पारस्परिक प्राथमिकता तथा धन की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए वित्तीय सहायता देती है । पर्यटन मंत्रालय ने महाराष्ट्र में पर्यटक स्थानों का विकास करने के लिए निम्नलिखित धन-राशियां स्वीकृत की हैं :—

स्वीकृत राशि

(लाख रुपए में)

1989-90	12.83
1990-91	142.61
1991-92	336.63

[हिन्दी]

स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

8847. **श्री देवी बक्स सिंह**
डॉ० रमेश चन्द तोमर
श्री रतिलाल वर्मा
श्री भगवान शंकर रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और गुजरात में हस्तचालित टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलेवार अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे सभी टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदलने का विचार है : और

(ग) यदि हां, तो जिलेवार ऐसे एक्सचेंज कौन-कौन से हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जानकारी संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश में 14 मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को, 1992-93 के दौरान स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने की आशा है। गुजरात में 94 मैनुअल एक्सचेंजों में से 89 मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों को 1992-93 के दौरान स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने का प्रस्ताव है। उन मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम संलग्न विवरण-II में दिये गए हैं जिन्हें 1992-93 के दौरान स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में बदले जाने की आशा है।

विवरण I

1. 29-4-92 की स्थिति के अनुसार गुजरात में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

क्रम सं०	गौण स्विचन क्षेत्र (जिले) का नाम	मैनुअल एक्सचेंजों की संख्या
1.	अहमदाबाद	शून्य
2.	बड़ौदा	5
3.	राजकोट	8
4.	सूरत	8
5.	बलसाड़	5
6.	भुज(कच्छ)	5
7.	जामनगर	4
8.	जूनागढ़	9
9.	मेहसाणा	11
10.	नडियाद (खेड़ा)	6
11.	भावनगर	4
12.	अमरेली	2
13.	भड़ूच	4
14.	गोधरा	3
15.	हिम्मतनगर	11
16.	पालनपुर	5
17.	सुरेन्द्रनगर	4
	जोड़	94

2. 29-4-92 की स्थिति के अनुसार उ० प्र० में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या

1.	बस्ती	1
2.	बिजनौर	2

2. 29-4-92 की स्थिति केअनुसार उ० प्र० में मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या		
3.	बुलन्दशहर	1
4.	देहरादून	1
5.	गोरखपुर	1
6.	जौनपुर	1
7.	मुरादाबाद	2
8.	मुजफ्फरनगर	1
9.	नैनीताल	2
10.	पौड़ी	1
11.	रामपुर	1
	कुल	14

विवरण II

गुजरात में 1992-93 के दौरान स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने वाले मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलेवार नाम

क्र० सं०	जिले का नाम	स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम
1	2	3
1.	बड़ौदा	नियागाम
2.	,,	छोटा उदयपुर
3.	,,	नसवाड़ी
4.	,,	पवीआटपुर
5.	,,	सानखेड़ा
6.	राजकोट	धोराजी
7.		गोंडाल
8.		जसदान
9.	,,	उपलेटा
10.		भयावदर
11.	,,	देराड़ी
12.	,,	आमकन्दोराना

1	2	3
13.	सूरत	व्यारा
14.	,,	ऐफ० सोनगढ़
15.	,,	कडोडरा
16.	,,	कागरेज
17.	,,	माघी
18.	,,	मांडवी (एसआर)
19.	,,	ओलफाड
20.	बलसाड़	अमलसाड़
21.	,,	बानसाड़ा
22.	,,	भिलेड
23.	,,	रूनजान
24.	भुज	के० मांडवी
25.	,,	मचाऊ
26.	,,	मुंद्रारा
27.	,,	नयतराना
28.	,,	नालिया
29.	जामनगर	जामजोधपुर
30.	,,	भाटिया
31.	,,	कालावाड
32.	,,	मीठापुर
33.	जूनागढ़	उना
34.	,,	मंगरोल
35.	,,	चितलजा
36.	,,	माधवपुर
37.	,,	मेंदरदा
38.	,,	तलाला
39.	,,	बंठली
40.	,,	विशावदर
41.	मेहसाणा	हारिज
42.	,,	मेन्सा
43.	,,	बीजापुर
44.	,,	बचराजी
45.	,,	चनसामा
46.	,,	गोझरिया

1	2	3
47.	मेहसाणा	कलोल
48.	..	खेरालू
49.	..	लडोल
50.	..	वाडनगर
51.	खेड़ा (नडियाद)	उमरेठ
52.	..	बोरसाड
53.	..	कठलाल
54.	..	महुधा
55.		सरसा
56.	..	थासारा
57.	भावनगर	सिहोर
58.		तलाजा
59.	..	दासा
60.	..	गरियाधर
61.	अमरेली	धारी
62.	..	जाफराबाद
63.	भड़ूच	राजपिपला
64.	..	आमोद
65.	..	जाम्बुसार
66.	..	नेतरंग
67.	गोधरा	लूनावाड़ा
68.	..	झालोद
69.	..	संतरामपुर
70.	हिम्मतनगर	बायड
71.		धनसुरा
72.		इडार
73.	..	खेडब्रह्मा
74.	..	बडाली
75.	..	भिलोड़ा
76.		मालपुर
77.	..	मेघराज
78.	..	तलोद
79.	..	धनसुरगाढ़
80.	..	चंदमगाम

10—20 LSS/ND/93

1	2	3
81.	पालनपुर	डीसा
82.	,,	भाभर
83.	,,	कनेरा
84.	,,	थारा
85.	,,	थराद
86	सुरेन्द्रनगर	लिम्बडी
87.	,,	चोटिला
88.	,,	हलवाद
89.	,,	पाटडी

उत्तर प्रदेश में 1992-93 के दौरान स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने वाले मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार नाम

क्र० सं०	जिले का नाम	स्वचालित एक्सचेंजों में बदले जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के जिलावार नाम
1	2	3
1.	बस्ती	खलीलाबाद
2.	बिजनौर	धामपुर
3.	,,	नजीबाबाद
4.	बुलंदशहर	गुलौठी
5.	देहरादून	ऋषिकेश
6.	गोरखपुर	चौरी-चौरा
7.	जौनपुर	शाहगंज
8.	मुरादाबाद	अमरोहा
9.	,,	चंदौसी
10.	मुज्जफरनगर	शामली
11.	नैनीताल	हलद्वानी
12.	,,	काठगोदाम
13.	पौड़ी	कोटद्वार
14.	रामपुर	बिलासपुर

प्रधान मंत्री के साथ दौरे पर गये संवाददाता

8848. श्री अरविन्द नेताम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान प्रधान मंत्री के साथ देश के विभिन्न भागों के दौरों पर गये संवाददाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों के संवाददाताओं को इन दौरों में शामिल नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) देश में, प्रधान-मंत्री के दौरों में उनके साथ गए संवाददाताओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जहां तक संभव होता है प्रादेशिक भाषाओं के समाचार पत्रों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। देश के अन्दर के अधिकांश दौरों में राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के संवाददाताओं को लिए जाने की सामान्य प्रथा है क्योंकि उनके प्रेषण सभी अंशदान देने वाले समाचार पत्रों को उपलब्ध होते हैं। प्रधान मंत्री के आंतरिक दौरों में हवाई जहाज/हेलिकाप्टर में स्थान की सीमितता के कारण दौरों में कुछ ही लोगों को साथ में लिया जाता है।

विवरण

गत तीन महीनों (1-1-92 से 31-3-92) के दौरान प्रधान मंत्री के साथ जाने वाले संवाददाताओं का ब्यौरा

क्र० सं०	नाम	समाचार पत्र/संगठन
1.	**राजस्थान यात्रा (1-1-92)**	
	श्री पी० वेद कुमार	यू०एन०आई०
	श्री वीरेन्द्र संघवी	भाषा
2.	**गुजरात और आन्ध्र प्रदेश यात्रा (2-1-92 से 3-1-92)**	
	श्री एच० सरूप	पी०टी०आई०
	श्री जय प्रकाश अवस्थी	वार्ता
3.	**जमशेदपुर यात्रा (12-1-92)**	
	श्री जे० बी० कालेस्टाइन	यू०एन०आई०
	श्री गुरु कृपाल सिन्हा	भाषा
4.	**औरंगाबाद यात्रा (18-1-92)**	
	श्री सुनील गटाडे	पी०टी०आई०

क्र० सं०	नाम	समाचार पत्र/संगठन
	श्री एम० के० मत्था	यूनीवार्ता
	श्री श्याम खोसला	ट्रिब्यून
	श्री लोकेश श्रीवास्तव	जागरण (कानपुर)

1991-92 के दौरान भारत आये विदेशी पर्यटक

8849. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी**
श्री एम० डेनिस : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान किन-किन देशों से कुल कितने विदेशी पर्यटक भारत आये और उनसे कितनी विदेशी-मुद्रा अर्जित की गयी :

(ख) क्या विदेशी पर्यटकों को तीर्थ स्थलों, प्राकृतिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों की ओर आकृष्ट करने के लिए सरकार का कोई योजना बनाने का विचार है :

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) 1991-92 के दौरान, भारत की यात्रा पर आए विदेशी पर्यटकों की संख्या 17,79,849 थी और इनसे 3317 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा आय होने का अनन्तिम अनुमान लगाया गया है । भारत के लिए पर्यटक भेजने वाली प्रमुख मार्किट हैं :—यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैण्ड, स्विटजरलैण्ड, इटली, सिंगापुर, मलेशिया, खाड़ी के देश, श्रीलंका, पाकिस्तान और बंगलादेश ।

(ख) से (घ) सरकार भारत की ओर विदेशी पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए जो संवर्धनात्मक प्रयास करती है, उनमें प्राकृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान और तीर्थ केन्द्र शामिल हैं । अतः विदेशी पर्यटकों को इन स्थानों की ओर आकृष्ट करने के लिए अलग से किसी स्कीम की जरूरत नहीं है ।

अतिरिक्त टेलीफोन काल के लिए भुगतान

8850. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थानीय टेलीफोन कालों की समयावधि तय कर दी गई है और प्रति तीन मिनट के बाद एक अतिरिक्त टेलीफोन काल के लिए भुगतान करना पड़ेगा : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी नहीं । स्थानीय कालों को मीटरित करने का मामला अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण का हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के साथ विलय

8851. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय इस्पात प्राधिकरण का हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के साथ विलय करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

अलीपुरद्वार, उत्तर बंगाल में उच्च शक्ति के टी०वी० ट्रांसमीटर

8852. श्री पीयूष तीर्की : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार स्थित वर्तमान टी०वी० ट्रांसमीटर की क्षमता और प्रसारण दूरी का ब्यौरा क्या है:

(ख) क्या सरकार का उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार में एक उच्च शक्ति का टी०वी० ट्रांसमीटर लगाने का विचार है:

(ग) यदि हां तो कब तक:

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं: और

(ङ) अलीपुरद्वार में एक स्वतंत्र टी०वी० स्टुडियो कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार में इस समय एक अल्प शक्ति (100 वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं । इस ट्रांसमीटर की रेन्ज लगभग 25 किलोमीटर है जिसमें किनारे के वे क्षेत्र भी आ जाते हैं जहां संतोषजनक तस्वीर और आवाज प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने की जरूरत पड़ती है ।

(ख) से (घ) इस समय सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । उत्तर बंगाल के अधिकांश भाग और अलीपुरद्वार को कुर्सियांग के उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर से सेवा प्राप्त होती है ।

(ङ) इस समय अलीपुरद्वार में पूर्णरूप से सुसज्जित टी०वी० केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

[हिन्दी]

गुजरात के जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज

8853. **श्री रतिलाल वर्मा**
श्रीमती भावना चिखलिया
श्री हरिसिंह चावड़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 के दौरान गुजरात में जूनागढ़ और सूरत जिलों में कुल कितने और किन-किन स्थानों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए; और

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान, सरकार का किन-किन जिलों में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू) : (क) वर्ष 1990-91 के दौरान जूनागढ़ जिले में केसोद, अडवाना और गीर माधवपुर में तीन टेलीफोन एक्सचेंज तथा सूरत जिले में गोधावाडी और तारकेश्वर में दो टेलीफोन एक्सचेंज संस्थापित किए गए ।

(ख) सरकार का वर्ष 1992-93 के दौरान जिन जिलों में नए टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है उनके नाम नीचे दिए गए हैं :—

महेसाणा
सूरत
जूनागढ़
गोधरा
भडूच
हिम्मतनगर
राजकोट
पालनपुर
सुरेन्द्रनगर
जामनगर
बड़ोदा
खेड़ा
वालसाड़

उड़ीसा के पिछड़े और आदिवासी जिलों में विद्युत संयंत्र

8854. **श्री मृत्युंजय नायक :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के प्रत्येक पिछड़े और आदिवासी जिले में पूरी हो चुकी, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित लघु और बड़ी विद्युत परियोजनाओं की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) निर्माणाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

बरौनी ताप बिजली घर

8855. **श्री साइमन मरांडी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी ताप बिजली घर की अधिकतर विद्युत परियोजनाएँ जनवरी, 1991 से बन्द पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो बिहार के विद्युत संकट को हल करने हेतु इन विद्युत परियोजनाओं को पुन: चालू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं या उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) बरौनी ताप विद्युत केन्द्र की कुल 310 मे०वा० क्षमता की चार यूनिटों में से दो यूनिटें दीर्घकालिक कामबन्दी पर है—एक दिसम्बर, 1986 से एच०पी० रोटर ब्लेडों की विफलता के कारण तथा दूसरी 27-12-1991 से स्विच गियर प्रणाली विफलता के कारण बन्द हैं।

(ख) यूनिटों को पुन: चालित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण सम्पुरित किए जाने वाले कार्यों का नियमित रूप से प्रबोधन कर रहा है तथा यूनिटों के शीघ्र सुधार हेतु भेल, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के साथ विचार-विमर्श किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

आठवीं पंचवर्षीय योजना में बिहार में विद्युत परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय सहायता

8856. **श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव**
श्री हरि किशोर सिंह
श्री राम विलास पासवान : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में विद्युत परियोजनाओं में केन्द्रीय पूंजी निवेश का प्रगामी प्रतिशत क्या है;

(ख) बिहार राज्य में देश के उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्रों की तुलना में यदि कम पूंजी निवेश हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूंजी निवेश के मामले में विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित क्षमता बनाने के उद्देश्य में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने में कहां तक सफल रहा है और निरन्तर असंतुलन बने रहने के क्या कारण हैं तथा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

8857. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के कोटा जिले में स्थित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्र कब से कार्य कर रहे हैं;

(ख) इन केन्द्रों की क्षमता तथा रेंज कितनी है;

(ग) क्या कोटा जिले में स्थित आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की क्षमता में आरंभ से अब तक कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन केन्द्रों की क्षमता में कब से बढ़ोत्तरी की जाने की सम्भावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरजा व्यास) : (क) कोटा में एक स्थानीय आकाशवाणी केन्द्र जनवरी 1987 से और एक अल्प शक्ति टी०वी० ट्रांसमीटर जुलाई 1984 से काम कर रहा है ।

(ख) जहां आकाशवाणी केन्द्र की क्षमता 1 किलोवाट मीडियम वेव की है और उसके द्वारा कोटा के 30 किलोमीटर के घेरे में प्राथमिक ग्रेड की दिन के समय कवरेज प्रदान की जाती है, वहां 100 वाट के टी०वी० ट्रांसमीटर का सेवा क्षेत्र लगभग 25 किलोमीटर का है जिसमें किनारे के क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां संतोषजनक आवाज और तस्वीर प्राप्त करने के लिए ऊंचे एंटीना और बूस्टर लगाने की जरूरत होती है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (ङ) जहां तक रेडियो सेवा का संबंध है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ करार के अनुसार आकाशवाणी, कोटा को दिन और रात के संचालन के लिए एक किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की अधिकतम शक्ति एलाट की गई है और इस स्थिति में इसे और बढ़ाने की कोई गुंजाइश नहीं है ।

यद्यपि कोटा के टी०वी० ट्रांसमीटर वर्तमान टी०वी० ट्रांसमीटर की क्षमता को बढ़ाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन बूंदी में लगाये जाने वाले उच्च शक्ति (10 किलो वाट) टी०वी० ट्रांसमीटर के चालू हो जाने से इस जिले में टी०वी० सर्विस में काफी सुधार हो जाएगा ।

पवन चक्की और सौर ऊर्जा

8858. **श्रीमती गिरजा देवी** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत के साधन पवन चक्की और सौर ऊर्जा सस्ते और देश में आसानी से उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों पर अधिक लागत से विद्युत तैयार किए जाने के क्या कारण हैं जहां पर विद्युत इन पवन चक्कियां और सौर ऊर्जा से आसानी से उपलब्ध हो जाती है;

(ग) क्या सरकार का ऐसे स्थानों पर विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के विकास को बढ़ावा देने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) फिलहाल परम्परागत ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा प्रणालियों से विद्युत का उत्पादन सामान्यतया महंगा पड़ता है । तथापि सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां दूर-दराज और बिना बिजली वाले स्थानों की छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी मानी जाती हैं ।

पवन ऊर्जा प्रणाली से विद्युत उत्पादन की लागत स्थान-विशेष, पवन व्यवस्था, पवन विद्युत जनित्रों के प्रकार और आकार, ग्रिड स्थिति और परियोजना के पैमाने पर निर्भर करती है । उत्पादन की औसत लागत 2.00 रुपये-2.25 रुपये प्रति कि० वा० घं० (यूनिट) है । कोयला क्षेत्रों से दूर स्थित नए 210/250 मे० वा० के तापीय संयंत्र के लिए औसत लागत 1.70 रुपये-1.90 रुपये प्रति कि० वा० घं० (यूनिट) आती है और 0.5/1.0 मे० वा० डिजल विद्युत संयंत्रों से उत्पादन की लागत 1.80 रुपये-1.90 रुपये प्रति कि० वा० घं० (यूनिट) आती है, तथापि निवेशों की लागत में वृद्धि के कारण तापीय संयंत्रों और डिजल सेटों से उत्पादन की लागत बढ़ती जा रही है । पवन विद्युत के मामले में उपकरणों के सम्पूर्ण जीवन के दौरान निवेशों में कोई ऐसी वृद्धि नहीं होती । पवन विद्युत उत्पादन के अन्य लाभों में प्रमापीयता, शीघ्र क्षमता संयोजन करने में सक्षम छोटी अवधि की परिपक्वता अवधि, पर्यावरणीय दृष्टि से हितकर, प्रदूषण नियंत्रण के लिए अतिरिक्त लागत की जरूरत नहीं पड़ती है जैसा कि परम्परागत विद्युत परियोजनाओं के लिए करना होता है । पवन विद्युत का एक दोष यह है कि इसमें विद्युत के उत्पादन में निरन्तरता नहीं बनी रहती और यह पवन की उपलब्धता पर निर्भर करती है जब कि तापीय अथवा जल विद्युत संयंत्र में विद्युत की उपलब्धता निरन्तर बनी रहती है । इसी प्रकार सौर ऊर्जा से विद्युत का उत्पादन निरन्तर नहीं हो पाता है क्योंकि चौबीसों घंटे धूप उपलब्ध नहीं हो पाती ।

(ग) और (घ) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए विकेन्द्रीकृत और साथ ही केन्द्रीकृत अनुप्रयोगों/उत्पादन के लिए उपयुक्त स्थानों पर विद्युत उत्पादन हेतु सौर और पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए एक प्रदर्शन/प्रचार-प्रसार कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है । लघु प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र लगभग 80 गांवों में लगाए गए हैं । इसके अलावा दूर-संचार विभाग और रेलवे जैसे संगठनों ने बड़े पैमाने पर और वाणिज्यिक आधार पर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है । 2 प्रायोगिक सौर तापीय विद्युत संयंत्र अनुसंधान और विकास उद्देश्यों के लिए लगाए गए हैं । पवन फार्म प्रदर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 40 मे० वा० की कुल क्षमता सृजित की गई है । पवन और सौर ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों को और अधिक लागत प्रतियोगी बनाने के लिए उनके विकास और उनके संशोधन करने के अलावा पवन और सौर ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए प्रयत्न जारी हैं ।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा कार्यक्रम

8859. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का देश में सौर ऊर्जा कार्यक्रम का बड़े पैमाने पर वाणिज्यीकरण शुरू करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान तथा विकास, प्रदर्शन और विस्तार के सम्बन्ध में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों को चला रहा है । इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत, जल तापन, विलवणीकरण, कुकरों, प्रकाश व्यवस्था, सामुदायिक टेलीविजन, जल पम्पन, बैटरी चार्जिंग और लघु विद्युत संयंत्रों जैसी भारी संख्या में प्रणालियां/युक्तियां लगाई जा रही हैं । इन प्रणालियों का विनिर्माण देश में किया जा रहा है और दूर-संचार तथा रेलवे जैसे कुछ संगठन और साथ ही कुछ वाणिज्यिक संस्थान सौर प्रणालियों का वाणिज्यिक आधार पर पहले ही प्रयोग कर रहे हैं ।

सौर ऊर्जा प्रणालियों पर बढ़ा हुआ मूल्यन्हास, उत्पाद-शुल्क तथा बिक्री कर पर छूट, आसान शर्तों पर ऋण और आर्थिक सहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं । इन उपायों के परिणामस्वरूप उत्पादन में वृद्धि तथा वाणिज्यीकरण होने की आशा है ।

पर्यटक गाइडों, पर्यटक कारों, होटलों तथा दुकानों के लिए परमिट जारी करना

8860. प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पर्यटक गाइडों, पर्यटक कारों, होटलों तथा दुकानों के लिए परमिट जारी करती है; और

(ख) यदि हां, तो जून, 1989 से जून, 1991 तक की अवधि के दौरान उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी में कितने परमिट स्वीकृत किये गए ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) पर्यटक गाइडों, पर्यटक कारों, होटलों और दुकानों को परमिट जारी करने की पर्यटन विभाग की कोई स्कीम नहीं है । तथापि, निम्नलिखित स्कीमें है :—

(1) यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा परिचालकों और पर्यटक परिवहन परिचालकों को मान्यता प्रदान करना ।

(2) परियोजना स्तर पर होटलों का अनुमोदन और चालू होटलों का वर्गीकरण ।

(3) पर्यटक गाइडों को प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर पहचान पत्र जारी करना ।

बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में पर्यटन विकास

8861. श्री गंगाधरा सानीपल्ली : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगाल की खाड़ी सिन्धुसागर और हिन्दमहासागर में कितने भारतीय द्वीप हैं;

(ख) नवीनतम जनगणना के अनुसार इन सभी द्वीपों में कुल कितने लोग रहते हैं;

(ग) कितने द्वीपों में डाक, शैक्षणिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

(घ) इन सभी द्वीपों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारतीय क्षेत्राधिकार में बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा लक्षद्वीप सागर में 1197 द्वीप हैं जिनमे लघु द्वीप, समुद्री चट्टानें और इक्की-दुक्की चट्टानें सम्मिलित हैं ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) अंडमान और निकोबार प्रशासन तथा लक्षद्वीप प्रशासन के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बसे हुए सभी 48 द्वीपों में डाक, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) पर्यटन विभाग की स्कीम में अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप-समूह के दोनों प्रशासनों को वित्तीय सहायता देना सम्मिलित है ताकि पर्यटन संबंधी आधार-भूत सुविधाओं में वृद्धि करके सुदृढ़ किया जा सके तथा चुनिंदा विदेशी बाज़ारों में विपणन और प्रचार किया जा सके।

मद्रास आने वाले विदेशी पर्यटक

8862. श्री पी॰ जी॰ नारायणन : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष के दौरान विमान से मद्रास आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में 13.19 प्रतिशत की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की तुलना में दिसम्बर, 1991 तक मद्रास आ चुके पर्यटकों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या विदेशी पर्यटकों को सभी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) वर्ष 1990 और 1991 के दौरान मद्रास एअरपोर्ट पर उतरे विदेशी पर्यटकों में क्रमशः 9.3 और 12.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बर्लिन पर्यटक मेला

8863. प्रो॰ सुमनलाल अंसारी
श्रीमती गीता मुखर्जी } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्लिन में आयोजित पर्यटक मेले में भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस मेले में भाग लेने हेतु कुल कितने व्यक्तियों को भेजा था; और

(ग) इस मेले में भेजने के लिए व्यक्तियों का चयन किस आधार पर किया गया था ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन बाजार (इंटरनेशनल टूरिज्म बुअर्स) प्रतिवर्ष बर्लिन में आयोजित किया जाता है और यह विश्व में सबसे बड़ा पर्यटन मेला है। इस प्रकार यह पर्यटन संबंधी कारोबार को बढ़ाने और उसे चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। होटल और यात्रा उद्योग के सदस्यों और कुछ राज्य सरकारों के

प्रतिनिधियों से मिलकर बने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पर्यटन मंत्रालय द्वारा तैनात मात्र एक अधिकारी महानिदेशक (पर्यटन) ने किया था।

केरल में डिजिटल पारेषण नेटवर्क

8864. **श्री के० मुरलीधरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का केरल में जिला मुख्यालयों को राष्ट्रीय डिजिटल ट्रांसमिशन नेटवर्क के अंतर्गत लाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ जिला मुख्यालयों के लिये यह कार्य पहले ही किया जा चुका है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष जिला मुख्यालयों में यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में ब्यौरा इस प्रकार से है :—

त्रिवेन्द्रम राज्य की राजधानी और क्विलोन का जिला मुख्यालय कोट्टायम, एर्नाकुलम, त्रिचुर, पालघाट, इडुक्की, पथनमथिट्टा और कन्नौर में डिजिटल संचारण माध्यम पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शेष जिला मुख्यालयों नामत: अलेप्पी, कालीकट, मल्लपुरम, कलपेटा और कसारगोड को डिजिटल संचारण माध्यम से जोड़ दिया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश मंडल में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8865. **डॉ० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1991 को उनके मंत्रालय में विशेषत: आन्ध्र प्रदेश मंडल में विभिन्न श्रेणियों के समूह-वार कुल कितने कर्मचारी हैं; और

(ख) प्रत्येक समूह में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने कर्मचारी हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम और भारत एल्यूमिनियम कम्पनी के नाम बकाया राशि

8866. **श्री नारायणभाई जमलाभाई राठवा** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार और राज्य बिजली बोर्ड तथा गुजरात सरकार और राज्य बिजली बोर्ड की कितनी राशि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के नाम बकाया पड़ी है;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा अत्यधिक विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कब तक बकाया राशि का भुगतान कर दिए जाने की सम्भावना है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा मध्य प्रदेश तथा गुजरात राज्यों/राज्य बिजली बोर्डों को कोई भी देय राशि बकाया नहीं है । इसके विपरीत, मध्य प्रदेश तथा गुजरात के राज्य बिजली बोर्डों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को उन्हें सम्भारित विद्युत के लिए 31 मार्च, 1992 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित राशियों का भुगतान करना है :—

राज्य विद्युत बोर्ड का नाम	देय राशि (करोड़ रु०)	अधिभार (करोड़ रुपये)	कुल (करोड़ रुपये)
मध्य प्रदेश	208.97	102.43	311.40
गुजरात	50.87	29.47	80.34

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

[अनुवाद]

पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार सृजन की क्षमता

8867 श्री आर्ज फर्नान्डीज : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन के क्षेत्र में रोजगार के सृजन की प्रचुर क्षमता विद्यमान है; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार इन क्षमताओं का पूरी तरह उपयोग करने के लिए आधारभूत सुविधाओं में सुधार लाकर, पर्यटन उत्पादों में विविधता लाकर और पर्यटन आकर्षणों का प्रचार करके पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने की दिशा में प्रयत्नशील है ।

बंगलौर में ए-320 एयर बस दुर्घटना के संबंध में जांच

8868. श्री भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1990 में बंगलौर में ए-320 एयर बस दुर्घटना के संबंध में की गई जांच में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : जांच न्यायालय की रिपोर्ट और उस पर सरकार के निर्णय 10-1-1991 को सदन के पटल पर रख दिये गए हैं ।

[हिन्दी]

क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम की परियोजना

8869. श्री जगमीत सिंह बराड़ : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी क्षेत्रीय बिजली ग्रिडों को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना आरम्भ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्तावित परियोजना के कार्यान्वयन पर कितना अनुमानित व्यय होगा;

(ग) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप देश में विद्युत पारेषण के कारण होने वाली क्षति को भी कम किए जाने का अनुमान है; और

(घ) यदि हां तो इसे किस सीमा तक कम किए जाने की सम्भावना है और इसके परिणामस्वरूप विद्युत क्षेत्र को कुल कितना लाभ होने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय विद्युत पारेषण निगम (एन० पी० टी० सी०) 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नवत एच० वी० डी० सी० बैक टू बैक अन्तःक्षेत्रीय लिंकों का निर्माण करेगा :

(1)	चन्द्रपुर	—	रामागुण्डम
(2)	जयपोर	—	गजुवाका
(3)	मऊ	—	बिहार शरीफ

इन लिंकों के क्रियान्वयन के लिए व्यय की राशि 17.50 करोड़ रुपए होगी ।

इन अन्तःक्षेत्रीय लिंकों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास किया जाना है । प्रणाली के इष्टतम प्रचालन से विद्युत पारेषण में किसी सीमा तक हानि की मात्रा को परोक्ष रूप से कम करने का लाभ प्राप्त होगा । तथापि मुद्रा के रूप में इसकी मात्रा को पता कर पाना संभव नहीं है ।

महाराष्ट्र की लम्बित विद्युत परियोजनायें

8870. **श्री विलास मुत्तेमवार**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत
श्री अन्ना जोशी
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार

: क्या **विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा** स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान विद्युत उत्पादन और इसकी खपत कितनी है और विद्युत की कमी को पूरा करने हेतु क्या उपाय किए गए हैं ;

(ख) स्वीकृति हेतु लम्बित विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं, उनकी उत्पादन क्षमता अनुमानित लागत कितनी है तथा ये कब से लम्बित हैं; और

(ग) प्रत्येक परियोजना को स्वीकृति प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) अप्रैल, 91—मार्च, 92 की अवधि के दौरान महाराष्ट्र में ऊर्जा की आवश्यकता 42070 मिलियन यूनिट थी, इसकी अपेक्षा 40166 मिलियन यूनिट ऊर्जा उपलब्ध थी । महाराष्ट्र में विद्युत की उपलब्धता में सुधार किए जाने के

लिए किए गए विभिन्न उपायों में विद्यमान विद्युत केन्द्रों से इष्टतम विद्युत उत्पादन करना, विद्युत उत्पादन केन्द्रों में नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करना, पारेषण एवं वितरण सम्बन्धी हानियों की मात्रा को कम करना, प्रभावी भार प्रबन्ध तथा ऊर्जा संरक्षण आदि की व्यवस्था करना शामिल है। प्रणालीगत परिस्थितियों के अनुसार जब कभी भी सम्भव होता है तो पड़ोसी प्रणालियों से विद्युत के अन्तरण द्वारा भी महाराष्ट्र को सहायता की जाती है।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र की भिन्न ताप विद्युत तथा जल विद्युत स्कीमें अन्य सम्बन्धित एजेंसियों के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में की जा रही जाँच के विभिन्न चरणों में है :—

1. ताप विद्युत

क्र०सं०	स्कीम का नाम तथा क्षमता	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	पी०आर०एम०के०वि० प्राधिकरण को प्राप्त होने की तारीख
1.	पारली "ग" ताप विद्युत केन्द्र यूनिट 6 और 7—2×210 मे० वा०	460.80	14-3-86
2.	दभोल जी०टी०सी०सी० ताप विद्युत केन्द्र 760 मेगावाट	569.18	13-3-89
3.	नगोथने जी०टी०सी०सी० ताप विद्युत केन्द्र 820 मेगावाट	950.00	6-9-90
4.	खापरखेड़ा ताप विद्युत केन्द्र विस्तार 2×250 मे० वा० यूनिट 3 व 4 (निजी क्षेत्र)	1030.75	27-11-91

2. जल विद्युत

	स्कीम का नाम	क्षमता (मे० वा०)	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये)	के० वि० प्राधिकरण में प्राप्त होने/स्वीकृति प्रदान करने की तारीख
1.	घाटघर पम्पड स्टोरेज स्कीम	2×125	191.16	के० वि० प्राधिकरण द्वारा 9-3-81 को स्वीकृति प्रदान की गई।
2.	भीवपुरा पम्पड स्टोरेज स्कीम	1×90	89.87	के० वि० प्राधिकरण द्वारा मई, 1991 में स्वीकृति प्रदान की गई।
3.	पिम्पलगाँव जुगे पम्पड स्टोरेज स्कीम	2×300	438.41	के० वि० प्राधिकरण में जनवरी, 91 में प्राप्त हुई।

विद्युत परियोजनाओं को तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत करने में विलम्ब होने के कारणों में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/यूटिलिटियों द्वारा भेजी गई परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्टों में, विभिन्न निदेशों के० वि० प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने हेतु अपेक्षित स्वीकृतियों का समावेश न किया जाना

शामिल है। इसके अतिरिक्त, तकनीकी-स्वीकृति तथा निवेश सम्बन्धी अनुमोदन विभिन्न घटकों पर निर्भर करता है इनमें परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त हुई परियोजना रिपोर्ट की व्यापकता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और/अथवा केन्द्रीय जल आयोग द्वारा की गई विभिन्न टिप्पणियों/प्रेक्षणों के उत्तर देने में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा लिया गया समय, विभिन्न निवेशों की उपलब्धता तथा ईंधन उपलब्धता, कोयले की ढुलाई, गैस, बन्दरगाह सम्बन्धी सुविधाएं, जल की उपलब्धता, पर्यावरण एवं वन सम्बन्धी दृष्टि से स्वीकृति, निधियों सम्बन्धी बाधाएं आदि जैसी स्वीकृतियां शामिल हैं। सरकार विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित किए जाने के लिए अपने भरसक प्रयास करती है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/विद्युत यूटिलिटीज को विद्युत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता रिपोर्टें तैयार करने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

आगरा में दूरदर्शन स्टूडियो

8871. **श्री भगवान शंकर रावत :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगरा, जो अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन केन्द्र है, में दूरदर्शन स्टूडियो स्थापित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) देश में, दूरदर्शन स्टुडियो केन्द्रों की स्थापना के लिए दूरदर्शन की चल रही परियोजनाओं के पूरे होने पर, उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्रों की संख्या वर्तमान में 2 से बढ़कर 4 हो जायेगी। अतः फिलहाल राज्य में एक अतिरिक्त कार्यक्रम निर्माण केन्द्र की स्थापना आवश्यक नहीं समझी जाती है।

[अनुवाद]

जबलपुर में हवाई पट्टी का उन्नयन

8872. **श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जबलपुर में वर्तमान हवाई पट्टी का उन्नयन करके उसे पूर्ण हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भूमि उपलब्ध होने और निधियों की व्यवस्था होने पर, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की वर्तमान धावनपथ को 6500 फुट तक बढ़ाने की योजना है ताकि यह बी-737 विमानों के लिये उपयुक्त हो सके।

इस्पात संयंत्रों का पर्यावरण प्रबन्ध

8873. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण के इस्पात संयंत्रों का पर्यावरण प्रबन्ध पर्याप्त और अनुकूल हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाये जाने हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड अपने विभिन्न इस्पात संयंत्रों को पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति देने से पूर्व उनके लिए विभिन्न पर्यावरण संबंधी सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करता है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की पर्यावरण प्रबन्ध योजनाएं सामान्यत: पर्याप्त हैं । तथापि विगत में किए गए पर्यावरण प्रबन्धन उपायों के गहन मूल्यांकन से पता चलता है कि किए गए प्रावधान मुख्यत: प्रचालनोमुख थे जिसके परिणामस्वरूप कतिपय असंतुलन हुआ । इसलिए सेल की पर्यावरण संबंधी कार्यनीति दूषित पानी के निकलने के स्तर को शून्य करना और धूल कर्षण और निष्कर्षन पद्धति की स्थापना करना ताकि उत्सर्जन को कम किया जा सके, शोर को कम करना, ठोस अपशिष्ट को उपोत्पाद में बदलना तथा संयंत्रों में बनने वाले ठोस अपशिष्टों का अधिकतम पुन: आवर्तन/पुन: उपयोग करने की है ।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस्पात संयंत्र पर्यावरण संबंधी अपेक्षित सुरक्षा उपाय कर रहे हैं, के लिए निम्नलिखित प्रमुख कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है :

(i) प्रमुख संयंत्रों और खानों के लिए बृहत पर्यावरण संबंधी अध्ययन करना ।

(ii) प्रदूषण को कम करने/नियंत्रित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना/शीघ्र कार्यान्वित करना ।

(iii) "स्टेट आफ दी आर्ट" प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं सहित संयंत्रों का प्रौद्योगिकीय उन्नयन/आधुनिकीकरण ।

(iv) पर्यावरण प्रबंधन संबंधी कार्यकलापों को समन्वित करने के लिए निगमित स्तर पर केन्द्रीय पर्यावरण प्रबंधन प्रभाग और संयंत्र स्तर पर स्वतंत्र विभाग का गठन करना, और

(v) पर्यावरण प्रबंधन आदि में कार्मिको को विस्तृत प्रशिक्षण देना ।

इसके अतिरिक्त पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है ।

भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में मुफ्त आवास, सेवा आदि की सुविधा देना

8874. **श्री धर्मभिक्षम** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पर्यटन विकास निगम के होटलों में कुछ व्यक्ति विशेषों को मुफ्त ठहरने सेवा और मनोरंजन की सुविधा प्रदान की जाती है :

11—20 LSS/ND/93

(ख) यदि हां, तो इन सुविधाओं के लिए क्या मानदंड निर्धारित किये गए हैं और उक्त होटलों में इन सुविधाओं की अनुमति देने के लिये कौन सक्षम अधिकारी है;

(ग) क्या इस सुविधा के दुरूपयोग को रोकने का प्रयास किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) भारत पर्यटन विकास निगम प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार निगम के कार्यपालक प्रमुखों/प्रभागाध्यक्षों/एकक प्रमुखों को भारत पर्यटन विकास निगम एककों/निगम के बाहर के व्यक्तियों को, जिनका भारत पर्यटन विकास निगम से कोई व्यापारिक/सरकारी संबंध हैं मानार्थ सुविधाएं देने का अधिकार है।

(ग) और (घ) केवल एकक प्रमुखों/भारत पर्यटन विकास निगम के वरिष्ठ कार्यपालकों को सुविधाएं देने के सीमीत अधिकार से इस अधिकार के दुरूपयोग पर लगाए गए नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।

शालीमार बाग, दिल्ली में वातानुकूलकों का प्रयोग

8875. **श्री डा० सी० सिलवेरा :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत कई वर्षों से क्रमशः पाकेट यू० और वी० शालीमार बाग लारेन्स रोड के पाकेट बी-3 और अशोक विहार के फेज-1 के क्षेत्रों में भारी संख्या में वातानुकूलक पूर्वानुमति बिना अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन का विचार बिजली के अनधिकृत उपभोक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार शालीमार में पाकेट यू० एवं वी०, लारेंस रोड की बी-3 पाकेट तथा फेज-1 अशोक विहार समेत दिल्ली में कुछ उपभोक्ता घरेलू प्रयोजनों के लिए स्वीकृत भार के अन्तर्गत ही एयर कंडीशनरों का प्रयोग कर रहे हैं। केवल कुछ छूट प्राप्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं को छोड़कर दिल्ली विद्युत नियंत्रण आदेश 1959 के अन्तर्गत प्रतिबंधित व्यस्ततमकालीन घंटों (सांय 6.30 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक) के दौरान दिल्ली प्रशासन की वैध अनुमति रखने के बावजूद भी उपभोक्ताओं के लिए एयर कंडीशनरों के प्रयोग की अनुज्ञा नहीं है। इस प्रावधान का अधिलंघन करने की स्थिति में 48 दिनों का नोटिस देने के बाद प्रथम बार में 4 दिन की अवधि के लिए तथा अनुवर्ती प्रत्येक अधिलंघन पर 7-7 दिन की अवधि के लिए सप्लाई काटी जा सकती है। विद्युत संकट की अवधियों के दौरान दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा प्रायः इस सम्बन्ध में अचानक छापे भी मारे जाते हैं। समय-समय पर दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा विद्युत की चोरी/दुरूपयोग तथा अनधिकृत कनेक्शनों के विरुद्ध छापे मारे जाते हैं।

नदी जल के बंटवारे पर भारत-बंगला देश वार्ता

8876. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और बंगला देश के बीच नदी जल बंटवारे संबंधी विवाद का समाधान करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में कोई मंत्री स्तरीय वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या बैठक में पश्चिम बंगाल सरकार से किसी प्रतिनिधि को बुलाया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) बंगला देश के कृषि, सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण और जल विकास मंत्री ने 21-22 अप्रैल, 1992 को भारत के जल संसाधान मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया । भारत ने एकीकृत तरीके से व्यापक आधार पर नदियों के जल के बंटवारे का सुझाव दिया । इस पर और विचार-विमर्श उन तारीखों को किया जायेगा जो भारत और बंगला देश को आपस में सुविधाजनक हों ।

(ग) और (घ) जी नहीं । जल के बंटवारे पर कोई विस्तृत विचार-विमर्श करने की परिकल्पना नहीं की गयी थी ।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराना

8877. **श्री राजवीर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92 के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गई : और

(ख) उन ग्राम पंचायतों का ब्यौरा क्या है जिनमें 1992-93 के दौरान यह सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) 2725 ।

(ख) वर्ष 92-93 के दौरान 6000 ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा प्रदान कराने की योजना है ।

दूरसंचार सलाहकार समितियों को निलंबित किया जाना

8878. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण देश में दूरसंचार सलाहकार समितियों को निलंबित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है : और

(ग) यदि नहीं, तो किन कारणों से ये समितियां कार्य नहीं कर रही है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) से (ग) मार्च 1991 के दौरान पहले से गठित 51 दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों पर कारवाई 28-6-1991 को मुल्तवी कर दी थी क्योंकि इनके गठन की प्रक्रिया पर पुनर्विचार किया जा रहा था । इन 51 समितियों में से 20 की पुनरीक्षा की गई और उनका पुनर्गठन किया गया, शेष 31 समितियों की पुनरीक्षा की जा रही है ।

विभाग में, दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों की कुल संख्या 120 है । आज तक 39 दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों का गठन किया जा चुका है इनमें 20 टी० ए० सी० भी शामिल हैं जिन्हें उपरोक्तानुसार पुनर्गठित किया गया है । शेष टी० ए० सी० अभी बनाई जा रही है ।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र के लिए एशियाई विकास बैंक से ऋण

8879. श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री श्रवण कुमार पटेल } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने भारत की सी० ई० एस० सी० लिमिटेड के लिए 500 मेगावाट की एक विद्युत शक्ति विस्तार परियोजना हेतु 32 मिलियन डालर का दूसरा ऋण मंजूर किया है ;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक ने इस परियोजना के लिए 250 मिलियन डालर का ऋण मंजूर किया है ; और

(ग) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं तथा परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एशियाई विकास बैंक (ए० डी० बी०) ने कार्यक्षम (सेक्टर) विद्युत परियोजना हेतु विद्युत वित्त निगम को 250 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण का अनुमोदन कर दिया है । इस ऋण का सम्प्रुपयोजन, विद्युत वित्त निगम द्वारा चुनिंदा विद्युत यूटिलिटीज़ की विशिष्ट विद्युत क्षेत्र क्षमता सुधार परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जायेगा । 5 वर्ष की छूट की अवधि समेत ऋण की अवधि 25 वर्ष होगी तथा ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार ए० डी० बी० सामान्य ऋण नियमों के अनुसार होंगे ।

विद्युत उत्पादन

8880. श्री सैयद शाहाबुद्दीन
कुमारी उमा भारती } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को विद्युत उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता कितनी थी ;

(ख) निजी और सरकारी क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ;

(ग) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को कुल कितनी क्षमता जुटाई गई ;

(घ) 1991-92 के दौरान कितनी अतिरिक्त क्षमता का उपयोग किया गया है ; और

(ङ) 1 अप्रैल, 1991 और 1 अप्रैल, 1992 को कितनी क्षमता का उपयोग किया गया ?

विद्युत एवं अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ङ) अपेक्षित ब्यौरा निम्नवत है :—

	1 अप्रैल, 1991	1 अप्रैल, 1992 (अनन्तिम)
1 अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)		
राज्य क्षेत्र	46598	48113
निजी क्षेत्र	2714	2847.5
केन्द्रीय क्षेत्र	16772	18109.5
अखिल भारत	66084	69070
2. क्षमता अभिवृद्धि (मे० वा०)	1990-91	1991-92
लक्ष्य	4212.0	3810.8
वास्तविक उपलब्धि	2776.5	3026.5
3. संयंत्र भार अनुपात (%)	1990-91	1991-92
वास्तविक उपलब्धि	53.8	55.3

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में विद्युत संयंत्र

8881. डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्वालियर जिले के निकट मांदेर में विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) यह संयंत्र कब तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) गांव बडेरा हवेली, ग्वालियर जिला, मध्य प्रदेश में 817 मेगावाट (4 × 131.3 मे० वा० जीटी + 2 × 146 मेगावाट एस टी) की संयुक्त साइकिल विद्युत परियोजना अधिष्ठापित किए जाने के बारे में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड (एम० पी० ई० बी०) से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान किए जाने के लिए परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट प्राप्त हुई है । परियोजना की अनुमानित लागत 838 करोड़ रुपये है । तथापि, प्रस्तावित केन्द्र के बारे में राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, जल संसाधन विभाग तथा मध्य प्रदेश सरकार के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने स्वीकृति प्राप्त कर ली है उन्होंने आवश्यक निवेश-ईंधन लिंकेज, सम्बद्ध पारेषण प्रणाली, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना आदि सुनिश्चित नहीं किए हैं और पर्यावरण की दृष्टि से केन्द्रीय प्राधिकारियों की स्वीकृति भी प्राप्त नहीं की है । स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किए जाने की स्थिति में नहीं है । समग्र अपेक्षित निवेश

सुनिश्चित किए जाने और मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा अपेक्षित स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात ही केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्कीम को स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी।

एअर इंडिया के बेड़े को सुदृढ़ करना

8882. **श्री नवल किशोर राय :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान एअर इंडिया ने कितना लाभ कमाया :

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 में एअर इंडिया के बेड़े में कुछ और एअर बसें शामिल करने का है : और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) एअर इंडिया को वर्ष 1991-92 के दौरान लगभग 120 करोड़ रुपये का निवल लाभ होने की आशा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

वाटर हायेसिंथ से बायोगैस का उत्पादन

8883. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वाटर हायेसिंथ और नालों, टैंकों, नहरों इत्यादि में पैदा होने वाली अन्य वनस्पतियों से बायोगैस का उत्पादन करने के संबंध में कोई परीक्षण कराया है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है: और

(ग) इस संबंध में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 से 1991-92 की अवधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ जलकुम्भी और अन्य जलीय खरपतवार जैसे सालवीनिया से बायोगैस के उत्पादन के बारे में कुल 9 अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की गई। बंबई, जोरहाट, हैदराबाद, पुणे, सांगली और वल्लभ विद्यानगर में प्रयोगिक उद्देश्यों के लिए जलकुम्भी पर आधारित प्रायोगिक संयंत्र लगाए गए हैं। जलकुम्भी तथा नहरों, झीलों, तालाबों आदि में उगने वाली ऐसी ही वनस्पतियों पर आधारित बायोगैस संयंत्रों के उपयुक्त डिजाइनों के विकास के लिए आगे और कार्य क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट असम में प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

हिन्दी अनुवादकों को लाभ

8884. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग के ग्रेड-III हिंदी अनुवादकों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित राजभाषा

नियमों के अंतर्गत लाभ मिल रहा है: और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त असमानताओं को कब तक दूर कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी॰ वी॰ रंगय्या नायडू): (क) और (ख) राजभाषा नियमों में हिन्दी अनुवादकों को किसी प्रकार के लाभ प्रदान करने का निर्देश नहीं है, इसमें दूरसंचार विभाग के ग्रेड—III हिन्दी अनुवादक भी शामिल हैं ।

[अनुवाद]

राजकोट से दिल्ली के लिए विमान सेवा

8885. **श्रीमती भावना चिखलिया**
श्री चन्द्रेश पटेल } : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार राजकोट से दिल्ली के लिए उदयपुर और हैदराबाद होकर विमान सेवा पुन: शुरू करने का है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) अपर्याप्त यातायात मांग के कारण, इंडियन एयरलाइंस के लिए इस समय राजकोट से दिल्ली के लिए सेवा पुन: आरंभ करना व्यवहार्य नहीं है ।

ग्रामीण विद्युतीकरण योजनायें

8886. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा)**: क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 31 मार्च, 1992 तक ग्रामीण विद्युतीकरण की कुल कितनी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी:

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा 31 मार्च, 1992 तक ग्रामीण विद्युतीकरण की कितनी योजनाओं को बन्द कर दिया गया था :

(ग) ऐसी कितनी योजनायें हैं जिन्होंने अपनी समयावधि पूरी कर ली है लेकिन 31 मार्च, 1992 तक बन्द नहीं की गई हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की योजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की गई ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31-3-92 के अन्त तक ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा स्वीकृत स्कीमों की कुल संख्या 24.399 थी ।

(ख) राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर, 31-3-92 की स्थिति के अनुसार, ग्राम विद्युतीकरण निगम (आर० ई० सी०) द्वारा 12,320 स्कीमों को (कुछ मामलों में कुछ औपचारिकताएं पूरी किए जाने के अधीन) बन्द स्कीमें माना गया है ।

(ग) अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर, राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों द्वारा 2,407 स्कीमों को पूर्ण/बन्द स्कीमें माना गया है परन्तु 31-3-92 तक की स्थिति के अनुसार इन्हें औपचारिक रूप से बन्द नहीं किया गया है ।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा संवितरित निधियां निम्नानुसार हैं :—

	वर्ष	राशि (करोड़ रुपयों में)
1.	1989-90	724.06
2.	1990-91	709.09
3.	1991-92	223.51 (दिसम्बर, 1991 के अन्त तक)

टी० वी० धारावाहिकों के लिए मानदंड

8887. **श्री महेश कनोडिया :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में टी० वी० धारावाहिकों के लिए मानदण्डों में परिवर्तन किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें टी० वी० धारावाहिक निर्माताओं को कितनी मदद मिलने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) और (ख) जनवरी, 1992 में कमीशन्ड कार्यक्रमों के लिए जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मार्च, 1992 में संशोधित किया गया । संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें विवरण के रूप में संलग्न हैं ।

(ग) संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों से बाहरी निर्माताओं को बहुत लाभ मिलने की आशा है ।

विवरण

दूरदर्शन की कमीशन्ड कार्यक्रम स्कीम के संबंध में दिनांक 17 मार्च, 1992 के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें

1. कमीशन्ड कार्यक्रम अनिवार्य रूप से दूरदर्शन का कार्यक्रम होगा लेकिन दूरदर्शन द्वारा उसकी अवधारणा तथा अन्य अनिवार्य सीमाओं का अनुमोदन कर दिये जाने के बाद कार्यक्रम का वास्तविक निर्माण बाहरी निर्माता द्वारा किया जायेगा जिसे कार्यपालक निर्माता कहा जायेगा ।

2. कार्यपालक निर्माता द्वारा, दूरदर्शन के विचारार्थ सभी प्रकार से संपूर्ण प्रस्ताव भेजा जायेगा, जिसके साथ संबद्ध ब्यौरा और 2,000 रुपये का मांग ड्राफ़्ट होगा ।

3. स्कीम के परिचालन के प्रयोजन के लिए दूरदर्शन के द्वारा विख्यात निर्माताओं-निर्देशकों का उनके निरंतर अच्छे रिकार्ड के आधार पर पैनल बनाया जायेगा ।

4. इस पैनल में महानिदेशक के अनुमोदन से निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं :—

(क) माध्यम का विगत अनुभव.

(ख) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे : फिल्म और टेलीविजन संस्थान, मद्रास के डिप्लोमाधारी :

(ग) जामिया मिलिया के स्नातक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के डिप्लोमाधारी ।

5. किसी विषय विशेष पर प्राप्त प्रस्तावों पर मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जायेगा । मूल्यांकन समिति द्वारा उन कार्यक्रमों के बारे में विचार किया जाना जरूरी नहीं है जिनकी एक दो कड़ी हो और जिनकी अवधि 30 मिनट से अधिक न हो अथवा जो सामयिक विषयों के कार्यक्रम हों ।

6. मूल्यांकन समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(क) विषय विशेष से संबद्ध उप-महानिदेशक.

(ख) उप-महानिदेशक (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट).

(ग) 3 गैर-सरकारी विशेषज्ञ.

(घ) मुख्य निर्माता/उप मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट) समिति का संयोजक ।

7. मूल्यांकन समिति निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी :—

(क) कथा/विषय की दूरदर्शन की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रासंगिकता,

(ख) विषय का प्रतिपादन,

(ग) प्रसारण संहिता के प्रति अनुरूपता,

(घ) निदेशक, कार्यपालक निर्माता, तकनीकी दल का विगत रिकार्ड ।

8. मूल्यांकन समिति द्वारा कड़ियों की संख्या और धारावाहिक दूरदर्शन कार्यक्रमों के मामले में प्रत्येक कड़ी की अवधि का भी निर्णय लिया जायेगा ।

9. मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव लागत समिति के समक्ष रखे जाएंगे । लागत समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे :—

(1) विभिन्न श्रेणियों के कार्यक्रमों को कमीशन करने से संबद्ध उपमहानिदेशक,

(2) अपर महानिदेशक (प्रशासन)/उप महानिदेशक (वित्त)/निदेशक (वित्त),

(3) संबद्ध मुख्य निर्माता/उप मुख्य निर्माता,

(4) मुख्य निर्माता (केन्द्रीय वाणिज्यिक यूनिट)—संयोजक/सदस्य सचिव ।

10. लागत समिति, मूल्यांकन समिति की सिफारिशों, निदेशक आदि के विगत रिकार्ड, फिल्मों के प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित दूरदर्शन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों तथा बजट की युक्तियुक्तता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्ताव की स्वीकार्यता के बारे में निर्णय लेगी ।

11. लागत समिति प्रस्ताव को रद्द करने के कारण स्पष्ट करेगी और उसके द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों के

बारे में कुल बजट का तर्क भी बतायेगी ।

12. लागत समिति, आवश्यकतानुसार, कार्यपालक निर्माता के अधिकारों की भागीदारी के बारे में भी निर्णय लेगी ।

13. लागत समिति की सिफारिशें अनुमोदन के लिए महानिदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाएंगी ।

14. दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार, एक ही विषय पर एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं । साथ ही एक ही कार्यपालक निर्माता को एक ही समय एक से अधिक कार्यक्रम आबंटित किए जा सकते हैं ।

15. दूरदर्शन द्वारा भुगतान की विधि इस प्रकार होगी :—

करार पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद	40 प्रतिशत
शूटिंग शुरू होने पर	20 प्रतिशत
रफ कटों के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत
अंतिम प्रिंट के अनुमोदन पर	20 प्रतिशत

16. कार्यपालक निर्माता द्वारा उसे अग्रिम के रूप में दी गई राशि के लिए करार के साथ अप्रतिसंहरणीय बैंक गारंटी प्रस्तुत की जायेगी । जब तक करार का पूरी तरह से निष्पादन नहीं हो जाता तब तक बैंक गारंटी का यथासमय नवीकरण किया जाना होगा ।

17. दूरदर्शन द्वारा आयकर की राशि संबद्ध अनुदेशों के अनुरूप स्रोत पर काट ली जाएगी ।

18. सामाजिक विषयों के कार्यक्रमों अथवा 30 मिनट तक के कार्यक्रमों के लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी ।

19. कार्यपालक निर्माता द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम के रफ कटों का पूर्वावलोकन, एक पूर्वावलोकन समिति द्वारा किया जायेगा ।

20. पूर्वावलोकन समिति द्वारा सुझाये गये संशोधन कार्यपालक निर्माता द्वारा निष्पादित किए जायेंगे और उनके लिए कोई अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा ।

21. कार्यक्रम करार में निर्दिष्ट समय सूची के अनुसार पूरा किया जाना चाहिए । लिखित कारणों के साथ अवधि बढ़ाये जाने का अनुरोध महानिदेशक द्वारा स्वीकार किया जा सकता है ।

22. यदि करार की किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो करार को समाप्त कर दिया जायेगा । दूरदर्शन द्वारा बैंक गारंटी का सहारा लिया जायेगा और अग्रिम के रूप में दी गई समस्त राशि 12 प्रतिशत ब्याज के साथ वसूल करने के लिए कार्रवाई शुरू की जायेगी ।

23. किसी प्रकार का मतभेद होने की सूरत में सूचना और प्रसारण सचिव एकमात्र मध्यस्थ होंगे ।

24. प्रादेशिक केन्द्रों के लिए कार्यक्रमों के मामले में यही मार्गदर्शी सिद्धान्त इसी संशोधन के साथ लागू होंगे कि मूल्यांकन समिति के सदस्य केन्द्र निदेशक, दो अधिकारी और दो गैर-सरकारी व्यक्ति होंगे ।

डाक और तार घरों के लिए भवन

8888. **श्रीमती दिल कुमारी भंडारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डाक और तार घर किराये के भवनों में कार्य कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है: और

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अपने भवनों का निर्माण कराने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है: और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) जी, हां।

(ख) डाकघरों और तारघरों का राज्यवार विवरण क्रमश: संलग्न विवरण I और II पर देखा जा सकता है।

(ग) **डाक विभाग :** जी, हां। धनराशि, भूमि उपलब्ध होने पर तथा प्रशासनिक प्राथमिकताओं के आधार पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ भवनों का निर्माण किया जाएगा।

दूरसंचार विभाग : जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ स्थानों पर भवनों का निर्माण करने की योजना बनाई गई है।

(घ) **डाक विभाग :** वर्ष 1992-93 की वार्षिक भवन योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

दूर संचार विभाग : ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

किराए के भवनों में चल रहे डाकघरों का राज्यवार विवरण।

क्रम सं०	राज्य	डाकघरों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	2256
2.	असम	428
3.	अरूणाचल प्रदेश	30
4.	बिहार	1225
5.	दिल्ली	290
6.	गोवा	87
7.	गुजरात	1242
8.	हरियाणा	397
9.	हिमाचल प्रदेश	411

क्रम सं.	राज्य	डाकघरों की संख्या	
10.	जम्मू व कश्मीर	222	
11.	कर्नाटक	1479	
12.	केरल	1272	
13.	मध्य प्रदेश	1175	
14.	महाराष्ट्र	1704*	*अनन्तिम
15.	मणिपुर	46	
16.	मेघालय	44	
17.	मिजोरम	33	
18.	नागालैंड	31	
19.	उड़ीसा	1059	
20.	पंजाब	684	
21.	राजस्थान	1234	
22.	सिक्किम	14	
23.	तमिलनाडु	2651	
24.	त्रिपुरा	68	
25.	उत्तर प्रदेश	2531	
26.	पश्चिम बंगाल	1554	
	योग :	22.167	

विवरण II

किराए के भवनों में चल रहे तारघरों का विवरण

क्रम सं.	राज्य	किराये के भवनों में चल रहे तारघरों (केन्द्रीय तारघर/विभागीय तारघर) की संख्या ।
1.	आन्ध्र प्रदेश	86
2.	असम	24
3.	बिहार	40
4.	गुजरात	30
5.	हरियाणा	10
6.	हिमाचल प्रदेश	9
7.	जम्मू व कश्मीर	6
8.	कर्नाटक	55
9.	केरल	25

क्रम सं०	राज्य	किराये के भवनों में चल रहे तारघरों (केन्द्रीय तारघर/विभागीय तारघर) की संख्या।
10.	महाराष्ट्र	65
11.	गोवा	1
12.	मध्य प्रदेश	58
13.	मेघालय	शून्य
14.	त्रिपुरा	3
15	मणिपुर	1
16.	अरुणाचल प्रदेश	3
17.	नागालैंड	2
18.	मिजोरम	1
19.	उड़ीसा	14
20.	पंजाब	7
21.	राजस्थान	22
22.	तमिलनाडु	70
23.	उत्तर प्रदेश	71
24.	पश्चिम बंगाल	24
25.	सिक्किम	शून्य
26.	दिल्ली	19

विवरण III

चालू वर्ष में जिन तारघरों के लिए भवन निर्माण का प्रस्ताव है, उनका राज्यवार विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	तारघरों की संख्या	स्टेशनों के नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	नालगोंडा, करीम नगर, गुडीवडा, महबूब नगर और आदिलाबाद।
2.	असम	—	—
3.	उत्तर पूर्व		
	मेघालय	1	शिलांग
	त्रिपुरा	1	अगरतला
	अन्य राज्य	शून्य	शून्य

क्रम सं०	राज्य का नाम	तारघरों की संख्या	स्टेशनों के नाम
4.	गुजरात	10	नवरंगपुरा अहमदाबाद; गांधीनगर, भड़ौच, जूनागढ़, वेरावल, नदियाड, भुज, भक्ति नगर (राजकोट), फतेहगंज (बड़ौदा), नवसारी
5.	हरियाणा	6	फरीदाबाद, हिसार, करनाल, रिवाड़ी, कुरुक्षेत्र और जींद
6.	हिमाचल प्रदेश	2	मंडी और पालमपुर
7.	जम्मू व कश्मीर	2	ऊधमपुर और राजौरी
8.	कर्नाटक	4	मन्डिया, तिपुतर, मणिपाल और भतकल
9.	बिहार	शून्य	शून्य
10.	केरल	2	त्रिचूर और तेल्लीचैरी
11.	मध्य प्रदेश	5	सिढी, दुर्ग, विदिशा, बैतूल और नीमच
12.	महाराष्ट्र	4	पुणे, नासिक रोड, शोलापुर और औरंगाबाद
13.	उड़ीसा	2	संबलपुर और राउरकेला
14.	पंजाब	3	लुधियाना, खन्ना और जगरांव
15.	राजस्थान	4	संजय मार्किट (जयपुर), सीकर, नागौर, बाड़मेर
16.	तमिलनाडु	2	उदमलपेट और गनपाथी
17.	पश्चिम बंगाल	1	कूच बिहार
18.	दिल्ली	1	जनपथ, नई दिल्ली
19.	उत्तर प्रदेश	21	कानपुर, अलीगढ़, अलीगढ़सिटी, गोरखपुर, फैजाबाद, सुल्तानपुर, अन्वरगंज वाराणसी, हाथरस, फैरूखाबाद, अल्मोड़ा, आजमगढ़, गाजियाबाद, बस्ती मथुरा, गौंडा, बांदा, प्रतापगढ़, रामपुर, हल्द्वानी और मेरठ सिटी।
	योग :	76	

[हिन्दी]

अन्तर्राज्यीय विद्युत ग्रिड

8889. श्री रामेश्वर पाटीदार
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर्राज्यीय विद्युत ग्रिड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) कितने राज्यों की बिजली लाइनें परस्पर जुड़ी हुई हैं ताकि आवश्यकता के समय एक राज्य दूसरे राज्य से बिजली ले सके?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय क्षेत्र में अति उच्च वोल्टता लाइनों के सतत विस्तार तथा अन्तर्राज्यीय एवं अन्तःक्षेत्रीय पारेषण लिंक और भार प्रेषण सुविधाओं के सृजन/प्रबलन के साथ एक राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विकास की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के संगठन की मुख्य-मुख्य बातें ये हैं :—

(1) राष्ट्र के बेहतर एवं समग्र हित में विद्युत शक्यता, कोयले तथा जल विद्युत संसाधनों का ईष्टतम विकास तथा पूंजीगत निवेश।

(2) परिणामी आर्थिक लाभों के साथ विद्युत प्रणालियों के समन्वयन का तेजी से विकास तथा अर्थ-व्यवस्था के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सुधरी विश्वसनीयता और विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता।

(3) सभी लाभभोगी राज्यों को केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत का निर्बाध प्रवाह।

रिपोर्टरों और कैमरामैन की विदेशों में नियुक्ति

8890. **श्री विश्वनाथ शास्त्री**
श्री तेजनारायण सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने विदेशों में अपने रिपोर्टर और कैमरामैन नियुक्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इनकी नियुक्ति किन-किन देशों में की गई है;

(ग) ये कैमरामैन और रिपोर्टर दूरदर्शन समाचार ब्यूरो को श्रव्य और दृश्य समाचार भेजते हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान उनके द्वारा ऐसे माहवार औसतन कितने समाचार भेजे गए?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) ये सवाल पैदा ही नहीं होते।

समाचार पत्रों का विज्ञापन

8891. **कुमारी उमा भारती :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों को सरकारी विज्ञापन देने हेतु कोई दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन दिशा-निर्देशों में ऐसे समाचार पत्रों को विज्ञापन न देने का कोई प्रावधान किया गया है जो ऐसे मामलों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं जिससे देश में विखंडनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है;

(घ) क्या जम्मू और कश्मीर के कुछ समाचार पत्रों, जो विभाजन प्रवृत्तियों को बढ़ावा देते हैं, के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक समाचार पत्र के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उन समाचारपत्रों-पत्रिकाओं को विज्ञापन जारी नहीं किए जाते जो साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काते हैं या भड़काने की चेष्टा करते हैं, भारत की प्रभुसत्ता और अखंडता का उल्लंघन करते हैं या सार्वजनिक शालीनता तथा नैतिकता के सामाजिक दृष्टि से मान्य मापदण्डों का उल्लंघन करते हैं।

(घ) और (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कुछ दैनिक समाचारपत्रों और एक साप्ताहिक के खिलाफ जम्मू और कश्मीर रणबीर दण्ड संहिता, दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, विधि विरुद्ध क्रिया कलाप अधिनियम तथा आतंकवादी विध्वंसक क्रियाकलाप (संशोधन अधिनियम) की संबद्ध धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इन मामलों पर निर्णय ले लिये जाने के बाद ही विज्ञापन रोकने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

पर्यटन-कारोबार की क्षमता का संवर्धन

8892. **श्री एस० बी० थोरात** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1992 के दौरान आयोजित पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का वार्षिक सम्मेलन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस क्षेत्र में पर्यटन में प्रत्याशित वृध्दि होने वाली है, किन्तु साथ ही इस निष्कर्ष में भारत में पर्यटन उद्योग की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया गया है;

(ख) उक्त सम्मेलन में किन अन्य विषयों पर चर्चा की गई तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पर्यटन के मामले में भारत में अपेक्षित वृद्धि न होने के संदेह को दूर करने के लिए वर्ष 1992-93 के दौरान सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नई पर्यटन नीति का ब्यौरा क्या है तथा क्या सरकार का देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गैर-सरकारी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) प्रशान्त एशिया यात्रा संघ (पाटा) 29 मार्च से 2 अप्रैल, 1992 के दौरान अपने वार्षिक सम्मेलन में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस क्षेत्र में पर्यटन में सहसा वृध्दि होने वाली है। तथापि, भारत में पर्यटन मार्केट की सम्भावना के बारे में कोई संदेह व्यक्त नहीं किया गया।

(ख) जिन अन्य विषयों पर चर्चा की गई वे हैं—पर्यटन के संबंध में पर्यावरण का महत्व और उच्च प्रौद्योगिकी के युग में सेवा का महत्व। यह महसूस किया गया कि प्रौद्योगिकी उन्नति होने के बावजूद, पर्यटन संबंधी

कार्यकलापों में सेवा का तत्व हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा।

(ग) और (घ) सरकार का पर्यटन संवर्धन कार्यक्रम देश को एक आकर्षक पर्यटक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने पर केन्द्रित रहा है। अनुमोदित यात्रा अभिकर्ताओं, यात्रा प्रचालकों और होटल मालिकों को "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन का विकास करने के लिए सहायता देने की स्कीम" के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है।

उड़ीसा में दशरथपुर में टी० वी० रिले ट्रांसमीटर

8893. **श्री अनादि चरण दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के कटक जिले में दशरथपुर में एक उच्च शक्ति वाला टी० वी० रिले ट्रांसमीटर स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) कटक जिला मुख्यालय नगर में कार्यरत उच्च शक्ति (10 कि० वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थानीय भू-भागीय स्थिति पर निर्भर करते हुए कटक जिले के पर्याप्त भागों में दूरदर्शन सेवा प्रदान कर रहा है। दशरथपुर, जो कटक से करीब 60 कि० मी० एरियल दूरी पर स्थित है, कटक के ट्रांसमीटर के कवरेज क्षेत्र में पड़ता है। अत: कटक जिले में दूसरा उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित करना आवश्यक नहीं समझा जाता।

केरल में पारी से पहले टेलीफोन कनेक्शन

8894. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के एरनाकुलम तथा त्रिचुर जिलों में फिलहाल एक्सचेंजवार कितने लोग टेलीफोन कनेक्शनों हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) 1991-92 के दौरान इन एक्सचेंजों में कितने-कितने लोगों को पारी से पहले टेलीफोन कनेक्शन दिए गए; और

(ग) 1992-93 के दौरान उक्त जिलों में कितने एक्सचेंजों का दर्जा बढ़ाए जाने की संभावना है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1992-93 के दौरान समय पर उपस्कर उपलब्ध होने पर एर्नाकुलम जिले में 19 तथा त्रिचूर जिले में 17 एक्सचेंजों का विस्तार/दर्जा बढ़ाने की योजना है।

12—20 LSS/ND/93

विवरण

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची (31-3-92 को)	1991-92 के दौरान बिना बारी के प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
(क)	एर्नाकुलम जिला		
1.	एर्नाकुलम	7710	26
2.	मुवाट्टुपुझा	1019	2
3.	नरक्कल	811	1
4.	अलव	1201	1
5.	कानपत्री	419	—
6.	पेरूम्बवुर	1148	4
7.	विलिंगटन आइलैंड	26	—
8.	अंबलमुगम	88	—
9.	अंगामल्ली	792	—
10.	चेलाद	222	1
11.	चित्तूर (कोचीन)	210	—
12.	कलाड़ी	584	2
13.	कझक्कमवलम	332	1
14.	कोलेनचेरी	379	2
15.	कोठारकुलम	385	—
16.	कोठामांगुलम	838	—
17.	मुलानतुरूती	288	—
18.	नेतूड	288	—
19.	पंपाकुडा	289	—
20.	पक्रर	1772	1
21.	पिरवोम	446	—
22.	त्रिपूनीथूरा	2076	—
23.	वारपुझा	218	—
24.	वाझकुलम	265	—
25.	चुंदाकुझी	91	—
26.	कोलूर	58	—
27.	माझवनूर	220	—
28.	अरकुनूम	76	—
29.	अरयेबना	184	—
30.	वालमचोट्टम	17	—
31.	चेंगमनाड	130	—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची (31-3-92 को)	1991-92 के दौरान बिना बारी के प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
32.	चेरी	—	—
33.	चेरूवतूर	61	—
34.	चोट्टनक्किकरा	65	—
35.	कोचीन	1801	—
36.	इलांजी	287	—
37.	काडवूर	26	—
38.	कोलेरवाडेक	193	—
39.	कांडकावरू	176	—
40.	कीचेरी	33	—
41.	कीझीलम	133	—
42.	कोम्बानाद	58	—
43.	कट्टुटापाडी	248	—
44.	कुवापाड़ी	232	—
45.	कुन्नाकुरा	5	—
46.	मलयत्तूर	39	—
47.	मानीड	183	—
48.	मारमपिल्ली	153	—
49.	मोझीकलम	167	—
50.	नोत्तिमट्टम	52	—
51.	नेरीयमंगलम	41	—
52.	ओडक्काली	160	1
53.	ओनुक्कल	150	—
54.	पाडपुरम	84	2
55.	पालरीवत्तम	3501	—
56.	पेनमपल्लीनगर	शून्य	—
57.	पेढापल्ली	351	1
58.	पोथीकूड	82	—
59.	पेथनकुर्ज	229	—
60.	पथिनवेत्तिक्करा	35	—
61.	राममंगलम	201	—
62.	तिरिक्कारा	496	—
63.	उदयमपेरूर	55	—
64.	वालयमचेरिंगारा	112	—
65.	वेंगूर	145	—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची (31-3-92 को)	1991-92 के दौरान बिना बारी के प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
(ख)	त्रिचूर जिला		
1.	त्रिचूर	5452	16
2.	मुन्दूरकोचीन	310	3
3.	पारप्पर	116	—
4.	कुरांचिक्कारा	59	—
5.	कुडासांकडावु	1056	—
6.	इंगनडीयूर	365	—
7.	चानद्योर	304	—
8.	ओल्लूर	882	1
9.	अलगपासिंगा	864	—
10.	चेरयु	828	3
11.	कन्नारा	324	—
12.	वरवरापल्ली	159	—
13.	इरंगीकला	1717	2
14.	केंगनूर	1345	2
15.	वालापाड	880	—
16.	कट्टर	720	—
17.	पेरीम्नाम	779	1
18.	वेलंगलूर	361	—
19.	चालकुडी	1081	2
20.	माला	517	—
21.	कोडिक्कारा	306	—
22.	पारियारम	91	—
23.	अन्नपाडा	122	—
24.	कोरट्टी	358	—
25.	वेल्लिकुलंगा	205	—
26.	काडूर	94	—
27.	कुन्नमकुलम	1232	2
28.	गोरवपुर	636	—
29.	चौघाट	759	—
30.	पुवतूर	507	—
31.	पुन्नयुरकुलम	317	—
32.	कोट्टाकापाल	183	—
33.	केचरी	103	—

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	प्रतीक्षा सूची (31-3-92 को)	1991-92 के दौरान बिना बारी के प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शन
34.	मल्लम	33	—
35.	कोडापुरम	157	—
36.	पेरूमपलात्र	110	—
37.	वेलूर कोचीन	19	—
38.	वडक्कनचेरी-कोचीन	496	—
39.	चेलक्करा	134	—
40.	मुलाकतिकूव	195	—
41.	इरमपेट्टी	127	—
42.	पेझियनेर	56	—
43.	तिरूमल्ला	65	—
44.	अरंगात्तुक्कारा	22	—
45.	मुल्लुरकारा पंजलि	42	—
46.	इसनाड	25	—
47	कोडझी	7	—

दूरसंचार कर्मचारियों को टेलीफोन कनेक्शन

8895. **डा० परशुराम गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरसंचार कर्मचारियों को रियायत के तौर पर उसी तरह टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने का है जिस तरह रेलवे और इंडियन एअरलाइन्स/एयर इंडिया अपने कर्मचारियों को रियायत देती है: और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) और (ख) दूरसंचार विभाग के ऐसे अधिकारी जो निवर्तन आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनका मूल वेतन सेवानिवृत्ति के समय 3000 रु० प्रति माह होता है अथवा पिछले एक वर्ष तक कम से कम इतना मूल वेतन सेवानिवृत्ति से पहले रहा हो, वे टेलीफोन कनेक्शन के लिए नॉन० ओ० वाई० टी० एस० एस० श्रेणी के अंतर्गत अपनी मांग दर्ज करवा सकते हैं जोकि प्राथमिकता श्रेणी है । इस श्रेणी के पात्र आवेदक बिना अग्रिम/सुरक्षा जमा के भुगतान के रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं । वास्तविक रूप से संस्थापन कार्य होने पर केवल संस्थापन शुल्क देय होता है ।

इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग अकादमी

8896. **श्री मदन लाल खुराना**
श्री जीवन शर्मा : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइंग अकादमी में वित्तीय लेन-देन खरीद, नियुक्तियों तथा भत्तों की अदायगी में अनियमितताएं पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी पाए गए लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है; और

(ग) अकादमी के कार्यकरण को कारगर बनाने के लिए किए जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) अकादमी की शासी परिषद द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लेखाओं की लेखा-परीक्षा की गई थी । लेखा-परीक्षा रिपोर्ट से किसी अनियमितता का पता नहीं चला है । तथापि, अकादमी के अनुपयुक्त कार्य-निष्पादन के बारे में कतिपय शिकायतें प्राप्त हुई है जिनमें वित्तीय अनौचित्यता और प्रशासनिक शक्तियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए गए हैं । इन शिकायतों की जांच की गई और अकादमी के कार्यों को सुधारने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के निदेशक को आवश्यक अनुदेश जारी किये गए हैं ।

निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं

8897. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में कावेरी बेसिन की उन चार गैर-योजनागत परियोजनाओं, जिन पर सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि से काम चला आ रहा है, सहित देश में इस समय बहुत-सी प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं को अनुमानित अतिरिक्त लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं योजनावधि के दौरान इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इनको पूरा करने के लिए कुल कितना व्यय होने का अनुमान है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी, हां । 172 वृहद परियोजनाएं जिसमें कर्नाटक में कावेरी बेसिन की 4 परियोजनाएं शामिल है, सातवी योजना अवधि से आगे लाई गई है ।

(ख) सातवी योजना से इन परियोजनाओं की आगे लाई गई अनुमानित लागत 32,921 करोड़ रुपए है ।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया गया है । तथापि, आठवीं योजना की नीति में निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण में प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है ।

[हिन्दी]

राज्यों की राजधानियों में फिल्म समारोह

8898. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रतिवर्ष सभी राज्यों की राजधानियों में फिल्म समारोह आयोजित करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन राज्यों में फिल्म समारोह आयोजित किये गये थे; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि० के तत्वावधान में हर साल देश के विभिन्न केन्द्रों पर भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है । फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा हर साल देश के बड़े-बड़े फिल्म निर्माण केन्द्रों में भारत के अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किया जाता है । इसके अलग-अलग सांस्कृतिक आदान-प्रदान के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में विदेशी फिल्म सप्ताह मनाए जाते हैं ।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

(क) गत तीन वर्षों में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने राज्यों के फिल्म विकास निगमों, क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों, फिल्म समितियों और फिल्म क्लबों के सहयोग से निम्नलिखित भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोहों का आयोजन किया :—

क्रम सं०	स्थान और राज्य	समारोह की अवधि
1.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	26 मार्च, 1989 से 12 अप्रैल, 1989
2.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	19—25 अप्रैल, 1989
3.	गुवाहाटी (असम)	28 अप्रैल से 5 मई, 1989
4.	इम्फाल (मणिपुर)	12—18 मई, 1989
5.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	1—14 जून, 1989
6.	कटक (उड़ीसा)	16—22 जून, 1989
7.	जमशेदपुर (बिहार)	17-6-1989
8.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	7—28 जुलाई, 1989
9.	अहमदाबाद (गुजरात)	10—24 अगस्त, 1989

क्रम सं०	स्थान और राज्य	समारोह की अवधि
10.	पाण्डीचेरी	6—10 सितंबर, 1989
11.	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	15 सितम्बर से 5 अक्तूबर, 1989
12.	मैसूर (कर्नाटक)	30 सितंबर से 12 अक्तूबर, 1989
13.	कटक (उड़ीसा)	20—30 अक्तूबर, 1989
14.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	2—6 फरवरी, 1990
15.	भोपाल (मध्य प्रदेश)	1—15 मार्च, 1989
16.	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर (म० प्र०)	1 मार्च से 15 अप्रैल, 1990
17.	भुवनेश्वर, कटक, रूरकेला, सम्बलपुर और बरहामपुर (उड़ीसा)	25 अप्रैल से 20 मई, 1990
18.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	1—25 जून, 1990
19.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	15—30 जून, 1990
20.	गुवाहाटी और नागांव (असम)	3—16 अगस्त, 1990
21.	पाण्डीचेरी	5—10 सितम्बर, 1990
22.	मैसूर (कर्नाटक)	18—28 सितम्बर, 1990
23.	इम्फाल (मणिपुर)	26 सितम्बर से 1 अक्तूबर, 1990
24.	दमन	19—23 दिसम्बर, 1990
25.	जमशेदपुर (बिहार)	18 जनवरी, 1991 से 8 फरवरी, 1991
26.	अजमेर (राजस्थान)	8—14 मार्च, 1991
27.	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, उज्जैन, बिलासपुर (म० प्र०)	20 फरवरी से 10 अप्रैल, 1991
28.	पूना (महाराष्ट्र)	1—14 मई, 1991
29.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	1—19 जून, 1991
30.	त्रिवेन्द्रम (केरल)	8—26 जून, 1991
31.	बंगलौर (कर्नाटक)	5—18 जुलाई, 1991
32.	कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)	5—20 अगस्त, 1991
33.	पाण्डीचेरी	5—8 सितम्बर, 1991
34.	इम्फाल (मणिपुर)	20—28 सितम्बर, 1991
35.	गुवाहाटी (असम)	4—10 अक्तूबर, 1991
36.	नागपुर (महाराष्ट्र)	25 दिसम्बर, 1991 से 3 जनवरी, 1992

क्रम सं०	स्थान और राज्य	समारोह की अवधि
37.	जमशेदपुर (बिहार)	7—21 फरवरी, 1992

(ख) फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों में निम्नलिखित फिल्म समारोहों का आयोजन किया गया :—

क्रम सं०	समारोह का नाम	स्थान	कब हुआ
(1)	1989-90 में		
1.	फैस्टीवल आफ फ्रांस इन इंडिया	मद्रास (तमिलनाडु), बंगलौर (कर्नाटक), कलकत्ता (प० बंगाल), हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), शिमला (हि० प्र०), भुवनेश्वर (उड़ीसा)	मार्च से अक्तूबर, 89
2.	36वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह	नई दिल्ली	मई, 89
3.	फैस्टीवल आन सिनेमा एंड दि फ्रैंच रिवाल्यूशन	कलकत्ता (प० बंगाल) नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम (केरल), कोचीन (केरल), कोजीकोड (केरल)	जुलाई और अगस्त, 89
4.	प्रीमियर आफ पीटर ब्रुक्स महाभारत	दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल), बम्बई (महाराष्ट्र), बंगलौर (कर्नाटक)	नवम्बर और दिसम्बर, 89
	गेरार्ड डिपारडू फिल्म महोत्सव सिंहावलोकन	बम्बई (महाराष्ट्र)	नवम्बर, 89
6	पोलिश फिल्म वीक	नई दिल्ली, भोपाल (म० प्र०), ग्वालियर (म० प्र०)	जुलाई, 89
7.	कोरियन फिल्म वीक	नई दिल्ली	अक्तूबर, 89
8.	यू० एस० एस० आर० फिल्म वीक	नई दिल्ली, मद्रास (तमिलनाडु)	दिसम्बर, 89
9.	०डी० आर० फिल्म वीक	नई दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल)	मार्च, 90

क्रम सं०	समारोह का नाम	स्थान	कब हुआ
10.	इंटरनेशनल फिल्म फैस्टीवल आफ इंडिया, 90	कलकत्ता (प० बंगाल)	जनवरी, 90
11.	यूरोपियन कम्यूनिटी फिल्म फैस्टीवल	नई दिल्ली	मार्च, 90
(2)	1990-91 में		
12.	37वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह	नई दिल्ली	मई, 90
13.	इजिपशियन फिल्म वीक	नई दिल्ली, बम्बई (महाराष्ट्र)	अगस्त और सितंबर, 90
14.	चाइनीज फिल्म वीक	नई दिल्ली, बम्बई (महाराष्ट्र)	अक्तूबर, 90
15.	फ्रैंच फिल्म वीक	भोपाल (म० प्र०)	अक्तूबर, 90
16.	तुर्किश फिल्म वीक	नई दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल)	नवम्बर, 90
17.	स्विस फिल्म फैस्टीवल	नई दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल), मद्रास (तमिलनाडु), बंगलौर (कर्नाटक), बम्बई (महाराष्ट्र)	फरवरी से मार्च, 91
18.	हंगेरियन फिल्म वीक	नई दिल्ली, इम्फाल (मणिपुर)	मार्च, 91
19.	इंटरनेशनल फिल्म फैस्टीवल आफ इंडिया, 91	मद्रास (तमिलनाडु)	जनवरी, 91
(3)	1991-92 में		
20.	38वां राष्ट्रीय फिल्म समारोह	नई दिल्ली	मई, 91
21.	आस्ट्रेलियन फिल्म वीक	नई दिल्ली, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)	अक्तूबर, 91
22.	इजिपशियन फिल्म वीक	नई दिल्ली, भोपाल (म० प्र०)	फरवरी और मार्च 1992
23.	इटैलियन फिल्म वीक	नई दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल)	जनवरी और फरवरी 92
24.	पुर्तगाल फिल्म सप्ताह	मद्रास (तमिलनाडु), त्रिवेन्द्रम (केरल)	फरवरी और मा. 1992
25.	यूरोपियन कम्यूनिटी फिल्म महोत्सव	नई दिल्ली, कलकत्ता (प० बंगाल)	मार्च और अप्रेल, 92

क्रम सं०	समारोह का नाम	स्थान	कब हुआ
26.	जन त्रोल सिंहावलोकन	नई दिल्ली, पूना (महाराष्ट्र), कलकत्ता (प० बंगाल)	मार्च और अप्रैल, 1992
27.	भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 1992	बंगलौर	जनवरी, 1992

[अनुवाद]

खोई से विद्युत उत्पादन

8899. **प्रो० राम कापसे : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक सरकार का राज्य में खोई पर आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रिड को 18 मे० वा० से 20 मे० वा० तक अधिशेष बिजली देने के लिए मैसूर चीनी मिल्स, कर्नाटक में 25 मे० वा० क्षमता की अधिक कुशल सह-उत्पादन प्रणाली स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव में वर्तमान कम दबाव वाले बॉयलरों और टर्बोजनरेटरों के स्थान पर अधिक वाष्प दबाव और तापमान पर चलने वाले अधिक कुशल आधुनिक बॉयलरों तथा टर्बोजनरेटरों की परिकल्पना की गई है। इस प्रस्ताव की जांच से पता चलता है कि साठ वर्ष पहले मूलतः स्थापित वर्तमान मिलिंग लाइनों में से एक को और बॉयलिंग हाउस उपस्कर के एक भाग को बदलना भी आवश्यक हो सकता है ताकि प्रस्तावित सह-उत्पादन प्रणाली के लिए ईंधन (खोई) आपूर्ति की विश्वसनीयता में सुधार किया जा सके। परियोजना की कुल लागत और परियोजना की वित्तीय व्यवस्था के साधनों के सम्बन्ध में सूचना सुनिश्चित की जा रही है।

हवाई अड्डा क्षेत्र में तथाकथित अतिक्रमण

8900. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के कब्जे में कितने एकड़ भूमि है;

(ख) क्या इनमें से किसी हवाई अड्डे की भूमि पर कथित अतिक्रमण हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अतिक्रमण हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पाहार, खाद्य तथा पेयों के सम्मिश्रण संयंत्र हेतु विदेशी सहयोग

8901. **श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशी सहयोग से एक अल्पाहार-खाद्य संयंत्र तथा पेय सम्मिश्रण संयंत्र स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केरल से प्रकाशित समाचारपत्र

8902. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रव्य-दृश्य और प्रचार निदेशालय द्वारा केरल से प्रकाशित होने वाली किन-किन साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन देने के लिए उपयुक्त पाया गया है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विज्ञापन, श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा केरल की किन-किन दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए और इन विज्ञापनों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) सूचना संलग्न विवरण—I में दी गई है।

(ख) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान केरल से प्रकाशित होने वाले दैनिकों, साप्ताहिकों, पाक्षिकों और मासिकों को दिए गए विज्ञापनों पर 2,07,14,480 रुपये खर्च किए गए थे। उन पत्रिकाओं के नाम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

31-3-1992 की स्थिति के अनुसार विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में दर्ज साप्ताहिकों, पाक्षिकों तथा मासिकों के नाम

प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान	आवधिकता
1. दि विक	कोचीन	साप्ताहिक

प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान	आवधिकता
2. कला कौमुदी	त्रिवेन्द्रम	,,
3. केसरी	कालीकट	,,
4. सत्यदीपम	एर्नाकुलम	
5. कुकुमन	क्विलोन	,,
6. चित्ता	कोचीन	,,
7. दीपानलम	पलाई कोट्टायम	,,
8. सहकरना मेघालय वीकली	त्रिवेन्द्रम	,,
9. जनयुगम	कोलाम	,,
10. मध्यमान	कालीकट	,,
11. मालाबार हैराल्ड	कोचीन	पाक्षिक
12. मुतास्सी	क्विलोन	,,
13. वनिता	कोट्टायम	,,
14. चिन्ती	त्रिवेन्द्रम	,,
15. वेलम	तर्नुफ	मासिक
16. कैरियर मैगज़ीन	क्विलोन	,,
17. केरल इंडस्ट्री	त्रिवेन्द्रम	,,
18. मनसाम्रम	त्रिवेन्द्रम	,,
19. रेल यूज़	त्रिवेन्द्रम	,,
20. मलय संदेश	त्रिवेन्द्रम	,,

विवरण II

केरल के उन दैनिकों, साप्ताहिकों, पाक्षिकों तथा मासिकों के नाम जिनको वर्ष 1988-89, 1989-90 तथा 1990-91 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा विज्ञापन दिए गए

प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान
दैनिक	
1. इंडियन एक्सप्रेस	कोचीन
2. जन्मभूमि	कोचीन
3. केरल टाइम्स	कोचीन
4. मातृभूमि	कालीकट
5. मातृभूमि	कोचीन

	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान
6.	मातृभूमि	त्रिवेन्द्रम
7.	मलयाला मनोरमा	कालीकट
8.	मलयाला मनोरमा	कोचीन
9.	देशाभिमानी	कालीकट
10.	ईनाडु	त्रिवेन्द्रम
11.	वीक्षनम	कोचीन
12.	दीपिका	कोट्टायम
13.	चंद्रिका	कालीकट
14.	एक्सप्रेस	त्रिचूर
15.	जनयुगम	क्विलोन
16.	जनयुगम	कालीकट
17.	टेलीग्राफ	त्रिचूर
18.	केरल नदम	कोचीन
19.	देशाभिमानी	कोचीन
20.	सदर्न स्टार	त्रिवेन्द्रम
21.	तिपंदम	एलेप्पी
22.	मलय मनोरमा	कोट्टायम/त्रिवेन्द्रम
23.	दीपिका	त्रिचूर
24.	वनाड पत्रिका	त्रिवेन्द्रम
25.	इंडियन पोरन	अलवाय
26.	सिराज	कालीकट
27.	जनयुगम	कोलम
28.	एल्टे	त्रिचूर
29.	जनरल	त्रिचूर
30.	इंडियन पुरान	अलवाय (कोचीन)
31.	कालीकट टाइम्स	कालीकट
32.	मध्यमम	कालीकट
33.	केरल कौमुदी	त्रिवेन्द्रम
34.	सहकरण मेखला	त्रिवेन्द्रम
	साप्ताहिक	
1.	दि वीक	कोचीन
2.	मलयाला मनोरमा	कोट्टायम
3.	कला कौमुदी	त्रिवेन्द्रम

	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान
4.	केरल कौमुदी	त्रिवेन्द्रम
5.	केसरी	कालीकट
6.	केरल शब्दम	क्विलोन
7.	सत्यदीपम	एर्नाकुलम
8.	नाना	क्विलोन
9.	कुन्कुमम	क्विलोन
10.	चिता	कोचीन
11.	दीपानलम	पलाई कोट्टा
12.	दीपिका	कोट्टायम
13.	कुमारी	क्विलोन
14.	मलयालानाडु	क्विलोन
15.	सहकरण मेघला	त्रिवेन्द्रम
16.	मातृभूमि	कालीकट
17.	गृहलक्ष्मी	कालीकट
18.	जननी	कोट्टायम
19.	केरल प्रभावम	त्रिजलाकुड
20.	सुनेवा	कोट्टायम
21.	कथा	त्रिवेन्द्रम
22.	मंगलम	कोट्टायम
23.	नाजयारपाज्जा	क्विलोन
24.	देशाभिमानी	कालीकट
25.	आरोग्यशास्त्रम	कोट्टायम
	पाक्षिक	
1.	मुताल्ली	क्विलोन
2.	पूमपत्ता	कोचीन
3.	बलराम	कोट्टायम
4.	वनिता	कोट्टायम
5.	कन्याका	कोट्टायम
6.	चिट्ठी	त्रिवेन्द्रम
7.	चिरेवीडुम चिरि	त्रिवेन्द्रम
8.	तत्तनाम्मा	त्रिवेन्द्रम
9.	मालाबार हैराल्ड	कोचीन
10.	वन इंडिया	रंजलकोडा

	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का स्थान
	मासिक	
1.	केरल कोआपरेटिव जर्नल	त्रिवेन्द्रम
2.	महिलारत्नम	क्विलोन
3.	पक्कानर	क्विलोन
4.	तौनालम	त्रिचूर
5.	मनसाम्रम	त्रिवेन्द्रम
6.	रेल यू	त्रिवेन्द्रम
7.	वेतम	तानूर
8.	कैरियर मैगजीन	क्विलोन
9.	अक्षरश्लोकम	कोट्टायम
10.	केरल इंडस्ट्री	त्रिवेन्द्रम
11.	विनालम	त्रिचूर
12.	फिल्म मैगजीन	त्रिवेन्द्रम
	त्रैमासिक	
1.	प्रगति	कालीकट

"डेसू" द्वारा बिजली के बिल भेजा जाना

8903. **श्री जीवन शर्मा :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए कनेक्शन मंजूर होने के बाद "डेसू" द्वारा प्रथम बिजली का बिल भेजने में अत्यधिक विलम्ब किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने इस देरी को कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) 2 दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान (डेसू) द्वारा जारी नए कनेक्शनों की अत्यधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में, विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा किए जाने के फलस्वरूप प्रथम बिजली बिल जारी किए जाने में अपेक्षाकृत अधिक समय लग सकता है । बिलिंग सूची में अनुपलब्ध कनेक्शन संख्याओं का पता लगाए जाने के सम्बन्ध में डेसू द्वारा पहले ही कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ताकि इन मामलों में बिल जारी किए जा सकें । डेसू द्वारा प्रचार माध्यमों में विज्ञापन दिए गए हैं जिनमें उपभोक्ताओं से बिल प्राप्त न होने सम्बन्धी मामलों को सूचित करने का अनुरोध किया गया है । बिलिंग में विलम्ब को कम से कम करने के उद्देश्य से इस सम्बन्ध में डेसू द्वारा नियमित रूप से मानीटरिंग की जाती है ।

[हिन्दी]

सोन सिंचाई परियोजना का आधुनिकीकरण

8904. **श्री राम लखन सिंह यादव :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सोन सिंचाई परियोजना के आधुनिकीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आधुनिकीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य कहां तक प्राप्त हो पाया और कितने प्रतिशत कार्य हुआ ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) सोन नहर आधुनिकीकरण सोपान-1 में जून, 1991 तक सूचित की गयी प्रगति मुख्य नहर, जिसकी लम्बाई 27.78 किलो मीटर है, पर 25 प्रतिशत तथा उसकी 31 संरचनाओं पर 5 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त, वितरण प्रणाली के 24 किलो मीटर से संबंधित मिट्टी कार्य का 30 प्रतिशत कार्य तथा जल मार्गों की 640 संरचनाओं से संबंधित 25 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । बुहुरा पम्प नहर पर कार्य लगभग पूरा हो गया है । लगभग 311 करोड़ रुपए की नवीनतम अनुमानित लागत के मुकाबले मार्च 1992 के अन्त तक प्रत्याशित व्यय 28.34 करोड़ रुपए है । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस परियोजना का नियमित आधार पर प्रबोधन नहीं किया जाता है ।

[अनुवाद]

लौह अयस्क की उपलब्धता

8905. **श्री नीतीश कुमार**
डा० महादीपक सिंह शाक्य
श्री जगमीत सिंह बराड़ } : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में लौह अयस्क पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी किस्म-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दिसम्बर, 1991 तक देश में लौह अयस्क की अनुमानित उपलब्धता कितनी थी;

(घ) देश में दिसम्बर, 1991 तक लौह अयस्क की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी थी;

(ङ) लौह अयस्क के कुल वार्षिक उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग देश में इस्पात उत्पादन के लिए किया गया;

(च) देश में गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इस्पात का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ;

(छ) क्या इस्पात संयंत्रों की स्थापित क्षमता का उपयोग हो रहा है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सीमित इस्पात उत्पादन क्षमता के कारण कच्चे लोहे का निर्यात किया जाता है; और

13—20 LSS/ND/93

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) भारतीय खान ब्यूरो द्वारा तैयार की गई खनिज माल-सूची के अनुसार हेमाटाइट और मैगनेटाइट अयस्क के प्राप्य निक्षेप, 1-1-85 की स्थिति के अनुसार क्रमशः 102670 और 17090 लाख टन हैं । गुणता वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है । दी गई सूचना के अनुसार उपरोक्त आंकड़ों में कोई बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है ।

(घ) देश में लौह अयस्क की संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 700 लाख टन है ।

(ङ) वर्ष 1991 (जनवरी-दिसम्बर) के दौरान देश में लौह अयस्क का कुल उत्पादन लगभग 560 लाख टन था जिनमें से आन्तरिक उत्पादन के लिए 250 लाख टन था जो कुल उत्पादन का लगभग 44% है ।

(च) पिछले 3 वर्षों के दौरान देश में परिसज्जित इस्पात का कुल वार्षिक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है :—

	(दस लाख टन)
1989-90	13.0
1990-91	13.53
1991-92 (अनन्तिम)	14.20

(छ) और (ज) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० (सेल) के एकीकृत इस्पात संयंत्रों तथा टाटा आयरन एंड स्टील कम्पनी लि० (टिस्को) (विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र अभी निर्माणाधीन है) में वर्ष 1991-92 के दौरान विक्रय इस्पात की क्षमता उपयोगिता क्रमशः 91.2% तथा 97% है । मशीनों के पुराना पड़ जाने, स्वदेशी कोककर कोयले की कम सप्लाई तथा उसकी क्वालिटी में उतार-चढाव होने और बिजली की सप्लाई में भी कमी रहने के कारण "सेल" के संयंत्रों की पूरी क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका ।

(झ) और (ञ) 31-3-92 तक कच्चे लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध था । निर्यात-आयात नीति 1992-97 में कच्चे लोहे के आयात को लाइसेंस की सशर्त अनुमति दे दी गई है ।

विवरण

दिनांक 1-1-1985 की स्थिति के अनुसार लौह अयस्क का प्राप्य निक्षेप

(दस लाख टन)

1. हेमाटाइट अयस्क		10267.06
(क) + 65% लोह अंश	900.46	
(ख) 62 से 65% तक लोह अंश	4126.69	
(ग) 62% लोह अंश से कम	3702.66	
(घ) अवर्गीकृत	1460.52	
(ङ) मिली धूलि	70.60	

		(दस लाख टन)
I. हेमाटाइट अयस्क		10267.06
(च) काला लोह अयस्क	5.11	
(छ) अन्य	1.02	
	10267.06	
II. मेगनेटाइट		1709.56
(क) धातुकर्मीय ग्रेड	1705.32	
(ख) कोयला धावनी ग्रेड	4.24	
	1709.56	
III. कुल (I + II)		11976.62

[हिन्दी]

इस्पात डोलोमाइट खान को बन्द करना

8906. श्री भवानी लाल वर्मा : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाराद्वार स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र की इस्पात डोलोमाइट खान को बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उक्त खान को बन्द करने से बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या उक्त खान को पुनः चालू करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) निरन्तर अन्तर यूनियन प्रतिद्वंद्वता के कारण अधिकारी कर्मचारी संबंध खराब हो जाने के कारण जून, 1983 में इस्पात डोलोमाइट खान, बाराद्वार में खनन कार्य को बन्द करना पड़ा।

(ग) बाराद्वार खान को बन्द करने के फलस्वरूप खान में लगे 70 विभागीय कर्मचारियों को राउरकेला इस्पात संयंत्र की दूसरी खानों में पुनः तैनात कर दिया गया था। इस समय 29 विभागीय कर्मचारी सांविधिक रूप से खान में हैं। खान को बन्द करने पर ठेकेदार, जिसके रोल में लगभग 1300 कामगार हैं, ने कामगारों की छंटनी करने और कानून के तहत यथा अपेक्षित अन्य सांविधिक बाध्यताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे।

(घ) और (ङ) मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड के माध्यम से ठेके के आधार पर खनन कार्य को पुनः चालू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। बाराद्वार में पट्टा धारित खान के कार्य को ठेके के आधार पर चालू करने

के प्रस्ताव सहित अप्रैल, 1991 में मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड को लिखा गया था क्योंकि अधिकांश कामगारों के प्रतिनिधियों ने सेल प्रबंधन के साथ बातचीत की और उन्हें अपना सहयोग देने की इच्छा व्यक्त की थी। मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड ने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया है जो सेल में विचाराधीन है। यदि मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड का प्रस्ताव स्वीकार्य समझा गया तो बाराद्वार स्थित खान का खनन कार्य चालू करने के लिए उनके साथ करार/समझौता ज्ञापन किया/हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नेटवर्क दूरदर्शन के प्रसारण समय सारणी का पुन:निर्धारण

8907. श्री रवि राय
श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य
कुमारी पुष्पा देवी सिंह
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन राष्ट्रीय नेटवर्क की समय सारणी के पुन:निर्धारण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार विज्ञापन दरों को स्थिर रखने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के वाणिज्यिक विज्ञापन राजस्व में वृद्धि करने के लिए सिफारिश करने के वास्ते एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में दूरदर्शन की विज्ञापन दरों को एक स्तर पर स्थिर करने की संभावनाओं के बारे में सुझाव दिया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन के लिए नये स्टूडियो संबंधी समिति की सिफारिशें

8908. डा० महादीपक सिंह शाक्य : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पूना को नए स्टूडियो, नवीनतम उपकरण और अन्य आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किसी समिति ने सिफारिश की है;

(ख) क्या इन दोनों प्रभागों को धनराशि मिल चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। प्राक्कलन समिति की दिनांक 2 जनवरी, 1991 को लोकसभा में प्रस्तुत 13वीं रिपोर्ट तथा 10 अप्रैल, 1992 को लोकसभा में प्रस्तुत प्राक्कलन समिति की 16वीं रिपोर्ट में ऐसी सिफारिशें की गई हैं।

(ख) और (ग) वर्ष 1992-93 में भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान को 1.75 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान (योजना) देने का प्रस्ताव है जिसमें से 75 लाख रुपए की राशि टी० वी० प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नयन करने के लिए निर्धारित की गई है। संस्थान के और अधिक उन्नयन के लिए धनराशि की व्यवस्था 8वीं योजना में पर्याप्त साधनों के आवंटन पर निर्भर करेगा।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

8909. श्री ललित उरांव : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान उनके मंत्रालय ने हिंदी सलाहकार समिति की कितनी बैठकें आयोजित की थीं :

(ख) क्या एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें आयोजित करने का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो क्या एक वर्ष में चार बैठकें आयोजित की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) नागर विमानन और पर्यटन विभागों की हिन्दी सलाहकार समितियों की बैठकों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

विभाग	1990-91	1991-92
	बैठकों की संख्या और तारीख	बैठकों की संख्या और तारीख
नागर विमानन	शून्य	दो (11-9-1991 और 16-1-1992)
पर्यटन	एक (27-6-1990)	दो (11-9-1991 और 16-1-1992)

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) समितियों के अध्यक्ष के कुछ अन्य कार्यों में व्यस्त रहने और अन्य अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण भी वर्ष में चार बैठकों का आयोजन नहीं किया जा सका। तथापि, हिन्दी सलाहकार समिति की वर्ष में चार बैठकें आयोजित करने के लिए सदैव प्रयास किये जाते हैं।

[अनुवाद]

हॉलीवुड की फिल्मों का बाजार में प्रवेश

8910. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी फिल्म उद्योग ने हॉलीवुड की फिल्मों की भारतीय बाजार में प्रवेश में वृद्धि करने के लिए भारत के साथ कोई समझौता करने में रूचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) भारत में कितनी फिल्मों का आयात किया गया; और

(घ) क्या इससे भारतीय फिल्म उद्योग प्रभावित नहीं होगा?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, हां। संयुक्त राज्य अमरीका भारत के बाजार में फिल्मों और विडियो के प्रवेश के लिए अनुरोध करता रहा है।

(ख) 1 अप्रैल, 1992 से जो निर्यात-आयात नीति लागू हुई है उसमें फीचर फिल्म और वीडियो फिल्म के संबंध में आयात संबंधी नीति के बारे में इस प्रकार उल्लेख किया गया है :—

(1) दूरदर्शन, आकाशवाणी, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन प्रशिक्षण संस्थान तथा बाल चित्र समिति फिल्मों को निर्यात कर सकेगी; तथा

(2) इस संबंध में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन अन्यों को भी आयात करने की अनुमति दी जाएगी।

उपर्युक्त भाग (ख) के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा अभी आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

(ग) 1 अप्रैल, 1992 से फिल्मों के आयात का विसरणीकरण कर दिया गया है और अब आयात की जाने वाली फिल्मों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के फिल्म उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, दिनांक 21 जनवरी, 1980 की फिल्म आयात नीति में कठोर प्रतिबंधों को उदार नहीं किया गया। केवल अच्छी और सौंदर्यबोधात्मक फिल्मों को आयात करने दिया जाएगा।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में डाकघर

8911. **श्री यशवंतराव पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के उन गांवों का जिलावार ब्यौरा क्या है जिनमें डाकघर सुविधा नहीं है; और

(ख) उन गांवों की जिलावार संख्या क्या है जिनमें वर्ष 1992 के अंत तक यह सुविधा प्रदान की जाएगी?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडू) : (क) महाराष्ट्र के गांवों का जिलावार विवरण एकत्र किया जा रहा है।

(ख) हालांकि चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में डाक नेटवर्क का विस्तार करने का प्रस्ताव है, लेकिन इसका विवरण दे पाना संभव नहीं है क्योंकि वार्षिक योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का विकास

8912. श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में विमानपत्तनों का विकास करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(1) एक नए टर्मिनल भवन का निर्माण; मौजूदा धावनपथ का सुदृढ़ीकरण और नागपुर हवाई अड्डे पर आई० एल० एस० के लिए डी० एम० ई० की स्थापना; और

(2) औरंगाबाद हवाई अड्डे पर बी-737 और एबी-320 विमानों के पूरे भार के परिचालन के लिए 7500 फुट तक मौजूदा धावनपथ का विस्तार।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में हवाई अड्डों का निर्माण

8913. प्रो० रासा सिंह रावत : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के किन किन हवाई अड्डों के लिए गत तीन वर्षों के दौरान विकास योजनाएं बनायी गई हैं और वर्ष-वार उन पर कितना खर्च हुआ है; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें कौन-कौन सी योजनाएं सम्मिलित की गई हैं ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क)

(करोड़ रुपये)

	1989-90	1990-91	1991-92
जयपुर	0.16	1.84	2.09
कोटा	0.17	0.05	—

(करोड़ रुपये)

	1989-90	1990-91	1991-92
उदयपुर	0.23	0.33	0.40
कुल :	0.56	2.22	2.49

(ख) आठवीं योजना को अंतिम रूप दिये जाने तक, 1992-93 के दौरान जयपुर, जोधपुर और उदयपुर हवाई अड्डों पर शुरू की जाने वाली स्कीमों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(लाख रुपये)

हवाई अड्डा/स्कीम	वार्षिक योजना परिव्यय 1992-93
जयपुर	
— धावनपथ का पुन: स्तेहलेपन	9.00
— धावनपथ का विस्तार और सुदृढ़ीकरण	80.00
— टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार	60.00
— वैमानिक संचार सेवाओं के लिए उपस्कर	75.66
— विभिन्न स्थल संबंधी और सुरक्षा सेवाओं के लिए उपस्कर	35.08
कुल	259.74
जोधपुर	
— टर्मिनल भवन का विस्तार और सुधार	20.00
उदयपुर	
— धावनपथ का विस्तार	100.00
— विभिन्न वैमानिक संचार सेवाओं के लिए उपस्कर	24.00
— विभिन्न स्थल संबंधी और सुरक्षा सेवाओं के लिए उपस्कर	5.16
कुल	129.16
कुल जोड़	408.90

[अनुवाद]

सरकारी उद्यम विभाग और भारत पर्यटन विकास निगम के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाना

8914. **श्री मोरेश्वर सावे :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उद्यम विभाग ने भारत पर्यटन विकास निगम से वर्ष 1992-93 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की पेशकश की :

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में भारत पर्यटन विकास निगम की क्या प्रतिक्रिया है : और

(ग) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा गत दो वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न किये जाने के कारणों का ब्यौरा क्या है ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ग) भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1990-91 के लिए किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं करने थे । खाड़ी युद्ध तथा इसके दुष्परिणामों, देश के कुछ भागों में आंतरिक गड़बड़ी, आदि के कारण भारत पर्यटन विकास निगम को वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट दी गई थी ।

जहां तक वर्ष 1992-93 का संबंध है, भारत पर्यटन विकास निगम की कुछ होटल सम्पत्तियों को संयुक्त उद्यम बना कर इनका स्तरोन्नयन एवं विकास के कारण होने वाले अपेक्षित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत पर्यटन विकास निगम को प्रशासनिक मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से छूट देने का प्रस्ताव किया गया है । तथापि, इस संबंध में अंतिम निर्णय अभी लिया जाना है ।

भूजल का दोहन

8915. **श्री बापू हरि चौरे :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान महाराष्ट्र में सिंचाई हेतु भूजल संसाधनों का दोहन करने के लिए खुदे हुए कुओं/फिल्टर-प्वाइंट नलकूपों का निर्माण करने में सरकार द्वारा की गयी प्रगति का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु कितनी सहायता की है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सातवीं योजना के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा खुदाई कुओं/फिल्टर प्वाइंट नलकूपों के निर्माण के माध्यम से भूजल का समुपयोजन किया जा रहा है । सामान्यता ये स्कीमें विभिन्न स्कीमों, बैंक ऋणों तथा कृषकों की अपनी बचतों के अंतर्गत सरकारी राजसहायता की मदद से कृषकों द्वारा निर्मित की जाती हैं । सातवीं योजना के दौरान खुदाई कुओं/फिल्टर प्वाइंट नलकूपों के निर्माण पर सरकार द्वारा की गई प्रगति के संबंध में जिलेवार सूचना महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त होनी है ।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें खुदाई कुओं तथा फिल्टर प्वाइंट नलकूपों का निर्माण भी शामिल है । इन स्कीमों के अंतर्गत

सातवीं योजना के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को निर्मुक्त की गई केन्द्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है :

(1)	समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	106.45 करोड़ रू०
(2)	जवाहर रोजगार योजना (मिलियन कुएं योजना)	24.29 करोड़ रू० (किया गया व्यय)
(3)	कृषि उत्पादन वर्द्धन (विशेष खाद्यान उत्पादन कार्यक्रम) के लिए लघु तथा सीमांत कृषकों को सहायता	28.08 करोड़ रू०
(4)	राज्य में सतही जल तथा भूजल संगठनों (लघु सिंचाई) का सुदृढ़ीकरण ।	1.22 करोड़ रू०

[हिन्दी]

ऐतिहासिक महत्व की महान हस्तियों पर फिल्मों तथा धारावाहिकों का दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारण

8916. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन/आकाशवाणी पर ऐतिहासिक महत्व की महान हस्तियों के जीवन पर धारावाहिक तथा फिल्में प्रसारित करने का है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है :

(ग) क्या बाबा साहेब अम्बेडकर, छत्रपति, साहूजी महाराज, महात्मा फुले तथा ई० वी० रामास्वामी नायकर के जीवन पर कोई फिल्म या धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाएंगे ;

(घ) यदि हां, तो कब ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) से (ङ) दूरदर्शन काफी समय से ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हस्तियों पर फिल्में/कार्यक्रम प्रसारित करता रहा है और भविष्य में भी करता रहेगा । हाल में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए गए हैं उनमें ये फीचर फिल्में शामिल हैं — बालक अम्बेडकर और अमर सिंह राठौर तथा डा० भीमराव अम्बेडकर पर टेली धारावाहिक । अन्य हस्तियों पर दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों की समग्र अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर कार्यक्रम भी दिखाए जा सकते हैं ।

उत्तर प्रदेश में बायो-गैस संयंत्र

8917. **श्री सत्यदेव सिंह**
श्री बृजभूषण शरण सिंह } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) इस समय उत्तर प्रदेश में कितने बायो-गैस संयंत्र हैं :

(ख) राज्य में वर्ष 1992-93 के दौरान कितने बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने का प्रस्ताव है : और

(ग) राज्य को बायो-गैस संयंत्रों के विकास और अनुसंधान हेतु कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के अन्तर्गत 1981-82 से 1991-92 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 2.10,200 से अधिक पारिवारिक आकार के बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, एक अलग कार्यक्रम के अंतर्गत 1991-92 तक राज्य में 128 सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्टा आधारित बायो-गैस संयंत्र भी लगाए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास परियोजना के अंतर्गत 1992-93 के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के लिए 8000 पारिवारिक आकार के बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना के लक्ष्य का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा, पारिवारिक आकार के बायो-गैस संयंत्र खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा भी लगाए जाएंगे। सामुदायिक, संस्थागत तथा विष्टा आधारित बायो-गैस संयंत्र, मामला विशेष के आधार पर, स्वीकृत किए जा रहे हैं।

(ग) 1992-93 के लिए बायो-गैस के बारे में अनुसंधान और विकास के लिए बजट में 50.00 लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश राज्य को दी जाने वाली वित्तीय सहायता राज्य में स्थित संस्थाओं से अनुसंधान प्रस्तावों के प्राप्त होने और उनके प्राथमिकता क्षेत्रों और अन्य अनुमोदित मानदण्डों के अनुसार होने पर निर्भर होगी।

[अनुवाद]

कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड में उत्पादन

8918. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान कुद्रेमुख लोह अयस्क कम्पनी लिमिटेड ने कंसन्ट्रेट तथा पैलेट्स का कुल कितना उत्पादन किया ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसमें से कितनी मात्रा का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ;

(ग) वर्ष 1991-92 के दौरान इसके निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई : और

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान उक्त मात्रा के उत्पादन पर कुल कितनी लागत आई ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड ने वर्ष 1991-92 के दौरान 58.75 लाख टन लोह अयस्क सांद्रण और 21.32 लाख टन पैलेट्स का उत्पादन किया। इस वर्ष के दौरान इस कम्पनी ने 39.16 लाख टन लोह अयस्क सांद्रण और 21.52 लाख टन पैलेट्स का निर्यात किया। जिन प्रमुख देशों को निर्यात किया गया वे जापान, आस्ट्रेलिया, इरान, हंगरी, इण्डोनेशिया, ताइवान आदि हैं।

(ग) 1991-92 में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा 317.16 करोड़ रु० विदेशी मुद्रा अर्जित की गई।

(घ) वर्ष 1991-92 के दौरान लोह-अयस्क सांद्रण और पैलेट्स के उत्पादन पर कुल 265.61 करोड़ रुपये की लागत आई।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना को विश्व बैंक से सहायता

8919. **श्री गुरूदास कामत :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में विश्व बैंक से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि की आवश्यकता है; और

(ग) इस संबंध में विश्व बैंक की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख) परामर्शदाता मैसर्स वाटर एंड पावर कंसलटेंसी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड द्वारा हाल ही में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-दो की व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को जांच हेतु केन्द्रीय जल आयोग को भेजा गया है।

(ग) परियोजना का चरण-दो भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

बिजली की बचत का प्रचार

8920. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा ऊर्जा बचत हेतु शुरू किए गए प्रचार अभियान के अच्छे परिणाम निकले हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ पर बिजली का अत्यधिक दुरुपयोग होता है, ऊर्जा बचत का प्रचार करने हेतु क्या कदम उठाये हैं/उठाने का विचार है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हाँ। ऊर्जा संरक्षण प्रचार अभियान पर हाल ही में किए गए अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए ग्राम/कृषीय क्षेत्र, जिसमें ऊर्जा बचत की उच्च सम्भाव्यता है, प्रचार अभियान के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। सरकार ने जन जागरूकता के लिए दूरदर्शन, समाचार पत्रों तथा प्रदर्श परियोजनाओं के माध्यम से उपाय शुरू किए हैं।

एअरबस ए-320 की परिचालन कार्य कुशलता

8922. **श्री वीरेन्द्र सिंह :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1991 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "एअरबस अंडर ए क्लाउड अगेन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एअरबस ए-320 के संचालन कि विस्तृत जांच की है और यदि हां, तो इस संबंध में जांच समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या एक एअरबस ए-320 फरवरी में बंगलौर में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने हाल ही में फ्रांस में हुई एयरबस ए-320 की दुर्घटना के कारणों के बारे में फ्रांस सरकार से आगे और पूछताछ की है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) और (ख) जी, हां। प्रेस रिपोर्ट में मोटे तौर पर ए-320 विमानों को अंतर्राष्ट्रीय विमानन में शामिल किये जाने संबंधी घटनाओं का विवरण दिया गया है।

(ग) नागर विमानन महानिदेशालय, ए-320 विमान की हाल में हुई दुर्घटना के संबंध में फ्रांस के वैमानिकी प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाये हुए हैं। अभी इस प्रकार का कोई निष्कर्ष नहीं मिला है जिससे ऐसा प्रतीत हो कि इस प्रकार के विमान की उड़न योग्यता की पुनः जांच की जाये।

(घ) और (ङ) जी, हां।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत संयंत्रों के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता

8923. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या एशियाई विकास बैंक की सहायता से स्थापित किए जाने वाले विद्युत संयंत्रों को चालू करते समय "पूँजीगत माल" मशीनों तथा संयंत्रों के आर्डर हेतु सार्वजनिक क्षेत्रों की अपेक्षा निजी फर्मों को वरीयता देने के लिए कोई निर्देश हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) देश में एशियाई विकास बैंक की सहायता प्राप्त विद्युत परियोजनाएं निम्नानुसार हैं :

1. उत्तरी मद्रास ताप विद्युत परियोजना चरण-1 (3×210 मे० वा०)
2. ऊँचाहार ताप विद्युत परियोजना (विस्तार) (2×210 मे० वा०)
3. रायलसीमा ताप विद्युत परियोजना (2×210 मे० वा०)

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार

8924. **कुमारी फ्रिडा टोपनो** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना के कारण विस्थापित हुए कुछ लोगों को अब तक रोजगार नहीं मिल पाया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन्हें कब तक रोजगार दे दिया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना करने के लिए उड़ीसा सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने के परिणामस्वरूप 2901 परिवार विस्थापित हुए जबकि राउरकेला इस्पात संयंत्र के प्रबंधन द्वारा कुल 4401 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जा चुका है ।

[हिन्दी]

निर्माताओं को भुगतान

8925. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन ने कथित वित्तीय संकट के कारण अनेक निर्माताओं का भुगतान रोक लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इन निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा इनकी कितनी धनराशि बकाया है और यह कब से रुकी हुई है ;

(ग) क्या दूरदर्शन ने वित्तीय संकट को ध्यान में रखते हुए अपने व्यय में कटौती की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) और (घ) दूरदर्शन के सभी केन्द्रों/क्षेत्रीय कार्यालयों को अनुदेश दे दिये गए हैं कि वे समयोपरि भत्ते, टेलीफोन बिलों, यातायात लागत और स्थानीय एवं बाहरी दौरों पर जितना संभव हो कम खर्च करें ।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में पूँजी निवेश

8926. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में पूँजी निवेश के लिए भारतीयों तथा अनिवासी भारतीयों, दोनों के कितने आवेदन-पत्र सरकार के पास लम्बित पड़े हैं ;

(ख) इन आवेदन-पत्रों पर कब तक निर्णय लिया जायेगा ; और

(ग) ताप, जल एवं गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत उर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) जबकि भारतीय एवं नॉन-इंडियन निजी क्षेत्र उद्यमियों से 17 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं तथापि, इस समय, 2 ताप विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु निजी क्षेत्र उद्यमियों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्टों की केन्द्रीय

विद्युत प्राधिकरण द्वारा जाँच की जा रही है। लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत केन्द्र स्थापित किए जाने के सम्बन्ध में प्राप्त तीसरा प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने में लगने वाला समय, विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित किए जाने पर निर्भर करेगा। इन परियोजनाओं का अलग-अलग ब्यौरा इस प्रकार है :—

ताप विद्युत	11
जल विद्युत	3
गैस	3

एअर इंडिया का बेड़ा प्रबंध कार्यक्रम

8927. **श्री प्रकाश वी॰ पाटील :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एअर इंडिया हेतु कोई विस्तृत बेड़ा प्रबंध कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है;

(घ) क्या सरकार ने इस कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) सरकार ने 20 वर्ष की अवधि के बाद विमानों को सेवा से हटाये जाने की वर्तमान पद्धति के स्थान पर, दस वर्ष की अवधि के बाद विमानों को सेवा से हटाने से संबंधी एअर इंडिया के प्रस्ताव पर अपना अनुमोदन दे दिया है। अधिक आधुनिक और चुस्त विमान बेड़े से, रखरखाव में कम खर्च, विमान उपयोगिता में वृद्धि तथा "समय पर" निष्पादन एवं बेहतर ग्राहक अपील होने की आशा है। एअर इंडिया ने एक संकेतक विमान-बेड़ा नवीकरण योजना तैयार की है और वह इसे विमानों तथा संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यान्वित करेगा। इस समय खरीद संबंधी कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। इस अवस्था में संभावित विदेशी मुद्रा आय को आंकना संभव नहीं है।

हवाई अड्डों का सुधार

8928. **श्री राम नाईक :** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मुम्बई, दिल्ली तथा मद्रास हवाई अड्डों पर समुचित सूचना मुहैया कराने, सामान की बेहतर व्यवस्था करने और कर्मचारियों द्वारा उचित व्यवहार करने जैसे सुधार करने हेतु यात्रियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार अहमदाबाद, कोचीन, हैदराबाद, गौहाटी और जोरहाट हवाई अड्डों पर होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय करने हेतु अध्ययन करने तथा सिफारिशें करने के लिए किसी अध्ययन दल का गठन करेगी; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, हैदराबाद और गुवाहाटी हवाई अड्डों को उन 12 हवाई अड्डों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा माडल हवाई अड्डों के रूप में विकसित किया जाना है।

टी॰ वी॰ सीरियलों का निर्माण

8929. श्री सूरजभानु सोलंकी
श्री पी॰ एम॰ सईद }: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रायोजित और कमीशन आधारित सीरियल योजनाओं के अंतर्गत एक से अधिक सीरियल का निर्माण करने वाले निर्माताओं और निर्माण कम्पनियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के स्नातकों ने भी टी॰ वी॰ सीरियलों का निर्माण किया है: और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास): (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) यद्यपि दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित धारावाहिकों के साथ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के कई स्नातक भिन्न-भिन्न रूपों में सम्बध्द रहे हैं लेकिन ऐसे स्नातकों का ब्यौरा समेकित रूप में केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखा जाता।

विवरण

क्रम सं॰	निर्माता	कम्पनी
1.	सुनील मेहता	सिनेवेष्टा एड्स
2.	विनय धूमले	मूरत्त आर्ट
3.	मंजु सिंह	नेटवर्क-7
4.	श्रीधर क्षीरसागर	एस्ट्रा टेलीकास्ट
5.	ए॰ बलबीर	क, एंड बी वीडियो
6.	भूषण सूरी	फोकस मीडिया
7.	बी॰ आर॰ चोपड़ा	बी॰ आर॰ चोपड़ा प्रोडक्शन
8.	मोहन कृष्णन	ओडीसी

आन्ध्र प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाएं

8930. श्री धर्मभिक्षम
डा० वाई० एस० राजशेखर रेड्डी } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में फिलहाल कितनी विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं;

(ख) राज्य में कितनी विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ग) क्या सरकार को आठवीं योजना अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कुछ नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) इस समय आन्ध्र प्रदेश में कुल मिलाकर 15 ताप विद्युत एवं जल विद्युत केन्द्र प्रचालन में हैं।

(ख) आन्ध्र प्रदेश की निर्माणाधीन/स्वीकृत ताप विद्युत एवं जल विद्युत स्कीमों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मे०वा०)
1.	विजयवाड़ा चरण-3 (ताप विद्युत)	2 × 210
2.	मुद्दानूर (ता०वि०) (रायल सीमा)	2 × 210
3.	पैन्ना अहोबिलम (ज०वि०)	2 × 10
4.	अपर सिलेरु-2 (ज०वि०)	2 × 60
5.	श्रीसैलम बांया तट विद्युत घर (ज०वि०)	2 × 150
6.	(1) गन्टूर नहर (ज०वि०)	2 × 2
	(2) गन्टूर नहर (ज०वि०)	2 × 2.25
7.	बलिमेला (ज०वि०)	2 × 30

(ग) से (ङ) आठवीं योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है तथापि, आठवीं योजना के दौरान 31115 मे०वा० की क्षमता जोड़े जाने सम्बन्धी अनुमान के आधार पर आन्ध्र प्रदेश में 1553.3 मे०वा० क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है जिसमें 1240 मे०वा० ताप विद्युत और 313.5 जल विद्युत क्षमता शामिल है।

14—20 LSS/ND/93

[हिन्दी]

स्क्रैप का आयात

8931. **श्री जगमीत सिंह बराड़** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन देश में लघु इस्पात उद्योगों की इस्पात की मांग को पूरा करने के लिए इस्पात का आयात करता है :

(ख) क्या सरकार की नई औद्योगिक नीति के अनुसार गैर-सरणीबद्ध मदों की सूची में स्क्रैप आयात को शामिल किए जाने के कारण इस संस्थान के कार्यभार में काफी कमी आ गई है : और

(ग) यदि हां, तो इस संस्थान को सरकार द्वारा कौन से नये उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) सभी इस्पात उद्योगों में इस्तेमाल के लिए इस्पात गलन स्क्रैप का आयात मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० (एम०एस०टी०सी०) के माध्यम से किया गया था ।

(ख) और (ग) स्क्रैप के आयात को असरणीबध्द करने के बाद भी मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लि० ने छोटे प्रयोक्ताओं की ओर से स्क्रैप का आयात करना जारी रखा हुआ है । यद्यपि ऐसे आयात की मात्रा कम है । मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड का स्वदेशी व्यापार का काफी कारोबार है और इस क्षेत्र में इसके कार्य निरन्तर बढ़ रहे हैं ।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड का दर्जा

8932. **श्री मोहन रावले** : क्या संचार मंत्री 30 मार्च, 27 अप्रैल, 1992 के अतारांकित प्रश्न सं० 5295 और 7987 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का 31 मार्च, 1992 को लाइसेंस समाप्त होने के बाद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के प्रचालन को बंद करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो निगम के लाइसेंस की अवधि कितने समय के लिए बढ़ाई गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्यानायडु) : (क) जी नहीं, सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लि० को 31 मार्च 1992 के बाद समाप्त करने का निर्णय नहीं लिया है ।

(ख) महानगर टेलीफोन निगम लि० का लाइसेंस आगे 30-9-1992 तक बढ़ा दिया गया है ।

आन्ध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन की लागत

8933. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश में राज्य द्वारा निर्मित विद्युत, विद्युत परियोजनाओं की प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन लागत राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा स्थापित विद्युत यूनिटों से कम है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्पादन लागत कम करने हेतु राज्य सरकार का मार्ग दर्शन करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय जल विद्युत निगम में अनुसंधान तथा विकास (आर एण्ड डी) कार्यों को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं: और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के उत्पादन की लागत 1990 में 41.19 पैसे/कि० वा० घं० से 87.89 पैसे/कि० वा० घं० के बीच है । आन्ध्र प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत संयंत्र की उत्पादन की अनुमानित लागत 62.32 पैसे/कि० वा० घं० है । राष्ट्रीय जल विद्युत निगम की आन्ध्र प्रदेश में कोई परियोजना नहीं है ।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम उत्पादन की लागत कम करने के लिए राज्य सरकारों का मार्गदर्शन नहीं करती हैं । तथापि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण समय-समय पर सभी राज्य विद्युत बोर्डों को उत्पादन की लागत में कमी लाने के लिए अनुषंगी खपत में कटौती, ईंधन खपत में कटौती तथा संयंत्र भार गुणांक को बढ़ाने आदि जैसे उपाय करने हेतु दिशा निर्देश जारी करता है ।

[हिन्दी]

राजस्थान में बिजली का उत्पादन

8934. **प्रो० रासा सिंह रावत** : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बिजली के उत्पादन के कौन-कौन से स्रोत हैं और ऐसे प्रत्येक स्रोत से कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन किया जाता है;

(ख) राज्य की कुल बिजली की आवश्यकता कितनी है और यह मांग कौन-कौन से स्रोतों से पूरी की जाती है;

(ग) राज्य में बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कौन-कौन सी विभिन्न बिजली उत्पादन योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं: और

(घ) कितनी योजनाओं का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया गया है और ऐसी कितनी योजनाओं को चालू किए जाने की सम्भावना है और कब तक ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) वर्ष 1991-92 के संबंध में अपेक्षित ब्यौरा निम्नानुसार है :—

श्रेणी	लक्ष्य (मि० यू०)	वास्तविक (मि० यू०)	%
ताप विद्युत	3900	6122	157.0
न्यूक्लीय	1600	1159	72.4
जल विद्युत	1175	1390	118.3
जोड़	6675	8671	129.9

(ख) वर्ष 1991-92 के दौरान, राजस्थान में ऊर्जा की आवश्यकता 13220 मिलियन यूनिट थी, जबकि विभिन्न स्रोतों से उपलब्धता 13030 मिलियन यूनिट थी।

(ग) इस समय, राजस्थान राज्य से संबंधित कोई जल-विद्युत स्कीम केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के विचाराधीन नहीं है। तथापि, निम्नलिखित नई ताप विद्युत स्कीमों के बारे में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है :—

(1) धौलपुर ताप विद्युत केन्द्र—	3×210 मे० वा०—राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड।
(2) चितौड़गढ़ ताप विद्युत केन्द्र	1×500 मे० वा०—मैसर्स सेंचुरी टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज लि०।

(घ) वर्तमान में, 5 मेगावाट (2×2.5 मे० वा०) क्षमता वाली आश्रम लघु जल-विद्युत परियोजना ही एकमात्र स्वीकृत जल-विद्युत स्कीम है जिसका राजस्थान में कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस समय राज्य में क्रियान्वयनाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना		क्षमता	चालू करने का संभावित कार्यक्रम
राज्य क्षेत्र			
1. कोटा यूनिट—5		210	1994-95
2. रामगढ़ गैस टर्बाइन		3	1/93
3. सूरतगढ़	यूनिट—1	250	*
	यूनिट—2	250	
केन्द्रीय क्षेत्र			
बरसिंहसार	यूनिट—1	120	*
	यूनिट—2	120	

*चूंकि मुख्य संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अभी आर्डर दिया जाना है, अतः इस समय इन यूनिटों को चालू किये जाने संबंधी कार्यक्रम का निर्धारण कर पाना कठिन है।

[अनुवाद]

ग्रामीण विद्युतीकरण

8935. श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत चालित पम्पसेट लगाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का वर्तमान दृष्टिकोण भारत सरकार द्वारा निगम को "परियोजना दृष्टिकोण" अपनाने हेतु दिए गए निदेश से मेल खाता है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित किए जाने के लिए कि ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य स्वीकृत की गई परियोजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप निर्धारित किए जायें यदि कोई कदम उठाये जाने का विचार है तो वह क्या है?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) ग्राम विद्युतीकरण तथा पम्पसेट ऊर्जायन के लक्ष्यों का निर्धारण ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा नहीं किया जाता अपितु इसका निर्णय योजना आयोग द्वारा प्रति वर्ष राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों के साथ परामर्श करके लिया जाता है। जबकि, स्कीमें ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा परियोजना दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकृत की जाती है, स्कीमों के अन्तर्गत निर्माण कार्यों को, समग्र आबंटन के भीतर राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा मूल्यांकित प्राथमिकताओं के आधार पर उनके द्वारा चरणबद्ध किया जाता है। ग्राम विद्युतीकरण निगम लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों/राज्य विद्युत बोर्डों हेतु पर्याप्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए स्कीमों को स्वीकृति प्रदान करके उन्हें सहयोग देता है।

राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को भुगतान

8936. श्रीमती रीता वर्मा : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक विद्युत बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को ऋण अदायगी और ब्याज अदायगी के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा राज्य विद्युत बोर्डों को किसी वित्तीय वर्ष में सामग्री की खरीद हेतु स्वीकृत किए गए ऋण को उसी वित्तीय वर्ष में लौटाना होता है/समायोजित किया जाता है;

(ग) प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा गत तीन वर्षों में सामग्री ऋण को लौटाने में प्रत्येक वर्ष कितनी राशि की चूक की गई है;

(घ) क्या राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा पहले किए गए निर्माण कार्यों के आधार पर प्रस्तुत किए जा रहे अदायगी दावों का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है जिससे वित्तीय संकट खड़ा हो गया है और ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है; और

(ङ) 29 फरवरी, 1992 तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास भुगतान न किए गए कितने अदायगी दावे पड़े थे तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के पास उपलब्ध नवीन राज्य-वार आंकड़े क्या हैं?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान की गई ऋण राशि एवं ब्याज राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण—I में दिया गया है।

(ख) ग्राम विद्युतीकरण निगम के अनुसार, माल सामग्री सम्बन्धी ऋण को उसी वर्ष में समायोजित किया जाना आवश्यक नहीं है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, रा० बि० बोर्डों द्वारा माल सामग्री सम्बन्धी ऋण की भुगतान न की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण—VI में दिया गया है।

(घ) और (ङ) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्रस्तुत दावों की प्रतिपूर्ति, वर्ष के लिए अनुमोदित आबंटन, राज्य बिजली बोर्डों से वसूल की जाने वाली राशि सम्बन्धी स्थिति आदि को ध्यान में रखते हुए की जाती है। 29-2-92 की स्थिति के अनुसार, वर्ष 1991-92 के सम्बन्ध में स्वीकृत दावों की तुलना में असंवितरित राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण—III में दिया गया है।

विवरण—I

ऋण की राशि तथा राज्य बिजली बोर्डों द्वारा भुगतान किया गया ब्याज

क्र० सं०	रा० बि० बोर्ड का नाम	1989-90	1990-91	1991-92*
1.	आन्ध्र प्रदेश रा० बि० बोर्ड	4100	4786	5565
2.	अरूणाचल प्रदेश	39	126	178
3.	असम रा० बि० बोर्ड	1256	1751	1930
4.	बिहार रा० बि० बोर्ड	1739	3408	2286
5.	गुजरात बि० बोर्ड	1871	2722	3108
6.	हरियाणा रा० बि० बोर्ड	1296	2013	2034
7.	हिमाचल प्रदेश रा० बि० बोर्ड	980	1160	1364
8.	जम्मू एवं कश्मीर बि० बोर्ड	495	681	744
9.	कर्नाटक बि० बोर्ड	3068	2430	2952
10.	केरल रा० बि० बोर्ड	877	1141	1410
11.	मध्य प्रदेश रा० बि० बोर्ड	4077	9121	10750
12.	महाराष्ट्र रा० बि० बोर्ड	3799	5568	6903
13.	मणिपुर	90	303	367
14.	मेघालय रा० बि० बोर्ड	350	242	820
15.	मिजोरम	45	95	150
16.	नागालैण्ड	263	301	406
17.	उड़ीसा रा० बि० बोर्ड	1663	3231	4251
18.	पंजाब रा० बि० बोर्ड	2389	2729	3242
19.	राजस्थान रा० बि० बोर्ड	2665	3256	3879
20.	सिक्किम	169	200	274
21.	तमिलनाडु बि० बोर्ड	2272	2854	3370
22.	त्रिपुरा	252	318	501
23.	उत्तर प्रदेश रा० बि० बोर्ड	3849	2646	7885
24.	प० बंगाल रा० बि० बोर्ड	1483	3256	3969
	जोड़	39097	54338	68338

*वर्ष से सम्बन्धित लेखों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। दिए गए आंकड़े अनुमानों पर आधारित है।

विवरण—II

पिछले तीन वर्षों के दौरान, माल सामग्री सम्बन्धी बकाया ऋण से सम्बन्धित स्थिति

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य	31-3-90 की स्थिति के अनुसार	31-3-91 की स्थिति के अनुसार	31-3-92 की स्थिति के अनुसार
		1989-90	1990-91	1991-92 (अनंतिम)
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	—	—
2.	बिहार	1816	1779	1781
3.	मध्य प्रदेश	392	—	—
4.	मेघालय	292	—	80
5.	उड़ीसा	1678	879	879
6.	राजस्थान	354	—	—
7.	उत्तर प्रदेश	5933	2350	2350
8.	प० बंगाल	316	—	—
	जोड़	10782	5008	5090

विवरण—III

29-2-92 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत दावों की तुलना में असंवितरित धनराशि सम्बन्धी स्थिति

क्र० सं०	राज्य	राशि (लाख रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	3
2.	हरियाणा	233
3.	जम्मू एवं कश्मीर	105
4.	कर्नाटक	176
5.	मध्य प्रदेश	2706
6.	महाराष्ट्र	245
7.	मेघालय	7
8.	मिजोरम	122
9.	उड़ीसा	4
10.	पंजाब	174

क्र० सं०	राज्य	राशि (लाख रुपये में)
11.	सिक्किम	192
12.	तमिलनाडु	43
13.	त्रिपुरा	44
14.	प० बंगाल	85
	जोड़	4139

मंगलोर सुपर ताप बिजली परियोजना

8937. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नन्दीकुर में 2400 मे० वा० मंगलोर सुपर ताप बिजली परियोजना की स्थापना के लिए वर्ष 1989 में रूस और भारत के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की स्वीकृति के पश्चात् परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली मंगलोर सुपर ताप विद्युत परियोजना (2×210 मे० वा०) के चरण-एक के लिए प्रस्ताव को भारत सरकार तथा तथाकथित सोवियत संघ के बीच 20-11-88 को हस्ताक्षरित अन्तः सरकार प्रोटोकाल के अन्तर्गत द्विपक्षीय सोवियत सहायता के लिए परियोजनाओं में से एक परियोजना के रूप में अभिज्ञात किया गया था ।

रूसी संघ ने उच्च स्तरीय अन्तः मंत्रालीय प्रतिनिधि मण्डल को जब इसने जनवरी, 1992 में रूस तथा उक्रेन का दौरा किया था, बताया था कि ऋण की मात्रा तथा निबन्धन के संबंध में पारस्परिक समझौते की शर्तों पर मंगलोर परियोजना समेत करार में शामिल परियोजनाओं के राज्य से राज्य को तथा वाणिज्यिक ऋण की उपलब्धता बनी रहेगी ।

(ग) इस परियोजना के चरण-एक के लिए प्रथम 210 मे० वा० की यूनिट को मुख्य संयंत्र तथा उपस्करों के लिए अवार्ड देने की तारीख से 4 वर्षों की अवधि में चालू किए जाने का कार्यक्रम है तथा तत्पश्चात् दूसरी यूनिट 6 महीने के अन्दर चालू की जाएगी । इस परियोजना के लिए अवार्ड इस परियोजना को पूंजी निवेश स्वीकृति प्रदान करने के पश्चात् ही दिया जा सकता है ।

[हिन्दी]

दामोदर घाटी निगम के इंजीनियरों के सेवा सम्बन्धी मामले

8938. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम में कार्यरत इंजीनियर अपनी सेवा सम्बन्धी शिकायतें लेकर न्यायालय गए थे;

(ख) यदि हाँ, तो दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारी कितने मुकदमें हारे हैं;

(ग) गत पाँच वर्षों के दौरान दामोदर घाटी निगम का ऐसे मुकदमें लड़ने में कुल कितना धन खर्च हुआ है; और

(घ) इंजीनियरों की शिकायतों को दूर करने के लिए निगम के प्राधिकारियों द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

बिजली के क्षेत्र में संयुक्त उद्यम

8939. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिजली के क्षेत्र में देश में संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने का प्रस्ताव करने वाले अन्तर्राष्ट्रीय निगमों को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रस्ताव पर विचार किया गया है;

(ग) ऐसे संयुक्त उद्यम कौन-कौन से राज्यों में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इन प्रस्तावों पर काम कब तक आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) एक नई संयुक्त क्षेत्र कम्पनी के माध्यम से एक विद्युत संयंत्र की स्थापना हेतु सम्बन्धित पक्षों की मंशा की पुष्टि करने के लिए स्विट्ज़रलैण्ड की आसिया ब्राउन बोवेरी तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र कम्पनी की रूपात्मकताएं तथा ब्यौरों का निर्धारण नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विज्ञापनों में अतिरंजना

8940. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा प्रसारित किए जा रहे विज्ञापनों की अतिरंजना अथवा वास्तविकता की जांच करवाती है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1991 में और मार्च 1992 तक प्रसारित विज्ञापनों की अतिरंजना के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कराई गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विज्ञापनों की वास्तविकता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) इस अवधि के दौरान कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों ही यह सुनिश्चित करते हैं कि विज्ञापन से इलेक्ट्रानिक मीडिया पर विज्ञापनों के नियंत्रण हेतु सरकार द्वारा तैयार की गई वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए संहिता के प्रावधानों का अतिक्रमण न हो ।

[अनुवाद]

एस० टी० डी० कॉलों के प्रभार का निर्धारण

8941. **श्री पी० सी० थॉमस** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिन के विभिन्न समयों के लिए एस० टी० डी० कॉलों के प्रभार का किस तरह से निर्धारण किया जाता है;

(ख) क्या एस० टी० डी० सुविधा के दुरूपयोग के कारण कतिपय प्रयोक्ताओं को अत्यधिक राशि के बिल भेजे जाने की शिकायतें मिली हैं;

(ग) क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक तंत्र विद्यमान है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क)

एस० टी० डी० शुल्क

पल्स की अवधि सेकेण्डों में

अरीय दूरी	काम के दिनों में 0800 बजे से 1900 बजे तक	रियायती दर	
		काम के दिनों में 0600 बजे से 0800 बजे तक और 1900 बजे से 2200 बजे तक तथा रविवार और राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में 0600 बजे से 2200 बजे तक	सभी दिनों में 2200 बजे से 0600 बजे तक

1	2	3	4
21—50 किमी०	36	48	48
51—100 किमी०	12	24	48
101—200 किमी०	8	16	36
201—500 किमी०	4	8	16
501—1000 किमी०	3	6	12
1000 किमी० से ऊपर	2	4	8

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

(घ) (i) वितरण केन्द्रों को बन्द करना (लॉक करना)

(ii) एस० टी० डी० डायनामिक नियंत्रण सुविधा प्रदान करना

(iii) एस० टी० डी/आई० एस० डी० सुविधा के प्रयोग और कॉल पद्धति की प्रवृत्ति पर दृष्टि रखने के लिए टेलीफोन लाइन की जांच करना

(iv) सतर्कता सेल द्वारा उन मामलों की जांच करना जिनकी सतर्कता की दृष्टि से जांच करना आवश्यक है ।

महाराष्ट्र में आकाशवाणी केन्द्रों की वाणिज्यिक उपादेयता

8942. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में कुछ आकाशवाणी केन्द्रों की वाणिज्यिक उपादेयता का मूल्यांकन किया है: और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी गिरिजा व्यास) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

[हिन्दी]

केन्द्रीय दल का बोकारो इस्पात संयंत्र का दौरा

8943. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त होने के आरोप की तथा इसमें हो रही लगातार हानि की जांच करने हेतु सरकार का विचार एक केन्द्रीय दल भेजने का है:

(ख) यदि हां, तो कब : और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किए जाने वाले अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि० की निगमित सतर्कता के रूप में पर्याप्त प्रशासनिक तथा सतर्कता मशीनरी और अन्य सरकारी एजेंसियां जांच और छानबीन करने और अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच तथा उन पर कार्रवाई करने के लिए विद्यमान हैं। ऐसी कोई अवस्था अथवा स्थिति नहीं आई है कि भ्रष्टाचार के किसी आरोप की जांच करने के लिए सरकार को कोई दल भेजना पड़ा हो। तथापि, इस संबंध में निरन्तर एवम् नियमित सतर्कता बरती जाती है।

[अनुवाद]

बिना अपेक्षित योग्यता के प्रशिक्षकों की नियुक्ति

8944. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त पाए गए इंडियन एयरलाइंस के कुछ पायलेटों को सी० टी० ई० हैदराबाद में बिना अपेक्षित योग्यता के प्रशिक्षक नियुक्त किया गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) उनकी संख्या कितनी है और क्या उन्हें वही वेतनमान मिल रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (घ) स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त दो एक्जिक्यूटिव विमानचालकों का उपयोग सिमुलेटर अनुदेशकों के रूप में किया जा रहा है। यह भारतीय वाणिज्यिक विमानचालक संघ के उस करार के अनुसार है जिसके अंतर्गत उड़ान ड्यूटी के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से जो विमानचालक अनुपयुक्त पाए जाते हैं और जो वार्षिकी के लिए विकल्प नहीं देते हैं, उन्हें अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने तक, उनके द्वारा अंतिम लिए गए मूल वेतन के कम से कम 75% तक समेकित वेतन पर उपयुक्त ग्राउंड ड्यूटी पर लगाया जाता है। सिमुलेटर अनुदेशकों के रूप में नियुक्त वर्तमान लाइसेंसधारी विमानचालक उड़ान भत्ते के लिए भी पात्र होते हैं।

[हिन्दी]

फैक्स मशीनें

8945. **श्री ललित उरांव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फैक्स की कुल कितनी फैक्ट्रियां हैं और इनमें से कितनी फैक्ट्रियां कार्य कर रही हैं तथा प्रत्येक फैक्ट्री की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस समय देश में प्रत्येक वर्ष इन मशीनों की कितनी खपत है; और

(ग) स्वदेशी मशीनों और आयातित मशीनों के मूल्य में कितना अंतर है?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) देश में फैक्स मशीन बनाने वाली दो कंपनियां हैं जिनके नाम इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और स्केनटेल इंडिया

लिमिटेड है । प्रत्येक में प्रतिवर्ष 2000 मशीनें बनाने की लाइसेंसशुदा क्षमता है । दोनों में वाणिज्यिक उत्पादन हो रहा है ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है जिसे सभा पटल पर रखा दिया जाएगा ।

(ग) स्वदेशी और आयातित फैक्स मशीनों की कीमतों में अंतर सुविधाओं और विशेषताओं पर निर्भर करता है इसलिए इनको एक जैसा नहीं माना जा सकता है ।

[अनुवाद]

विदेशी मत्स्य नौकाओं पर लगाया गया जुर्माना

8946. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय जल सीमा में मछलियां पकड़ते पाये गये अन्य देशों के जहाजों पर जुर्माना लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितनी धनराशि एकत्र की गई ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर द्वीपसमूह का विलुप्त हो जाना

8947. **श्री विजय नवल पाटील :** (क) क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल की खाड़ी में तट रेखा के साथ-साथ लगी अधिकांश भूमि के कटाव की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो बंगाल की खाड़ी की तट रेखा पर कितने द्वीपसमूह विलुप्त हो गए हैं;

(ग) क्या भूमि के निरंतर कटाव से कलकत्ता और हल्दिया पत्तन के नौसंचालन चैनलों पर बाधा उत्पन्न हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने बंगाल की खाड़ी की तट रेखा को भूमि-कटाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

जल संसाधन मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) तटवर्ती रेखा और नवमुख के साथ-साथ कटाव एक प्राकृतिक क्रिया है समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा बंगाल की खाड़ी में तटीय रेखा के साथ-साथ छुटपुट कटाव की सूचना दी गई है ।

(ख) और (ग) भगीरथी-हुगली प्रणाली के असंख्य चैनलों ने बंगाल की खाड़ी में निर्गम मार्ग बनाने के लिए 24 परगना में सुन्दरवन क्षेत्र के डेल्टा क्षेत्र को आड़ा तिरछा काट दिया है । इन चैनलों में निरन्तर गाद भरती जाती है और इनके नये नये मार्ग बनते जाते हैं । इस प्रक्रिया में ये नौवहन पर प्रभाव डालते हैं और विद्यमान डेल्टा भूमि में कटाव उत्पन्न करते हैं ।

(घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने 330 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर सुन्दरवन में समुद्री किनारों और नवमुख और 24 परगना और मिदनापुर जिलों में तटीय पहुंचा की सुरक्षा हेतु एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की

है । इसी प्रकार, समुद्रवर्ती राज्यों द्वारा जिसमें बंगाल की खाड़ी के राज्य सम्मिलित है । कटाव-रोधी उपायों का विचार कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

कर्नाटक में यू० एच० एफ० उपकरण

8947.-क श्री एच० डी० देवगौड़ा : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्ट्रा ऐश फ्रीक्वेन्सी 30/60/120 प्रणाली पर्याप्त रूप से उपलब्ध न होने के कारण कर्नाटक में टेलीफोन प्रणाली के नेट कार्यकरण में देरी हुई है :

(ख) क्या यू० एच० एफ० 30/60/120 ट्रांसमिशन प्रणाली की सप्लाई के आबंटन में कोई देरी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगय्या नायडु) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

[हिन्दी]

विदेशी निवेश हेतु शीर्ष स्तरीय दल

8947-ख. श्री राम सिंह कश्वां
श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी } : क्या विद्युत और गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में एक शीर्ष स्तरीय तीन सदस्यीय दल ने भारत में विभिन्न परियोजनाओं के लिए विदेशी निवेश जुटाने हेतु हाल ही में औद्योगिक रूप से विकसित कई देशों का दौरा किया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दल द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, यद्यपि सैफुद्दीन चौधरी जो कहने वाले हैं वह मैं जानती हूं और मैं पहले ही उसका समर्थन करती हूं, लेकिन मैं एक दूसरा मुद्दा उठा रही हूं, क्योंकि विगत दो दिनों से मणिपुर से टेलीफोन पर मुझे यह सूचना मिल रही है कि वहां स्थिति अत्यंत गंभीर हो रही है । आपको पता है कि आठवीं सूची में मणिपुरी भाषा को शामिल करने के लिये वहां बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है । इसलिये वास्तव में अत्यंत गंभीर स्थिति मणिपुर में पैदा हो गई है । पहले से ही परिवहन हड़ताल चल रही है । मैं आपके माध्यम से

मानव संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं कि यह संभावना है कि इस आंदोलन का उपयोग उग्रवादियों द्वारा किया जाएगा और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है । इसीलिये यदि आप मणिपुर में ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं तो मैं आपको आगाह करती हूं कि मणिपुरी भाषा को आठवीं सूची में शामिल करने के लिये तुरंत कार्रवाई करें ।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : मणिपुरी और नेपाली दोनों भाषाओं को ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : स्वाभाविक ही है कि दूसरी भाषा भी उसमें शामिल होगी । ....**(व्यवधान)**

श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंहपुर): गृह मंत्री ने अपने भाषण के क्रम में इसे शामिल करने पर अपनी सहमति जताई थी । लेकिन यदि सरकार इस पर अपना जवाब देने से इंकार करती है तो मेरे विचार में इससे मणिपुर की स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा ....**(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : मणिपुरी के बारे में हमारी पार्टी ने भी प्रस्ताव पास किया है । हम भी इसका समर्थन करते हैं ।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे) : महोदय, गैरसरकारी सदस्यों के विधेयक भी पड़ा है.... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने एक बार आज पुन: दिल्ली का मामला रखना चाहता हूं । दिसम्बर के महीने में जिस समय दिल्ली का बिल आया था उस समय वायदा किया गया था कि 6-8 महीने में दिल्ली के चुनाव करवा दिए जायेंगे । यह तो बाद की चीज है । असेम्बली का बिल बन गया, उसके बाद कहा गया कि असेम्बली के अलावा कुछ और बिल हैं, कारपोरेशन के बिल को अमेण्ड करना है, नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी के बिल को अमेण्ड करना है, डेसू का बिल लाना और इसका बोर्ड बनना है, डी० टी० सी० का बोर्ड बनना है, वाटर स्वेज का बोर्ड बनना है, डी० डी० ए० का बनना है, इन सबके बारे में कहा गया था कि हम अगले सेशन में ये सारे के सारे जो एक्ट है या अमेण्डमेंट हैं उनको इस हाउस में लायेंगे । लेकिन इनकी चर्चा कहीं नहीं है ।

एक सप्ताह पहले मैंने होम मिनिस्टर साहब से निवेदन किया था कि आप दिल्ली की जितनी पालिटीकल पार्टीज हैं उनको बुलाइये, उनसे पूछिए, उनसे कोई सुझाव मांगिए कि दिल्ली के बारे में वे क्या करना चाहते हैं । एक तस्वीर आनी चाहिए । लेकिन बिल्कुल बैठे हुए हैं । पता नहीं दिल्ली के चुनाव होंगे या नहीं ।

इस सारे ढांचे के एक्ट का क्या होना है । पांच साल से दिल्ली के लाखों लोगों के पास हाउस टैक्स के बिल बीस-बीस और पचास-पचास गुना आए हुए हैं । श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी की अध्यक्षता में 1989 में इस संबंध में एक कमेटी बैठी थी । उस कमेटी की सिफारिशों को दिल्ली प्रशासन ने मान लिया । उस समय यह कहा गया कि दिल्ली कारपोरेशन ऐक्ट के ऊपर कुछ संशोधन करने हैं । संशोधन करने के लिए आज तीन साल हो गए हैं । लोगों के पास बिल आए हुए हैं, लेकिन उसका कुछ ऐसा नहीं हो पा रहा है । मैं

आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि इस सेशन का केवल एक सप्ताह रह गया है तो इस सेशन में अमेंडमेंट करना चाहते हैं या नहीं । ये सब बातें हमें पार्लियामेंट में उठानी पड़ती हैं । यहां पर श्री अर्जुन सिंह और संसदीय कार्य मंत्री बैठे हुए हैं तो यह सदन दिल्लीवासियों को विश्वास में ले । जितनी पोलिटीकल पार्टीज हैं तो उनको बुलाकर के उनसे राय करनी चाहिए कि दिल्ली के भावी ढांचे के बारे में क्या करना चाहते हैं और वह बिल सदन में कब आने वाला है । हाऊस टैक्स की तलवार दिल्ली के लाखों लोगों पर लटक रही है, उसके लिए जो एक लाईन का अमेंडमेंट है, उसको लाना चाहिए, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूं ।.........(व्यवधान)

श्री कालका दास (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मैं खुराना जी के बातों को दोहराना नहीं चाहता बल्कि उनका समर्थन करना चाहता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि जितना विलंब चुनाव में और बोर्डस के गठन में होने जा रहा है तो इससे दिल्लीवासियों को परेशानी हो रही है और यहां पर अफसरशाही छाई हुई है और कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है । आप सरकार को निर्देश दें कि इस पर तुरन्त कार्यवाही करें । ....(व्यवधान) दिल्ली में विधान सभा के चुनाव कराने की तिथि की घोषणा करें ।

[अनुवाद]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मणिपुरी भाषा मांग समन्वय समिति के तीन प्रतिनिधि—एक मणिपुर का तथा दो प्रतिनिधि असम के मणिपुरी भाषा-भाषी लोग—30-4-92 से आमरण अनशन पर है । वे अब भी जनपथ चौराहे पर भूखे बैठे हैं तथा गर्मी और बारिश का सामना कर रहे हैं । उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया है । आज सुबह तक उनकी स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई है । मुझे भय है कि यदि वे मर जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें पूरा मणिपुर उलझ जाएगा । इससे जो स्थिति उत्पन्न होगी उसका लाभ राज्य में उग्रवादियों द्वारा उठाया जाएगा और वे अधिक कठिनाई पैदा करेंगे ।

इसके अलावा माननीय सदस्य गीताजी ने जो कुछ भी अभी सभा में कहा, मेरा यह कहना है कि स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है । मैं इस महान सभा का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और यह आग्रह करता हूं कि इस संबंध में सरकार कोई वक्तव्य दे ताकि अनशन पर बैठे लोगों को हम यह कह सके कि वह अपना अनशन वापस ले लें ।

श्री सुभाष चन्द्र नायक (काला हण्डी) : *अध्यक्ष महोदय, मैं इस महान सभा और साथ ही भारत सरकार का ध्यान उड़ीसा के कालाहण्डी जिला की दयनीय आर्थिक स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । महोदय, आज देश में सभी जगह कालाहण्डी में अत्यंत गरीबी का जिक्र होता है और प्रत्येक समाचार पत्र का यह मुख्य समाचार बना है । पूरे विश्व के संचार माध्यमों ने यह घोषणा कर दी है कि कालाहण्डी निर्धनता से ग्रस्त जिला है । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इस जिले का दौरा करने तथा यहां के लोगों की गरीबी की स्थिति को देखने के पश्चात गरीबी का उन्मूलन की आवश्यकता महसूस की थी । तदनुसार ए०डी०ए०पी०टी० योजना बनाई गई और उनके प्रधान मंत्रित्व काल में उस जिले में इसे लागू किया गया । इस योजना का उद्देश्य गरीबों के लिये रोजगार पैदा करना था ताकि वे अपनी जीवकोपार्जन कर सकें । लेकिन दुख की बात यह है कि भारत की तत्कालीन जनता दल सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया । कालाहण्डी की स्थिति बहुत बुरी हो गई है । लोग रोजगार के बिना घरों में बैठे हैं । भूखों मरने के भय से बहुत सारे लोग काम की तलाश में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं । गरीबी से ग्रस्त और पलायन कर गए लोगों की दुखद स्थिति का समाचार स्थानीय और राष्ट्रीय प्रेस में आ चुका है ।

*मूलतः उड़िया में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर ।

अतः मैं भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि वह उड़ीसा के राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह फिर से कालाहण्डी जिले में ए॰डी॰ए॰पी॰टी॰ योजना को लागू करे । यदि योजना को लागू कर दिया जाता है तो लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी । जनता को काम मिलेगा । पलायन को रोका जा सकेगा । वे अपना जीवकोपार्जन कर सकेंगे । आपके माध्यम से मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि वह कब तक उस योजना को फिर से लागू करेगी । यदि हमें इस सभा में यह बता दिया जाए तो हम कालाहण्डी के लोग आप के आभारी होंगे ।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलुबेरिया) : महोदय, चूंकि मानव संसाधन विकास मंत्री यहां पर उपस्थित हैं, इसलिये मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

महोदय, आपको पता है कि संसद के अधिनियम के तहत हमने इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय की स्थापना की है । समाज के विभिन्न वर्गों में शिक्षा के लिये सुदूर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा का प्रसार करने का उद्देश्य था और देश में सभी सुदूर शिक्षा पाठ्यक्रमों का शीर्षनिकाय का रूप प्रदान करने का विचार था ।

महोदय, इसे शुरू करने के समय से ही यह दिक भ्रमित हो गया और यह अपना उद्देश्य करीब करीब खो चुका है । महोदय, कई पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री छात्रों को समय पर नहीं मिलती है । जिस विषय का वे अध्ययन कर रहे हैं उस पर सामग्री उन्हें नहीं मिलती है । महोदय, इसके बाद, पठन सामग्री भेजने में भी कई अनियमितताएं हैं और परियोजना एवं संचार प्रकोष्ठों के पास कोई गहन अध्ययन केन्द्र नहीं है और वहां कोई श्रव्य-दृश्य कैसेट उपलब्ध नहीं हैं । करीब 30 लाख रुपये खर्च करके ध्वनि रोधी स्टूडियो बनाया गया है, जो ठीक से कार्य नहीं कर रहा है । तीन स्कूलों में निदेशक नहीं है और कई विभागों एवं संकायों में पदों को मनमाने ढंग से समाप्त कर दिया गया है । 1988 में घोषित कई कार्यक्रमों को अभी तक शुरू नहीं किया गया है और क्षेत्रीय केन्द्रों में शैक्षिक एवं प्रशासनिक कर्मचारी को तैनात करने संबंधी कोई नीति नहीं है । महोदय, कई वित्तीय अनियमितताएं हैं । सी॰ पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ को छह करोड़ रुपये की राशि दी गई है परंतु एक ईंट भी नहीं आई है । स्नातक उपाधि के छात्र सामग्री की अनुपलब्धता के कारण परीक्षा में नहीं बैठ सके । यह सब कुछ वहां हो रहा है । मनमाने ढंग वहां सब कुछ चल रहा है । अतः महोदय, मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि वह इस पर ध्यान दें और मेरी यह मांग है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं के संबंध में सी॰ बी॰ आई॰ की जांच कराई जाए । साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर हैं, लेकिन यदि आपने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया तथा सभी भ्रष्टाचारों और अनियमितताओं की जांच नहीं करा दी गई तो इसका उद्देश्य खत्म हो जाएगा । मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे ... **(व्यवधान)**

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : महोदय, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उड़ीसा में राजनैतिक उत्पीड़न एक नयी ऊंचाई पर पहुंच गया है और इसके नये पहलु सामने आए हैं । अब वहां की वर्तमान सरकार ने बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंधाधुंध निराधार गिरफ्तार कर लिया है । यहां तक कि उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और भूतपूर्व मुख्य मंत्री तथा वर्तमान विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता, श्री उलाका को सतर्कता विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम भी स्वच्छ सार्वजनिक जीवन के समर्थक हैं, लेकिन इसका भी एक तरीका होता है । दो वर्ष पूर्व उनके घरों पर छापा मारा गया था लेकिन केवल अब जबकि पंचायत चुनाव सामने है तो उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है । राज्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया जारी है और अब कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के

नए अध्यक्ष पूरे राज्य का दौरा कर रहे हैं और राज्य के वर्तमान नेता और वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार और घपलों को उजागर कर रहे हैं। महोदय, वर्तमान नेता अर्थात मुख्य मंत्री भयग्रस्त हो कर यह बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने यह स्वीकार कर लिया है तथा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया है कि वे सभी आरोपों का सामना करने के लिये तैयार हैं। लेकिन खतरा उनके ऊपर अधिक समय तक नहीं होना। मुझे और इस सभा को भी ऐसे उत्पीड़नों की निन्दा करनी चाहिये। बोफोर्स कांड की तरह वे इसे लम्बे समय तक लटकाए रखना चाहते हैं। साथ ही राज्य में अनिश्चय की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की ओर दिलाना चाहता हूं ...... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री के॰ पी॰ सिंह देव (ढेंकानाल) : अध्यक्ष महोदय, आज उड़ीसा से भ्रष्टाचार समाप्त करने का मुद्दा .... ** झूठ है। यह प्रक्रिया, यदि राजनैतिक लोगों का उत्पीड़न, अपमान और परेशान करने का कार्य पंचायत चुनाव के समय होता है तो यह ठीक नहीं है। हम जनता को शक्ति प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी अधिकतर विकासात्मक गतिविधियां ....

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनका नाम पुकारा है और वह बोल भी रहे हैं। आप श्री पाणिग्रही के समर्थन में बोल सकते थे।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : मैं ऐसा ही कर रहा हूं। बोफोर्स का मुद्दा विगत पांच वर्षों से लटका है। हम यह नहीं कहते कि जो भ्रष्टाचार के दोषी हैं, उन्हें छोड़ दिया जाए। उन्हें सजा मिलनी चाहिये पर इस तरह नहीं। वे राजनैतिक चाल चल रहे हैं और उनका अपमान ठीक पंचायत चुनाव से पहले कर रहे हैं। राज्य सरकार इस पूरे मामले में ढिलाई बरत रहा है। ...... **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, इसी सदन में कई बार कहा है कि या तो तय हो जाये कि सब स्टेटों के चीफ मिनिस्टर्स के संबंध में आप बातचीत कर सकते हैं या मान लेते हैं कि कोई सदस्य कोई मामला उठाता है और उठाते-उठाते यहां तक चले जायें कि फाउंटेन हैड ऑफ करप्शन तक चले जायें तो मैं यह समझता हूं कि यह आक्षेप है। इसलिए आप इसको देखकर ठीक करें ....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं ध्यानपूर्वक देखूंगा कि क्या इसमें कोई बात आपत्तिजनक है। मैं नहीं समझता हूं कि उन्होंने यह कहा है।

श्री राम कापसे (ठाणे) : उन्होंने 1961 के बारे में और यह सब कहा है।

अध्यक्ष महोदय : अगर इसमें कोई बात है तो मैं देखूंगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : उन्होंने उनका नाम भी लिया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, किसी को भी निर्दोष करार नहीं देना चाहिए लेकिन क्या संसद में इस पर चर्चा होगी ? यही मुद्दा मैं समय-समय पर उठाता रहा हूं । जब सभी बातों पर चर्चा की जा रही है तो यह स्पष्ट हो जाता है । हमारी सीमाओं की तरह ही अब सभी कुछ स्पष्ट हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात शत प्रतिशत सही है । हर व्यक्ति को इसे याद रखना चाहिए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं किसी को भी बचाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं । लेकिन प्रश्न यह है कि संसद किस हद तक इन मुद्दों पर चर्चा करने की अनुमति देगी ।

श्री के॰ पी॰ सिंह देव : महोदय, लोकतंत्र को कुचला जा रहा है और जो भी राज्य सरकार के विरुद्ध आवाज उठाता है उसे अपमानित, परेशान और भ्रष्टाचार का आरोप लगा कर गिरफ्तार किया जा रहा है । यह और कुछ नहीं बल्कि राजनीतिक षड्यंत्र है । यदि हम इस पर ध्यान नहीं देते है तो यह इस देश में लोकतंत्र की विफलता होगी । **(व्यवधान)**

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : अध्यक्ष महोदय, श्री के॰ पी॰ सिंह देव और श्री पाणिग्रही जी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि विगत 10 वर्षों के दौरान उड़ीसा में क्या होता रहा है । उस राज्य के लोगों ने प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष, जिसके नाम का उल्लेख अब वे कर रहे हैं, को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अस्वीकार कर दिया था । यह उड़ीसा जनता दल का जनादेश था । लोगों ने वहाँ के नेतृत्व को, जो वहाँ विगत दस वर्षों से कायम था, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अस्वीकार कर दिया । आरोप-पत्र के आधार पर यदि सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने उनके घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार किया है तो आप इस मुद्दे पर इस सभा में चर्चा क्यों कर रहे हैं ? कानून के अन्तर्गत उन पर मुकदमा चलाया गया है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है । **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (पडरौना) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पेट्रोलियम मंत्री का ध्यान उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों की तरफ दिलाना चाहता हू कि आज दो हफ्ते हो गये हैं, पूर्वी जिलों—देवरिया, गोरखपुर, आज़मगढ़, गाज़ीपुर—में पेट्रोल और डीज़ल की भारी कमी के कारण लोगों और खासकर किसानों में हाहाकार मचा हुआ है । वहां पर जो सप्लाई होती थी, किन्हीं कारणों से वहां बाधा पड़ गयी, इससे सारा काम चौपट हो गया है क्योंकि गन्ने की खेती सूख रही है, बिजली की कमी के कारण । इसलिए डीज़ल के अभाव में हाहाकार मचा हुआ है । अभी हमारे भूतपूर्व गवर्नर श्री सुखदेव जी इस बात का रोना रो रहे थे । चूंकि करोड़ों लोगों की जिन्दगी डीज़ल और पेट्रोल पर निर्भर है तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से जानना चाहता हू कि पेट्रोल और डीज़ल की कमी को देखते हुए आप निर्देश करें कि जहां तक हो सके इन पूर्वी जिलों में पेट्रोल और डीज़ल की सप्लाई की जाये । यद्यपि प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भी लिखा है कि यहां पर डीजल की भारी कमी है लेकिन भारत सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की है । करोड़ों लोग उससे पीड़ित हैं । इसलिए मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हू कि किसानों को खेती के लिए शीघ्र ही डीज़ल की सप्लाई की जाये ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य महोदय द्वारा उठाया गया मुद्दा वास्तव में चिन्ता का विषय है । क्या आप इसे सम्बद्ध माननीय मंत्री महोदय को बता देंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : जी हाँ, महोदय ।

[हिन्दी]

श्री हरपाल पंवार (कैराना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों द्वारा किसानों के गन्ने के भुगतान की समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं । महोदय, यह बहुत गंभीर समस्या है । पिछले चार महीने से उत्तर प्रदेश के किसानों को, गन्ना उत्पादकों को उनका भुगतान नहीं हो पा रहा है और करोड़ों रुपया मिलों पर बाकी है । अनेक बार लिखने के बाद भी, कहने के बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है । वहां किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं । जन-प्रतिनिधि अपने क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाते । करोड़ों रुपया बकाया है चार महीने से, और खास तौर पर मेरठ मंडल में गन्ने की पैदावार के ऊपर किसान निर्भर करते हैं । मेरा आपके माध्यम से कहना है कि आप उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दें कि चार महीने से पेमेंट क्यों नहीं हो रही है और जो इतनी बड़ी तादाद में पेमेंट रोकी गई है उस पर ब्याज भी मिलना चाहिए । यह बहुत बड़ी समस्या है चूंकि उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादक राज्य है और वहां छोटे किसान को पैसा नहीं मिलेगा तो किस प्रकार से वह अपना गुज़ारा चला सकेगा, यह आप भी अच्छी तरह से समझते हैं । मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसका निर्देश तुरंत दिया जाना चाहिए कि ये पेमेंट किसानों को उचित ब्याज समेत होनी चाहिए ।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : अध्यक्ष महोदय, वाकई एफ०सी०आई० ने उत्तर प्रदेश की चीनी का भुगतान नहीं किया है । इसके कारण वहां अत्यंत कठिनाई हो रही है । आप केन्द्र सरकार के मंत्री को निर्देश दें कि वे इसके भुगतान के लिए शीघ्र निर्देश दें । ...(**व्यवधान**)...

श्री रामसागर (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार को जान-माल से नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रही है । माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले उनके परिवार के लिए जो सुरक्षा लाइसेंस दिए गए थे, उनको वहां की सरकार ने जमा करा लिया और उसके बाद उनके सगे भाई को इसी 26 अप्रैल को पकड़कर सिविल थाने ले गए और उन्हें जान से मार देना चाहते थे । ...(**व्यवधान**)... माननीय अध्यक्ष जी, यह जानकारी जब वहां लोगों को हो गई तो करीब 2000 लोगों ने वहां थाने को घेर लिया तब जाकर उनकी सुरक्षा हो पाई । ...(**व्यवधान**)...

श्री राजवीर सिंह : ...लोगों की हत्या कर देंगे, पुलिस जांच करेगी, गिरफ्तार करेगी तो लोक सभा में उसके लिए शोर मचाया जाएगा और अध्यक्ष महोदय, यह मामला विधान परिषद् में भी उठा है और विधान परिषद् के स्पीकर ने भी व्यवस्था दी है और उसके आधार पर काम शुरू हो गया है । क्या ये सारी बातें लोक सभा में उठाई जाएंगी ? ...(**व्यवधान**)...

श्री रामसागर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह मामला उनकी सुरक्षा का पहले यहां सदन में आया था और आज उनका पूरा परिवार असुरक्षित है । अगर भारत सरकार की तरफ से हस्तक्षेप न किया गया होता तो उनकी सुरक्षा न हो पाती । मैं आपसे मांग करता हूं कि वहां की जो सरकार है, एक साजिश के तहत उनके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहती है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनके परिवार की और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत सरकार ले, यही मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं । ...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : इस सम्बन्ध में माननीय गृह मंत्री श्री एस० बी० चव्हाण ने इस सभा को आश्वासन दिया है कि श्री मुलायम सिंह यादव को उचित सुरक्षा प्रदान की जायेगी । इस सभा को यह आश्वासन दिया गया था ।

अब माननीय सदस्य महोदय ने यह कहा है कि उनका जीवन खतरे में है और उन्हें राज्य सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है । मैं भारत सरकार से यह जानना चाहूँगा कि क्या श्री मुलायम सिंह यादव जी के जीवन की रक्षा की जायेगी और उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जायेगा ?

[हिन्दी]

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : माननीय अध्यक्ष जी, पिछले दिनों यहां कई माननीय सदस्यों ने महाराष्ट्र में जो भीषण सूखे की स्थिति है, उस पर सूखा राहत कार्य के लिए रकम देने की मांग की, लेकिन खेद की बात है कि सूखा राहत के लिए रकम देने की बात तो दूर, वहां अभी तक कोई भी सेन्ट्रल टीम नहीं भेजी गई है और इस समय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विशेषकर विदर्भ में सूखे की स्थिति भयानक है और उसमें भी पेयजल की भीषण समस्या विद्यमान है । पिछले मानसून में वहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई और परिणामस्वरूप भूमि जलस्तर कम हो गया है और विदर्भ क्षेत्र में खासकर तीन जिलों—भंडारा, चंद्रपुर और गढ़चिरोली में सभी कुएं और तालाब सूख गए हैं । इन जिलों में पानी की आवश्यकता प्रति व्यक्ति 40 लीटर है लेकिन वहां बड़ी मुश्किल से तीन या चार लीटर पानी उपलब्ध किया जा रहा है । और कई गांव वहां ऐसे हैं जहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है । वहां राज्य शासन द्वारा किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गयी है, जिसकी वजह से आज वहां बड़ा संकट पैदा हो गया है । यद्यपि राज्य सरकार ने वहां कुछ जगहों पर टैंकर्स की व्यवस्था की है, परन्तु वह पर्याप्त नहीं है । इसलिये मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि विदर्भ के हर जिले को 10 करोड़ रुपये, वहां पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये दिये जायें ।

दूसरे, 1972 में जब वहां अकाल पड़ा हुआ था तो तकरीबन हर जिले में लगभग 3 लाख लोगों को मजदूरी दी गयी थी, काम पर लगाया गया था लेकिन आज जो आंकड़े उपलब्ध हैं, मैं उनमें से सिर्फ तीन जिलों के बारे में ही बताऊंगा कि भण्डारा में आज केवल 55,000 मजदूर, चन्द्रपुर में 19 हजार और गढ़चिरोली में 3,385 मजदूर काम पर लगाये गये हैं । उसी प्रकार पीने के पानी की भी वहां समस्या है । मैं आपके माध्यम से अर्ज करूंगा कि उस दिन कई सदस्यों ने यहां महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को भयानक बताया था । उसे मद्देनजर रखते हुए, उन्होंने मांग की थी कि वहां तुरन्त धन की व्यवस्था की जाये । मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था लेकिन अभी तक कोई टीम वहां स्थिति का जायजा लेने के लिये नहीं गयी है । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वहां जल्दी से जल्दी केन्द्रीय टीम भेजी जाये और उससे पहले एडहाक बेसिस पर महाराष्ट्र की सरकार वहां राहत कार्य खोलने की व्यवस्था करे और विशेष रूप से पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिये आवश्यक धन आप उपलब्ध करायें ।

श्री राम कापसे : अभी माननीय सदस्य ने महाराष्ट्र में अकाल की स्थिति के बारे में जो कुछ बताया, वहां वास्तव में बहुत भीषण और भयानक अकाल है, 72 साल बाद महाराष्ट्र में इस तरह का अकाल पड़ा है । उससे पहले कभी नहीं पड़ा । ऐसी स्थिति में, केन्द्र द्वारा अभी तक किसी तरह की राहत या धन की व्यवस्था नहीं की गयी है, एक नये पैसे की मदद भी नहीं पहुंचायी गयी है । पेयजल की समस्या वहां सबसे ज्यादा विदर्भ और मराठवाड़ा में है । इसलिये राहत कार्य खोले जाने की बहुत जरूरत है । मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि वह जल्द से जल्द कोई निर्णय लेकर वहां सहायता भेजने का काम करे । मैं अपेक्षा करता हूं कि मंत्री जी यहां इस पर कुछ कहें तो ठीक रहेगा क्योंकि स्थिति वहां बहुत भयावह है—विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तर महाराष्ट्र में, हर जगह जहां भी आप जायें, स्थिति बहुत भयानक है । थाउजैंड आफ विलेजेज़ अकाल से प्रभावित हैं ।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : मुझे यह बताने की अनुमति दी जाये कि भी राज्य इन समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं है ।

[हिन्दी]

श्री राम कापसे : गवर्नमेंट को यहां रैस्पोंड करना चाहिये, बयान आना चाहिये और प्रधानमंत्री का यहां आना जरूरी है ।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों ने जो सवाल यहां उठाया है, वह अत्यन्त गम्भीर है । केवल महाराष्ट्र में ही हालत बहुत खराब नहीं है, सात राज्यों में पीने के पानी का अभाव है । दुर्भाग्यवश मौसम विशेषज्ञों ने कहा है कि अगला मौसम हम लोगों के लिये बहुत हितकर होने वाला नहीं है । ऐसा हो सकता है कि अगले एक-दो महीनों में और लोग प्यास से मरने लगें क्योंकि पानी की भारी कमी है और पानी की कमी से महामारियां होंगी । इसलिये तुरन्त कोई योजना, आपातकालीन योजना बनाने की आवश्यकता है । सवाल केवल बयान देने का ही नहीं है, मई महीने में अगर इतनी बुरी हालत है तो जून आते-आते दो महीनों में क्या होगा केवल यह सवाल उठ गया, यही नहीं होना चाहिये । सरकार इस पर तुरन्त अपने विशेषज्ञों को बुलाकर कोई आपातकालीन योजना बनाये । एक-एक जिले को 10 करोड़ रुपया देना तो उसके लिये सम्भव नहीं है, लेकिन एक ऐसी योजना अवश्य बननी चाहिये, जिससे पीने के पानी की कमी को रोका जा सके और उससे जनित अगर कोई बीमारियां होती हैं तो उनकी ओर ध्यान दिया जाये । पूरे राष्ट्र के लिये यह गम्भीर मामला है जिससे राष्ट्र एक बड़े संकट में पड़ सकता है ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, इसी पर मैंने 377 के अंतर्गत आपको नोटिस दिया था कि आप हमें इस पर स्टेटमेंट देने की इजाजत दें ।

अध्यक्ष महोदय : आपका 377 का नोटिस तो बाद में आता है, इसके बाद ।

श्री चन्द्रजीत यादव : आपने उसे स्वीकार नहीं किया है लेकिन, मैं आज बाहर जा रहा हूं इसलिये आपसे एक मिनट में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । मेरा ख्याल है कि महाराष्ट्र से आने वाले हमारे जो माननीय सदस्य हैं, वे पिछले दो-तीन हफ्ते से लगातार इस प्रश्न को यहां उठा रहे हैं । यह स्थिति महाराष्ट्र के अलावा गुजरात, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश के बारे में, मैंने कहा ही है, इन सभी राज्यों में यह स्थिति गम्भीर रूप धारण कर रही है, जिसकी ओर हम सदन का और सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों को सूचना मिली है, हमारे खाद्य भण्डारों में आज इतना अनाज नहीं है, जितना उनमें सामान्य रूप से रहना चाहिये । अनाज की आज कमी है । आज जो स्थिति देश में पैदा हो रही है, उसमें प्रोक्योरमैंट के लिये भी पूरी तरह से कोशिश नहीं हो रही है क्योंकि एक तरह से पूरा कन्फ्यूजन पैदा हो गया है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, इस तरह । कोई तारतम्य केन्द्र में और राज्य सरकारों में नहीं है । आज के अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के सम्पादकीय को आपने देखा हो, तो वह इसी के ऊपर लिखा गया है । उसने एक चेतावनी दी है कि यदि इसको एक राष्ट्रीय संकट समझकर भारत सरकार तात्कालिक कदम नहीं उठाएगी, तो देश के सामने इतना भयंकर खतरा पैदा होगा कि भुखमरी हो सकती है, पशु चारे के बगैर मर रहे हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है और इस बजट में ग्रामीण योजना का जो पैसा था, जिसमें काम होता था, वह भी काट दिया गया है । यह कुल मिलाकर इतनी भयंकर स्थिति बन गई है जिसके कारण एकदम से विपत्ति आ जाएगी, तो मैं जानता हूं कि उस स्थिति का मुकाबला नहीं हो सकता है । इसलिए अभी केन्द्र सरकार को राज्यों के मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाकर और इसके लिए समुचित धन उपलब्ध कराकर के और तात्कालिक रूप से क्या किया जा सकता है इस बात की पूरी व्यवस्था हो ।

आपके गल्ले की जो पहले व्यवस्था थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली थी, उसके अन्तर्गत जो गल्ला मिलता था, उसको भी आपने सीमित कर दिया है । कुछ ब्लॉकों तक पहले जो मिलता था उसको आपने सीमित कर दिया

है, कीमत बढ़ती चली जा रही है, जो लोगों के बस के बाहर होता चला जा रहा है । इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसको एक राष्ट्रीय समस्या समझकर, गम्भीर समस्या समझकर, आप भी हिदायत दें कि सरकार फौरी कार्रवाई उसके मुताबिक शुरू करे, यही मेरा आपसे अनुरोध है ।

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर) : महोदय, महाराष्ट्र के कुछ जिलों में सूखे की स्थिति की घोषणा कर दी गयी है । लेकिन इसमें रत्नागिरि और सिन्धुदुर्ग नामक दो जिलों, जहाँ आज भीषण सूखे की स्थिति व्याप्त है, को छोड़ दिया गया है । इन दोनों जिलों को छोड़ देने का कारण सूखे की स्थिति की घोषणा करने के लिये पालन किया जाने वाला मानदंड है । मैंने इस सम्मानिय सभा में यह कहते हुए इस मुद्दे को कम से कम आठ बार उठाया है कि अनावरी स्थिति, जो सूखे की स्थिति की घोषणा करने में लागू होती है, पूर्ण रूप से दोषपूर्ण है । मैं यह कहना चाहूँगा कि इन दो जिलों में यदि वास्तव में सूखा पड़ा है तो भी इन्हें सूखा ग्रस्त कभी घोषित नहीं किया जा सकता है । यही कारण है कि मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि वहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक दल शीघ्र ही वहाँ भेजा जाए ।

महोदय, मैं हाल ही में वहाँ गया हूँ । मैंने वहाँ की स्थिति से माननीय मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया है और उनसे इन दोनों जिलों को भी सूखा ग्रस्त घोषित करने का अनुरोध किया है तथा इन दोनों जिलों में इस दिशा में कार्य शुरू करने का अनुरोध किया है ।

[हिन्दी]

श्री अन्ना जोशी (पूणे) : अध्यक्ष जी, इनसे पहले जो महाराष्ट्र में सूखे की विभीषिका के बारे में बोला गया, उसके बारे में मैं सहमत हूं, दो और मुद्दे मैं उसमें एड करना चाहता हूं । पहली बात यह है कि अभी तक महाराष्ट्र में जितने भी अकाल पड़े, उन सबमें इस साल जो अकाल आया है वह सबसे गम्भीर है । उसकी परिधि सबसे ज्यादा है और जो अफेक्टेड लोगों की संख्या है वह ज्यादा है । इसलिए लोगों को कुछ काम देने के लिए केन्द्र को राज्य सरकार को मदद देनी चाहिए ।

दूसरी बात यह है कि पिछले सप्ताह जब इस विषय पर यहां चर्चा हुई थी, तो माननीय कृषि मंत्री श्री बलराम जाखड़ जी ने सदस्यों को आश्वासन दिया था कि इस बारे में टीम भेजने पर वे विचार करेंगे, तो मेरा उनसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि वह टीम भेजने का विचार जल्द से जल्द करें और महाराष्ट्र में एक एक्सपर्ट टीम भेजें । जब वह टीम जाएगी और अपनी रिपोर्ट देगी, उस वक्त तक बीच के समय में एडहॉक बेसिस पर कुछ रकम यदि महाराष्ट्र सरकार को मिल जाए, तो यह मसला हल हो सकता है । मेरा यही अनुरोध है ।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलढाना) : अध्यक्ष महोदय, आप भी महाराष्ट्र के हैं और मैं आशा करता हूँ कि इस राज्य के विभिन्न भागों की स्थिति आप महसूस करते होंगे । वहाँ जो समस्या है उसे आप महसूस करते होंगे तथा विगत कुछ सप्ताह से इस समस्या से सम्बन्धित मुद्दे को इस सम्मानिय सभा में उठाने का अवसर हमें मिला है । लेकिन यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस सम्मानित सभा में बार-बार इस मुद्दे को उठाने के पश्चात भी सरकार द्वारा वैसा उत्तर नहीं दिया गया है जैसा इसे देना चाहिए ।

महोदय, महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति इतनी गंभीर है कि इससे दूर-दराज के गांवों में लोगों के जान-माल का खतरा उत्पन्न हो गया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि इस सूखे की स्थिति से निपटने हेतु 834 करोड़ रुपयों का खर्च आयेगा। लेकिन अभी तक केन्द्र सरकार द्वारा सिर्फ 33 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी है। 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं। भविष्य में और अधिक धनराशि इस हेतु खर्च किये जाने की आवश्यकता है। इसलिए स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप सरकार को इस आशय का निर्देश जारी करें कि महाराष्ट्र में स्थिति का जायजा लेने हेतु शीघ्र ही एक दल भेजा जाए तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाए एवं वित्त आयोग द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं में इस समस्त समस्या को उलझाया नहीं जाए। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह जीवन-मरण से सम्बन्धित समस्या है और इस पर इसी प्रकार की गंभीरता से विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, हमने इस मामले को 27 तारीख को इसी सदन में उठाया था और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने जवाब भी दिया था। वे सिर्फ इतना कहकर निकल गए कि नाईन्थ फाईनेंस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक हम चार भाग में देते हैं। हम पहला भाग दे चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि मामला इतना ही नहीं है और सिर्फ महाराष्ट्र तक ही यह मामला नहीं रहा है। हम पूर्वी उत्तर प्रदेश से गोरखपुर और सिद्धार्थ नगर से आ रहे हैं और वहां भी अकाल की छाया बनी हुई है। हिन्दुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जो इस बार अकाल की चपेट में नहीं है। इस बार का अकाल कितना भयंकर, भीषण होगा हम नहीं जानते। अभी तक हजारों मवेशी मर चुके हैं, लोगों के मरने की भी सूचनाएं आ रही हैं। पेट्रोल, डीजल के लिए लाइन लगी हुई है। पानी पीने की कुछ व्यवस्था नहीं है। मैंने उस दिन कहा था कि आदमी तो किसी तरह से पानी का जुगाड़ कर लेता है लेकिन जानवरों के पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। उस दिन मंत्री महोदय नाईन्थ फाईनेंस कमीशन का हवाला दे रहे थे तो हमने कहा था कि यह तो रैगुलर आप खानापूरी कर रहे हैं लेकिन हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इसको तत्काल ले और जिन राज्यों में सूखे की स्थिति है उन राज्यों को अधिक सहायता देने का काम करें। अर्जुन सिंह जी, श्री आजाद बैठे हैं, सरकार को इस संबंध में गंभीरता जतानी चाहिए।

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता में सहभागी हूं और आज यहां से जाने के पश्चात मैं शीघ्र ही यह बात माननीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा। मुझे विश्वास है कि सरकार इस मामले में सूखे की स्थिति से पीड़ित लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए उतनी ही चिन्तित है जितने कि अन्य लोग। परन्तु निश्चित रूप से यह सहायता कुछ मानदंडों के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी। लेकिन जब यह इतनी बड़ी त्रासदी है और यह स्थिति इतनी गंभीर है तो मुझे विश्वास है कि स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए भी सहायता प्रदान की जायेगी।

डा॰ देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता, उत्तर-पश्चिम) : महोदय, आपके माध्यम से मैं आज समाचार पत्रों में छपे स्तब्ध कर देने वाले एक समाचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत में एशियाई विकास बैंक में दीर्घकालीन भुगतान के आधार पर ब्याज रहित सुलभ मुद्रा ऋण के लिए आवेदन किया है। चीन द्वारा भी इसी प्रकार का आवेदन दिया गया है। समाचार पत्रों से ऐसा जान पड़ता है कि जापान और कनाडा का भी भारत के प्रति सहानुभूतिपूर्ण समर्थन है। लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका ने दीर्घ कालीन

भुगतान के आधार पर ब्याज रहित सुलभ मुद्रा ऋण भारत को उपलब्ध कराये जाने का विरोध किया है। जबकि पाकिस्तान को सुलभ मुद्रा दीर्घकालीन विकास ऋण के रूप में दी जाने वाली सहायता राशि का पचास प्रतिशत मंजूर किया जा चुका है। भारत द्वारा दिये गये आवेदन पर संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा विरोध प्रकट किया जा रहा है यद्यपि इसमें कुछ सदस्य भारत के पक्ष में है। यह कदम बहुत ही गंभीर है क्योंकि यदि दीर्घ-कालीन भुगतान के आधार पर भारत को सुलभ मुद्रा ब्याज रहित ऋण नहीं दिया जाता है तो भारत का आर्थिक विकास प्रभावित हो सकता है। एशियाई विकास बैंक मुख्य रूप से एशियाई देशों के आर्थिक विकास से सम्बन्धित है। मैं सरकार का ध्यान इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक कदम उठाने की ओर और इस बात पर ध्यान देने की ओर आकर्षित करता हूं कि सदस्य देशों द्वारा इस आवेदन का समर्थन किया जाए।

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो सरकार अल्पसंख्यकों के हितों के लिए बहुत कुछ कहती है लेकिन उसकी करनी कुछ दूसरी दिखाई देती है। विश्वविख्यात अजमेर की दरगाह शरीफ की व्यवस्था कमेटी भंग होने की प्रबल संभावना हो गई है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि वह इस बारे में अविलंब कदम उठाए। अजमेर स्थित विश्वविख्यात ख्वाजा मोईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की प्रशासनिक व्यवस्था संभालने वाली दरगाह कमेटी के कानूनी पेच में उलझ जाने की संभावना है। दरगाह ऐक्ट जो केन्द्रीय सरकार ने बनाया और जो 1956 से लागू हुआ, उसके लागू होने के 36 वर्षों बाद पहली बार ऐसी पेचीदा स्थिति सामने आई है कि कमेटी के भंग होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। दरगाह कमेटी में कुल नौ सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी शामिल हैं। किन्तु पिछले एक वर्ष से कमेटी के सदस्यों की संख्या घटकर केवल 5 रह गई है। सदस्यों की नियुक्ति का कार्य केन्द्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का केन्द्र है इसलिए मैं सारी स्थिति नटशैल में सामने रखना चाहता हूं। वर्तमान अध्यक्ष का कार्यकाल 25 मई को समाप्त हो रहा है। 25 मई को 4 सदस्यों का कार्यकाल और भी समाप्त हो जाएगा। केवल एक सदस्य शेष रह जायेगा। 17 मई, 1992 को दरगाह कमेटी के बजट प्रस्तावों पर मीटिंग है। उन्हें आने वाले वर्षों का बजट पास करना है, लेकिन कल्याण मंत्रालय द्वारा सदस्यों की नियुक्ति की अभी तक कोई सूचना नहीं होने के कारण असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई है। मान्यवर, 25 मई, 1992 से पहले अगर कल्याण मंत्रालय द्वारा सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो दरगाह कमेटी भंग हो जायेगी। अगर केन्द्र सरकार ने प्रशासन नियुक्त किया तो दरगाह ख्वाजा ऐक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। पिछले 11 महीनों से नाजिम का पद खाली है और प्रशासन का पद जो दरगाह की आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी लेता है, उसके लिये साक्षात्कार ले लिये गये, पैनल बन गया लेकिन 11 महीनों से जगह खाली है।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : स्पीकर सर, यह बहुत अहम मसला उठाया है। मैंने इसमें वेलफेयर मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलायी थी कि एडमिनिस्ट्रेटर की जगह खाली है, चेयरमैन की जगह खाली होने वाली है, मेम्बरों की जगह खाली है और इंतजाम में बहुत परेशानियां हो रही हैं। लिहाजा जल्द से जल्द उनको न ये के खाली जगह भरनी चाहियें बल्कि पूरे ऐक्ट के ऊपर जो 36 साल पुराना हो गया है तजुर्बे की रोशनी में फिर से निगाह डालनी चाहिये और उसमें जरूरी तरमीम करने की कोशिश करनी चाहिये। वेलफेयर मिनिस्टर यहां मौजूद है, मैं चाहता हूं कि वह इसके बारे में खातिर ख्वाह यकीन दहानी दें।

[جناب سیّد شہاب الدّین (کشن گنج)

اسپیکر سر، یہ بہت اہم مسئلہ اٹھایا ہے - میں نے
اِس میں ویلفیئر منسٹر صاحب کی توجّہ دِلائی تھی
کہ ایڈمنسٹریٹر کی جگہ خالی ہے، چیرمن کی جگہ
خالی ہونے والی ہے، ممبروں کی جگہ خالی ہے اور
اِنتظام میں بہت پریشانیاں ہو رہی ہیں - لہذا
جلد سے جلد اِن کو نہ یہ کہ خالی جگہ بھرنی چاہیئے
بلکہ پورے ایکٹ کے اوپر جو 36 سال پرانا ہو گیا
ہے، تجربے کی روشنی میں پھر سے نگاہ ڈالنی چاہیئے
اور اِس میں ضروری ترمیم کرنے کی کوشش کرنی
چاہیئے - ویلفیئر منسٹر یہاں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں
کہ وہ اِسکے بارے میں خاطر خواہ یقین دہانی کریں]

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्यवर, जहां तक दरगाह समिति की बात है, 17 तारीख के पूर्व सभी चीजें पूर्ण हो जायेंगी। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी॰ गंगा रेड्डी (निजामाबाद) : महोदय, आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद जिले के नामीपट में गन्ने की खेती करने वाले एक किसान द्वारा आत्महत्या किये जाने की घटना सहकारी चीनी मिल के अधिकारियों द्वारा

गन्ने की आपूर्ति हेतु अनुमति-पत्र जारी नहीं किये जाने में बरती गयी उपेक्षा तथा उसके साथ अमानवीय व्यवहार किये जाने एवं कुछ अन्य कारणों से हुई है। आत्महत्या द्वारा हुई इस मृत्यु की घटना के कारण मेरे निर्वाचन क्षेत्र में किसानों में भारी उत्तेजना फैल गयी है और अब एक आन्दोलन हो रहा है। **(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा): महोदय, हमारे देश के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश . . . .

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आपने कुछ अन्य मुद्दे उठाने का नोटिस दिया है। मैं आपको सिर्फ उस मुद्दे पर ही बोलने की अनुमति दे रहा हूँ।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: बिना नोटिस आप इसे नहीं उठा सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी: महोदय, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति देने के कारण मैं आपका बहुत ही आभारी हूँ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पश्चात जिस दंगे ने पूरे देश को हिला दिया था उस मामले में छान-बीन करने वाले आयोग की अध्यक्षता श्री रंगनाथ मिश्र ने की है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपने किसी अन्य मुद्दों के सम्बन्ध में नोटिस दिया है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी: उतकर जनरलिस्ट एसोसिएशन की मीटिंग को सम्बोधित करते हुए उन्होंने इस तथ्य पर अप्रसन्नता व्यक्त की कि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात दूसरा भाग जिसमें उन्होंने इस बारे में कुछ सिफारिशें की थीं कि इस प्रकार के दंगों की पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाये, जनता में साम्प्रदायिक सौहार्द, आपसी भाईचारे की भावना कैसे पैदा की जा सके, आदि, सदन के सभा पटल पर नहीं रखा गया है। यह एक प्रकार का अभ्यारोपण है। हमारा क्या कर्तव्य है? जो उन्होंने कहा है उस पृष्ठभूमि में जो सरकार पर जो आरोप लगाया गया उसको ध्यान में रखते हुए मैं मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का दूसरा भाग सभा पटल पर रखने की मांग करता हूं। मैं वरिष्ठ मंत्री से उत्तर चाहता हूँ जो इस समय यहाँ उपस्थित है।

अध्यक्ष महोदय: आज माननीय सदस्यों ने इस अवधि के दौरान शानदार सहयोग दिया है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ और कार्यसूची के दूसरी मद पर आता हूँ—सदन के सभापटल पर रखे जाने वाले पत्र।

12.42 म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के लिए समझौता ज्ञापन

विद्युत और गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): मैं राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड और विद्युत विभाग, भारत सरकार के बीच वर्ष 1991-92 के समझौता ज्ञापन

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1886/92]

अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1971 की धारा 37 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (छुट्टी) विनियम, 1990, जो 21 अगस्त, 1990 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 719 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(दो) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) संशोधन विनियम, 1991, जो 21 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/एससी/13/73-खंड-IV (पीटी) 418 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(तीन) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकारण (विमान पत्तनों का प्रबंध) संशोधन विनियम, 1991, जो 15 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सचिवालय 101/5/82 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

(चार) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि तथा परिवार पेंशन निधि) संशोधन विनियम, 1991, जो 28 जनवरी, 1992 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पर्स/1114/75-खंड-VI में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1887/92]

महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड का वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडु) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(2) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(3) महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1990-91 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 1888/92]

12.43½ म० प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुरूप 29 अप्रैल, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1990 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम III के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुरूप 29 अप्रैल, 1992 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक 1992 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है ।"

12.43½ म० प०

राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक

महासचिव : महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा यथापारित निम्नलिखित विधेयकों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान (इकहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990

(2) संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1992

12.44½ म० प०

कृषि समिति

प्रथम प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश

श्री जे० चोक्का राव (करीमनगर) : महोदय, मैं वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग) कृषि ऋणों के वितरण में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की भूमिका संबंधी कृषि समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा इससे संबंधित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करता हूं ।

12.45 म० प० राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग विधेयक*

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अल्पसंख्यक आयोग के गठन तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

[हिन्दी]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री सीताराम केसरी : मैं विधेयक ** पुन:स्थापित करता हूँ ।

---

*दिनांक 4-5-92 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश के साथ पुर:स्थापित ।

12.45½ म० प०

वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक* 1992

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : श्री माधव सिंधिया की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया उपक्रमों का क्रमश: इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड के रूप में बनी और रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को अंतरण और उनमें निहित करने का तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए और वायु निगम अधिनियम, 1953 का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया उपक्रमों का क्रमश: इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड के रूप में बनी और रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को अंतरण और उनमें निहित करने का तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए और वायु निगम अधिनियम, 1953 का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

---

*दिनांक 4-5-92 के भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2, खण्ड 2 में प्रकाशित ।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को पेश करने का विरोध करना चाहता हूं । मैं इससे संबंधित तीन बातें आपके सामने रखना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि लैजिस्लेशन इनकम्पलीट-लैजिस्लेशन है । आपके हाथ में यह बिल की कॉपी है या नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप इसको देख लें । आप अगर इसके पहले ही वाक्य को देखें, तो पायेंगे ।

[अनुवाद]

"इंडियन एयरलाइन्स और एअर इंडिया उपक्रमों का क्रमशः इंडियन एयर लाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड के रूप में गठित और पंजीकृत कंपनियों को अंतरण और उनमें निहित करने का उपबन्ध करने वाला विधेयक ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मूल पा० संबंधी अशुद्धि **(व्यवधान)** मूल पा० संबंधी गलती **(व्यवधान)** ।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज : अर्थ यह हो रहा है कि यह कंपनी बन चुकी है । अगर आप इसके स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स और रीजन्स पर अपनी नज़र ले जायेंगे, तो आप इसके पहले पैराग्राफ में देखेंगे—

[अनुवाद]

". . . नई आर्थिक नीति के अधीन गतिशील उदारता के भाग के रूप में, विमान-परिवहन सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर द्वारा विनिधान करने की अनुज्ञा दे दी गई है । अतः इस अधिनियम का निरसन करना आवश्यक समझा गया है ।

2. विधेयक की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :

**　　　　**　　　　**

(ख) निगमों के उपक्रमों का दो प्रस्तावित कंपनियों में . . ."

[हिन्दी]

यानि कि कंपनी बनी नहीं है और विचार है, दो कंपनीयां बनाने का । वही बात को आप अगर सब-क्लाज़-तीन में देखेंगे कि इसमें क्या आता है ।

[अनुवाद]

"अर्थात एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड । ऐसा करने से दोनों निगमों की आस्तियां और दायित्वों का दोनों प्रस्तावित कम्पनियों को अंतरण होगा;

(ग) सभी लाइसेंस, परमिट, कोटा तथा छूटों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे प्रस्तावित कंपनियां को दी गई है :

(घ) कर की छूटें　　　　प्रस्तावित कम्पनियों को;

[हिन्दी]

बी, सी और डी, चार जगहां यह प्रपोज्ड कंपनी आपके सामने है । एक तो इसका अर्थ यह लगाया जा सकता है, अभी तय नहीं हुआ है कि कंपनी बनेगी या नहीं । मुझे तो इसमें धोखा नज़र आ रहा है । यह मामला केवल ड्राफटिंग का नहीं है । जैसा सोमनाथ जी ने कहा, मैं इसको वहीं तक सीमित नहीं रख रहा हूं, यह मामला थॉटलैस ड्राफटिंग का नहीं है । ...(व्यवधान)... यह इनकम्पलीट लैजिस्लेशन है, यह मैं इसलिए भी मानता हूं कि अगर आप इसके पैराग्राफ सैक्शन-3 पर देखें—

[अनुवाद]

"3. उस तारीख को, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(क) इंडियन एयर लाइंस लिमिटेड: और

(ख) एयर इंडिया लिमिटेड:

को क्रमश: इंडियन एयरलाइंस के उपक्रम और एयर इंडिया के उपक्रम का अंतरण किया जायेगा और वे उसमें निहित होगें ।

[हिन्दी]

ये क्या चीज़ें हैं ? हम जानते हैं, कंपनी इनकारपोरेट करने के लिए कोई भी पांच लोग आकर आज अपने नाम से कंपनी को रजिस्टर करा सकते हैं । कल का दिन पूरा होने से पहले मैं स्वयं जाकर एयर इंडिया लिमिटेड करके कंपनी को फ्लोट कर सकता हूं या न्यू एयर इंडिया लिमिटेड करके कंपनी फ्लोट कर सकता हूं, कोई भी कर सकते हैं । आपकी एयर इंडिया लिमिटेड कंपनी बनी हैं या नहीं बनी है ? इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड कंपनी बनी है ? या नहीं बनी है : इसलिए इनकम्पलीट लैजिस्लेशन का जो अधूरापन है, इस बारे में पहला वाक्य बता दिया और एम्स-एंड-आब्जैक्ट्स के कन्फयूजन को आपके सामने रखा । अगर हम लोगों को, इस सदन को जानकारी नहीं मिलती है, तो हम एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953 को रिपील करने के लिए सरकार को कैसे इजाजत दे सकते हैं । यह कानून मात्र कानून नहीं है, एयर इंडिया के कामकाज को देखने वाला कारपोरेशन, इंडियन एयर लाइन्स के कामकाज को देखने वाला कारपोरेशन, ये दो कारपोरेशन्स, जिनकी कुल मिलाकर चार-पांच हज़ार करोड़ रुपए दौलत है और एसैट्स हैं । कल उसके रिपील का सवाल आया, तो उससे भी ज्यादा पूंजी का सवाल है । अगर आप उसको कैपिटलाइज़ करने की बात करेंगे तो अपनी समझ से उस कंपनी के पास जो आज उसकी दौलत है, उसको नए सिरे से खरीदने की बात करें, तो 14-15 हज़ार करोड़ रुपए की बात हो सकती है । इतनी पूंजी को आप हमें दो वाक्योंमें कह रहे हैं कि रिपील करेंगे, तो आप इसको किसके हाथों में देने जा रहे हो, यह स्पष्ट होना चाहिए । जब तक यह स्पष्ट नहीं होता है, यह दौलत कहां आएगी, किसके हाथों में जाएगी, तो अध्यक्ष जी, इसका अधूरापन बहुत स्पष्ट है ।

[अनुवाद]

इस आधार पर कि यह एक अधूरा कानून है ।

[हिन्दी]

आपको इसको इंट्रोडयूस करने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नं० 1, मैं नं० 2 पर आता हूं । अध्यक्ष जी,

मेरी अपनी समझ से यह मनी बिल है और वह मनी बिल मैं कैसे आपके सामने रखना चाहता हूं ।

अध्यक्ष जी, अनुच्छेद 110(1) (ख) में यह उल्लेख किया गया है :

[अनुवाद]

"इस अध्याय के प्रयोजन से, यदि किसी विधेयक में निम्नलिखित सभी प्रावधानों अथवा किसी भी एक प्रावधान से संबध्द मामलों का समावेश होता है, तो इस विधेयक को धन विधेयक माना जाएगा :—

(ख) भारत सरकार द्वारा किसी किस्म की कोई गारन्टी देना अथवा ऋण लेने संबंधी विनियमन, अथवा भारत सरकार द्वारा वहन किये गये अथवा वहन किये जाने वाले वित्तीय दायित्वों के संबंध में कानून में संशोधन ।"

[हिन्दी]

अब अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि वहन किये गये अथवा वहन किये जाने वाले दोनों ही मामले में यह बिल मनी बिल हो जाता है । मेरे पास यहां पर वह कानून है जिसको एयर कार्पोरेशन एक्ट 1953, मई 1953 में इस सदन में पारित किया था । अध्यक्ष जी, इसमें सेक्शन 10 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं —

[अनुवाद]

"केन्द्र सरकार प्रत्येक निगम के संबंध में, इसकी स्थापना होने तक जो भी 'नॉन-रिक्वायरिंग' खर्च करती है और उस खर्च को पूंजी खर्च घोषित करती है, तो ऐसा खर्च ऐसी पूंजी माना जायेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा इस निगम को प्रदान की हो ।"

[हिन्दी]

यही है सेक्शन 10(2) (बी), उसी का कुछ और अधिक सफाई करता है । अब मेरा यह कहना है कि अगर आप 110 को पढ़ेंगे जो पूंजी गई है यह तो कंसोलीडेटिड फंड से गई है इस कम्पनी में, यानी एयर कार्पोरेशन, दोनों एयर कार्पोरेशंस की जो पूंजी है ।

[अनुवाद]

मैं केवल पूंजी की बात कर रहा हूं । मैं चल पूंजी और ऋण की बात नहीं कर रहा हूं ।

[हिन्दी]

भारत सरकार ने ये कार्पोरेशंस को बनाते वक्त इस कानून के अंतर्गत राष्ट्रपति के माध्यम से इस कार्पोरेशन को पूंजी देने का काम किया है । एयर इंडिया के पास आज जो केपिटल है यह बहुत केपिटल नहीं है और यह बहुत चिन्ता का विषय इसलिए उस पर मैं अभी नहीं बोलूंगा, एयर इंडिया का पेडअप केपिटल है मात्र 89 करोड़ रुपया, दो-ढाई हजार करोड़ की दौलत इस वक्त उससे ज्यादा और यह दौलत जैसा मैंने कहा कि अगर आज नए सिरे से खरीदने जाओगे तो पांच-सात हजार करोड़ की हो जाएगी । एयर इंडिया का केपिटल है मात्र 89 करोड़ रुपया और इंडियन एयर लाइंस का केपिटल है मात्र 54 करोड़ रुपए, अब 54 करोड़ का इंडियन एयर लाइंस और 89 करोड़ का एयर इंडिया, यह जो पूंजी है यह पूंजी कंसोलीडेटिड फंड से राष्ट्रपति के नाम से शेयर के तौर पर आज दे

16—20 LSS/ND/93

दोनों कार्पोरेशंस में पड़ी है तो अनुच्छेद 110 अध्यक्ष जी, बहुत ही स्पष्ट है। इस पर कोई विवाद के लिए गुंजाइश नहीं है।

[अनुवाद]

इसमें कहा गया है :—

"भारत सरकार द्वारा किसी किस्म की कोई गारन्टी देना अथवा ऋण लेने संबंधी विनियमन, अथवा कानून में संशोधन . ." अब आप कानून में संशोधन कर रहे हैं। निरसन का मतलब है कानून में संशोधन उस कानून में संशोधन है जो किये गये वित्तीय दायित्वों के संबंध में है। भारत सरकार ने वित्तीय दायित्व वहन किये हैं। दो निगमों में राष्ट्रपति जी का अपना भी शेयर है और ये शेयर आप हर किसी को नहीं दे सकते यह संसद विनियोजन विधेयक पारित कर चुकी है। आप किसी भी विशिष्ट प्रयोजन के लिये विनियोजन विधेयक के द्वारा ही धनराशि प्राप्त कर सकते हैं। क्या वित्तमंत्री अथवा नौकरशाही या फिर अधिकारीगण कल यह कह सकेंगे कि यह धनराशि उन्होंनें किसी प्रकार संसद से प्राप्त की है और वे इस धनराशि को जिस किसी को भी चाहें, वितरित कर सकते है? आपके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में अनुच्छेद 110 बहुत ही स्पष्ट है।

[हिन्दी]

मगर उसमें जो गारंटी का सवाल है, उसको भी आप देख लीजिएगा। यह कानून गारंटी देता है।

[अनुवाद]

यदि आप इस कानून, जोकि पुरःस्थापित किया जाना चाहिये, के संगत धारा 4 को देखें, तो इसमें यह कहा गया है :—

"यदि किसी निगम के किसी उपक्रम का धारा 3 के अन्तर्गत किसी अन्य कंपनी के अन्तर्गत स्थानान्तरण कर दिया जाता है तो यह माना जायेगा कि इस निगम कें ऐसे उपक्रम के स्वामित्व अथवा अधिकार में, भारत में अथवा भारत से बाहर जो भी परिसम्पतियां, अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार तथा सभी किस्म की चल और वास्तविक अथवा व्यक्तिगत संपति आदि है, और इसके साथ-साथ उस उपक्रम से जुड़े बही-खाते तथा दस्तावेज व ऐसे सभी ऋण, दायित्व आदि जोकि इस समय निगम के उस उपक्रम से जुड़े होते हैं, वे भी स्थानान्तरित हो जायेंगे।"

[हिन्दी]

यानि फिर कारपोरेशन के हाथों में जो आज जिम्मेदारी है, जो भारत सरकार के कैपिटल के ऊपर, कंसोलीडेटिड फण्ड से दिए गए पैसे के ऊपर, आज जो दौलत है उसको ट्रांसफर करने का काम आप कर रहे हो तो मेरा कहना है कि अनुच्छेद 110 पर भी आपको बाकायदा मनी बिल के तौर पर आपके सामने विधेयक को लाना अति-आवश्यक था। इसलिए यह मनी बिल है। इसलिए मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन के अलावा यह बिल सदन में नहीं आ सकता है, क्योंकि जिन्होंने, जिस सदन ने पैसा दिया है आज वह उस पैसे को और कहीं भी पहुंचाने का काम करना हो तो बाकायदा आपको यू ए मनी बिल अंडर अनुच्छेद 110 आना जरूरी है।

मेरा विरोध करने का तीसरा कारण है वह यह है कि आउटसाईड व लैजिस्लेटिव काम्पीटेंस । मैं जानता हूं आप इस पर हमें टोक सकते हैं, मगर कैसे लैजिस्लेटिव काम्पीटेंस के बाहर है, इसको आपको सामने मैं रखूंगा । सदन में इसका कोई मतलब है या नहीं, जब यह पास किया था ।

[अनुवाद]

मैं यह तो नहीं जानता कि क्या ये न्यायोचित हैं अथवा कानून से बाहर है,

[हिन्दी]

मुझे नहीं मालूम । क्योंकि विशेष परिस्थिति में यह फण्डामेंटल ड्यूटीज नाम की एक चीज हमारे संविधान में ज़ोड़ने का काम किया था । मैं उसको आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि कभी कभी हम इसको भी याद करें । आज जो सारी नीतियां देश में चल रही हैं और जो तर्क मंत्री जी ने स्टेटमेंट ऑफ आब्जैक्शन एण्ड रीजन्स में दिए हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए,

[अनुवाद]

मैं संविधान में वर्णित 'मूल कर्तव्य' से कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं :—

"भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और इसके आदर्शों और संस्थाओं का आदर करे . . . . . तथा स्वतन्त्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे ।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, स्वदेशी, स्वावलम्बन की बात हम लोग करते हैं । यह वह चीजें है जिनको हम लोग आज नयी आर्थिक नीति में भूल जाने का काम करते हैं । वही मेरी राय में कारण है कि मंत्री जी आज इस बिल को हम लोगों के सामने ला रहे है यह कह कर कि इन द न्यू इकोनामिक पॉलिसी प्राइवेट सैक्टर इनवैस्टमेंट को हमको लेना है यानि पिछले लगभग 40 साल, सन् 1953 से, आज हम 1992 में हैं, लगभग 40 सालों में जिस संस्था पर हम लोगों को गर्व है, एयर इण्डिया और इंडियन एयर लाइन्स में बहुत कमजोरियां हैं, खामियां है, दोष हैं, सब मुझे मंजूर हैं, लेकिन आप भी काफी घूमते है, हम भी घूमते हैं, सदन में आम तौर पर सभी लोग घूमने वाले लोग हैं, हम लोगों की एयर लाइन्स और विश्व की किसी भी एयर लाइन्स की अगर तुलना करनी है तो मैं इतना कहीं भी खड़े हो कर गर्व से कह सकता हूं कि हमारी एयर लाइन्स के बारे में ऐसी कोई शिकायत करने जैसी बातें नहीं हैं जो और एयर लाइन्स में शिकायतें हो सकती हैं । तो जिस संस्था पर हमें गर्व है, जिस संस्था को पब्लिक सैक्टर के तौर पर यहां पर चलाने का काम हुआ, मैं आपका ध्यान डायरेक्टिव प्रींसिपल्स पर अभी इसलिए खींच रहा हूं कि यहां पर दो ऐसी बातें है जिसको आपको बड़ी गम्भीरता से लेना चाहिए, इस प्रकार के मामले यहां आते हुए, वर्ना हमारे जैसे लोगों को कल एक ही सहारा बचेगा, अदालत का सहारा । हम नहीं चाहेंगे कि सदन में रहते हुए अदालत का सहारा लेने की जरूरत आ जाए । मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं पैरा 39 की ओर ।

[अनुवाद]

मैं राज्य की नीति के निदेशक तत्व के लिए अनुच्छेद 39 के उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :—

"राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से समुदाय की भौतिक सम्पदा का स्वामित्व और नियन्त्रण इस प्रकार बंटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो।"

मैं आर्थिक व्यवस्था के संचालन के लिए अनुच्छेद 39 (ग) के उद्धरण भी प्रस्तुत करना चाहूंगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है।

"आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन . . . . . . का संकेन्द्रण न हो . . . (व्यवधान)।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इस पर कांस्टीच्यूएंट असेम्बली में बहुत चर्चा हुई है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं इसको इसलिए ही छेड़ रहा हूं।

श्री विजय एन॰ पाटील (इरनदोल) : अध्यक्ष जी, क्या इनको आधा घण्टा दिया है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, यह निर्णय आपने नहीं लेना है। कृपया बैठ जाइये। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून के बहुत ही अच्छे विषय पर बोल रहे हैं। इन्होंने ऐसी एक भी बात नहीं कही जो कि विषय संदर्भ से बाहर हो।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, मुझे नीति के निदेशक तत्वों पर अनुच्छेद 39(ग) के उद्धरण रखने दीजिए।

"राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से—(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन-साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेन्द्रण न हो।"

[हिन्दी]

यह कानून इसके विरुद्ध जा रहा है। अगर कोई कहे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, तो मेरा कहना यह है कि आप 37 देख लीजिए। 37 यह कहता है:—

[अनुवाद]

"इस भाग में अन्तर्विष्ट उपबन्ध किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे किन्तु फिर भी इन में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।"

[हिन्दी]

1.00 म॰ प॰

अदालत अलग चीज है, हम लोग अलग चीज हैं। मेरी आपके सामने यह सबमिशन है कि इस प्रिंसिपल को स्टेट इस कानून को लाते वक्त छोड़ रहा है। क्योंकि जहां सरकार के हाथ में कोई भी प्रतिष्ठान रहा और जिस पर हम लोगों को गर्व है। इस प्रतिष्ठान को उठाकर नीचे हाथ में देने का काम करने जा रहे

हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का सीधा आदेश था स्टेट्स को—

[अनुवाद]

न्यायालय द्वारा प्रवर्तन तो एक अलग बात है किन्तु राज्य द्वारा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना इससे अलग बात है।

[हिन्दी]

आप इसका हनन कर रहे हैं।.   (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जहां तक क्षमता का संबंध है,

[हिन्दी]

प्रिंसिपलज आपने बताया तो इस बिल की थर्ड स्टेज पर आप जरूर कह सकते हैं।

[अनुवाद]

और आप अपनी बात रख सकते है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: धन विधेयक की बात का क्या रहा?

अध्यक्ष महोदय: धन विधेयक की योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। जहां तक इस कानून की क्षमता का संबंध है, हमें तीनों सूचियों को देखना पड़ेगा।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार): श्री फर्नान्डीज जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विषय उठाया है। ऐसे अवसरों पर अध्यक्ष महोदय को महान्यायवादी से भी पूछने की आवश्यकता हो सकती है....

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं आवश्यक समझूंगा तो मैं उसे करूंगा। मुझे अपने विवेक का इस्तेमाल करने दीजिए।

श्री मुहम्मद यूनुस सलीम: यह केवल धन का ही मामला नहीं है बल्कि संविधान की व्याख्या भी है।

अध्यक्ष महोदय: यदि मुझे कुछ संकोच होता है, तो मैं इसे करूंगा और यदि मुझे विश्वास हो जाता है तो मैं इसे नहीं करूंगा।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: मैं दो और धाराओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जहां तक लेजिस्लेटिव कैपीटेंस का सवाल है:—

[अनुवाद]

संविधान के अनुच्छेद 266(3) भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक खाते के अन्तर्गत यह उल्लेख किया गया है:

"भारत की संचित निधि या राज्य की संचित निधि में से कोई धनराशियां विधि के अनुसार तथा इस संविधान में उपबन्धित प्रयोजनों के लिए और रीति से ही विनियोजित की जाएंगी, अन्यथा नहीं।"

[हिन्दी]

यह मैंने आपको बताया कि मनी बिल के तौर पर यह पेश नहीं हुआ।

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : उस दिन ही हमने विनियोजन विधेयक को अनुमोदित किया है जिसके द्वारा इस मंत्रालय को भी धनराशि आबंटित की गई है। ये लोग केवल उस धनराशि का ही विनियोजन कर रहे हैं जिसकी हमने पहले से ही स्वीकृति दे रखी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है। इसमें भी दूसरों को देना है। .... **(व्यवधान)**। मनी बिल के तौर पर जो तर्क है, वह आपके सामने रखा है। मैं इस कांस्टीट्यूशनली मुद्दे को यहां पर उठा रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं इसे अनुच्छेद 283 के साथ पढ़ता हूं। अनुच्छेद 283(1) में यह कहा गया है:—

"भारत की संचित निधि और भारत की आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, ऐसी निधियों में धनराशियों के संदाय, उनसे धनराशियों के निकाले जाने, ऐसी निधियों में जमा धनराशियों से भिन्न भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त लोक धनराशियों की अभिरक्षा, भारत के लोक खाते में उनके संदाय और ऐसे खाते से धनराशियों के निकाले जाने का तथा पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक अन्य सभी विषयों का विनियमन, संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा किया जाएगा और, जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबन्ध नहीं किया जाता है तब तक राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा किया जाएगा।"

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि पैसे का किस तरह से इस्तेमाल हो। हिन्दुस्तान की जनता का पैसा सरकार के पास होने का मतलब है कि एक-एक पाई का किस तरह से इस्तेमाल हो। यह अनुच्छेद 283 और 266(3) में बहुत स्पष्ट किया है। मेरा अनुरोध है कि जहां मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात की है,

[अनुवाद]

यह राज्य का कर्तव्य है, यह राज्य का दायित्व है। जहां तक राज्य का संबंध है, इसके लिए उसके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है।

[हिन्दी]

यह आर्टिकल में है कि पैसे का इस्तेमाल किस तरह से हो, बहुत स्पष्टतः है।

[अनुवाद]

यह भी विधायी क्षमता से बाहर की बात है। इस विशेष विधेयक को पुर:स्थापित करना और इस विधेयक पर इस तरह से चर्चा करना इस सभा की विधायी क्षमता से बाहर की बात है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, क्या आप मुझे अनुमति देंगे?

अध्यक्ष महोदय: जी, हां।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं अपने साथी फर्नान्डीज को बधाई देता हूं जिन्होंने इस चरण में भी इस महत्वपूर्ण विषय को उठाया है। इनमें से कुछ प्रश्न हमें सटीक लगे हैं और हमने यह सोचा है कि इन प्रश्नों को हम बाद में उठायेंगे।

महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। श्री फर्नान्डीज जी ने जो कहा है, मैं भी वहीं कहूंगा। मूल प्रश्नों में से एक तो यह है। यह कानून इस बात की व्याख्या करता है कि सरकारी उपक्रमों को सूची सम्पत्तियों और परिसम्पत्तियों सहित ऐसी दो कंपनियों में समाहित किया जायेगा जो कि अस्तित्व में ही नहीं हैं।

महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कृपया खण्ड 3 को देखिये। इसमें यह कहा गया है कि:

"केन्द्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के तहत जो तिथि निश्चित करती है, इस तिथि को स्थानान्तरित होकर निम्नलिखित में समाहित हो जाएंगे:

(क) इंडियन एयरलाइन्स लिमिटेड, इंडियन एयरलाइन्स का उपक्रम; और

(ख) एयर इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया का उपक्रम।"

कंपनी अस्तित्व में ही नहीं है। इस कंपनी को क्या गठना होगा? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सार्वजनिक क्षेत्र में होगी अथवा क्या संयुक्त क्षेत्र में होगी या फिर यह निजी क्षेत्र में होगी। इस कंपनी की पूंजी क्या होगी? इस कंपनी के निदेशक कौन होंगे? इसके बारे में कहीं भी कुछ निर्धारित नहीं है। मैं इसे पढ़ रहा था और कहीं भी यह निर्धारित नहीं है।

इसी प्रकार एअर इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ भी निर्धारित नहीं है। महोदय, यह पहले ही मान लिया गया है कि मौजूदा कंपनियों में इन दो निगमों की परिसंपत्तियां निहित होंगी।

आप उद्देश्य एवं कारणों के विवरण को देखें। यह सही कहा गया है कि उद्देश्य और कारणों के विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि "निगम के उपक्रमों को दो प्रस्तावित कंपनियों में निहित किया जाएगा।" परन्तु मुख्य भाग में इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। उद्देश्य और कारण इसके संविधान के अंग नहीं हैं। यदि इसमें कोई जटिलता होती तो इसकी ओर ध्यान दिया जा सकता है। खण्ड-3 में कोई जटिलता नहीं है, मौजूदा कंपनियों को पहले ही मान लिया गया है। अब संसद को इस हालत में एक विधेयक पुर:स्थापित करने की अनुमति देने के लिए कहा जा रहा है। जो कि अपने आप में एक अपूर्ण विधेयक है। महोदय, संसद कानून पर विचार कैसे कर सकती है जबकि हम यह नहीं जानते हैं कि क्या यह विहितार्थी के बनाया गया है या उस कम्पनी के लिए जिसमें परिसंपत्तियां निहित होंगी और वह सार्वजनिक क्षेत्र में है या निजी क्षेत्र में, यह बहुत गंभीर मामला है।

अत: यह ठीक ही कहा गया है कि क्या लोगों का धन निजी क्षेत्र में जा रहा है । हमें इस बारे में नहीं बताया जा रहा है या क्या यह संयुक्त क्षेत्र को जाएगा । दूसरी ओर यह दर्शाया गया है । कृपया आप इसे देखें ।

"सरकार से बजटीय समर्थन पर नितान्त रूप से निर्भर रहने के बजाए इक्विटी निधियों के लिए पूंजी बाजार को नियंत्रित करने की आवश्यकता जैसा कि अधिनियम में कहा गया है । नई आर्थिक नीति के तहत प्रस्ताव में उदारीकरण सेट के भाग के रूप में हवाई परिवहन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी निवेश करने की अनुमति दी गई है ।"

महोदय, इसकी अनुमति कहां दी गई है ?

अध्यक्ष महोदय: हवाई टैक्सियों की अनुमति दी गई है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ऐसा नीति में है । परन्तु अधिनियम के बारे में क्या है ? यहां पर यह बात स्पष्ट हो गई है कि इस नीति को लागू करने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है । परन्तु अधिनियम के मुख्य भाग में उन्होंने कहीं पर भी यह बात नहीं कही है । अत: हम इस खण्डित कानून, इस अपूर्ण कानून से सहमत नहीं हो सकते हैं । जैसा कि मैंने पहले कहा है कि यह बिना सोचा-समझा काम है और इसके अलावा सिद्धान्त रूप से हम इसके एकदम विरुद्ध हैं । क्योंकि यह विदेशी शक्तियों के कहने पर इस देश को बेचना है । मुझे खुशी है कि आज डा॰ देवी प्रसाद पाल ने एशियाई विकास बैंक पर भारत को आसान शर्तों पर ऋण न देने के बारे में संयुक्त राज्य अमरीका के दबाव के बारे में मामला उठाया है । वे हरेक मामले में ऐसा कर रहे हैं ।

महोदय, हम 3 बजे जा रहे हैं । मैं डा॰ पाल और सत्ता पक्ष के उनके मित्रों को 3 बजे अमरीकन दूतावास के सामने हमारे साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं ।

महोदय, वह सुन नहीं रहे हैं । वह कहते हैं मगर सुनते नहीं हैं । वह आना नहीं चाहते हैं ।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें सदन के बाहर निमंत्रण दिया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सारी मुश्किल तो सदन के अन्दर है । वे वहां पर आनी चाहिए । मैं उन्हें और उनके दोस्तों को आमंत्रित कर रहा हूं । अत : अति महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : सोमनाथ आप दो मुद्दों पर मेरी सहायता कर सकते हैं । इण्डियन एअरलाइंस लिमिटेड, इंडियन एअरलाइंस का एक उपक्रम है । इसका मतलब है कि वह किस तरह का उपक्रम होगा । क्या यह स्पष्ट हो गया ?

श्री सोमनाथ चटर्जी: बिलकुल नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड इंडियन एअरलाइंस का और एअर इंडिया लिमिटेड, एअर इंडिया का एक उपक्रम है । हमारे पास दो निगम मौजूद है अर्थात इंडियन एअरलाइंस एवं एअर इंडिया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह नहीं बन सकती हैं । यह मानता है कि अब इंडियन एअरलाइंस की सभी परिसंपत्तियां "इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड" के पास होंगी । हमें मालूम नहीं है कि क्या इसे कानून के तहत समायोजित किया जाएगा । इसका संयोजन कैसा है हमें मालूम नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं । आप मेरी सहायता कर सकते हैं । अब सरकार इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड बनाने के प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं । इसका इंडियन एअरलाइंस बनने से कोई संबंध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : इस अधिनियम से यह नहीं बनता है परन्तु ऐसा पहले ही मान लिया गया है कि इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड बनेगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, नहीं । महोदय, यदि मैं ऐसा कहूं कि इसमें न केवल मौजूदा निगमों में इसे निहित करने का प्रावधान है बल्कि ऐसा ही होना चाहिए । साथ ही इसमें यह भी नहीं कहा गया है कि इस कंपनी को जिसे इंडियन एअरलाइंस कंपनी लिमिटेड के नाम से गठित किया जाएगा उसमें भी इसे निहित किया जाए । . . . . **(व्यवधान)** . . . . किसी भी संविधान के तहत कोई कंपनी गठित नहीं की गई है । यदि वे कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें इसका प्रावधान करना चाहिए, इसमें ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है । इसमें एक मौजूदा कंपनी के लिए प्रावधान किया गया है और इसे एक मौजूदा कंपनी निहित करने का प्रावधान किया गया है । आपको यह बात कहीं नहीं मिलेगी और यदि एक बार कोई तिथि निर्धारित कर ली जाती है तो निहितीकरण तत्काल हो जाएगा ।

अध्यक्ष महोदय : किसमें निहित करना ? अब यह एक समर्थ कानून है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इस अधिनियम का पूरा आधार यह खण्ड है ।

अध्यक्ष महोदय : इस कानून से इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया को अपनी परिसंपत्तियां इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड और एअर इंडिया लिमिटेड को अंतरित करने में सहायक होगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : तिथि निर्धारित हो सकती है । . . . .यह एक अति गंभीर मामला है । संसद ऐसे समय में इंडियन एअरलाइंस और एअर इंडिया लिमिटेड के उपक्रमों के निहितकरण का अनुमोदन करने वाली है जब हम इस पर विचार कर रहे होंगे । हमें अभी भी यह मालूम नहीं है इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड क्या है ? इसका स्वरूप क्या होगा यह सार्वजनिक क्षेत्र में होगा या निजी क्षेत्र में होगा ? अत : उसके बाद इस कानून को उनके द्वारा अपने आप पारित कर लिया जाता है तो वे कंपनी अधिनियम के तहत एक कंपनी बनाएंगे और यह जाने बिना कि हम इस कानून को पास करेंगे, इसे पूर्णरूप से निजी क्षेत्र को दे देंगे । यह मूल प्रश्न है । मैं उनसे अन्य सदस्यों द्वारा उठाए गए वित्तविधेयक और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के अलावा इस पर विचार करने का विनम्र निवेदन करता हूं । अत : यह मन लगाकर न किया गया एक तरह उपाय है और जो उपाय किया जा रहा है वह अपूर्ण उपाय है । अत : सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करने से पहले एक तरह की कंपनी अस्तित्व में आ जाएगी । उन्हें यह कैसे मालूम हुआ कि इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड नाम की कंपनी होगी ? इसका गठन किस तारीख से किया जाएगा ? इसके लिए कानून है । वे निर्देश नहीं दे सकते हैं, संसद निर्देश नहीं दे सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस नाम की ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये नाम होगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसी बात को समझने की कोशिश कर रहा था । इसमें कहा गया है "इंडियन

एअरलाइंस का", अब यह कंपनी इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड नाम से इंडियन एअरलाइंस का एक उपक्रम है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इंडियन एअरलाइंस को अपनी परिसंपत्तियां मिल गई हैं। उनमें से अनेक एरोप्लेन्स और एअरक्राफ़्ट्स बेकार हैं। अब ये हवाई जहाज, हरेक वस्तु, सभी परिसंपतियां पूंजी, भवन इत्यादि जो भी इंडियन एअरलाइंस के नाम पर हैं, कृपया देखें—"यह तत्काल इंडियन एअरलाइंस लिमिटेड में निहित हो जाएंगी।" यह एक प्रतिष्ठित और काल्पनिक अवधारणा है। हमें मालूम नहीं है कि यह सब क्या है ? यह कहां है ? यह कब गठित होगा ? इसका गठन कौन करेगा ? इसका स्वामित्व निजी क्षेत्र में होगा या सार्वजनिक क्षेत्र में होगा ? किसी बात की जानकारी नहीं है।

अत : श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक वैध मुद्दा उठाया है कि उद्देश्य और कारण विवरण में इस बात का स्पष्ट संकेत दिया गया है कि यह सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में जाएगा। जिस तरह से इसे किया जा रहा है और जिस तरह से इसे अस्तित्व में लाया जा रहा यह न केवल एक खतरनाक अवधारणा ही नहीं है बल्कि जो कुछ किया जा रहा है उसे मंजूरी मिल जाएगी, संसद रबड़ की मोहर मात्र रह जाएगी वे जो कुछ भी इसके समक्ष रखेंगे संसद कब पारित कर देगी, हम इसका ज़ोरदार विरोध करते हैं।

इसको सुस्पष्ट तरीके से उठाने के लिए श्री जार्ज फर्नान्डीज के प्रति एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूं। कृपया ये मुद्दे हैं, उन्हें शुरूआत करने की अनुमति देने से पहले जिनका समाधान किया जाना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : क्या संसद एअर इंडिया और इंडियन एअरलाइंस की परिसंप्रत्तियों को उस कंपनी में निहित कर सकती है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आई है। यह अभी अस्तित्वहीन कंपनी है, कंपनी का अभी गठन नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले तो जॉर्ज को बधाई दूंगा कि बिना सफलता के भी एक ऐसी धारा का विरोध कर रहे हैं . . . .

एक माननीय सदस्य : . . . सफलता मिलेगी।

श्री चन्द्र शेखर : . . . मुझे मालूम है इसलिए . . . । वह लोग जो बैठे हुए हैं उनसे पूछिए। अध्यक्ष जी, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि जिस दिन आर्थिक नीतियों का इस सदन ने समर्थन कर दिया, उस दिन हमें उसके परिणामों को समझना चाहिए था और हर ऐक्ट, हर बिल, हर कदम इस सरकार का इसी नाम पर आएगा चूंकि संसद ने लिबरलाइज़ेशन को स्वीकार कर लिया है इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके द्वारा केवल इतना ही निवेदन करता हूं कि देश की मर्यादा को गिरवी रखने के बाद यह असंभव सा लगता है कि इस संसद की मर्यादा रह सके लेकिन इस संसद की मर्यादा को रखने का कम से कम दिखावा उनको करना चाहिए। एक दिन मैं आपसे कह रहा था कि जब सरकार न सुने तो आपके ज़रिए देश की जनता को सुनना हम लोगों का फ़र्ज़ होता है। जिस प्रकार से यह विधेयक लाया गया है और जिस तरह से दो कंपनियों को देने की बात है . . . । यह अकेली बात नहीं है, मैं समझता हूं कि कुछ के लिए बिल आए हैं जहां जरूरत नहीं होगी। हमारे एक मित्र ने कहा कि एप्रोप्रिएशन में आएगा मगर एप्रोप्रिएशन नहीं है, मिसएप्रोप्रिएशन है और इसको लाना सदन का काम है। मैं आपसे कहूंगा कि आप लाख कोशिश कर लें, जिनको प्रसन्न करने के लिए यह कदम उठाया है, वह आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। आपने पिछले तीन दिनों में

देखा है और अगले तीन महीनों में देखेंगे, आपकी वही हालत होने वाली है जो गोर्बाचोव साहब की हुई, आपकी वही हालत होने वाली है जो पोलैण्ड की हुई, आपकी वही हालत होगी जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज की हुई। अध्यक्ष महोदय, देश की मर्यादा को बेचने के बाद इस सरकार को संसद की मर्यादा बेचने का अधिकार आप मत दीजिए, इतना ही मेरा आपसे निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं। मैं पूरे मुद्दे का वर्णन नहीं करूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज जी ने बहुत ही कुशलतापूर्वक सभी बातों का उल्लेख किया है। हम उन्हें दुहराने नहीं जा रहे हैं। वे बातें बहुत स्पष्ट है और हम उनका पूरजोर समर्थन करते है। मैं आपके ध्यान में सिर्फ यह बात लाना चाहता हूं कि इस सभा को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। यह इस सम्मानिय सभा में की जा रही एक प्रकार की धोखा घड़ी है। उद्देश्य और कारणों से सम्बन्धित वक्तव्य में हमेशा "प्रस्तावित कम्पनियों", "प्रस्तावित कम्पनियां" शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री महोदय क्या कहने जा रहे है। बगैर कोई बात छिपाये उन्हें इस सम्मानिय सभा के सम्मुख आना चाहिए और यह कहना चाहिए कि ये कम्पनियाँ इस-इस तारीख को निबंधित हुई है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह एक गलत वक्तव्य है। मैं यह कह रहा हूं कि यह एक गलत वक्तव्य है और सभा को इस मुद्दे पर धोखा दिया जा रहा है और माननीय मंत्री महोदय यह कहने के लिए यहाँ बाध्य हैं क्योंकि निजि तौर पर मैं यह जानता हूं कि ये कम्पनियाँ एअर इण्डिया लिमिटेड तथा इण्डियन एअरलाईन्स लिमिटेड दोनों ही पंजीबद्ध है। इसलिए उद्देश्य और कारणों से सम्बन्धित वक्तव्य में ऐसा नहीं कहना बहुत ही गंभीर बात है तथा घोर आपत्तिजनक है। इस सम्मानिय सभा को इतने हलके तौर पर नहीं लेना चाहिए और इससे छल नहीं किया जाना चाहिए। यही मेरी आपत्ति है और विशेष रूप से इस मुद्दे पर मैं माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूँगा।

[हिन्दी]

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मन्दसौर): अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में निवेदन है कि जिस प्रकार से इस विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी गई है, वह नहीं दी जानी चाहिए। जिस बात को यहां पर कहा गया है मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन प्रस्तावित कंपनी की बात कहकर, बार-बार प्रस्तावित कंपनी कहना, जो कंपनी हमारे सामने नहीं है जिसका उल्लेख बिल में प्रस्तावित है ऐसा कहा गया है और . . .।

अध्यक्ष महोदय: . . देखिए, अगर ये कंपनी नहीं हुई तो ये ट्रांसफर कर सकेंगे?

डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय: किस तरह की प्रस्तावित है, क्या उसका विधि-विधान होगा, यह सारी जानकारी संसद के समक्ष नहीं है और ऐसी स्थिति में न्यायसंगत नहीं होगा कि सारी जानकारी के अभाव में इस विधेयक को यहां पर प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए। मैं इसका विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे): उद्देश्यों और कारणों के 2(ख) के अन्तर्गत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है :—

निगमों के उपक्रमों का प्रस्तावित कंपनियों में जिनके नाम एयर इण्डिया लिमिटेड और इण्डियन एयरलाइंस लिमिटेड हैं, निहित होंगे। ऐसा करने से दोनों निगमों की आस्तियाँ और दायित्वों का अंतरण दोनों प्रस्तावित कंपनियों को होगा;

हमें कंपनियाँ नहीं चाहिए। संसद ने कंपनियों के पंजीकरण के लिए एक अधिनियम पारित किया है। उन कंपनियों को पंजीकरण किया जाना चाहिए। उनके पंजीयन का प्रस्ताव है। ये कंपनियाँ अभी तक पंजीकृत नहीं हुई। आप हमारे सामने सारी सामग्री प्रस्तुत करें। क्या आपने हमें वह सामग्री प्रदान की है कि कंपनी का ढांचा क्या होगा। यदि यह मसौदा तैयार है, तो इसे हमें दीजिये। हम इसका अध्ययन करेंगे। यदि हमने इसका समर्थन करना उचित समझा, तो सम्भव है हम आपका समर्थन करें। संसद प्रस्तावित कंपनियों के पक्ष में और विद्यमान निगमों के बंद करने के बारे में कैसे अंधाधुंध मत दे सकती है। अतः, हमें पता होना चाहिए कि कंपनी का ढांचा क्या है..........(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : देखिये, जार्ज साहब ने जो कह दिया है, बड़ा इंटेलिजैंटली कहा है, उसमें आप मत आईयेगा। यदि दूसरा कोई प्वांइट है तो उस दूसरे प्वांइट पर आईयेगा।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : ये चार तथ्य हैं, जिनको कि ध्यान में रखना ही चाहिए। अतः, हम इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का विरोध करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं एक विशेष मुद्दे पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कौन-से मुद्दे पर!

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मुद्दा यह है कि क्या यह सम्भव है अथवा इसकी अनुमति है कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी अथवा कम्पनियों की परिसम्पतियों और सम्पतियों को उन कंपनियों, जोकि अभी तक पंजीकृत नहीं हुई हैं और जिन्हें यहाँ 'प्रस्तावित कम्पनियों' कहा गया है, में अंतरण किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आपने एक विशेष मुद्दा उठाया है। मैं आपका आभारी हूं क्योंकि इससे मुझे सहायता मिलेगी। कानून यह कहता है कि एयर इंडिया लिमिटेड अथवा इंडियन एयरलाईन्स लिमिटेड होगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, महोदय...........(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब तक वे पंजीकृत नहीं हैं, वे कम्पनियाँ नहीं हो सकती। जब तक वे पंजीकृत नहीं हो जाती है, तब तक वे कम्पनियाँ नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इस मुद्दे पर हूं। अन्य मुद्दों पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। यही वह मुद्दा है, जिसपर मैंने श्री सोमनाथजी को सहायता प्रदान करने और मेरी शंका का समाधान करने के लिए कहा था। इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड इण्डियन एयरलाईन्स का उपक्रम है और एयर इण्डिया लिमिटेड एयर

इण्डियन लिमिटेड का ही उपक्रम है—श्री जार्ज फर्नान्डीस ठीक ही कह रहे थे कि हमें पता नहीं है कि इन कम्पनियों में कौन हैं और मान लीजिये कोई इण्डियन एयरलाईन्स और एयर इण्डिया के नाम से एक कम्पनी पंजीकृत करवाता है, तो क्या आप उस कम्पनी की परिसम्पत्तियों को अंतरित कर देंगे। लेकिन यहाँ विधान यह कहता है कि इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड को इण्डियन एयरलाईन्स का एक उपक्रम होना होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसे पढ़ दें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यहाँ जो कहा गया है मैं उसे उधृत करता हूँ :

उस तारीख को जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(क) इण्डियन एयरलाइंस लिमिटेड, इण्डियन एयरलाइंस का उपक्रम

इसका अर्थ है, इण्डियन एयरलाईन्स के उपक्रम को इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड में अंतरित किया जायेगा..........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसमें कोई संदेह नहीं है। खण्ड 4 के अनुसार :

किसी निगम के उपक्रम के बारे में, जो धारा 3 के अधीन किसी कंपनी को अंतरित और उसमें निहित होता है, यह समझा जाएगा कि उसके अंतर्गत सभी आस्तियां.........."

अत:, उपक्रम कम्पनी में निहित होने अथवा स्थानांतरित होने जा रही है। ऐसा ही घटित हो रहा है। इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड, इण्डियन एयरलाईन्स का एक उपक्रम नहीं बन सकता। यह स्थानांतरित किये जाने अथवा उस में निहित होने का प्रश्न है। यह कहता है :

"एक कार्पोरेशन का उपक्रम............"

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इण्डियन एयरलाईन्स एक कार्पोरेट निकाय नहीं है। एयर कार्पोरेशन अधिनियम के अंतर्गत दो कार्पोरेशनें हैं। इण्डियन एयरलाईन्स एक कार्पोरेट निकाय नहीं है...........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह प्रथम कानून था जोकि इसे राष्ट्रीकृत करने के लिए पारित किया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि एक बार इस मामले में इसकी अनुमति दे दी गई, तो फिर इसका कोई अन्त नहीं होगा। यह पिछले द्वार से समूचे सार्वजनिक क्षेत्र को खण्डित करने का तरीका है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : संसद इसकी अनुमति कैसे प्रदान कर सकती है? महोदय, आपको इसकी अनुमति नहीं देनी चाहिए............**(व्यवधान)**

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, माननीय सदस्य, श्री जार्ज फर्नान्डीस ने एक सूझबूझपूर्ण तर्क दिया है.........**(व्यवधान)** नीजिकरण के बारे में उनके दृष्टिकोण की मैं, जो उन्होंने कहा है, की बहुत सराहना करता हूँ। उनकी दलील अत्यन्त वैभवशाली है। **(व्यवधान)**। प्रस्तावना में यह कहा गया है कि यह विधेयक क्रमश: इण्डियन एयरलाईन्स और एयर इंडिया के उपक्रमों को इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड और

एयर इंडिया लिमिटेड के रूप में बनाई गई और पंजीकृत कम्पनी में अंतरण और निरसन का प्रावधान करता है। यहाँ भी उसके परवर्ती उपबंधों, उदाहरणार्थ, खण्ड-1, उपखण्ड-2.........

अध्यक्ष महोदय : यह एक तथ्यात्मक बात है। आप उसे मंत्री महोदय पर छोड़ दीजिये।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : अतः एयर कार्पोरेशन अधिनियम के तहत दो कार्पोरेशनें हैं। एक इण्डियन एयरलाईन्स और दूसरी एयर इंडिया है। ये अब एयर कार्पोरेशन अधिनियम और एयर कार्पोरेशन अधिनियम, 1953 के उपबंधों के अधीन कार्यरत हैं। **(व्यवधान)** । जैसा कि आपने सही ही संकेत किया है कि राष्ट्रीकरण के बारे में प्रथम विधान, उस विधान के उपबंधों के अंतर्गत कम्पनी सरकार के अलावा बाहर से कोई वित्तिय सहायता को प्राप्त नहीं कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ऐसा मत कहिए।

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद : उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह पहले से उल्लिखित है कि कार्पोरेशन को निजी-निवेश को प्राप्त करना होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि इसका निजीकरण हो जायेगा। एक सार्वजनिक कम्पनी 49 प्रतिशत तक इक्विटी शेयर प्राप्त कर लेने पर भी, तब तक एक निजी कम्पनी नहीं बन सकेगी, जब तक कि सरकार द्वारा 51 प्रतिशत शेयर नहीं रख लिया जाता है। जैसा कि श्री जार्ज फर्नान्डीस ने कहा है, पहले तो यह एक धन विधेयक नहीं है। दूसरे, इसका विधान करने की इस सभा की सक्षमता का कोई प्रश्न ही नहीं है। तीसरे, केवल वे कम्पनियाँ जिनका गठन प्रस्तावित है और जिनके बारे में यह सभा विधेयक पर विचार-विमर्श के समय विस्तृत चर्चा कर सकती है। **(व्यवधान)**

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारूक) : महोदय, इण्डियन एयरलाईन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड को एक कम्पनी के रूप में 1956 के कंपनी अधिनियम के तहत 1-5-1992 को ही समाविष्ट किया गया है। यदि, यहाँ मैं यह कहना चाहता हूँ, यह बिल्कुल स्पष्ट है...........

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं श्री माधवराव सिंधिया के विरुद्ध एक विशेषाधिकार प्रस्ताव रख रहा हूँ। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपने ऐसा कहा था। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्र शेखर : क्या सभा से व्यवहार करने का यही तरीका है? **(व्यवधान)** । इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। **(व्यवधान)** । आप क्या बात करते हैं? क्या मंत्री महोदय को सभा के समक्ष बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? वह कहते हैं कि यह एक प्रस्तावित कम्पनी है: अब वह कहते हैं कि यह निजीकरण के अंतर्गत पंजीकृत की गई थी। अध्यक्ष महोदय, इस पर मैं आपकी व्यवस्थाएँ मांगना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : चन्द्र शेखर जी, आप हमेशा मेरी व्यवस्थाओं की मांग करते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मंत्री महोदय को प्रस्ताव वापिस ले लेना चाहिये। उन्हें विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, आज की कार्यसूची में इस विधेयक को पुर:स्थापित करने का कार्य है क्योंकि यह विधेयक इस सभा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया है और आपने उन्हें इसकी अनुमति भी दी हुई है। जब उन्होंने इसकी अनुमति मांगी, तब उन्होंने सभा को यह नहीं बताया कि ये कंपनियाँ पहले ही पंजीकृत की जा चुकी हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जब ये सभी मुद्दे लिये जा रहे हैं और जब इस सभा का इतना अधिक समय लिया जा रहा है, तो वह चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं और सभा को क्यों नहीं बता रहे हैं। यह जानबूझकर सभा को गुमराह करना है। इन्होंने आपको यह नहीं बताया कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में हेरफेर करने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है? किस सांवैधानिक उपबंध, नियम अथवा प्रथा/परम्परा का उल्लंघन किया गया है?

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के विवरणों को क्यों जोड़ा जा रहा है? यह विधेयक का एक हिस्सा हैं। चाहे यह एक अधिनियम का हिस्सा न ही हो, लेकिन यह एक विधेयक का अहम् हिस्सा है और स्पष्ट रूप से विधेयक का वह अहम् हिस्सा है, जिस पर उनके ही वक्तव्य में आज गलत-ब्यानी निहित है। अत:, जिस समय उन्होंने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति माँगी थी, तब उन्होंने आपको यह बिल्कुल नहीं बताया था, उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा है कि इसे सही किया जाना चाहिये। अत: उन्होंने हमें जानबूझकर एक झूठा वक्तव्य दिया है। इससे अधिक विशेषाधिकार का हनन और कोई नहीं हो सकता।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं नियम 222 और नियम 227 दोनों ही की बात कर रहा हूं..........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं विशेषाधिकार का मामला इस प्रकार से मौखिक रूप से नहीं ले सकता।

[अनुवाद]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, यही बात तो मैं कह रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, इस मामले में मैं आपको अनुमति नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि यह मेरा विवेक है। मैं मौखिक रूप से आपका विशेषाधिकार का मामला भी स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन यह एक जटिल मुद्दा है। आप नोटिस दीजिए, मैं इसे देखूंगा।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : चूंकि मैं विशेषाधिकार प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं, इसलिये महोदय, मुझे निवेदन करने की अनुमति दें।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसा मौखिक रूप में कर रहे हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं नियम 227 के अधीन ऐसा कर सकता हूं। कृपया नियम 227 पढ़िये..........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : निमय 227 क्या है? मुझे सहमति देनी होती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, नियम 227 में कहा गया है; इन नियमों में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी..........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे सहमति देनी पड़ती है।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। इसलिये पहले मैं अपना निवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरा कहना यह है कि जब मैंने पहले पहल इस मुद्दे को उठाया था तो माननीय मंत्री के पास (जवाब देने का) अवसर था। आखिर मैं तो मूल रूप से जो विरोधाभास्पद बात थी उसकी ओर इंगित कर रहा था और हम उस पर यहाँ बहस भी कर रहे थे...........**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या, है? मैंने आपको व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी न कि किसी मुद्दे को उठाने की। आपने कहा कि आप व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न नियम 222 और 227 के तहत है। नियम 227 के तहत, मैं नियम 222 के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया नियम 222 पढ़ें। इसमें कहा गया है, "कोई भी सदस्य, अध्यक्ष की अनुमति से एक ए" आप लिखित में दिजिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, क्या इस प्रकार सदन की अनुमति को अनिश्चित माना जा सकता है? क्या सदन को गुमराह किया जा सकता है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज : महोदय नियम 227 के अधीन आप सभी नियमों को रद्द कर सकते हैं, सारे नियमों को ताक पर रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे लिखित में दीजिए। मैं इसे देखूँगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मैं आचार्य जी की बात अवश्य सुनूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, कृपया तारीख देखिये। वह दिन है 27 अप्रैल, 1992 जिसके बाद विधेयक की प्रतियां बाँटी गयीं। मैं समझता हूँ कि आपको भी उसकी एक प्रति पहली मई के पहले मिल चुकी थी।। मई के बाद, अभी अभी माननीय मंत्री ने हमे कहा है कि प्रस्तावित कम्पनियाँ प्रस्तावित नहीं है बल्कि उन कम्पनियों को, पहली मई जो कि एक छुट्टी का दिन था, पंजीकृत कर दिया गया है। यह एक बाद की सोची हुई बात है। जब इस मुद्दे को उठाया गया था तो उन्होंने कहा था कि दोनो कम्पनियों का पंजीकरण पहली मई को किया जा चुका है। जब पहली मई को इन कम्पनियों को पंजीकृत किया गया तो इसे सही क्यों नहीं किया गया? उन्हें एक संशोधन लाना चाहिये था। उन्हें सदन को बताना चाहिए था। उन्हें सदन को गुमराह नहीं करना चाहिए था ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री बसुदेव आचार्य : उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि : "निगमों के उपक्रमों का स्वामित्व दो प्रस्तावित कम्पनियों जिनके नाम हैं एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयर लाईन्स लिमिटेड, में निहित होगा। इसमें आस्तियों और उत्तरदायित्वों का अन्तरण शामिल है।" ....**(व्यवधान)** यह विधेयक का अंग है, महोदय। उद्देश्यों और कारणों का वक्त भी एक विधेयक का अंग होता है ....**(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : आधा मिनट, महोदय । विधेयक में उद्देश्यों और कारणों के वक्तव्य से स्पष्टतया यह धारणा बनती है कि एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयर लाईन्स लिमिटेड की संरचना अभी भी अस्पष्ट है । हमें नहीं पता कि यह कौन सा रूप अख्तियार करेगी । लेकिन महोदय, फिलहाल हमें इनकी संरचना के बारे में जानकारी नहीं है । यही पता नहीं चल पाया है कि यह एक सार्वजनिक कम्पनी है या निजी कम्पनी या कि संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी और उसके सहयोगी कौन हैं । कुछ भी पता नहीं है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने सिर्फ व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दी है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बसुदेव आचार्य, जब तक मैं उठू नहीं, आप बैठेंगे नहीं । कभी आप उठते हैं तो मुझे बैठना पड़ता है ।

श्री बसुदेव आचार्य : अब, मैं बैठ जाऊँगा । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब श्री फारूख बोल रहे थे, तो मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी थी । इसमें क्या इस तरह के नियमित भाषण दिये जा सकते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न पूरा नहीं हुआ है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, जब उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य इसका भाग है, तो इसे सही क्यों नहीं किया गया ? वे संसद को गुमराह नहीं कर सकते हैं । संसद किसी सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी के उद्देश्यों को बदलकर उसे किसी अस्तित्वविहीन कम्पनी को नहीं दे सकती है ? संसद इसकी अनुमति कैसे दे सकती है ? (व्यवधान)

श्री निर्मल कान्त चटर्जी (दमदम) : महोदय, जिस विधेयक को अभी तक पुरःस्थापित ही नहीं किया गया हो, उसके सम्बन्ध में कोई संशोधन नहीं प्रस्तुत किया जा सकता है । उन्हें इसे वापस लेना पड़ेगा (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुंबई उत्तर) : महोदय, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है । इस विधेयक की प्रति हमारे बीच 27 अप्रैल को वितरित की गई । माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि कम्पनियों को पहली मई 1992 को पंजीकृत कर दिया गया है । इस सम्बन्ध में मेरा औचित्य का प्रश्न यह है कि जब पहली मई 1992 को इतनी महत्वपूर्ण घटना हुई तो सरकार को इस सदन में आने से पूर्व कम से कम अपनी ओर से हमें इस सम्बन्ध में सूचित करने की शिष्टता दिखलानी चाहिए थी । उन्हें हमें सूचित करना चाहिए था । सरकार की यह जिम्मेवारी थी । इस मुद्दे पर सरकार ने इस सदन के प्रति शिष्टता नहीं दिखलायी है ।

श्री निर्मल कान्त चटर्जी : महोदय, यह कोई जिम्मेवारी का प्रश्न नहीं है । मुद्दा यह है कि सरकार ने ऐसा विधेयक पेश किया है जो व्यर्थ है । अतः इसे वापस लिया जाना चाहिए । इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है । (व्यवधान)

17—20 LSS/ND/93

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : महोदय, मैं सोचता हूँ कि मैं आभारी होऊँगा अगर दूसरे पक्ष के सदस्य........**(व्यवधान)**

डॉ० देबी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : महोदय, यह एक पूर्णतया विकृत वर्णन है। हमे इस विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों और इसकी धारा 2 को देखना चाहिये। **(व्यवधान)** चिंतित न हो। मैं इसे पढ़ रहा हूँ। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डॉ० पाल, मैं सिर्फ तीन प्रश्न उठा रहा हू जिन पर सिर्फ आप ही मुझे रास्ता दिखायेंगे और उससे मुझे सहायता मिलेगी। पहली बात यह है कि यदि कोई कम्पनी अस्तित्व में ही नहीं हो तो क्या ऐसा कोई कानून हो सकता है ? यह पहला मुद्दा है। फिर अगर किसी कम्पनी की स्थापना की गई हो तो उसकी स्थापना के बारे में इस सदन को पहले ही सूचित करना जरूरी था ? यह पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि श्री जार्ज फर्नान्डीज के अनुसार यह एक धन विधेयक है जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है और क्या बिना उसके ऐसा किया जा सकता है ? मुझे बताया गया है कि अगर इसे वित्त विधेयक माना जाय और इसके सम्बन्ध में राष्ट्रपति से सूचना प्राप्त की जा चुकी है तो फिर धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अन्तर है और क्या दोनों मामलों में स्वीकृति प्राप्त करने में कोई अन्तर है ? यह दूसरी बात है।

तीसरी बात यह है कि क्या यह सदन इस प्रकार का कानून पारित करने में सक्षम है ?

डॉ० देबी प्रसाद पाल : मुझे इसकी व्याख्या करने में शायद कुछ समय लग सकता है। लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूँ कि यह एक धन विधेयक नहीं है। संविधान में दी गई धन विधेयक की परिभाषा के अनुसार यह धन विधेयक नहीं है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरा सभी सदस्यों से अनुरोध है कि कि इन बातों को बहुत हल्के ढंग से न लें। मैं जानता हूँ कि आप लोग विधिवेत्ता हैं। लेकिन कानून इतना विस्तृत है कि हम इसकी सभी जटिलताओं को जानने का दावा नहीं कर सकते हैं। मैं माननीय मंत्री और सदस्यों से भी अनुरोध करता हूँ कि वे भोजनावकाश के बाद मुझे इसके बारे में बतलायें और उसके बाद ही मैं उस पर अपना निर्णय दूंगा।

1.39 म० प०

तत्पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.40 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.43 बजे म० प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा 2.43 म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

[अध्यक्ष पीठासीन हुए]

वायु निगम (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) विधेयक—(जारी)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज (मुजफ्फरपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपने जब खाने के लिए सदन को आज एडजॉर्न किया, तब मनी बिल वाले मामले में आपने एक बात यहां पर कही कि राष्ट्रपति जी से फाइनेंस बिल के तौर पर आपके सामने या सरकार के पास कोई दस्तावेज आया है । अध्यक्ष जी, मैं एक बात फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूं, कैसे तो मेरी जो आपत्ति है, वह इस बिल के पहले ही मुद्दे पर है कि यह काम्प्रिहेंसिव लैजिसलेशन नहीं है और इसलिए इसको नहीं आना चाहिए और मनी बिल वाले मामले पर आप इसको ज्यादा गम्भीरता से भी देखें ।

इस कानून के ड्राफ्ट में ही कि यह मनी बिल कैसे है, एक बात मैं फिर आपके सामने दोहराना चाहता हूं । अगर आप स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एंड रीजन्स को एक बार फिर पढ़ेंगे, तो उसमें है —

[अनुवाद]

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन उद्योग में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए सभी एअर-लाइनों को प्रगति के लिये अधिक धनराशि जुटाना आवश्यक हो गया है । अपनी बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया, जिनका गठन एयर कारपोरेशन अधिनियम 1953 के तहत किया गया था, के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वे अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुरूप सरकारी बजट पर ही पूर्णतया निर्भर न रह कर साम्य पूंजी के लिए पूंजी बाजार का सहारा लें ।

[हिन्दी]

अब यह जो एक्ट है, एयर कारपोरेशन एक्ट, 1953, इसकों मैंने पहले ही आपको पढ़ कर सुनाया । सरकार स्वयं कबूल कर रही है कि इस कानून के अन्तर्गत जो एयर इंडिया और इंडियन एयर-लाइन्स का जो कैपिटल है, वह बजटरी सपोर्ट से आया है ।

अध्यक्ष महोदय : इनिशियली आता है, बाद में नहीं आता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, मैंने सुबह एक बात आपके सामने रखी, इस कारपोरेशन में कितनी इसकी पूंजी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह सारी पूंजी सरकार के बजट से नहीं आयी है, उन्होंने कमाई है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : सही बात है । इस कंपनी में एयर इंडिया में 79 करोड़ रुपए की पूंजी है और उसके अलावा उसकी इक्विटी है, और उस इक्विटी की रिपोर्ट है । यह मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट अभी इस सदन में पिछले हफ्ते में पेश हुआ था वह रिपोर्ट आप देख लीजिए, एनवल रिपोर्ट 1991-92, अब इस रिपोर्ट में आप दो चीजों को देखेंगे — एक आप यह देखेंगे कि

[अनुवाद]

"भारत सरकार की एयर-इंडिया में प्रदत्त शेयर पूंजी 79.24 करोड़ रुपये है।"

अध्यक्ष महोदय : धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है ?

जार्ज फर्नान्डीज : यही तो मुद्दा है । अतः सर्वप्रथम, मैं इन दोनों कॉरपोरेशनों की प्रदत्त शेयर-पूँजी, के बारे में तथा जिसे "ज्ञात पूँजी" के नाम से जाना जाता है उसके बारे में बताना चाहूँगा । यह शब्द मेरे नहीं है । यह सरकार के शब्द है । यह इस वार्षिक प्रतिवेदन और कार्य-प्रदर्शन बजट सहित सभी सरकारी दस्तावेजों में हैं । अभी एयर इंडिया का जो शेअर केपिटल है, गवर्नमेंट आफ इंडिया का वह 79.24 करोड़ है और लोन केपिटल है भारत सरकार का 74.36, अब ये रकम है 1990-91 के फाइनेंशियल ईयर की । अब इनमें से एक-एक पाई जो एयर इंडिया को गई है वह आपके एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से गई है, बजट के माध्यम से गई है अब इसको इन्कार नहीं किया जा सकता । अगर एक बार हम इस बात को मानते हैं, दोनों कम्पनियों के बारे में मानते हैं और इंडियन एयरलाइंस का पेडअप केपिटल 54 करोड़ और लोन केपिटल

[अनुवाद]

इसे भारत सरकार से ऋण पूंजी लेना कहते हैं ।

[हिन्दी]

गवर्नमेंट आफ इंडिया से पचास करोड़, यानी 104 करोड़, तो ये दोनों रकमें एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से वहां पर गई हैं । जब एक बार यह स्वीकार हो जाता है, अध्यक्ष जी, तो फिर सवाल आता है कांस्टीट्यूशन का तो फिर जब सुबह आज मैं आपको 110(1) (बी) पर ले गया था, फिर मैं आपको वहां पर ले जाना चाहता हूं । अध्यक्ष जी, इसमें पहले देखें 110(1)(डी) ।

[अनुवाद]

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध है, अर्थात् :—

भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग;"

महोदय, जो पैसा एयर इंडिया और इंडियन एयरलायंस के पास गया है और जिसे 'सुविज्ञ पूंजी' भी कहते है इन्हें इस खण्ड विशेष के अंतर्गत विनियोजित कर दिया गया है ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई डिसप्यूट नहीं है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर इसमें डिसप्यूट नहीं है तो,

[अनुवाद]

हम पुनः अनुच्छेद 110(1) ख पर आ जाते हैं । यहाँ आप कानून को निरस्त करना चाहते हैं ।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इसमें आप पहले देखिए आर्टीकल 110 पढ़िएगा या उसमें आपको पता चलेगा कि

[अनुवाद]

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध हैं;"

अब ये निम्नलिखित विषय हैं । यदि इसमें सभी या कोई ऐसी चीजें है; यदि इसमें ऐसा कुछ भी है, चाहे वह हो या कुछ और चीज हो, तो यह वित्त विधेयक बन जाता है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी नहीं, महोदय ।

अध्यक्ष महोदय : आप अनुच्छेद 110 (1) पढ़िये ।

"इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से सम्बन्धित उपबन्ध हैं;"

फिर, आपको अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक की परिभाषा मिल सकती है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : 117(1) के प्रथम भाग में कहा गया है :

"उपखण्ड (क) से (च) में विनिर्दिष्ट किसी विषय के लिए उपबन्ध करने वाला विधेयक या संशोधन..........."

अध्यक्ष महोदय : यदि यह धन विधेयक है और मान लिया कि ये बातें इसमें हैं जिनका जिक्र (क) या (ख) या (ग) या (घ) या (ङ.) या (च) पर किया गया है और कुछ अन्य बातें है; तो यह वित्त विधेयक बन जाता है ।

[हिन्दी]

जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, आप इसको क्यों नहीं देखते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं मान रहा हूं, थोड़ा सा डिसटिंकशन कर रहा हूं ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : वह डिसटिंकशन तो मैंने मान लिया लेकिन मेरा यह कहना है कि जब आपने एप्रोप्रिएट किया, पैसे को निकाला, एप्रोप्रिएट करके निकाला हुआ पैसा आपने ये दो कम्पनियों में केपिटल के तौर पर रख दिया । आपके एप्रोप्रिएशन के बगैर वह पैसा वहां नहीं जा सकता था, आज जब आप उसको बदलाव करना चाहते हैं और भारत सरकार पूरी रेसपोंसिबिलटी ले रही है, जो नयी कम्पनियां बनेंगी उन कम्पनियों को भारत सरकार आज संपूर्ण गारंटी दे रही है । आप अगर इस कानून के क्लास 4(1) को पढ़ेंगे,

"किसी निगम के उपक्रम को धारा 3 के अन्तर्गत एक कम्पनी में स्थामान्तरित करने पर इसकी सभी परिसम्पत्तियाँ, अधिकार, शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार तथा सारी सम्पत्तियाँ...........पूंजी, निधि, आरक्षित निधियाँ, निवेश आदि इसमें शामिल समझे जायेंगे और इसमें ही निहित होंगे ।"

[अनुवाद]

यह पूंजी भारत के राष्ट्रपति के क्षेत्राधिकार में निहित हैं। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स भारत के राष्ट्रपति के स्वामित्व में हैं। यह धन संसद के एक अधिनियम, विनियोग अधिनियम के जरिये सन 1953 से 1991 या 1992 में क्रमशः निगम को प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

जब कभी जरूरत पड़ी, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हर साल दिया। इंडियन एयर लाइन्स को जब बनाया गया था तो उसकी कैपिटल थी मात्र 3 करोड़ बाद में नहीं दिया। हर बार आपने उसको बजट से निकाल कर दे दिया। आज जब उस पैसे को आप किसी दूसरी कम्पनी को देने का फैसला करने जा रहे हैं, मेरा कहना यह हैं कि आपको प्रेसीडेंट की रिकमंडेशन चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : प्रैसीडेंट की रिकमंडेशन इसमें है।

[अनुवाद]

मैं धन विधेयक के संदर्भ में भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बारे में कह रहा हूं। इस संसद के विनियोग अधिनियम के जरिये धन कैसे विनियोजित किया जा सकता है और किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपलब्ध किया गया धन आज फिर कुछ अन्य प्रयोजन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ?

[हिन्दी]

मेरा प्रश्न है। मैं वकील नहीं हूं, लेकिन जनरल क्लाजिज एक्ट जो है...........

आप वकील नहीं है लेकिन वकील से भी अच्छा आप समझा रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं आपके तर्क के विरुद्ध कुछ भी नहीं कह रहा हूं। मैं इसकी बहुत सराहना करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : मैं जनरल क्लाजिज एक्ट की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूं। अगर आप इस बात को कबूल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : देखिए, मैंने कहां तक कबूल किया है कि इसमें मनी ट्रांजेक्शन है। जो मनी कंसोलीडेटिड फण्ड से आता है, इसलिए अनुच्छेद 110 और 117 उसमें कुछ हद तक एप्लीकेबल होता है। अनुच्छेद 110 में यह कहा गया है कि मनी बिल वह है जिसमें "ए" से "एफ" तक या सारे के सारे या उसमें से कुछ हिस्से आते हैं उसके सिवा, "ए" से "एफ" तक उसमें आए, एक या सारे आएं उसके सिवा दूसरा कुछ है तो उसको फाईनेंस बिल कहते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : इसके आप दूसरे परिणाम देखिए। आप जो तर्क रख रहे हैं या मेरे तर्क को आप जिस तरह से काट रहे हैं।........

अध्यक्ष महोदय : मैं काट नहीं रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं काट नहीं रहा हूं । मैंने यह कभी नहीं कहा है कि यह गलत है । यदि राष्ट्रपति की सिफारिश नहीं होती तो मैंने अलग ही फैसला लिया होता ।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष महोदय, दूसरा पहलू देखिए । दूसरा पहलू यह है कि कल आप बजट से, एप्रोप्रीएशन बिल के माध्यम से, बजटरी एलोकेशन से एक हजार करोड़ रुपया इस देश का, क्योंकि कंसोलिडेटिड फण्ड ऑफ इण्डिया है, हमारे टैक्स का पैसा है और किसी का पैसा नहीं है । . . .

अध्यक्ष महोदय : रिकमेंडेशन दोनों में जरूरी है — मनी बिल में भी और फाइनेंस बिल में भी । मगर फाईनेंस बिल में इंट्रोडक्शन के समय जरूरी नहीं है, कंसीडेशन के समय जरूरी है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अध्यक्ष जी, फाईनेंस बिल में दो कैटागिरीज हैं — कैटागिरी "ए" और कैटागिरी "बी" । आप अगर इसको "बी" कैटागिरी में डालते हैं तो उसका परिणाम आप सोच लीजिए । फाईनेंस बिल अगर "ए" है तो राष्ट्रपति का सैंक्शन ले कर बिल इंट्रोड्यूस हो सकता है । वह सैंक्शन हम लोगों के सामने नहीं आयी ।

यह बाद की स्थिति नहीं हो सकती है ।

यह नहीं हो सकता । हम लोगों के हाथ में यह पहले आना चाहिए । अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं । मैं इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि मुझे कुछ परेशानी रही । मुझे सरकार पर विश्वास नहीं है । विश्वास करने की स्थिति आप निर्मित करें तो हम कहें कि विश्वास है । मुझे इस मामले पर सरकार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है । क्योंकि आज जो नीतियां सरकार चला रही है इसमें एक प्रकार से ऐसी बात मुझे नज़र आ रही है कि सदन को तो गुमराह करें और अपनी जो नीतियां हैं उन नीतियों को येन-केन-प्रकारेण चलाने का प्रयास करें । इसलिए अध्यक्ष जी, जो खतरा मुझे सामने दिखायी दे रहा है इसको भी आप देख लीजिए । आप जो अनेक पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्स में, सरकार के अनेक प्रतिष्ठानों में एप्रोप्रीएट कर के पैसे को ले जाते हैं और कल अगर आप ऐसा कोई कानून ले आते हैं और कहते हैं कि अब हम इस पैसे को एक और नयी कम्पनी को दे रहे हैं । जिस कंपनी का चेयरमैन कौन होगा, मालिक कौन होगा और जिस कंपनी में परसेंटेज आफ इक्वीटी सरकार की होगी । ..... (व्यवधान) मेरी आपसे प्रार्थना है कि मनी बिल और फाइनेंस बिल ए और बी का जो कंस्ट्रक्शन है, उसको सरकार को कोई ढील देने के लिए इस्तेमाल न कीजिए । सरकार को लगाम लगाने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहिए ।

[अनुवाद]

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर) : मैं केवल इस सीमित मुद्दे पर बात कर रहा हूं । यह स्वीकार करने के बावजूद भी कि यह वित्तविधेयक है फिर भी इसके पुरःस्थापन के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : यह 30 अप्रैल को दिया गया था ।

श्री लालकृष्ण आडवाणी : यह बात यहां बहुत स्पष्ट कही गयी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : झूठे वक्तव्य के आधार पर ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : राष्ट्रपति को गुमराह किया गया है । हम समझते हैं कि कम्पनी को 13 मार्च को पंजीकृत किया गया था ।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने गलत वक्तव्य दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके इस समूचे तार्किक युद्ध की सराहना करता हूं ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि एयर इंडिया लिमिटेड को 13, मार्च 1992 को पंजीकृत किया गया था और कम्पनियों के रजिस्ट्रार ने श्री एस० आर० गुप्ते, एयर इंडिया के उप-प्रबन्ध निदेशक को 13 मार्च को एक पत्र लिखकर सूचित किया था कि यह कम्पनी पंजीकृत हो गयी है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने राष्ट्रपति को गुमराह किया है ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं 13 तारीख कह रहा हूं अन्यथा आप कम्पनियों के रजिस्ट्रार से इसकी प्रति प्राप्त करें ।

अध्यक्ष महोदय : हमें माननीय मंत्री को सुनना चाहिए । आपने अपना मुद्दा बहुत स्पष्ट और अच्छी तरह रखा है । अब ये मुद्दे माननीय मंत्री के सामने हैं । वह उत्तर दे सकते हैं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें कोई गलत वक्तव्य न देने दें ।

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : माननीय मंत्री उपस्थित नहीं हैं । क्या उन्होंने आपको सूचित किया है ? केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री को आपको अवश्य सूचित करना चाहिए । श्री माधवराव सिंधिया को आपको अवश्य सूचित करना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मूलत: श्री माधवराव सिंधिया का नाम बोला गया था । लेकिन मैं समझता हूं कि बाद में उन्होंने श्री एम०ओ०एच० फारुक को लिखा है ।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० ओ० एच० फारुक) : सरकार द्वारा लोक सभा को यह विधेयक 29-4-92 को भेजा गया था । इस समय तक इंडियन एयर लाइन्स लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत समाविष्ट करने के लिए दिनांक 30-3-92 का आवेदन अभीतक कम्पनियों के रजिस्ट्रार के विचाराधीन था । इसीलिए हमने इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन में प्रस्तावित कम्पनियां कहा है । इसे 1-5-1992 से सरकारी कम्पनियों के रूप में समाविष्ठ कर लिया गया है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम जानना चाहते हैं कि इसे शुरू में ही क्यों नहीं हल किया गया जबकि उन्होंने इसके पुर:स्थापन के लिए प्रस्तुत किया था ।

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य को चुनौती देता हूं । कृपया कम्पनियों के रजिस्ट्रार से जांच कर लें । एयर इंडिया लिमिटेड को 13 मार्च को लिखित रूप में पंजीकृत कर लिया गया था । श्री एस० आर० गुप्ते उप-प्रबन्ध निदेशक को सूचित किया गया था कि एयर इंडिया लिमिटेड को 13 मार्च को पंजीकृत किया गया था । इसका पता करें ।

श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक : यदि इसमें कोई संदेह है तो माननीय सदस्य इसे उठा सकते हैं।

राष्ट्रपति की सिफारिश अनुच्छेद 117 और 274(1) के अन्तर्गत प्राप्त की गयी थी। लोक सभा में एक बुलेटिन भी जारी किया गया था। मैं पहले ही यह कह चुका हूं और यह यहां है।

अध्यक्ष महोदय : बुलेटिन यहां है।

श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक : राष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा वित्त विधेयक के रूप में विधेयक का पुर:स्थापन कार्य पूर्ण हुआ। वित्त विधेयक का प्रावधान करने का कार्य भी पूर्ण हुआ। मेरा संसद से निवेदन है कि विधेयक पुर:स्थापित करने के लिए इसे संसदीय सक्षमता हासिल है।

मैं तो कहूंगा कि वे जो कुछ कहना चाहते हैं उसे उन्हें इस पर विचार करते वक्त कहने दिया जाय। फिर हम उस समय इसका उत्तर देंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : जी, नहीं।

अध्यक्ष महोदय : एक बात है। जहां तक विधेयक में उल्लखित प्रस्तावित कम्पनियों का सवाल है आप स्पष्ट कर चुके हैं।

3.00 म॰प॰

यहां 'प्रस्तावित' शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वे अब गठित की जा चुकी हैं।

श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है कि क्या वे अब निजी कम्पनियां कहलायेंगी, सार्वजनिक कम्पनियां कहलायेंगी कि सरकारी कम्पनियां कहलायेंगी।

श्री एम॰ ओ॰ एच॰ फारूक : यह सरकारी कम्पनी है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : यह सरकारी कम्पनी नहीं हो सकती है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब हमें कम्पनी की परिभाषा समझनी चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें इसे उद्देश्यों और कारणों के कथन में पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें कोई निजी शेयर नहीं है; कोई भी विदेशी कम्पनियों के शेयर नहीं हैं आदि। उन्हें सब कुछ पूरी तरह स्पष्ट करना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री चन्द्रजीत यादव, कृपया मुझे सुनें। यदि कम्पनी कानून के अन्तर्गत यह बात आती है तो मैं समझता हूं कि माननीय विधि मंत्री इस बात को स्पष्ट करेंगे कि एक सार्वजनिक कम्पनी, एक निजी कम्पनी और एक सरकारी कम्पनी क्या होती है। **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमार मंगलम) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि दूसरे पक्ष के कई सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता, बहुत विद्वान वकील रहे हैं जिन्होंने कम्पनी कानून पर वास्तव में वकालत की है। वे जानते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी होती है, पब्लिक लिमिटेड कम्पनी होती हैं और सरकारी कम्पनियां होती हैं। जब माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने वक्तव्य दिया था कि ये कम्पनियां सरकारी कम्पनियों के रूप में पंजीकृत की

गयी है तो इसका मतलब यह है कि इन कम्पनियों में 51 प्रतिशत शेयर सरकार के होंगे। यह बात आपको जाननी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या पहले ही उनमें निजी शेयर धारियों को ले लिया गया है? (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : जी, नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप केवल 51 प्रतिशत शेयरों की ही बात क्यों कर रहे हैं? इस देश में यह गुप्त व्यापार क्या चल रहा है? संसद को विश्वास में नहीं लिया गया।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : महोदय, आप मुझसे सार्वजनिक कम्पनी, निजी कम्पनी और सरकारी कम्पनी की परिभाषा के बारे में पूछा था और मैंने स्पष्ट रूप से उसका उत्तर दिया है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें वस्तुस्थिति से अवगत नहीं किया जा रहा है। आपके पास कितने शेयर हैं, प्राधिकृत शेयर पूंजी कितनी है, अनुमोदित शेयर पूंजी कितनी है, दी गई शेयर पूंजी कितनी है तथा शेयर धारक कौन हैं इत्यादि। (व्यवधान)

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : अध्यक्ष महोदय, कोई भी छिपाने वाली बात नहीं है। वे केवल राई का पहाड़ बना रहे हैं, जो कि नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या हमें यह सब जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं? शेयर धारक कौन हैं?

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : इस समय शेयर धारक केवल सरकार है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : अब सरकार के पास कितने शेयर हैं? कृपया इतना बताईए कि आपको इसकी जानकारी है या नहीं।

श्री रंगराजन कुमार मंगलम : मैं आपको यह जानकारी बाद में दे दूंगा। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। आप संसद की अवहेलना नहीं कर सकते।

श्री राम कापसे : महोदय, मैं व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : वह व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहते हैं। उनकी बात सुनिए।

श्री राम कापसे : आज यह विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जहां तक दो प्रस्तावित कम्पनियों के सम्बन्ध में खण्ड 2(ख) का प्रश्न है, मंत्री महोदय उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी कथन में परिवर्तन करना चाहते हैं....अब उनका कहना है कि 1 मई को कम्पनियां पंजीकृत की गई थीं। इसलिए ये दो कम्पनियां अब "प्रस्तावित कम्पनियों" नहीं रही बल्कि "वास्तविक कम्पनियाँ" बन गई हैं। अगर यह परिवर्तन करना था तो उन्हें यह परिवर्तन अपना भाषण आरम्भ करने से पहले शुरू में ही कर लेना चाहिए था। वास्तव में अब जब पुरःस्थापना हो चुकी है तथा प्रश्न पूछे जा चुके हैं, अब यह परिवर्तन नहीं किए जा सकते। मेरा व्यवस्था सम्बन्धी प्रश्न यह है कि उन्हें यह कार्य पहले करना चाहिए था। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यही है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्हें चेतावनी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आर्जा फर्नान्डीज : मंत्री महोदय ने कहा, आपने भी यह बात कही कि राष्ट्रपति की इस पर सेंक्शन आई....

अध्यक्ष महोदय : आई है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज : अगर आई है तो मनी बिल और फाइनेंस बिल ए केटेगरी में इसको डाला जाता है, मैं अब 69(1) पर खड़ा हूं ।

[अनुवाद]

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों का नियम 69(1) यह कहता है :

"जिस विधेयक में व्यय अन्तर्ग्रस्त हो, उसके साथ एक वित्तीय ज्ञापन होगा जिसमें व्यय अंतर्ग्रस्त होने वाले खंडों की ओर विशेषतया ध्यान दिलाया जायेगा और उसमें उस आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय का भी प्राक्कलन दिया जायेगा जो विधेयक के विधि रूप में पारित होने की अवस्था में अन्तर्ग्रस्त हो ।"

नियम 69(2) ऐसा कहता है :

"विधेयकों के जिन खण्डों या उपबन्धों में भारत की संचित निधि में से व्यय अन्तर्ग्रस्त हो वे मोटे टाइप या तिरछे अक्षरों में छापे जायेंगे ।"

अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजें यहां पर नहीं हैं । अब सरकार ने कबूल कर लिया फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल "ए" केटेगरी में है, राष्ट्रपति ने इसको कबूल किया है....

अध्यक्ष महोदय : आपके हाथ में है दूसरों को देने जा रहे हैं । यह एक्सपेंडिचर कहा है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : एक्सपेंडिचर तो होना ही है । क्योंकि यह नई कम्पनी है । यह क्या करने जा रही है, नई कम्पनी का केपिटल क्या होना है । हमें किस के हाथ में, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के हाथ में देना है ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मान लीजिए कि स्वयं उत्तरदायित्व लेते हुए कुछ करने जा रहे हैं....

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : हम कैसे मानेंगे, हमें क्या मालूम । सरकार यह कह रही है कि चार हजार करोड़ रुपये की जो दौलत बैलेंस-शीट में है, हकीकत में उसका तीन-चार गुना हो सकता है । तो वह चार हज़ार करोड़ रुपये की दौलत दोनों कम्पनियों को देना चाहते हैं, इसको मंजूर करो । अब मुझे नहीं मालूम कि किस आधार पर आप देने जा रहे हो ? वह कम्पनी किसकी कम्पनी है ? वह कम्पनी एक हो उसमें कितनी पूंजी जा रही है । अगर पब्लिक लिमिटेड कम्पनी के तौर पर सरकार ने रजिस्टर्ड कर दिया और अगर इक्विटी उसमें ट्रांसफर होना है तो फिर एक नया इंस्ट्रूमेंट आप डेव्यर कर रहे हैं और उसमें.... ...

[अनुवाद]

श्री निर्मलकान्ति चटर्जी (दमदम) : बजट की शब्दावली के अनुसार 'ट्रांसफर' को भी खर्च ही माना जाता है । यह भी खर्च का एक तरीका है । जैसा कि उन्होंने कहा है, वर्तमान निगम की सारी सम्पत्ति, सारी पूंजीगत परिसम्पत्तियां स्थानांतरित कर दी जायेंगी, इसका तात्पर्य यह कि व्यय सम्बन्धी ज्ञापनपत्र साथ होना चाहिए । (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : अध्यक्ष जी, आप सरकार को मत फंसाईये । मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं इस भावना से कह रहा हूं कि इन्होंने गलतियां की है, इनकी गलतियां है....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह आपका काम है, आप उनको बोल रहे हैं.... यह ठीक नहीं । यह मेरे साथ अन्याय है ।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ : और हमने इनकी गलतियों को पकड़ा है । आप इनको कहें कि विधेयक को वापिस लें, इनको दुरुस्त करें और दुरुस्त करने के बाद यहां लाने का काम करें, मेरी आपसे प्रार्थना है । (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सदस्यों की बात बड़े विस्तार से सुनी है तथा अपनी बात सुस्पष्ट, ठोस तथा अर्थपूर्ण ढंग से अभिव्यक्त करने के लिए मैं सदस्यों का धन्यवाद करता हूं । प्रक्रिया के अनुसार वे अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं....

श्री वसुदेव आचार्य : सुसंगत बातें ।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य भी इन सदस्यों में शामिल हैं । इस चर्चा के दौरान तीन मुद्दे उठाये गये । पहला मुद्दा इस विधेयक को पारित करने के सम्बन्ध में लोक सभा के अधिकार क्षेत्र का है । इस मुद्दे पर हमने काफी लम्बी चर्चा की तथा यह आवश्यक है कि इस मुद्दे पर अपने विचार व्यापक रूप में व्यक्त करूं । जिस अधिनियम के अनुसार यह निगम अस्तित्व में आया था, उस अधिनियम को इसी सदन ने पारित किया था । इसके अतिरिक्त नागर विमानन का विषय संघ सूची में आता है इसलिए इस विधेयक को पारित करना इस सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

नीति निदेशक सिद्धांतों तथा वक्तव्यों से सम्बन्धित अध्याय के सम्बन्ध में जिन बातों का उल्लेख श्री जार्ज फर्नान्डीज़ ने किया है, वे बड़े ही सुसंगत है तथा उनके आधार पर तर्क द्वारा सदस्यों को इस विधेयक को न पारित होने देने के लिए सहमत किया जा सकता है । इन आधारों पर निश्चित रूप से गौर किया जाना चाहिए, परन्तु इस चरण पर नहीं । यह मुद्दे उस समय उठाये जा सकते हैं, जब इस विधेयक पर विचार किया जायेगा । इस विधेयक पर विचार करना तथा उसे पारित करवाना अथवा और कोई अन्य कार्यवाही करना इस सदन के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

दूसरा प्रश्न राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाने वाली सिफारिश से सम्बन्धित है । अब यह स्पष्ट हो गया है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपनी सिफारिश 30 अप्रैल को दे दी थी तथा, 1 मई को इसे बुलेटिन में प्रकाशित कर दिया गया था । इस लिए सिफारिश तो कर दी गई है । जहां तक धन सम्बन्धी विधेयक तथा अन्य बातों का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में हमने बड़ी गहराई से विचार किया है । निःसंदेह अनुच्छेद 110 धन सम्बन्धी विधेयक के बारे में है तथा अनुच्छेद 117 वित्तीय विधेयक के बारे में है । अनुच्छेद 110 (क से च तक) में कहा गया है कि अगर किसी वित्तीय विधेयक में अगर कोई अन्य बात सम्मिलित है, तो यह भी वित्तीय विधेयक में सम्मिलित हो जाती है, तथा दोनों के लिए सिफारिश जरूरी है जो कि कर दी गई है ।

जहां तक प्रस्तावित कम्पनियों का प्रश्न है, मंत्री महोदय ने सदन में स्थिति स्पष्ट कर दी है । उन्होंने स्पष्ट किया है कि कम्पनियों का गठन हो चुका है । इतना ही नहीं, उन्होंने इसके अतिरिक्त यह भी कहा है कि ये

सरकारी कम्पनियां होंगी तथा जो भी गलती सामने आई है उसमें उचित चरण पर उचित तरीके से संशोधन किया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक : उन्हें क्षमा याचना करनी चाहिए । यह औचित्य का प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : अगर इसका पता न चलता तथा ये प्रश्न न उठाये जाते तो वे उद्देश्यों तथा कारणों सम्बन्धी कथन दे कर चले जाते । इसीलिए क्या वे खेद अनुभव नहीं करते क्योंकि वे देश को बेचने जा रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री एम० ओ० एच० फारूक : महोदय, मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि 27 तारीख को हमने विधेयक प्रस्तुत किया है । उस समय इस पर विचार किया जा रहा था । मुझे इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर नहीं मिला । पहली बात मैंने खड़े हो कर यही कही थी कि यह एक सरकारी कम्पनी है । मैंने अपने पहले ही वक्तव्य में यह कहा था । मैंने यही कहा था, आप रिकार्ड देख सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सदन के मतदान के लिए रखता हूं । वीथियें खाली कर दी जायें—

अब वीथियें खाली हो गयी हैं । प्रश्न यह है :

"कि इंडियन एयरलाइंस और एअर इंडिया उपक्रमों का क्रमशः इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और एयर इंडिया लिमिटेड के रूप में बनी और रजिस्ट्रीकृत कंपनियों को अंतरण और उनमें निहित करने का तथा उनसे संसक्त या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए और वायु निगम अधिनियम, 1953 का निरसन करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 16　　　　**समय 3.17 म० प०**

अन्तुले, श्री ए० आर०
अय्यर, श्री मणि शंकर
अरुणाचलम, श्री एम०
अहमद, श्री ई०
अहमद, श्री कमालुद्दीन
इन्द्रजीत, श्री
इस्लाम, श्री नुरुल
उपाध्याय, श्री स्वरूप
उम्बे, श्री लाईता
अर्स, श्रीमती चन्द्रप्रभा
एन्थनी, श्री फ्रैंक

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 16 समय 3.17 म० प०

ओडेयर, श्री चनैया
कर्णेंदुला, श्रीमती कमला कुमारी
कालियापेरुमल, श्री पी० पी०
काले, श्री शंकरराव
कुमारमंगलम, श्री रंगाराजन
कुली, श्री बालिन
कृष्ण कुमार, श्री एस०
कृष्ण स्वामी, श्री एम०
केनिथी, डा० विश्वानाथम्
केवलसिंह, श्री
कोनाथाला, श्री रामकृष्ण
कौर, श्रीमती सुखबंस
खां, श्री अयूब
खुर्शीद, श्री सलमान
गोगोई, श्री तरूण
गजपति, श्री गोपी नाथ
गुंडेवार, श्री विलास राव नागनाथराव
गोमांगो, श्री गिरिधर
घाटोवार, श्री पबन सिंह
चन्द्रशेखर, श्रीमती मारगथम
चव्हाण, श्री पृथ्वीराज डी०
चेन्नित्तला, श्री रमेश
चौधरी, श्री नारायण सिंह
चौधरी, श्री राम प्रकाश
चौधरी, श्रीमती संतोष
जनार्दनन, श्री एम० आर०
जवाली, डा० बी० जी०
जीवरत्नम, श्री आर०
झिकराम, श्री मोहनलाल
टिण्डिवणम, श्री के० राममूर्ती
ठाकुर, महेन्द्र कुमार सिंह
डेनिस, श्री एन०
तारा देवी, श्रीमती डी० के०
तारा सिंह, श्री

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 16   समय 3.17 म॰ प॰

तोपनो, कुमारी फ्रिडा
थुंगन, श्री पी॰ के॰
दादाहूर, श्री गुरचरणसिंह
दिघे, श्री शरद
डेका, श्री प्रबीन
देवी, श्रीमती बिभु कुमारी
देशमुख, श्री अनंतराव
नायकर, श्री डी॰ के॰
नारायणन, श्री पी॰ जी॰
न्यामगौड, श्री सिद्दप्पा भीमप्पा
पद्मश्री, श्री कुड़ुमुला
पांजा, श्री अजीत कुमार
पाटिल, श्री उत्तमराव देवराव
पाटिल, श्री विजय एन॰
पाणिग्रही, श्री श्रीवल्लभ
पायलट, श्री राजेश
पाल, डा॰ देवी प्रसाद
पालाचोला, श्री वेंकट रंगय्या नायडू
पूसापति, श्री आनन्दगजपति राजू
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के॰
बनर्जी, कुमारी ममता
भक्त, श्री मनोरंजन
भाग्ये गोवर्धन, श्री
भोई, डा॰ कृपासिन्धु
मलिक, श्री धर्मपाल सिंह
मल्लिकार्जुन, श्री
मल्लू, डा॰ आर॰
मुत्तेमवार, श्री विलास
यशपाल, श्री
युमनाम, श्री यायमासिंह
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
राम बाबू, श्री ए॰ जी॰ एस॰
राम सिंह, राव

पक्ष में

मतविभाजन संख्या 16 समय 3.17 म० प०

रेड्डी, श्री अनन्त वेंकट
रेड्डी, श्री मुब्बासमुबम ज्ञानेन्द्र
रेड्डी, श्री वाई० एस० राजशेखर
वासनिक, श्री मुकुल बालकृष्ण
विजयराघवन, श्री वी० एस०
विलियम्स, मे० ज० आर० जी०
व्यास, डा० गिरिजा
शंकरानन्द, श्री बी०
शैलजा, कुमारी
श्रीधरन, श्री आर०
संगमा, श्री पूर्णो ए०
सईद, श्री पी० एम०
सानीपल्ली, श्री गंगाधरा
साय, श्री ए० प्रताप
साही, श्रीमती कृष्णा
सिंगला, श्री संत राम
सिलवेरा, डा० सी०
सिंह, श्री अर्जुन
सिंह, श्री बलबीर
सिंह, श्री शिवेन्द्र बहादुर
सिंह देव, श्री के० पी०
सुखराम, श्री
सुरेश (श्री कोइडीकुनील)
सुल्तानपुरी, श्री कृष्ण दत्त
सौन्द्रम, डा० (श्रीमती) के० एस०
स्वामी, श्री जी० वेंकट
हरचन्द सिंह, श्री
हुड्डा, श्री भूपेन्द्र सिंह
हान्डिक, श्री विजय कृष्ण

विपक्ष में

अंजलोज़, श्री टी० जे०
आचार्य, श्री बसुदेव

विपक्ष में

आडवाणी, श्री लाल कृष्ण
कमल, श्री श्याम लाल
कापसे, श्री राम
खन्डूरी, श्री भुवन चन्द्र
गंगवार, श्री संतोष कुमार
गिरि, श्री सुधीर
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
चक्रवर्ती, प्रो० सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौधरी, श्री सैफुद्दीन
जसवंत सिंह, श्री
जोशी, श्री अन्ना
डोम, डा० राम चन्द्र
तीरकी, श्री पीयूष
दत्त, श्री अमल
द्रोण, श्री जगत वीर सिंह
धूमाल, प्रो० प्रेम
नाईक, श्री राम
पाण्डेय, डा० लक्ष्मी नारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासी, श्री बलराज
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फुंडकर, श्री पांडुरंग पुंडलिक
बर्मन, श्री उद्धब
बर्मन, श्री पलास
बसु, श्री अनिल
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भैरूं लाल, श्री
मंडल, श्री सनतकुमार
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मल्लिकार्जुन रघुनय्या, श्री एस०
महतो, श्री बीर सिंह

18—20 LSS/ND/93

विपक्ष में

महाजन, श्रीमती सुमित्रा
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुखोपाध्याय, श्री अजय
मुरुमु, श्री रूप चंद
मोल्लाह, श्री हन्नान
मोहन सिंह, श्री
यादव, श्री चन्द्रजीत
रंगपी, डा० जयन्त
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हाराधन
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावल, डा० लाल बहादुर
रोशन लाल, श्री
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मोहन
सिंह, श्री राजवीर
सिंह, श्री राम
सिंह, श्री सूर्यनारायण
सिंह, श्री हरि किशोर
सेठी, श्री अर्जुन चरण
सैयद, श्री शाहबुद्दीन
हुसैन, सैयद मसूदल

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन, मत विभाजन का *परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में	108
विपक्ष में	60

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री एम० ओ० एच० फारूक : मैं विधेयक **पुरःस्थापित करता हूं । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब श्री अर्जुनसिंह एक वक्तव्य देंगे ।

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री एम० ओ० एच० फारूक, श्री उत्तम भाई एच० पटेल, श्री विश्वेश्वर भगत, श्री

बारे लाल जाटव, श्री सुधीर सावंत, श्री के० वी० आर० चौधरी।

विपक्ष में : श्री राम बदन, श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्री डी० डी० खनूरिमा।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

3.20 म० प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

उत्तर प्रदेश बुनियादी शिक्षा परियोजना

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुनसिंह) : सभी के लिए शिक्षा के बारे में जोमितियन, थाईलैंड में मार्च, 1990 में हुए विश्व सम्मेलन के अनुसरण में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय एजेंसियाँ बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में रूचि दिखाती रही हैं। सरकार शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों में शैक्षिक परियोजनाएं विकसित करने के लिए इस रूचि का लाभ उठाने का प्रयास करती रही है।

इन परियोजनाओं का मूल उद्देश्य यह है कि शैक्षिक पुन:निर्माण के लिए अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग किया जाए जिसका अर्थ यह होगा कि हमें नए स्कूल खोलने, स्कूलों के भवनों का निर्माण करने और शिक्षकों की नियुक्ति करने जैसे परम्परागत उपायों से और आगे बढ़ना होगा। इस प्रयोजन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा जिससे कि प्रभावी और सहभागितापूर्ण प्रबन्ध ढांचों और साथ ही स्थानीय समुदाय, शिक्षकों और गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी के माध्यम से कार्यरत बच्चों, बालिकाओं और सुविधाओं से वंचित वर्गों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा किया जा सके।

मैंने जिस समग्र दृष्टिकोण का उल्लेख किया है उससे निश्चय ही अधिक गहन प्रक्रियाएं जुड़ी हुई हैं। कुछ पड़ोसी देशों में जहां काफी बाहरी सहायता प्राप्त हुई है, इन प्रक्रियाओं की उपेक्षा की गई, परिणामस्वरूप विदेशी निधियों का शैक्षिक उपलब्धियों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे देश में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

प्रारम्भिक शिक्षा के लिए विश्वबैंक की सहायता का प्रश्न 1987 से सरकार के विचाराधीन रहा है। शुरू में सरकार यह सहायता लेने के इच्छुक नहीं थी क्योंकि इससे शैक्षिक पुन:संरचना में असंतुलन आ जाता। तथापि, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 से मेल खाती हुई शर्तों पर बुनियादी शिक्षा के लिए सहयोग देने के उद्देश्य से बैंक ने जिस पहल का परिचय दिया, उसे देखते हुए जिन निधियों का उपयोग नहीं किया जा सका था, उनके आधार पर उत्तर प्रदेश के 10 आरक्षित जिलों सहित दस जिलों में एक प्रायोगिक परियोजना विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस परियोजना में बुनियादी शिक्षा के सभी संघटकों जैसे, प्राइमरी स्कूल, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, महिला विकास, उत्तर साक्षरता और सतत शिक्षा को शामिल किया जाना है। नवम्बर, 1990 में विश्वबैंक के एक दल ने केन्द्र और राज्य सरकार के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के दौरान इन उद्देश्यों के प्रति सहमति व्यक्त की। हमारे निवेदन पर बैंक परियोजना को तैयार करने या उसे कार्यान्वित करने के लिए किसी विशेषज्ञ या सलाहकार को नियुक्त न करने पर सहमत हो गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना पूर्ण रूप से हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है और हमारी अपनी क्षमता विकसित होती है। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी हमारे इस दृष्टिकोण का समर्थन किया।

इस परियोजना को तैयार करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए नवम्बर, 1990 से मेरे मंत्रालय के अधिकारियों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् और नीपा सहायता प्रदान करते रहे हैं। इस

परियोजना को तैयार करने के लिए राज्य सरकार की मदद करने के उद्देश्य से नीपा में अक्तूबर, 1990 से एक वर्ष के लिए एक पूर्णकालिक परामर्शदाता नियुक्त किया गया था। मार्च, 1991 में 15 परियोजना-पूर्व कार्यकलापों के लिए बेसिक शिक्षा परिषद को 1.14 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी। इन क्रियाकलापों से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए जरूरी नए मॉडलों और क्रियाविधियों को विकसित करने में मदद मिलती। इस परियोजना के उद्देश्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ नवम्बर, 1990 में हुई पहली औपचारिक बैठक के बाद 7 बैठकें आयोजित की जा चुकी है। अन्तिम बैठक 30 सितम्बर, 1991 को हुई थी। केन्द्रीय शिक्षा सचिव के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने 7 जनवरी, 1991 और 15 सितम्बर, 1991 को विचार-विमर्श के लिए लखनऊ का दो बार दौरा किया।

अप्रैल, 1991 में नीपा में आयोजित एक कार्यशाला में राज्य सरकार द्वारा तैयार परियोजना के दस्तावेज के मसौदे पर विचार-विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि कार्यशिविर में विचार-विमर्श के अनुरूप एक विशेष निवेश परियोजना दस्तावेज को शीघ्र ही अन्तिम रूप दे दिया जाए। विशेष निवेश परियोजना को क्षेत्रीय (सैन्ट्रल) निवेश परियोजना से बेहतर समझा गया, क्योंकि बैंक नीति के मुद्दों को नहीं केवल निवेश के आबंटनों को देखता है। फिर भी आगे की प्रक्रियाओं को उस समय एक धक्का लगा जब मई-जून, 1991 में राज्य सरकार ने सैक्टर आधारित परियोजना को बेहतर समझते हुए परियोजना के सहमत उद्देश्यों से पूर्णत: अलग होने का फैसला किया। सैक्टर आधारित परियोजना में समूचे राज्य को शामिल करने तथा परियोजना की पांच वर्षों की अवधि वाले प्रथम चरण में केवल प्राथमिक स्कूल शिक्षा की ओर ध्यान दिया जाना था।

नई राज्य सरकार के सत्ता में आने के शीघ्र बाद ही सितम्बर, 1991 में राज्य सरकार के साथ दोबारा बातचीत शुरू की गई। इस पर बार-बार बल दिया गया कि परियोजना दस्तावेज को जून, 92 में बैंक के समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए समय रहते प्रस्तुत कर दिया जाए। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 दिसम्बर, 1991 को प्राप्त परियोजना दस्तावेज कई दृष्टियों से अधूरा था। दस्तावेज की मंत्रालय और नीपा में जांच कर लेने के बाद 23 दिसम्बर, 1991 को राज्य सरकार को संशोधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ विस्तृत टिप्पणियां भेजी गई। 22 जनवरी, 1992 को एक संशोधित परियोजना दस्तावेज प्राप्त हुआ जिसमें इस बात को छोड़कर कि दस्तावेज को बैंक के मार्गदर्शन के अनुसार फिर से व्यवस्थित किया जाए और किसी भी टिप्पणी का समाधान नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 14 फरवरी, 1992 को राज्य सरकार को पुन: सलाह दी गई कि वे दस्तावेज को फिर से संशोधित करें। पुन:संशोधित दस्तावेज 4 मार्च, 1992 को प्राप्त हुआ।

इन संशोधनों के बावजूद भी अनेक मुद्दे अनसुलझे रहे। परियोजना में शैक्षिक पुनर्रचना के बुनियादी और मूलभूत मुद्दों पर समुचित ध्यान दिए बिना स्कूल भवनों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति पर बल देना जारी रखा गया। इस प्रकार प्रथम वर्ष में ही मुख्यत: भवनों के निर्माण और शिक्षकों की नियुक्ति पर परियोजना के कुल परिव्यय में से 40% से भी ज्यादा खर्च करने की मांग की गई है। गैर-औपचारिक शिक्षा, लैंगिक मुद्दे जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। परियोजना कार्यान्वयन के लिए प्राय: विद्यमान प्रशासनिक तंत्र और प्रक्रियाओं पर ही पूरी तरह भरोसा करने का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त जिन परियोजना-पूर्व क्रियाकलापों के लिए निधियां मंजूर की गई थीं उनमें से नीपा को सौंपे गए कार्यकलाप को छोड़कर किसी भी क्रियाकलाप की शुरूआत की गई प्रतीत नहीं होती।

समूचे राष्ट्र को प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण तथा सार्वभौम साक्षरता के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, सरकार राज्य सरकारों के

घनिष्ट सहयोग से शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में परियोजनाएं विकसित करने के लिए बेसिक शिक्षा में दान देने वालों की रूचि का लाभ उठाने का प्रयास कर रही है। दो परियोजनाएं अर्थात् यूनिसेफ की सहायता से बिहार शिक्षा परियोजना तथा स्वीडन की सहायता से राजस्थान में लोक जुम्बिश परियोजना पहले से ही शुरू की जा चुकी हैं। ये राज्य सरकारें हमारे दृष्टिकोण का समर्थन करती हैं तथा सभी प्रकार की अपेक्षित पहल के लिए वे अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसी ही परियोजनाएं मध्यप्रदेश और उड़ीसा में शीघ्र ही शुरू होंगी। हमारा लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिकल्पित केन्द्र और राज्यों के बीच सार्थक सहभागिता की सच्ची भावना के साथ विकसित की गई ऐसी परियोजनाओं के माध्यम को शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी राज्यों को अन्ततः शामिल करने का है।

मुद्दों को तय करने तथा परियोजना दस्तावेज को अन्तिम रूप प्रदान करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के साथ बात-चीत जारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश सरकार दस्तावेज को समुचित ढंग से संशोधित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेगी ताकि शैक्षिक पुनर्रचना के बृहत्तर लक्ष्यों की ओर ध्यान दिया जा सके।

3.26 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बम्बई से कराड तक तीसरे टियर की एयरलाइन की विमान सेवा आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री पृथ्वीराज डी० चव्हाण (कराड) : अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित कराड नगर एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक, औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्र है जो कि चीनी उत्पादक क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यहां इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेज भी हैं। यहां पर सैकड़ों सहकारी संस्थायें हैं जिनमें बड़े बड़े सहकारी बैंक, दुग्धशालायें तथा चीनी मिलें शामिल हैं। प्रसिध्द कोयना पन-बिजली परियोजना, गनपति-पूले और पंचगनी महाबलेश्वर जैसे पर्यटक केन्द्र भी इसके निकट हैं। शीघ्र ही कराड में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम द्वारा एक औद्योगिक सम्पदा बनाया जायेगा। यहां पर एक अच्छी हवाई पट्टी भी बनी हुई है जिसका उपयोग सरकारी अफसरों तथा व्यापारगृहों द्वारा किया जा रहा है।

नागरिक उड्डयन मंत्री से अनुरोध है कि वह बम्बई से कराड तक एक तीसरी विमान सेवा चालू करे। वायुदूत अथवा कोई अन्य प्राईवेट एयर लाइन्स यह सेवायें प्रदान कर रही है। यह सेवा बहुत ही लाभकारी सिध्द होगी तथा इससे इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में सहायता मिलेगी।

3.27 म० प०

[राव रामसिंह पीठासीन हुए]

(दो) भुसावल और जलगांव के बीच तीसरी रेल लाईन बिछाने की आवश्यकता

श्री विजय एन० पाटील (इरंडोल) : महोदय, मध्य रेलवे के भुसावल और जलगांव सेक्शन के बीच काफी रेल यातायात रहता है। बम्बई से दिल्ली, कलकत्ता से बम्बई, अहमदाबाद से मद्रास जाने वाली सभी गाड़ियां इस सेक्शन से हो कर गुजरती हैं। इस क्षेत्र के लोग भारत सरकार के इस बात के आभारी हैं कि

उसने वहां 45 करोड़ रुपए की लागत से एक इलैक्ट्रानिक सिग्नेलिंग प्रणाली की व्यवस्था की है । लेकिन यह समुचित नहीं है । इस क्षेत्र में तीसरी लाईन बिछाये जाने की आवश्यकता है । तीसरी लाईन बिछाये जाने से भुसावल और मनमाड के बीच शटल सेवा चलाई जा सकती है । अत: मेरा अनुरोध है कि भुसावल और जलगांव के बीच, जो कि 25 कि० मी० की दूरी है, एक तीसरी रेलवे लाईन बिछायी जाये ।

ग्वालियर जैसे अन्य मॉडल रेलवे स्टेशनों की भांति जलगांव को भी मॉडल स्टेशन बनाने के लिए भारत सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए ताकि जलगांव हो कर जाने वाले अजंता की गुफाओं को देखने आने वाले बड़ी संख्या में पर्यटकों को सुविधायें और आराम मिल सके । जलगांव में अनाज (अनाज, दालें, केले) तथा दूसरे सामान के लिए लादान की सुविधा में भी सुधार आयेगा ।

(तीन) मध्य प्रदेश के वन विकास निगम को रेलवे स्लीपर सप्लाई करने का काम फिर से सौंपे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : मध्य प्रदेश वन विकास निगम शासन के अभिकर्ता के रूप में वर्ष 1983-84 से भारतीय रेलवे को साल स्लीपर का प्रदान कर रहा है । दिनांक 19-2-88 को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार ने दिल्ली में आयोजित 19वें स्लीपर प्राइसिंग उप समिति की बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा यह निर्णय किया गया था कि स्लीपर प्रदाय कार्य में न तो रेलवे द्वारा और न ही प्रदायकर्ता फारेस्ट कारपोरेशन द्वारा निजी ठेकेदारों को सम्मिलित किया जाए । इसी आशय की पुष्टि दिनांक 17-2-89 तथा 19-4-90 को आयोजित 20वीं एवं 21वीं वार्षिक प्राइसिंग उप समिति की बैठक में की गई थी ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 में प्राप्त जानकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऐसे राज्य/अर्धशासकीय संस्थानों को स्लीपर प्रदाय का लक्ष्य आबंटित किया जा रहा है जहां न तो समुचित मात्रा में साल काष्ठ उपलब्ध हो पाती है और न ही ये संस्थान वानिकी कार्यों से संबंधित हैं ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1991-92 में स्लीपर प्रदाय का लक्ष्य निम्न अनुसार रखा गया है । एम० एम० टी० सी० लगभग 35,000 घ० मी०, नागालैंड कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन 10,000 घ० मी०, गुजरात फारेस्ट कार्पोरेशन 5 से 7 हजार घ० मी० । उपरोक्त से स्पष्ट है कि अधिक आबंटन एम० एम० टी० सी० को दिया गया है जो वानिकी से संबंधित कार्य नहीं करती है ।

यहां यह उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश राज्य के पास 12 आरा मशीनें हैं जिन पर 500 से 700 गांव के मजदूर कार्यरत हैं तथा स्लीपर का कार्य राज्य सरकार को न दिए जाने से इन सभी की रोजी-रोटी छिन जाने का खतरा है ।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि रेलवे का स्लीपर प्रदाय का कार्य वन विकास निगम, मध्य प्रदेश को सौंपा जाए ।

[अनुवाद]

सभापती महोदय : महोदया, केवल स्वीकृत विषय ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा । आप वह पढ़ रही हैं जो आपने प्रस्तुत नहीं किया है ।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जो टैक्स्ट दिया है उसमें टाइपिंग मिसटेक अनेक हैं।

सभापति महोदय : लेकिन आप जो बोल रही हैं वह तो बिल्कुल भिन्न है। आपने जो ऐप्रूवड टैक्स्ट दिया है वह रिकार्ड में जाएगा।

(चार) मध्य प्रदेश की महेश्वर जल-विद्युत परियोजना को पर्यावरण संबंधी स्वीकृति दिए जाने की आवश्यकता

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर कॉम्पलेक्स परियोजना के अन्तर्गत महेश्वर जल विद्युत परियोजना प्रदेश की सीमा में अन्तिम परियोजना है। इसका कार्य मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। प्रारम्भिक कार्य भी शुरू हो चुका है। परन्तु पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति पर्यावरण व वन मंत्रालय से प्राप्त नहीं हुई है जिसके कारण परियोजना के कार्य में विलम्ब हो रहा है। मंत्रालय द्वारा चाही गई समस्त जानकारी मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल व नर्मदा विकास प्राधिकरण द्वारा दी जा चुकी है। सरदार सरोवर का कार्य तेजी से चल रहा है। महेश्वर जल परियोजना का कार्य सरदार सरोवर बांध में जल संग्रह से पूर्व किया जाना है।

अतः इसे शीघ्र आरम्भ किया जाना अपेक्षित है अन्यथा सरदार सरोवर में जल संग्रह के कारण पानी का फैलाव महेश्वर परियोजना तक आ जायेगा जिससे महेश्वर बांध का कार्य न केवल कठिन होगा बल्कि असम्भव हो जायेगा तथा कठिनाई में खर्च अधिक होगा।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस परियोजना की पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति अविलम्ब दी जाये।

(पांच) अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण देने हेतु स्थापित केन्द्रों के लिए आवश्यक अनुदान आबंटित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : केन्द्रीय सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं बनाई हैं और ऐसी एक योजना अल्पसंख्यक तथा पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को सहायता देने के लिए परीक्षा-पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना है। देश में ऐसे दो दर्जन केन्द्र हैं। यह केन्द्र विद्यार्थियों के लिए अमूल्य कार्य कर रहे हैं और विद्यार्थियों को पारिश्रमिक भी दिया जाता है। लेकिन जुलाई, 1991 से कुछ केन्द्रों को न तो अनुदान की राशि मिली है और न ही पारिश्रमिक की राशि। अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक विद्यार्थी अनेक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ केन्द्र बंद हो रहे है। मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि इन केन्द्रों को अपेक्षित अनुदान तथा पात्र विद्यार्थियों को पारिश्रमिक दे।

(छः) वर्तमान-बिचौलिया प्रणाली को समाप्त करके भारतीय खाद्य निगम में खाद्यान्नों की उठाई-धराई संबंधी कार्यों का विभागीकरण किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : भारतीय खाद्य निगम को मज़दूरों का शोषण करने वाली वर्तमान बिचौलिया प्रणाली को समाप्त कर खाद्यान्नों की उठाई-धराई संबंधी कार्यों का विभागीकरण करने संबंधी लंबे समय से लंबित पड़ी मांग को अविलंब पूरा किया जाना चाहिए। यह आश्चर्य की बात है कि कुछ उच्च न्यायालयों और भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों को भारतीय खाद्य निगम द्वारा कोई-न-कोई बहाना कर लागू नहीं किया जा रहा है जिससे मज़दूरों में असंतोष बढ़ रहा है।

उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के मज़दूरों के सम्भावित शोषण की आशंका के कारण, उनमें असंतोष व्याप्त हो रहा है। इससे उड़ीसा में भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से यह अनुरोध है कि इस बारे में उचित उपाय करें।

(सात) उड़ीसा में हीराकुंड, तृतीय चरण, जल विद्युत परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री के० पी० सिंह देव (ढेंकानाल) : उड़ीसा में बिजली की कमी है। 700 मे० वा० विद्युत की कमी के कारण कृषि और औद्योगिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और इसकी तत्काल आवश्यकता है।

भारत सरकार ने विद्युत उत्पादन और दूरसंचार जैसी विकास की मूलभूत आवश्यकताओं को उच्च प्राथमिकता दी है।

इस पृष्ठभूमि में उड़ीसा राज्य ने केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह किया कि हीराकुंड, तृतीय चरण, जो सिंघोल काम्पलेक्स के नाम से जाना जाता है, में महानदी पर उड़ीसा के सम्बलपुर और बोलनगिर जिलों में जल विद्युत उत्पादन शुरू किया जाए।

हीराकुंड जलाशय के साथ-साथ बुरला और चिपलिया विद्युत गृहों का पनचक्की के नीचे के जल-मार्ग का जल उपयोग कर अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन करने की आवश्यकता है। परियोजना में यह कहा गया है कि बियागांव से गोपेनेश्वर तक के 80 कि० मी० के मार्ग पर उपलब्ध महानदी के जल का विद्युत विकास के लिए उपयोग किया जाए।

जलप्रपातीय विकास में बेवगांव, केपसीरा और घुतेश्वर के पास गोपेनेश्वर में महानदी पर तीन बांध बनाने का प्रस्ताव है। बेवगांव और केपसीरा पर बांध के लिए विद्युत गृह बांध पर ही बनाने का प्रस्ताव है जबकि गोपेनेश्वर पर बांध दूसरी ओर बनाया जाएगा जिससे घुतेश्वर विद्युत गृह में अग्रिम जगह के लिए 7.5 कि० मी० लंबा विद्युत चैनल उपलब्ध रहेगा और इसका निकास महानदी में होगा।

इसकी कुल लागत 90 करोड़ रु० आंकी गई है और इसका वातावरण, पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा और न ही कोई वन्य भूमि इसमें शामिल होगी और न कोई गांव उजाड़ा जाएगा।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि पुनर्नवीकरणीय स्रोत अर्थात् जल का उपयोग करते हुए यह परियोजना चालू की जाए और 370 मे० वा० जल विद्युत उत्पादित करने के अलावा महानदी के पार दूर-दराज़

क्षेत्रों में संचार सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जो कि आठवीं योजना में पूर्वी भारत में केवल एक परियोजना है ।

(आठ) आजमगढ़-मऊ-बलिया मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राम नैदन (लालगंज) : सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जनपद से शाहगंज एवं आजमगढ़, मऊ जनपदों से होते हुए बलिया तक आवागमन हेतु सड़कों की हालत दयनीय अवस्था में है । बड़ी लाइन न होने के कारण ट्रेनों की हालत भी लगभग वैसी ही है । उक्त मार्ग के बीच में आजमगढ़ के अन्तर्गत कस्बा मुबारकपुर है, जो कि अपनी बनारसी साड़ियों एवं अन्य कारीगरी के कारण विश्वविख्यात है । इसके अलावा जनपद मऊ एक औद्योगिक जिला मुख्यालय एवं कस्बा है, जहां हथकरघा एवं हैण्डलूम के हजारों कारखाने हैं । यातायात की असुविधाओं को देखते हुए सुल्तानपुर जनपद से आजमगढ़-मऊ होते हुए जनपद बलिया तक जिसकी कुल लम्बाई लगभग 250 किलोमीटर है, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाने की महती आवश्यकता है, जिससे उक्त मार्ग पर स्थिति औद्योगिक कस्बों के साथ-साथ पूरे पिछड़े क्षेत्र का आर्थिक विकास संभव हो सके ।

3.38 म० प०

वित्त विधेयक—1992

[अनुवाद]

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों, अब सभा वित्त विधेयक, 1992 पर चर्चा करेगी । वित्त विधेयक, 1992 के तीनों चरणों के लिए दस घंटे का समय निश्चित किया गया है और गुरुवार, 30 अप्रैल, 1992 पर इस पर विचार किया गया था ।

यदि सभा सहमत हो तब हम आम चर्चा के लिए सात घंटे, खंडवार चर्चा के लिए दो घंटे और तृतीय वाचन के लिए एक घंटे का समय निश्चित करें ।

क्या मैं यह मान लूं कि समय के इस नियतन से सभा सहमत है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय (मंदसौर) : इस फाइनेंस बिल पर वोटिंग तारीख छः को होगी और अगर डिसकशन पूरे दिन के लिए रखते हैं, तो ठीक है । यह डिसाइड कर लीजिए कि अगर छः तारीख को हो जाता है, तो बेहतर है ।

सभापति महोदय : छः तारीख का मतलब है, दस घण्टे एक्सीड होता है, तो टाइम एक्सटेंड इस वक्त किया जाए ।

[अनुवाद]

लेकिन चर्चा शुरू करने के लिए क्या सभा 10 घंटे पर सहमत है या फिर 7 घंटे, 2 घंटे और 1 घंटे के लिए सहमत है अथवा इस बारे में कोई और प्रस्ताव है ? क्या डा० पाण्डेय इस चरण पर समय बढ़ाना चाहते हैं ?

श्री राम कापसे (ठाणे) : हम चाहते हैं कि 6 तारीख को इस पर मतदान हो । यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिया गया है । 5 तारीख को अनेक सदस्य अनुपस्थित होंगे । क्योंकि उन्हें इस निर्णय की जानकारी नहीं है ।

सभापति महोदय : यदि कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय लिया गया है कि 6 तारीख को मतदान होगा तब यह 6 तारीख को ही होगा । यदि उस दिन सभा समय बढ़ाने के लिए सहमति देती है तब मैं कुछ नहीं कह सकता । यदि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता कार्य मंत्रणा समिति से सहमत होते हैं और वे सदस्यों को राजी कर लेते हैं ।

[हिन्दी]

कि मई 6 तारीख को वोटिंग होनी चाहिए ।

[अनुवाद]

तब ठीक है लेकिन इस मामले में सभा की राय उच्चतम है । यदि वे कहते हैं कि अन्य अनेक सदस्यों ने भी बोलना है तब समय बढ़ाया जा सकता है ।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय : 6 तारीख से पहले वोटिंग नहीं हो । **(व्यवधान)** मेरा निवेदन यह है कि 6 तारीख को ही वोटिंग होनी चाहिए ।

सभापति महोदय : ठीक है ।

श्री जसवन्त सिंह

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह (चितौड़गढ़) : सभापति महोदय, मेरी एक अस्थायी कठिनाई है । अब वे उन्हें कल तक अपने संशोधन प्रस्तुत करने की अनुमति देंगे, चूंकि यह विधेयक पर खंडवार विचार करना है, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी ।

सभापति महोदय : मुझे खेद है कि मैं आपकी बात नहीं समझ सका ।

श्री जसवन्त सिंह : कठिनाई और गलती मेरी है । मेरा गला खराब है और मैं ठीक प्रकार से बोल नहीं पा रहा हूं । माननीय सदस्य वित्त विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया के बारे में पूछना चाहते हैं ।

श्री ई॰ अहमद : हमने संशोधनों की सूचना दी है । हमें संशोधन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ।

सभापति महोदय : मुझे यह जानकारी दी गई है कि नियमानुसार यह आम चर्चा है । जब विधेयक पर खंडवार विचार शुरू होगा तब संशोधन प्रस्तुत किए जाएंगे ।

[व्यवधान]

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर, शुक्रवार के दिन यह व्यवस्था दी गई थी कि सोमवार को दो बजे तक आप संशोधन मूव कर सकते हैं । **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : आपको कोई नोटिस अमेंडमेंट का देना हो तो दो बजे दे दीजिए, पर एक्चुअल अमेंडमेंट जब क्लास बाय क्लास डिसकशन होता है तब तक सबमिट कर सकते हैं और उससे पहले सबमिट कर दें तो बड़ी खुशी से करिए, लेकिन जब तक अगर अमेंडमेंट तैयार नहीं है तो दो बजे तक आप नोटिस दे सकते हैं । अब दो तो बज चुके हैं, अब तो पौने चार हो रहे हैं ।

[अनुवाद]

ठीक है, सभा की सहमति के अनुसार आप आज 5.00 बजे तक संशोधनों की सूचनाएं दे सकते हैं और इसके बाद जब विधेयक पर खंडवार विचार शुरू होगा तब आप अपने संशोधन देंगे ।

श्री जसवन्त सिंह : चूंकि मुझे अभी यह परेशानी है और मैं ठीक प्रकार से बोल नहीं पाऊंगा । अतः मैंने अपने दल के सहयोगियों से यह अनुरोध किया था कि मेरी जगह कोई और व्यक्ति चर्चा शुरू कर दें । लेकिन मेरी इस परेशानी के बावजूद भी उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं ही चर्चा शुरू करूं ।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : हमें आर्थिक नीति पर आपके विचार सुनकर खुशी होगी ।

श्री जसवन्त सिंह : सभा के दोनों पक्षों द्वारा मुझमें विश्वास प्रकट करना मेरे लिए सम्मान की बात है । मेरे मित्र माननीय इस्पात मंत्री ने आर्थिक नीतियों पर मेरे प्रति जो रुचि जाहिर की है, उससे मैं प्रसन्न हुआ हूं । वर्ष 1992-93 के बजट पर अब अन्तिम रूप से विचार-विनिमय हो रहा है और यह एक ऐसी स्थिति होती है जबकि उन सभी मानदण्डों, ढांचों पर विचार करना होता है जिन के अन्तर्गत सरकार अपने राजस्व सम्बन्धी सुधारों को लागू करने का विचार रखती है और जो कि उन सुधारों को लाने का साधन है और यही वह वित्त विधेयक है जिस पर संसद द्वारा विचार-विमर्श किया जा रहा है ।

विशेष उल्लेख करने से पहले मैं चाहूंगा कि इस बजट के प्रति मेरी व्यक्तिगत रूप से प्रशंसा और सम्मान को कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाये तथा इसके साथ ही मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा की गई बजट की प्रशंसा को भी कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित किया जाये कि सरकार ने वित्त विधेयक के प्रस्तुत होने के पश्चात संभावित सुधारों के बारे में हमारे साथ विचारों का आदान-प्रदान किया था और हमसे परामर्श भी किया था ।

मैं विश्वास करता हूं कि परामर्श लेने की ऐसी प्रक्रियाओं से लोकतान्त्रिक कार्यपद्धति का एक और संकेत मिलता है और इससे अधिक संख्या में जनता के वृहत्तर हित एवं कल्याण के लिए ऐसे उपायों, कानूनों का

निर्माण करने वाली इस सभा की सामूहिक दिलचस्पी और अधिक बढ़ती है।

वित्त विधेयक 1992-93 में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों और नये सुधारों का उल्लेख किया गया है। जहां तक इस वित्त विधेयक में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कर सम्बन्धी सुधारों के विस्तृत मुद्दों का सम्बन्ध है, मैं केवल एक मुख्य विचार द्वारा अपनी बात प्रारम्भ करूंगा। पिछले 10-15 वर्षों में अनेक अवसरों पर सम्पूर्ण कर-व्यवस्था में सुधार लाने सम्बन्धी मामले पर विचार करने के लिए गठित की गई विभिन्न समितियों को मद्दे नजर रखते हुए ही यह विचार मेरे मन में आया है।

मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज 1977—79 के दौरान सरकार में मंत्री पद पर आसीन थे तब उस समय 'चौक्सी समिति' गठित की गई थी। 'चौक्सी समिति' अपना काम पूरा नहीं कर सकी और तब फिर श्री झा को अनेक अवसरों पर इसका कार्यभार सौंपा गया। यदि मैं गलत नहीं कह रहा हू तो मेरे विचार से उस चौक्सी समिति में श्री झा जैसे सुविख्यात सरकारी कर्मचारी और कुछ दूसरे व्यक्तियों ने इस दायित्व का भार अपने ऊपर उठा लिया।

इस समय 1977 से ही अर्थात् पिछले 15 वर्षों से यह आवश्यकता महसूस की जा रही है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर दोनों का कुल स्वरूप और व्यवस्था इतनी अधिक जटिल और भारी-भरकम हो गई है कि मूलतः जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे बनाया गया था वास्तव में इससे उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही है।

कर-व्यवस्था के सन्दर्भ में बोझिल कानून का अम्बार किसी भी प्रकार से सार्थक ढंग से प्रभावी नहीं हो पा रहा है और काफी खर्चीला सिद्ध हो रहा है और इससे अधिक राजस्व भी अर्जित नहीं हो पा रहा है। इसके परिणामस्वरूप सक्षम वित्त राज्य मंत्री से क्षमा मांगी गई है कि जिस व्यवसाय से माननीय वित्त मंत्री जी सम्बन्धित है, कराधान परामर्शदाताओं, कर परामर्शदाताओं और कर अधिवक्ताओं ने अपने इस व्यवसाय से भारी धनराशि अर्जित कर ली है। जब भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में कोई नया कानून बनाया जाता है या कोई संशोधन किया जाता है तो यह केन्द्र सरकार को राजस्व की धनराशि अपेक्षाकृत कम उपलब्ध कराता है। यह अधिकृत लेखाकारों और कर अधिवक्ताओं को अधिक धनराशि उपलब्ध कराता है। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी भी ऐसे कानून का यह उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, 1991-92 और 1992-93 के वित्त विधेयकों पर और 1991-92 में प्रत्यक्ष कराधान व्यवस्था के कई खण्डों में संशोधन करने के लिए 155 संशोधन प्रस्ताव लाये गये थे और 1992-93 में हमें लगभग 167 संशोधन प्राप्त हुए थे। अतएव केवल दो वर्षों में ही हमें लगभग 325 से 330 संशोधन प्राप्त हुए थे। मैं नहीं जानता कि कौन इन सब बातों को याद रख सकता है। ऐसा करने से क्या लाभ होगा? आप केवल यह सोचते नहीं रह सकते कि कराधान व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? इसमें स्थायित्व होना चाहिए। कराधान-व्यवस्था में स्थायित्व होना चाहिए। जनता को यह अवश्य मालूम होना चाहिए कि एक निश्चित अवधि तक सरकार उनकी जेब से इतना ही पैसा निकालेगी। कर-व्यवस्था में वह स्थायित्व नहीं है। इसे निष्पक्ष होना चाहिए। इसे लगभग नहीं बल्कि पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए। कर-व्यवस्था का उद्देश्य यह हरगिज नहीं होना चाहिए कि जितना करदाता स्वेच्छा से दे सकता हो उससे अधिक वसूल करें। मैं नहीं समझता कि वर्तमान कर-व्यवस्था उस उद्देश्य को पूरा कर पाई है। इसे निश्चित रूप से मानवीय होना चाहिए। कर-व्यवस्था का प्रारम्भिक मुद्दा ही ऐसा नहीं होना चाहिए कि नागरिक शुरू से ही राज्य के साथ बेईमानी करने के बारे में विचार करे। राज्य सरकार का नागरिकों के प्रति यह रवैया एक असभ्य रवैया है। नागरिकों पर सन्देह करके आप वास्तव में देश में एक ऐसा वातावरण बना देते हैं जो कि राष्ट्र के नैतिक उत्थान के लिए लाभदायक नहीं है। ऐसा आप नहीं कर सकते।

पृथ्वी पर किसी भी ऐसे असभ्य राष्ट्र की व्यवस्था कायम नहीं रह सकती जहां आप घरों में बलपूर्वक प्रवेश कर जाएं, चाहे वहां पर वृद्धा हों, महिलाएं हों अथवा अस्सी वर्षीय वृध्द व्यक्ति हों और उनके साथ अमानवीय ढंग से व्यवहार करें। आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए मैं कहता हूं कि यह व्यवस्था मानवीय होनी चाहिए। अन्यथा यह कामयाब तथा बेहतर नहीं हो सकती।

हमने अनेक प्रयोग करके देखे हैं जिसमें स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के शासन के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में, आयकर और सम्पत्ति कर में कुल कराधान 110, 115 प्रतिशत तक पहुंच गया था।

सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि यह एक सही कदम है। अपने राजा चेलैय्या समिति का गठन कुल कर-व्यवस्था के बारे में सिफारिशें करने के लिए ठीक ही किया था। चेलैय्या समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम प्रतिवेदन की आंशिक स्वीकृति जैसे कदम प्रशंसनीय कदम है। मैं इसे सरकार के समक्ष एक सिफारिश के रूप में रखता हूं कि उन्हें सम्पूर्ण चेलैय्या समिति के प्रतिवेदन के बारे में गम्भीरता से विचार करना चाहिए। माननीय मंत्री जी स्थिति के बारे में स्पष्ट करेंगे। यह प्रतिवेदन वर्षाकालीन सत्र के अन्त तक प्रस्तुत होने की सम्भावना है। यदि ऐसा है, तो इसे कब तक प्रस्तुत किया जायेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस प्रतिवेदन को तुरन्त ही संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति को सौंप देना चाहिए और उस संयुक्त प्रवर समिति को एक निश्चित अवधि दी जाये जिसमें कि वह जनता की राय जान सके ताकि इस वर्ष के शरदकालीन सत्र तक संसद को एक व्यापक और अंतिम रूप से तैयार कर सुधार सम्बन्धी दस्तावेज प्राप्त हो सके और मुख्य रूप से हमारी कानूनी पुस्तकों में कर-विधि के कार्यान्वयन के लिए उस कर सुधार सम्बन्धी दस्तावेज को ही मुख्य साधन बनाया जाये। और इसे एक सुस्पष्ट घोषणा के साथ होना चाहिए जिसमें आगामी तीन या चार वर्षों तक किसी भी प्रकार के संशोधन, परिवर्तन, परिशोधन अथवा त्रुटियां इत्यादि के न किये जाने के बारे में सरकार का निश्चय दर्शाया जाये अर्थात् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से नागरिकों को यह करना होगा। चेलैय्या समिति के प्रतिवेदन में इतने अधिक व्यापक रूप में प्रत्यक्ष कर-व्यवस्था के बारे में बताया गया है।

अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था में सुधार लाने के सम्बन्ध में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमने इस सम्बन्ध में काफी कुछ उल्लेख किया है। इस समय प्रत्येक दल किसी न किसी रूप में संघ के कुछ राज्यों में विपक्षी और सत्तारूढ़ दल दोनों ही है। हम इस विधान सभा में कांग्रेस दल के विपक्षी दल के रूप में है। कम से कम संघ के चार राज्यों में कांग्रेस दल हमारा विपक्षी दल है। मेरे अच्छे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डीज का दल कुछेक राज्यों में सत्तारूढ़ दल के रूप में कार्यरत है जहां पर कांग्रेस उनका विपक्षी दल है और वे यहां पर विपक्षी दल हैं। किसी न किसी रूप में इस समय हममें से अधिकतर या तो विपक्षी दल में हैं अथवा सत्तारूढ़ दल में। अतएव, अप्रत्यक्ष करों और इसमें सुधार लाने के प्रश्न पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ा था और केवल इसी रूप में ही नहीं कि केन्द्र सरकार को ये कदम उठाने चाहिये अथवा ये कदम नहीं उठाने चाहिए क्योंकि जब तक कि केन्द्र अथवा राज्यों द्वारा कर-व्यवस्था में सुधार लाने के प्रयास नहीं किये जायेंगे, यह कामयाब नहीं होगी। एक निश्चित आयकर का प्रतिशत अब राज्यों का हिस्सा है न कि वह उनका अधिभार है।

जब भी संघ सरकार के समक्ष कुछ कठिनाइयां आती हैं, वह अधिभार में वृद्धि करके आयकर बढ़ा देती है। उदाहरण के लिए, वर्तमान बजट में भी संघ सरकार द्वारा 12 प्रतिशत अधिभार रोका गया है जबकि कराधान दरें बढ़ा दी गई है, कराधान लक्ष्य बढ़ा दिये गये हैं और दरें घटा दी गई हैं। अतः इसका परिणाम यह हुआ है कि संघ सरकार ने तो अपने राजस्व सम्बन्धी हितों की रक्षा की है। परन्तु इसका प्रभाव राज्यों

पर पड़ा है । मैं यह नहीं कह रहा हूं कि संघ सरकार इस सम्बन्ध में विचार नहीं कर रही है । उदाहरण के लिए, मैं आपको आपके सैनिक जीवन का स्मरण कराता हूं और उदाहरण के लिए, आप और मैं किसी शाम को सेना के भोजनालय में मिल जाते हैं तब आपके लिए यह स्वाभाविक ही होगा जब अप देखेंगे कि मैं अपनी जेब से अपना खर्च कर रहा हूं और आप अपनी जेब से अपना खर्च कर रहे हैं । आप मुझे मेरी अपनी जेब से मुझे खर्च करने देंगे । जब मैं कहता हूं कि संघ सरकार आयकर पर अधिभार रोके रखती है तब इससे मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं । वे ठीक ही कर रहे हैं । वे अपने दृष्टिकोण का बचाव करने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु इस प्रक्रिया में संघ के राज्यों में यह व्यवस्था दोषपूर्ण हो रही है । परन्तु अप्रत्यक्ष कर-व्यवस्था में सुधार लाने का यह एक पक्ष है । मैंने इस बारे में उल्लेख किया है । वित्त मंत्री के बजट भाषण में भी इस बारे में कुछ जिक्र किया गया है । "मोडवैट" से लेकर उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, बिक्री कर, चुंगी इत्यादि के इस आधिक्य पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए । इससे पूर्व इसका जिक्र करने का मुझे अवसर मिला था ।

[अनुवाद]

हम विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार को मुक्त बनाने की बात करते हैं, हम 'सार्क' देशों के बीच व्यापार को मुक्त बनाने की बात करते हैं जबकि मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच में ही मुक्त व्यापार नहीं है । इन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है ।

मेरे साथी श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय का निर्वाचन क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र के साथ ही है ।

4-00 म० प०

उदाहरण के लिए, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के किसान मध्य प्रदेश राज्य में अपना जीरा बेचना चाहते हैं । कोटा के कई इलाकों में जीरे का उत्पादन होता है और वहां के किसान मध्य प्रदेश को जिरा भेजना चाहते हैं क्योंकि राजस्थान की अपेक्षा मध्य प्रदेश में कम बिक्री कर देना पड़ता है । इस बात को समझा जा सकता है । लेकिन संघ और संघ के विभिन्न राज्यों के बीच यह जो बिक्री कर की दरों संबंधी झगड़ा है, यह हमारी समझ में नहीं आता । यही बात चुंगी कर के बारे में भी है । दिल्ली से जयपुर के बीच चलने वाले ट्रकों को रास्ते में पचास से भी अधिक स्थानों पर रूकना पड़ता है । हम किसी प्रकार के मुक्त आवागमन की बात कर रहे हैं । इसलिए इस प्रकार के अप्रत्यक्ष करों में सुधार लाने के मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये । जो भी सुधार लाये जायें वे इस प्रकार के हों जिनसे असमानता दूर हो सके, जिनसे जहां तक संभव हो सके, अप्रत्यक्ष करों की वसूली में व्याप्त भ्रष्टाचार दूर हो सके । चाहे सीमा-शुल्क हो अथवा उत्पाद-शुल्क, बिक्रीकर हो अथवा राज्य बिक्री कर या फिर चुंगी कर, प्रत्येक में भ्रष्टाचार का बोलबाला है । इसलिए केन्द्रीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट अभिभाषण में यह जो राष्ट्रीय मूल्य संवर्धित कर की बात कही है, मैं उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं । लेकिन यह राष्ट्रीय मूल्य संवर्धित कर जो कि विभिन्न प्रकार के अप्रत्यक्ष करों का एकीकरण करता है और तत्पश्चात एक ऐसी योजना का सुत्रपात करता है जिससे देश के राजस्व का बेहतर संवितरण हो सके, के लिए कुछ अत्यावश्यक प्राथमिक कदम उठाये जाने की आवश्यकता हैं ।

सर्वप्रथम तो मैं यह सोचता हूं कि केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा-शुल्क बोर्ड की अधिकार-शक्तियों की पुन: परिभाषा की जानी चाहिये । इन शक्तियों को स्थायी करार दिया जाना चाहिये । इन्हें दैनंदिन के नौकरशाही के नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिये । यही बात 'नारकोटिक्स कन्ट्रोल ब्यूरो' आदि के राजस्व आसूचना विभाग जैसी संस्थाओं पर भी लागू होती है । मैं उन सभी बातों के तमाम पहलुओं पर चर्चा नहीं करना चाहता जोकि इस बारे में आवश्यक हैं । मैंने इन सभी बातों की एक

अलग ढंग से जांच की है । मुझे बताया गया है कि समिति ने उन बातों की सिफारिश की है जोकि हमने पहले से ही कही थी लेकिन मैं उन पर सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता ।

राजस्व वसूली में सहायक बातों में सुधार लाने के अलावा, आपको आर्थिक विकेन्द्रीकरण पर अपनी तर्कशक्ति लगानी चाहिये । यदि आप राजनैतिक विकेन्द्रीयकरण की बात करते हैं और इस राजनैतिक विकेन्द्रीयकरण के साथ-साथ वास्तविक आर्थिक विकेन्द्रीयकरण नहीं किया जाता तो इनमें कोई भी अकेला कार्यक्रम सफल सिद्ध नहीं हो सकेगा । इसलिए आपको उचित सलाह-मशविरा करना चाहिये । आपको कल से ही इसकी शुरुआत कर देनी चाहिये थी । लेकिन अभी तक भी आपने सलाह-मशविरा नहीं किया है और आप कहते हैं कि राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग आदि ही ऐसे मंच हैं जहां पर सामान्यतः इस किस्म का सलाह-मशविरा होता है । ये बहुत बड़े, बहुत विस्तृत एवम् बहु-आयामी निकाय हैं जिनके पास इतना अधिक समय नहीं है । इसलिये आपको आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की दिशा में गंभीर विचार-विमर्श की प्रक्रिया की शुरुआत कर देनी चाहिये । हमने औद्योगिक नीति संकल्प अधिनियम, 1951 आदि के बारे में क्या करना है ? इसके बारे में उचित सलाह-मशविरा किया जाये । संघ के विभिन्न राज्यों के साथ उचित बातचीत की जानी चाहिये । यह तो पहली बात है । राज्यों के साथ विचार-विमर्श की जो कार्यसूची है, इसकी दूसरी बात कराधान और राज्य होनी चाहिये । वित्त आयोग जो कुछ कार्य कर चुका है, मैं उससे कुछ हटकर बोल रहा हूं क्योंकि वित्त आयोग ने जो कुछ किया है, वह राजनैतिक और आर्थिक नीति के किसी निश्चित संदर्भ में ही किया गया है । इस संदर्भ में अब परिवर्तन आ गया है । इसलिए वित्त आयोग की सिफारिशों में संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके । इसीलिये मैंने यह कहा है कि विचार-विमर्श के लिए जो कार्यसूची है, उसकी दूसरी बात राज्यों के साथ अत्याधिक गंभीर और महत्वपूर्ण परिचर्चा करना है । पहली बात तो आर्थिक विकेन्द्रीयकरण की है और दूसरी बात कराधान और संघ के राज्यों के बारे में है । संघ के विभिन्न राज्य रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए केन्द्र सरकार पर निर्भर करते हैं, केन्द्रीय वित्त मंत्रालय पर निर्भर करते हैं । वे सूखे की परिस्थितियों का सामना नहीं कर सकते; वे जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते और इसके साथ वे अपनी विकासशील जरूरतों को भी स्वयं पूरा करने में असमर्थ हैं । इससे काम नहीं चलेगा । एक न एक रास्ता अपनाना ही पड़ेगा । कृपया इस प्रक्रिया की शुरुआत कीजिए ।

तीसरी बात—जो कि इनसे अलग है—वह यह है, जोकि मैं सोचता हूं कि आपको शुरु करनी चाहिये और मैं नहीं जानता क्योंकि वह पहले से ही आपके पास है, उदाहरणार्थ, संसदीय परामर्शदात्री समिति की बात कर रहा हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि आपको इसका विस्तार करना चाहिये और इस विस्तार कार्य के लिये आपके पास एक स्थायी परामर्श प्रक्रिया होनी चाहिये । आपने व्यापार और उद्योग तथा संसदीय परामर्शदात्री समिति के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की हैं । लेकिन ये बैठकें मात्र औपचारिकता बन कर रह गई हैं और परामर्श के लिए आपके पास सटीक कार्यसूची होनी चाहिये । इसमें दो बातें हैं—राष्ट्रव्यापी मूल्य-संवर्धित कर और आर्थिक विकेन्द्रीयकरण तथा कराधान और राज्य ।

मैं अगली बात यह कहना चाहता हूं कि यह जो उदारीकरण के बाद की आर्थिक वार्ता और सलाह-मशविरा है अथवा यह जो नौकरशाही विचारधारा को स्वतंत्रता प्रदान करने और निर्णय लेने की प्रक्रिया है, मैं इनमें से किसी के साथ भी मन से सन्तुष्ट नहीं हूं । संघीय स्तर पर तो इसका बहुत ही महत्व हो सकता है किन्तु संघ के विभिन्न राज्यों के स्तर पर इसका कोई महत्व नहीं हो सकता । इसलिये आपको इन दो बातों की शुरुआत करनी चाहिये—एक तो सुधार करने से पूर्व कि परामर्श प्रक्रिया और दूसरे नौकरशाही संबंधी कठिनाई को दूर करने के लिये उठाये जाने वाले सुधारात्मक कदम ।

मैंने यह सोचा है कि हमने वित्त विधेयक पर जो चर्चा करनी है, उसमें रोजमर्रा की तरह यह चर्चा करने की बजाय किन-किन चीजों की कीमतें बढानी चाहियें और किन-किन चीजों की कीमतें घटानी चाहिये, मुझे कई कारणों से सरकार का साथ देना चाहिये । सरकार ने स्वर्ण के आयात पर जो शुल्क घटाया है, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं । मुझे यकीन है कि यह एक उचित दिशा में उठाया गया कदम है और जैसे कि अपने हस्तक्षेप के प्रारम्भ में ही मैंने यह उल्लेख किया था, मैं एक बार फिर माननीय वित्त मंत्री और उनके साथियों को इस बारे में बधाई देता हूं कि उन्होंने इस संबंध में हमारे साथ, परामर्श किया है, क्योंकि, आखिरकार यह जो स्वर्ण-योजना सरकार ने अपनाई है, मेरे वरिष्ठ साथी श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही सही अर्थों में और अत्यन्त ठोस शर्तों में इसका प्रस्ताव रखा था । उन्होंने गत बजट में स्वर्ण-योजना का प्रस्ताव रखा था । श्री अटल जी ही वस्तुत: इस स्वर्ण-योजना के रचयिता है । इसलिये, हमने ही इस उपाय का प्रस्ताव रखा है । वस्तुत:, हमारे लिये यह बेहद प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने अपनी तर्कशक्ति का प्रयोग कर इस योजना को लागू करना उचित समझा और उसके बाद इस बात को अधिक विवेकपूर्ण पाया कि उन्होंने इस पर 15 प्रतिशत का जो आयात-शुल्क लगाया है, उससे प्रारम्भिक उद्देश्य पूरा हो गया है और अब देश को इसमें और छूट देनी चाहिये । मैं इस के लिए सरकार की सराहना करता हूं । इसके लिए मैं सरकार को बधाई देता हूं ।

अब मैं एक अन्य विषय पर संक्षेप में अपने विचार रखना चाहूंगा—यह बात वित्त विधेयक के क्षेत्राधिकार में बिल्कुल नहीं आती और वित्त मंत्रालय का भी इससे सम्बन्ध नहीं है । आपने [illegible]-समन्वयकारी दृष्टिकोण को अपनाना चाहा । मुझे इस पर केवल संक्षेप में ही विचार करना है और इसके विस्तृत पहलुओं को मैं आपके पास भेज दूंगा । आपको विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में सुधार लाने के लिये तीव्रतम कदम उठाने होंगे ।

मैं केवल एक बात और कहूंगा । मेरे विचार से एस० ई० बी० आई० (सेबी) को स्थायी शक्तियां सौंपना, जिसके बारे में हमने पहले भी कहा था, एक सही कदम है । मुझे यकीन है कि मेरे साथी श्री जार्ज फर्नान्डीज इस बात को समझेंगे कि मेरा अपना विचार यह है कि जब यह व्यवधान पैदा हुआ था, तो उस समय मैं यहां पर नहीं था । उस दिन मैं और कहीं गया हुआ था लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग स्टॉक एक्सचेंजों और ऐसे ही अन्य स्थानों में पूंजी निवेश करते हैं, उन्हें लाभ के साथ हानि दोनों बातों को ही स्वीकार करना चाहिये ।

[हिन्दी]

"चित्त भी मेरी, पट्ट भी मेरी"

[अनुवाद]

आप दोनों ही तरह से इसे नहीं अपना सकते और इसलिये जो लोग स्टॉक एक्सचेंजों जैसे सट्टों में पूंजी निवेश करना चाहते हैं, उन्हें उस समय लाभ होता है जब स्टॉक एक्सचेंज का बाजार गरम होता है और उस समय हानि होती है जब स्टॉक एक्सचेंज का बाजार नरम होता है और उस सूरत में सरकार से मैं यह कहना चाहूंगा कि जब परिषद ने 'सेबी' जैसे निकाय की गठना की थी तो 'सेबी' को ही इसे चलाने दिया जाये, उन्हें ही आवश्यक कार्यवाही करने दी जाये । मुझे उम्मीद है कि माननीय वित्त मंत्री जी मेरे इस कथन से कोई गलत अर्थ नहीं लेंगे कि कई बार वित्त मंत्रालय काफी बड़ा मंत्रालय रहा है । मैं सोचता हूं कि इसमें मंत्रालय जैसी बात तो कम है और सागर जैसी बात अधिक है । मैं नहीं जानता कि माननीय वित्त मंत्री जी इसके विभिन्न पहलुओं पर किस तरह से नजर रखे हुए हैं । इसमें बहुत से पहलु आते है और महोदय, आप विकेन्द्रीयकरण कर रहे हैं, स्वयं मंत्रालय के साथ भी विकेन्द्रीयकरण की प्रक्रिया की शुरुआत कर रहे हैं । महोदय, मैंने बहुत

समय ले लिया है, मेरा गला भी मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है। महोदय, केवल एक अथवा दो सुझाव और। एक तो यह कि जिस वित्त विधेयक में संशोधन की चर्चा की जा रही है, उसके बारे में अधिकतम अथवा न्यूनतम सीमा निश्चित करने के सम्बन्ध में हमने सार्वजनिक तौर पर यह कहा हुआ है कि छूट की सीमा बढ़ाई जानी चाहिये। हमनें छूट की सीमा 48000/- रुपये तक बढ़ाने के लिए सार्वजनिक तौर पर घोषणा की हुई है और मैं इसे दोहरा देता हूं।

महोदय, अगली बात यह है कि धारा 80 (सी०सी०ए०), 80 (सी०सी०वी०) और 80 एल के खण्ड 42, 43 और 48 के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी ने पहले से ही बहुत से उपायों की घोषणा की है। उन्होंने संशोधित धारा 88 के सम्बन्ध में और शायद धारा 64, जोकि अव्यस्कों की आय आदि के बारे में है, भी बहुत से उपायों की घोषणा की है। मैं उन मुद्दों पर जोर नहीं दूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस मांग पर जोर दूंगा कि छूट की सीमा 48,000 रुपये की जाए और खंड 91 तथा 92 से सम्बन्धित धन कर के लिए हमारा अनुरोध है कि कम से कम आवास के उद्देश्य हेतु एक मकान, जिसमें व्यक्ति स्वयं रह रहा है, धन कर से मुक्त हो। हमने पहले भी ऐसा कहा है और हम पुनः इस पर जोर देते है।

मैं लघु उद्योग से संबन्धित तथा कर सुधार संबन्धित दो बातें कहना चाहता हूं। मैंने पहले कहा है कि जब तक सहायक क्षेत्र, लघु क्षेत्र तेजी से कार्य नहीं करता और राष्ट्रीय प्रयास में योगदान नहीं करता तब तक कोई औद्योगिकरण संभव नहीं है। मैं समझता हूं कि लघु क्षेत्र देश के औद्योगिक उत्पादन में लगभग एक तिहाई योगदान करता है। अब अगर लघु क्षेत्र का यह योगदान है तो दो अनुरोध है—एक तो लघु उद्योग से संबन्धित प्रत्यक्ष कर है तथा दूसरा अप्रत्यक्ष कर है। पहले, लघु क्षेत्र से संबन्धित स्रोत पर कर कटौती से संबन्धित मुद्दा है। मैं समझता हूं कि महोदय, वित्त मंत्रालय को इस संबंध में कुछ निवेदन किए गए हैं कि आपने स्रोत पर कर में कटौती के बारे में छूट दी है, उदाहरण के लिए चाय के दलालों या यात्रा एजेंटों या कुछ खाद्यान्न व्यापारियों को छूट दी है लेकिन यही छूट लघु क्षेत्र को नहीं दी गई जबकि लघु क्षेत्र के उद्योग विक्रय एजेंटों के माध्यम से अपने उत्पाद की बिक्री हेतु कमीशन देते हैं। अब मैं मानता हूं कि महोदय, स्रोत पर कटौती स्वतः और एक साथ नहीं दी जाए लेकिन अगर ऐसे बिक्री एजेंट का कमीशन एजेंट या डीलर या अन्य अपना स्थाई खाता संख्या दें और लघु उद्योग स्वयं ही उन बिक्री एजेंटों या डीलरों की सूची दे जिनके कर स्रोत पर नहीं काटे गए हैं तब मैं समझता हूं कि सरकार ऐसे मामले पर नए सिरे से विचार करे। अप्रत्यक्ष करों के मामले में एक अधिसूचना है जिसकी संख्या 1992 का 15 है। मैं समझता हूं कि आपने इसे 31 मार्च को शुरू किया है। यह लघु क्षेत्र पर उत्पाद-शुल्क लगाने से संबन्धित है और इसके कारण लघु क्षेत्र में उत्पादन में कुछ कठिनाई और व्यवधान उत्पन्न हो गया है। क्या मैं सरकार से अपील कर सकता हूं कि वह इस विशेष अधिसूचना पर विचार करे ? आप इस अधिसूचना के माध्यम से जो तब्दीली लाना चाहते हैं उन्हें समझने हेतु इस क्षेत्र को एक वर्ष की अवधि दे तथा यथास्थिति बहाल करने हेतु उन्हें एक वर्ष की छूट दे जब तक कि यह उद्योग परिवर्तित कर व्यवस्था से सामंजस्य स्थापित न कर ले।

महोदय, मैंने यह कहते हुए शुरूआत की थी कि हमें अगले वित्त विधेयक में यह जरूरत है और यही चाहते हैं कि एक स्थाई, उचित और माननीय कर व्यवस्था हो। वित्त विधेयक मुख्यतः कर व्यवस्था का एक माध्यम है। मैं समझता हूं कि अगला वित्त विधेयक पेश करने से पूर्व यदि मेरे द्वारा सुझाए गए कदम अपनाए जाएं तो हम एक स्थाई, उचित और न्यायोचित कर व्यवस्था के एक कदम निकट जा सकेंगे और यही किसी भी वित्त विधेयक का उद्देश्य होना चाहिए।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत विभिन्न कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं। मैं वित्त मंत्री

19—20 LSS/ND/93

को बधाई देता हूं कि उन्होंने विभिन्न निवेदनों तथा हमारी अर्थव्यवस्था की मौजूदा आवश्यकताओं के उत्तर में अनेक महत्वपूर्ण उपाय शुरू किये हैं।

महोदय, आर्थिक उपाय केवल सरकारी खजाने के स्रोतों में वृद्धि हेतु नहीं लाए जाते बल्कि आर्थिक उपायों के माध्यम से प्रभावी होने के लिए कुछ आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों को लागू करने हेतु भी लाए जाते हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर शुरू किए गए कुछ उपाय वास्तव में कराधान उपायों का पुनर्गठन हैं। उदाहरण के लिए, अव्यस्क बच्चे की आय को माता-पिता की आय से जोड़ना, केवल भागीदार फर्मों पर आयकर लगाना और फर्मों तथा इसके भागीदारों दोनों पर दोहरे कर को समाप्त करना, दीर्घ अवधि के पूंजीगत लाभ की समय-समय पर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फिति के कारण इसमें तालमेल कायम करके यह लाभ शुरू करना और धन कर लागू करने की प्रणाली का पुनर्गठन। वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत अन्य उपाय भी मध्यम आय वाले लोगों को राहत देने और मुद्रास्फिति के प्रभाव से पीड़ित आय अर्जित करने वाले लोगों को भी राहत देने हेतु हैं। यह एक मान्य सिद्धान्त है इसकी राजा चेलैय्या समिति ने भी सिफारिश की है कि अगर अब बेहतर कर अनुपालन चाहते हैं तो आपको कर की दर कम करनी होगी। अमेरिका में भी यही उद्देश्य रहा है। यह एक औद्योगिक रूप से विकसित देश है और प्रो० लिंडसोंग ने भी इसे ही अपनाया है और अब विश्वभर में इसे स्वीकारा गया है। इसे राजा चेलैय्या समिति ने भी अनुमोदित किया है कि अगर आप कर की दर 40 प्रतिशत तक कम रखें तो आप नागरिकों से बेहतर कर अनुपालन प्राप्त कर सकते हैं। अब वित्त मंत्री ने राजा चेलैय्या समिति की इन सिफारिशों को मान लिया है और कर की दर में कमी की है। 50,000 रुपये तक यह 20 प्रतिशत है; 50,000 से 1 लाख रुपये तक अब यह 30 प्रतिशत है; एक लाख तथा उससे अधिक पर 40 प्रतिशत है। उन्होंने केवल इस वर्ष के लिए 12 प्रतिशत के प्रभार को कायम रखा है। अब इससे पता चलता है कि वित्त मंत्री ने कर की दर कम करने हेतु यह साहासक कदम उठाया है। अब यह नागरिकों पर है कि वे बेहतर कर अनुपालन करें।

आयकर की छूट सीमा भी बढ़ाकर 22,000 से 28,000 रुपये कर दी गई है। प्रारम्भ में जब वित्त विधेयक पेश हुआ तब धारा 80-एल, 80-सी० सी० ए० के तहत तथा 80-सी० सी० बी० कटौती वापस ले ली गई थी। अब देश भर से अर्थशास्त्रियों तथा विभिन्न संगठनों से निवेदन मिले हैं कि धारा 80-एल के तहत राहत अधिकांशत: मध्यम वर्गीय लोगों द्वारा ली जाती है और अगर यह राहत वापस ले ली गई तो जो कर छूट की सीमा बढ़ाई गई है वह भ्रामक है। मैं विभिन्न क्षेत्रों से आए निवेदनों पर वित्त मंत्री के जवाब पर बधाई देता हूं और उन्होंने अब धारा 80-एल की कटौती को पुन: शुरू किया है या बहाल कर दिया है।

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : डा० देवी प्रसाद पाल का नाम सी० सी० टी० वी० मॉनीटर पर सी० पी० आई० (एम०) से संबध्द दिखाया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह सी० पी० आई० (एम०) के प्रति अनादर सूचक है।

सभापति महोदय : यह ठीक कर दिया जाएगा।

डा० देवी प्रसाद पाल : किसी भी तरह से मेरे नाम का उल्लेख किया गया हो, मैं अपनी राजनैतिक पार्टी से सम्बद्ध हूं।

अब धारा 80-एल के तहत कटौती आंशिक रूप में बहाल कर दी गई है। पुरानी धारा 80-एल के तहत कुल लाभ 13,000 रुपये था (7,000 रुपये तथा 3,000 रुपये और अन्य 3,000 रुपये) वित्त मंत्री ने

7,000 रुपये तक की कटौती को धारा 80-एल में बहाल किया है । मैं अभी भी वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि अगर संभव हो तो 80-एल के तहत उपलब्ध सारी कटौती बहाल की जाए क्योंकि ये निवेश सामान्यत: कम आय वालों तथा मध्यम आय वर्ग वालों द्वारा किए जाते थे । इससे उन्हें न सिर्फ कर में लाभ मिलता है बल्कि ऐसा करके अधिक बचत भी होती है । मौजूदा अर्थव्यवस्था में भी हम आत्म-निर्भरता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे है और अपने निर्यात बढ़ाकर तथा आयात के उपयोग हेतु निर्यात की आय पर निर्भर रहकर बजट के घाटे को कम कर रहे हैं । सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि आन्तरिक बजट करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है । धारा 80-एल के तहत इस कटौती से न सिर्फ मध्यमवर्गीय लोगों को राहत मिलती है बल्कि आबादी का एक बड़ा हिस्सा बचत करता है । इसलिए मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि यदि उनके लिए संभव हो तो धारा 80-एल के तहत कटौतियां बहाल करें जो कि पहले भी थी । उन्होंने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि इन उपायों से मध्यमवर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी । यदि आप स्थिति का मूल्यांकन करें तो पहले छूट की सीमा 22,000 रुपये थी । लेकिन कर दाता 13,000 रुपये तक कटौति प्राप्त कर रहे थे । अब छूट की सीमा बढ़ाकर 28,000 रुपये कर दी गई है, यह 6,000 रुपये अधिक है । लेकिन उपलब्ध कटौती 13,000 रुपये की बजाय 7,000 है । इसलिए पहले कानून के तहत जो उपलब्ध था वस्तुत: वही स्थिति अब भी है ।

अगर उनकी चिंता कर दाता विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों को पर्याप्त राहत देने से संबंधित है तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता कि धारा 80-एल के तहत कर कटौती को पूर्णत: बहाल न किया जाए । वित्त मंत्री द्वारा 80-सी० सी० ए० तथा 80-सी० सी० बी० को धारा 88 में जोड़ दिया गया है और धारा 88 के तहत जो कटौतियां उपलब्ध है, कोई नागरिक धारा 80-सी० सी० ए० और 80-सी० सी० बी० के तहत योगदान करके भी उन्हें प्राप्त कर सकता है । मैं वित्त मंत्री को केवल एक स्थिति के बारे में याद दिलाना चाहता हूं । धारा 88 के तहत अगर एक कर निर्धारण कराने वाला व्यक्ति सार्वजनिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत पत्र में योगदान करता है तो वह उस राशि को निकाल सकता है और उसके पास इस राशि पर कर नहीं लगेगा । लेकिन जब आप धारा 80-सी० सी० ए० के तहत योगदान करते है तो जिस वर्ष में आप राशि निकालते हैं या ब्याज निकालते हैं तो वह राशि कर योग्य होगी । अब सार्वजनिक भविष्य निधि या राष्ट्रीय बचत पत्र में राशि का निवेश करने की बजाय धारा 80-सी० सी० ए० या 80-सी० सी० बी० के तहत कौन योगदान करेगा ?

यद्यपि कर कटौती की सीमा को 10,000/- रु० से बढ़ाकर 12,000/- रु० कर दिया गया है, फिर भी भाग 88 के अन्तर्गत धारा 80-सी० सी० ए० और 80-सी० सी० बी० को लागू किए जाने का कोई लाभ नहीं होगा । जबकि इसे भाग 88 के अन्तर्गत शामिल कर दिया गया है, मैं वित्त मंत्री का ध्यान धारा 80-सी० सी० ए० अथवा 80-सी० सी० बी० के उपयोग की व्यावहारिक सम्भावना की ओर दिलाता हूं । हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन दो छूटों की अनुमति दी गई है । यदि कोई कर निर्धारिती धारा 80-सी० सी० ए० के अन्तर्गत अपना अंशदान देता है, तो वह उसके अन्तर्गत प्राप्त छूट का लाभ व्यावहारिक रूप से अपने जीवनकाल में नहीं उठा पाता क्योंकि जब भी वह उस धन को या उस पर देय ब्याज को निकालता है तो वह राशि कर योग्य हो जाती है । यह केवल दीर्घकालीन बचतों को कम करता है क्योंकि उसे कुछ सरकारी संस्थानों के पास राशि जमा करवानी होती है । आन्तरिक स्रोतों द्वारा बचतों का सृजन करने का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत था ।

मुझे वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने कुछ उपचारात्मक कदम उठाए हैं । उदाहरण के तौर पर, चिकित्सा खर्चे । यदि किसी कर निर्धारिती ने अस्पताल में चिकित्सा संबंधी खर्चे करने हैं और यदि वह सरकारी अस्पताल नहीं है, तो वह अनुमेय छूट नगण्य थी । मुख्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित अस्पतालों में और

विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु व्यय किये गये सभी चिकित्सा खर्च को आय कर में छूट देने के संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया है । केवल यही लाभ वेतनभोगी व्यक्तियों को मिला है । वे व्यक्ति जो कि व्यावसायिक लोगों की तरह स्व-नियोजित हैं, उन्हें केवल चिकित्सा बीमा की सुविधा मिलेगी जिसे 3,000/- रु० से बढ़ाकर 6,000/- रु० कर दिया गया है । यह भी एक प्रगतिशील और उपचारात्मक कदम है ।

लेकिन मैं वित्त मंत्री से यह पूछना चाहूंगा कि क्या वेतनभोगी कर्मचारियों को अनुमोदित अस्पतालों और विशिष्ट रोगों के उपचार हेतु व्यय किये गये सभी खर्च को छूट देने संबंधी प्रावधान को स्वनियोजित व्यक्तियों के मामले में लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसके पीछे विचार यह है कि उपयुक्त रूप से किए गए चिकित्सा खर्चों के लिए करदाता को छूट दी जानी चाहिए ।

मैं वित्त मंत्री जी को इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए 75,000/- रु० तक की आय में कर की छूट की सीमा को 12,000/- रु० से 15,000/- रु० तक बढ़ाकर मामूली राहत प्रदान की है । अपने व्यावहारिक प्रयोग में यह बहुत भ्रांतिजनक बन जाएगा क्योंकि यदि कामकाजी महिला 36,000/- रु० कमाती है तो उसे इसकी उच्चतम सीमा का लाभ नहीं मिलेगा । इसका लाभ केवल तभी मिलेगा जबकि उसकी आय 30,000/- रु० से 75,000/- रु० के बीच होगी, तभी उसे कुछ राशि का लाभ मिल सकता है । ऐसा किसलिए है कि जब उसकी आय 76,000/- रु० है तो उसे 12,000/- रु० की कर में कटौती मिलती है ? यदि उन्हें लाभ देना ही था और लाभ भी बहुत कम राशि की वृद्धि का है, तो इसे इस बात का ध्यान रखे बिना कि उसकी आय 75,000/- रु० है अथवा 75,000/- रु० से नीचे है, इसे सभी कामकाजी महिलाओं पर लागू क्यों नहीं किया जा सकता है ?

मैं वित्त मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे कामकाजी महिलाओं को दिए गए लाभ के व्यावहारिक पक्ष पर विचार करें ।

वित्त मंत्री ने मानवीय रवैया अपनाते हुए आय के स्तर को ध्यान में न रखते हुए किसी परिवार में विकलांग व्यक्ति को सहायता देने की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 रु० कर दी है । यह निश्चय ही मानवीय दृष्टिकोण है जिसके लिए मैं वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा ।

अनेक अन्य कदम भी उठाए गए हैं । उदाहरण के तौर पर भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों को देय मुआवजे की राशि को कर से पूर्णतः छूट प्रदान की जाएगी । मुझे वित्त मंत्रीजी को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा मानवीय रवैया अपनाया, विशेषकर कि भोपाल गैस त्रासदी से प्रभावित लोगों की व्यथा को कम करने के लिए । स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अन्तर्गत देय प्रतिपूर्ति के संबंध में भी उन्होंने बहुत व्यावहारिक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाया है । इस उद्योग की यह विशेषता है कि आर्थिक व्यवहार्यता बनाए रखने के उद्देश्य से श्रमिकों और कर्मचारियों को समय से पहले सेवा-निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है और उनको स्वैच्छिक रूप से सेवा-निवृत्त होने के लिए प्रतिपूर्ति भी दी जाती है । उनको देय राशि पर कर में छूट प्रदान की जाएगी । निश्चय ही, यह तभी होगा जबकि इस तैयार की गई योजना के अन्तर्गत अदायगी की जाती है और वह केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले मार्गनिर्देशों के अनुसार है । यह कुछ उपचारात्मक कदम हैं जिनके लिए वित्त मंत्री ने न केवल व्यावहारिक रवैया अपनाया है बल्कि उन्होंने उदारतापूर्ण और मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया है ।

लेकिन जो अन्य महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए है वह है अवयस्क की आय को उसके माता-पिता की आय के साथ जोड़ने का प्रावधान । आय कर अधिनियम के अन्तर्गत पहले ही यह प्रावधान है । यदि कोई माता-पिता

अपनी सम्पत्ति को अवयस्क बच्चे को स्थानान्तरित करता है तो उससे अर्जित आय को माता-पिता की आय में शामिल किया जाएगा । वित्त मंत्री जी के वक्तव्य के अनुसार क्रास गिफ्ट की समस्या से निपटने के लिए खंड 64 में इस धारा को शामिल किया गया है । उदाहरण के तौर पर 'क' 'ख' के बेटे को उपहार देता है और 'ख' 'क' के बेटे को उपहार देता है और इस तरह से कर से बचा जा सकता है । इससे निपटने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अवयस्क बच्चे की पूरी आय को माता-पिता की आय में शामिल कर दिया जाए । यहां न्यायिक निर्णय और एक साधारण व्याख्या को इस धारा में जोड़ा जा सकता था कि क्रास गिफ्ट का देना माता-पिता द्वारा अवयस्क बच्चे को अन्तरण माना जाएगा और उससे हुई आय पर कर देने के लिए माता-पिता उत्तरदायी होंगे । लेकिन कुछ सही मामले भी हो सकते हैं । उदाहरण के तौर पर चाचा अपने भतीजे को उपहार देता है: दादा अपने पोते को उपहार देता है लेकिन वह माता-पिता को लाभ नहीं पहुँचाना चाहता और माता-पिता उस राशि का उपयोग अपने लिए नहीं करते हैं । इस कारण उपहार दिए जाते हैं । कोई चाचा 36,000/- रु० का उपहार देते है और माता-पिता की आय भी 36,000/- रु० है । पूरा कर माता-पिता को देना होगा जबकि उपहार देने के कृत्य के अन्तर्गत अथवा किसी भी विधान के अन्तर्गत माता-पिता को उसका कोई लाभ नहीं मिलता है । मैं नहीं समझता कि सभी परिस्थितियों में इस प्रकार सामान्यीकरण तथा अवयस्क की आय को उसके माता-पिता की आय के साथ जोड़ने का प्रावधान हमेशा उपयुक्त होता है अथवा उपयुक्त नहीं होता है । इससे अन्याय भी हो सकता है । लेकिन निश्चय ही कानून इसका ध्यान रखेगा । क्रास गिफ्ट के मामले में कर को बचाने के संबंध में मूल धारा में ही व्याख्यात्मक खण्ड को जोड़कर इसका समाधान किया जा सकता है ।

साझेदारी की फर्मों पर भी कर लगाए जाने का प्रावधान किया गया है । यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि पहले साझेदारी फर्म की आय का भी मूल्यांकन किया जाता था और साझेदार की आय का भी मूल्यांकन किया जाता था । इस तरह से दोहरा कर लग जाता है एक तो साझेदार पर और दूसरा साझेदारी फर्म पर । इस मजबूत कदम को उठाने के लिए वित्त मंत्री को बधाई देनी चाहिए । फर्म द्वारा साझेदारों को दिए गए वेतन तथा अदा किए गए ब्याज को साझेदारों की आय में शामिल कर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और फर्म की आय का मूल्यांकन साझेदारों को देय वेतन तथा ब्याज की कटौती करने के बाद किया जाएगा । यह एक बहुत लाभकारी कदम है और इससे साझेदारों की आय का मूल्यांकन उनके द्वारा प्राप्त किए गए वेतन तथा ब्याज के संबंध में किया जाएगा और फर्म की आय का मूल्यांकन कटौती करने के बाद किया जाएगा । लेकिन मुझे वित्त मंत्री को यह याद दिला देना चाहिए कि वे दो बातों का ध्यान रखें और यदि सम्भव हो तो कोई परिवर्तन करें । साझेदारी फर्मों पर 40 प्रतिशत की एक समान दर से कर लगाया जायेगा जो कि सबसे ज्यादा है । लेकिन छोटी-छोटी साझेदारी फर्में भी है और छोटी-छोटी साझेदारी फर्मों द्वारा पूरे देश में व्यापार किया जाता है और जिनकी आय 20,000/- रु० , 50,000/- रु० अथवा 60,000/- रु० होगी । इन साझेदारी फर्मों की आय पर 40 प्रतिशत की सामान्य दर से कर लगाए जाने से छोटी-साझेदारी फर्मों, जिनकी आय और भी कम है, पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । इस बात का कोई कारण नहीं है कि आय के स्तर पर निर्भर करते हुए 20 प्रतिशत, 30 प्रतिशत अथवा 40 प्रतिशत की कर की दरों को लागू नहीं किया जाना चाहिए जो कि वित्त मंत्री द्वारा लागू की गई हैं । यहाँ तक कि कुछ मामलों में दोहरा कर देना पड़ता है जहाँ कि कुछ वेतन ऐसे है जो कि फर्मों की आय में शामिल नहीं किए जाते हैं । उदाहरण के तौर पर व्यावसायिक फर्मों के मामले में 90 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी न कि 10 प्रतिशत और अन्य मामलों में 75 प्रतिशत की अनुमति दी जाएगी । जिस भाग की अनुमति नहीं दी जाती है उसका मूल्यांकन साझेदारी फर्म की आय में भी किया जाता है और साझेदार की आय में भी किया जाता है । इसलिए, जिस राशि की अनुमति नहीं दी जाती है, उस पर दुबारा कर लग जाता है । इसे दूर किया जा सकता है क्योंकि वित्त मंत्री का उद्देश्य फर्म पर कर लगाना नहीं है बल्कि

साझेदारों के वेतन और उनके द्वारा प्राप्त किए गए ब्याज पर कर लगाना है। एक प्रावधान द्वारा कानून में संशोधन किया जा सकता है कि जिस सीमा तक साझेदारों को प्राप्त वेतन आय का मूल्यांकन किया गया है, उसे साझेदारी फर्म के खाते में नहीं लिया जाएगा। साझेदार के वेतन का मूल्यांकन भी उस सीमा तक किया जाएगा, जिस रु. ... ह साझेदारी फर्म को कटौती के रूप में अनुमति दी गई है। मैं समझता हूं कि ऐसा हो जाएगा।

एक दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ का प्रावधान एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें वित्त मंत्री ने कुछ आधारभूत परिवर्तन किए हैं। सम्पत्ति को सन् 1974 में अधिग्रहित किया गया था। सम्पत्ति को 1964 में अधिग्रहित किया गया था। मुद्रास्फीति के कारण इन सम्पत्तियों के मूल्य में वृद्धि हुई है। यदि दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ को आरम्भ किया जाता है तो वर्ष 1964 में अधिग्रहित सम्पत्ति की लागत को लेकर यदि वर्ष 1992 में पूंजीगत लाभ को लागू किया जाता है तो यह इन सम्पत्ति के धारकों के साथ अन्याय होगा। इसलिए वित्त मंत्री ने 1 अप्रैल, 1974 की बजाय 1 अप्रैल, 1981 को मापदंड का आधार बनाया है। यह ऐसा कदम है जिसके लिए मुझे वित्त मंत्री जी को बधाई देनी चाहिए।

उनके द्वारा उठाया गया एक अन्य कदम भी सही और उपयुक्त है। उन्होंने अधिग्रहित सम्पत्ति की लागत को मुद्रास्फीति की दर पर बढ़ा दिया है। मुद्रास्फीति सूचकांक केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर वर्ष दर वर्ष घोषित की जाती है। इसलिए मुद्रास्फीति के कारण मूल्यों में वृद्धि को इस प्रावधान के आरम्भ करने की वजह से पूंजीगत लाभ के परिकलन में शामिल नहीं किया जाएगा, वित्त मंत्री जी ने अब इस समस्त मामूली रियायत की कटौती को समाप्त कर दिया है। उन्होंने प्रतिभूतियों अथवा पूंजी लाभ के लिए किये जाने वाले निवेशों पर मिलने वाली रियायत को समाप्त कर दिया है। इन सब रियायतों को समाप्त कर दिया गया है। मैं वित्त मंत्रीजी से अपील करना चाहूंगा कि इस संबंध में व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें। जब पूंजीगत लाभ को लागू किया जाता है और यदि एक निर्धारिती पूंजीगत लाभ कमाता है और अपने बिक्री मूल्य को यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आई० डी० बी० आई० जैसे निवेशों में लगाता है तो पैसा किसे मिलेगा? सरकार तथा सरकारी संस्थानों को राशि मिलती है और वे उसे आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवेश करते हैं और निर्धारिती को भी रियायत मिलती है यदि वह इन पूंजीगत सम्पत्तियों के विक्रय से हुई आय को कुछ वर्षों के लिए कुछ विशेष निवेशों में लगाता है। इससे उसी समय में बचत होती है, यह ईमानदारी से किए जाने वाले लेन-देन को बढ़ावा मिलता है। यदि कोई निर्धारिती जानता है कि जो कुछ भी राशि उसे मिल रही है, यदि उसे वह कुछ विशेष प्रतिभूतियों में निवेश करता है तो उसे पूंजीगत लाभ अदा नहीं करने होंगे। सरकार भी इस प्रकार लाभान्वित होती है, क्योंकि बिक्री सम्बन्धी सम्पूर्ण आय सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं के निवेश में निहित है, जो कि इस प्रकार की धनराशि वह उद्योगों में लगा सकती है और ऐसी जगहों पर लगा सकती है जहाँ धन की आवश्यकता होती है। इस छूट की पूरी तरह से समाप्ति दो प्रकार से प्रभाव डाल सकती है। यह काले धन के रूप में पूंजीगत परिसम्पत्ति की बिक्री सम्बन्धी लेन-देन को बढ़ावा देगा, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी और इसलिए वे गुप्त रूप से इन लेन-देन को करने की कोशिश करेंगे। दूसरे, सार्वजनिक प्राधिकरण, सार्वजनिक संस्थायें, सरकार निवेश सम्बन्धित इस बड़ी धनराशि से वंचित हो जाएंगे, जो कि उन्हें निवेशों और पूंजीगत लाभ की बिक्री सम्बन्धी आय के द्वारा प्राप्त हो सकती है। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मुद्दे पर ध्यान दें।

शेयरों को छोड़ कर सम्पत्ति कर योजना को लागू किया जाता तथा सिर्फ गैर उत्पादक सम्पत्ति पर सम्पत्ति कर लागू करना एक महत्वपूर्ण विशिष्टता है जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिए। सम्पत्ति कर योजना अब तैयार कर ली गयी है। और गैर-उत्पादक सम्पत्ति पर ही सिर्फ सम्पत्ति कर लागू होगा। लेकिन सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनियों पर भी कर लागू करने का प्रश्न यहाँ उठता है। सात वर्षों

के अन्तराल के पश्चात पहली बार अब इसे लागू किया गया है। मूल रूप से अब 1957 में सम्पत्ति कर लगाया गया था तो वे कम्पनियां जिसमे लोगों की बहुत अधिक रुचि थी, उन्हें भी इसके अन्तर्गत लाया गया था। 1957 से 1959 तक यह जारी रहा। फिर 1960 के पश्चात उन कम्पनियों पर जिनमें लोगों की रुचि है, सम्पति कर समाप्त कर दिया गया था। वास्तव में सभी कम्पनियों पर से सम्पति कर 1960 में समाप्त कर दिया गया था। 1983 में उन कम्पनियों पर जो अपने तक में सीमित है अर्थात निजी कम्पनियों पर सम्पति कर लगा दिया गया था। लेकिन उन कम्पनियों की, जिनमें जनता की अत्यधिक रुचि है सम्पति कर से परे रखा गया था। 1960 के पश्चात पहली बार इसे उन कम्पनियों पर लागू किया गया, जिसमें जनता की अत्यधिक रुचि है। इसकी मुख्य विशेषता सिर्फ यह है : कि उत्पादक सम्पत्तियों पर सम्पति कर नहीं लगाया जायेगा, बल्कि गैर उत्पादक सम्पत्तियों जैसे कि रिहायशी मकानों, मोटरगाड़ियों तथा अन्य गैर उत्पादक कम्पनियों पर सम्पति कर लगाया जायेगा। यह समय इस बात पर विचार करने योग्य है कि क्या उन कम्पनियों पर जिनमें जनता की अत्यधिक रुचि है सम्पति कर लगाना उचित होगा।

जैसा कि मैंने कहा है कि वित्त विधेयक इस मायने में पहले से भिन्न है कि पूर्व में कराधान सम्बन्धी किये गये सभी उपायों में हमने यह देखा है कि सरकारी व्यय को पूरा करने में अप्रत्यक्ष करों का बहुत अधिक अंश होता है। माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रत्यक्ष करों पर अधिक जोर डाला है। और प्रत्यक्ष कर में राजस्व के स्रोत में वृद्धि हो रही है। उन्होंने कर की वसूली द्वारा राज्यों को प्राप्त होने वाले मुनाफे को भी रोक दिया था। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है। हमने श्री वी० पी० सिंह, जो राज्यों की स्थिति पर दुःखी थे, की सरकार के शासनकाल के दौरान यह देखा है कि राज्यों को प्राप्त होने वाली राजस्व की मात्रा घट कर सिर्फ 3 करोड़ रुपये हो गयी थी। इस समय राज्यों के लिए यह 14,000 करोड़ से बढ़ कर 16,000 करोड़ हो गयी है। यद्यपि केन्द्र सरकार ने अपने प्रशासन में आर्थिक उपायों को लागू किया था, राज्यों में धनराशि की कमी नहीं होने दी गई है। इसे करों की वसूली सरकार द्वारा राज्यों को दिया जाना है। केन्द्र सरकार ने योजना व्यय में भी कमी नहीं की थी जिसके द्वारा राज्यों को राज सहायता और अनुदान प्रदान किया जायेगा। इसमें भी 2000 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी गई है। यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके लिए माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दी जानी चाहिए।

संक्षेप में, प्रत्यक्ष कराधान में वित्त विधेयक द्वारा अनेक महत्वपूर्ण विशेषताओं को सम्मिविष्ट किया गया है जो कि उपचारात्मक हैं, जिनके द्वारा समय की कमी पर व्यवहारिक रूप से ध्यान दिया गया है और इन्हें दो उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सन्निविष्ट किया गया है अर्थात बजट घाटे को कम करने और साथ ही उद्योगों के विकास को बढ़ावा दे कर हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार करने और इसे बढ़ावा देने के लिए तथा निर्यात को भी बढ़ावा देने के लिये इन विशेषताओं का समावेश किया गया है, ताकि हमारी विदेशी मुद्रा आय में बढ़ोतरी हो सके।

आवश्यक वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर के विभिन्न क्षेत्रों में कमी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने देश की सम्पूर्ण आर्थिक स्थिति का एक अवलोकन किया है और उनके द्वारा लागू किये गये उपायों से सिर्फ यह पता चलता है कि आवश्यकताओं और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के प्रति वे कितने संवेदी है।

इसलिए मैं वित्त विधेयक का समर्थन तथा प्रस्तुत किये गये सभी कटौति प्रस्तावों का विरोध करता हूं।

प्रो० सुशान्त चक्रवर्ती (हावड़ा) : महोदय, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा यह कहा गया है कि ऐसा समझा जाता है कि वित्त विधेयक द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए सरकार के वित्त सम्बन्धी प्रस्तावों

को लागू किया जायेगा, परन्तु न तो यह एक अच्छी अर्थव्यवस्था और न ही अच्छी राजनीति का अंश है। यह तो एक गुमराह और भ्रमित राजनीति का नतीजा है और मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारे देश की आम जनता के विरुद्ध एक प्रेरित राजनीति है।

माननीय वित्त मंत्री महोदय ने मुहावरों और अलंकारों द्वारा इसके रूप आकारों को छिपाने की कोशिश की है। लेकिन उनका इरादा अभी भी स्पष्ट है। इसलिए बजट के साथ साथ वित्त विधेयक कुछ नेक इरादों का विधिवादी वक्तव्य है और दूसरी ओर यह धोखा धड़ी की कार्यवाही है।

वित्त विधेयक के उपबन्धों के बारे में विस्तार से बताने के पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस वर्ष के बजट को प्रस्तुत किये जाने के बाद हमारी अर्थ व्यवस्था में हुए परिवर्तनों की ओर दिलाना चाहता हूं। बजट के उतार-चढ़ाव बिल्कुल स्पष्ट है। कीमते बढ़ गयी है। कांग्रेस (आई) द्वारा अपने चुनाव घोषणा पत्र में किये गये वायदे कि कीमतों को कम कर 1989 के स्तर तक लाया जायेगा, थोक मूल्य सूचकांक 13 प्रतिशत से भी अधिक है। बेरोजगारी बढ़ गयी है, इसके बावजूद कि कांग्रेस (आई) ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वायदा किया था कि देश में प्रतिवर्ष 10 लाख रोजगार के अवसर पैदा किये जायेंगे। बाजार में रुपये की कीमत दिन-प्रति-दिन गिरती जा रही है। रुपये की हवाला दर में भी वृद्धि हो रही है। सोने के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है और इसमें कमी नहीं हो रही है। आय के वितरण में गम्भीर रूप से कमी आ गयी है। विदेशी ऋण पर निर्भर रहने की आर्थिक नीति, जो हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गाँधी द्वारा शुरू की गयी थी, को पूरे जोर-शोर से जारी रखा जा रहा है।

शेयर बाजार में सिर्फ पाशविक प्रवृतियाँ फैल चुकी है। 'सेबी' में भी इससे भय व्याप्त हो गया है। प्रारंभ में इसमें तेजी आने के बाद बड़े शेयर दलालों के पकड़े जाने पर संवेदनशील सूचकांक में तेजी से गिरावट आयी है। निश्चित रूप से इन्होंने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। हमने देखा कि सरकार इनके सामने असहाय है। सरकार इसे रोक नहीं पायी। सरकार छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं कर पायी। सरकार भारतीय स्टेट बैंक को शेयर बाजार में विशाल धनराशि निवेश करने से रोक नहीं पाई। यह अनुशासनहीन अर्थव्यवस्था वह कीमत है जो हमारे देश में इक्विटी संस्कृति के विकास करने के डा० मनमोहन सिंह के स्वप्न तथा भारत को एक आदर्श राज्य बनाने के उनके स्वप्न को पूरा करने के लिए हमारे देश को चुकानी है।

यह विधेयक बाजारोन्मुखी प्रवृत्तियों का पक्षधर होने के कारण इन परिस्थियों के लिए जिम्मेवार है; दीर्घ कालिन पूंजीगत लाभ के लिए कर में छूट: इस प्रकार की लाभ के लिए मुद्रास्फिति सूचकांक का लागू किया जाना: आयकर से निजि क्षेत्र के म्युचुअल फन्ड में छूट; विदेश में निवेशकर्ताओं की परिवर्तनीय बाण्ड तथा इक्विटी जारी करने के लिए कुछ चुनी हुई भारतीय कम्पनियों को अनुमति देने का प्रस्ताव; रियायति दर पर जारी किये गये इन पगों से प्राप्त आय तथा पूंजीगत लाभ पर कर लगाना।

इन विदेशी संस्थाओं को म्युचुअल फन्ड के रूप में भारतीय बाजार में निवेश करने की अनुमति का प्रस्ताव तथा विश्व बैंक के निर्देश पर आयात शुल्क में कमी किया जाना दोनों के कारण आशाओं में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

ऐसी भावना पनप रही है कि माहोल अब सभी के लिए खुला हुआ है और यही समय है जब एक व्यक्ति अधिक से अधिक धन अर्जित कर सकता है।

हमारा यह अनुभव है कि अत्यधिक अनौपचारिक अर्थव्यवस्था ने अच्छी भली राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को दुर्गम बना दिया है। हमारा यह भी अनुभव है कि बाहरी ऋण दाताओं हमारी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप कर रहे

है। हमारे मन में यह प्रश्न उठता रहता है: क्या वास्तव में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कायम है ? माननीय वित्त मंत्री जी वित्त विधेयक द्वारा किसे नियंत्रित करेंगे ? यदि यही स्थिति अगले तीन-चार साल तक बनी रही, तो इस देश में न तो वित्त विधेयक की जरूरत होगी और न ही वित्त मंत्री की। इनका काम बड़े उद्योगपतियों द्वारा किया जायेगा। इसलिए वित्त विधेयक, 1992-93 को भावी पीढ़ियाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को समाप्त कर देने वाले अन्त्येष्टि विधेयक, एक गलत नीति का अन्तिम सराहना कह कर पुकारेंगी।

चालीस से साठ हजार करोड़ रुपये का काला धन प्रतिवर्ष पैदा हो रहा है। प्रतिवर्ष 12,000 रुपये से 20,000 रुपये की चोरी की जा रही है। इस काले धन को बनने से रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ? माननीय वित्त मंत्री जी क्या तरीका अपनाना चाहते है ? इन समस्त बातों के पश्चात् आम माफी की योजना द्वारा आप किसी धनराशि एकत्र कर पाने के सक्षम हुए है ? पूंजीगत वृद्धि को रोकने हेतु क्या किया जा रहा है ? हम यह देखते हैं कि कर प्रस्तावों द्वारा काले धन को सफेद किये जाने में रुचि दिखायी गयी है। आपने गोल्ड बाण्ड स्कीम और सोने के आयात शुल्क में छूट के माध्यम से क्या संकेत दिया है। माननीय वित्त मंत्री महोदय ने तस्करी को वैध बनाने की कोशिश की है। हम बाहर विश्व को क्या संदेश भेजना चाहते है ? क्या यह संदेश है कि सही को गलत बताया जा रहा है और गलत सही है ? इसलिए डरने का कोई कारण नहीं है। क्या यही संदेश है ? यदि वित्त विधेयक में यही नैतिकता निहित है तो मैं इसका विरोध करता हूँ।

माइक्रो इकोनोमी जिसके सन्दर्भ में वित्त विधेयक को रखा गया है उसकी एक विशेषता "स्टैगफ्लेशन" है।

मजबूत सुरक्षा जाल, लाभप्रद सार्वजनिक निवेश तथा व्यय समय की माँग है। मुद्रास्फीति की संभावना को निरुत्साहित करने और सट्टेबाजी तत्वों को कमजोर करना भी जरूरी है।

प्रत्यक्ष करों के माध्यम से अतिरिक्त प्रयोज्य आय का प्रत्यक्ष में सफाया करने जैसे एकमात्र साधन का वश उपयोग से ही इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। क्या मैं अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अपने अर्थशास्त्री वित्त मंत्री को ऐसी स्थिति में कीन्स द्वारा उसके "ट्रीटाइज ऑन मनी" में सुझाये गये उपायों की याद दिलाऊँ ?

कीन्स ने लिखा है :

> "समुचित कारणों से उद्यमकर्त्ताओं की झोली में लाभ डालनेवाली नीति को अपना लेने के बाद हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे उसे करों के रूप में ही जमा करें और अगर समुदाय द्वारा उपार्जित धन राज्य को उधार देने की अनुमति दी गयी हो तो उद्यमकर्त्ताओं को भविष्य में उससे होनेवाली आमदनी पर हक जताने का अधिकार नहीं होना चाहिए.......छूट सीमा से अधिक लाभों और आयों पर लगी उच्च कर की रकम लाभ-मुद्रास्फीति का प्रतिस्थापन न होकर उसका आवश्यक अनुबन्ध है।"

वित्त विधेयक में, किए गए सुझाव लार्ड कीन्स के सलाह के बिल्कुल विपरीत है।

कर संरचना पर एक सरसरी निगाह डालने से भी यह स्पष्ट हो जायेगा कि राजस्व-संग्रहों में प्रत्यक्ष करों में स्थायी तौर पर गिरावट होती रही है। वर्ष 1950-51 में केन्द्रीय स्तर पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का अनुपात 43:57 था। लेकिन प्रत्येक नए दशक में इसकी स्थिति बिगड़ती चली गई। 1991-92 के संशोधित आकलन में यह अनुपात 76:24 का हो गया है, अर्थात् कुल राजस्व करों में प्रत्यक्ष करों का अनुपात एक-चौथाई से भी कम है। प्रत्यक्ष करों में गिरावट का मुख्य कारण केन्द्रीय स्तर पर निजी आयकरों में कमी

20—20 LSS/ND/93

होना है । वर्ष 1950-51 में निजी आयकर केन्द्रीय कर संग्रह का 32.7 प्रतिशत था, अर्थात् वह उसका एक-तिहाई भाग था । उसके सापेक्ष 1991-92 के संशोधित आकलन में इसका अनुपात लगभग दस प्रतिशत है जबकि वर्ष 1992-93 के बजट-आकलन यह उससे भी कम है ।

हालांकि माननीय वित्त मंत्री ने निजी आयकर की सीमा 28,000 रुपये तक बढ़ा दी है, लेकिन साथ ही उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 80 एल०, 80 सी०सी०ए० और 80 सी०सी०बी० के अन्तर्गत कर-दाताओं को मिलनेवाले दूसरे प्रकार की लाभों को खत्म भी कर दिया है । दो दिन पूर्व उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप भी अगर इसमें संशोधन कर दिया जाता है, तो भी यह मध्यम आय वर्ग के बचत को हतोत्साहित करेगा तथा राज्यों के हितों में बाधा डालेगा । आगे जहाँ तक आय-कर की दरों का सम्बन्ध है, उसमें अवरोधी तत्वों को शामिल करने का निश्चित प्रयास शुरू हो चुका है । नयी दर से डेढ़ लाख से ऊपर की आमदनी वाले कर दाताओं को ही लाभ मिल पायेगा । नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1990 में 68,51,168 कर दाताओं में से 9,52,823 कर दाता कर-सीमा से नीचे थे । इस सीमा से ऊपर 1 लाख तक की आमदनी वाले करदाताओं की संख्या 55,17,453 थी, जिन्हें अब 20 से 30 प्रतिशत की दर पर आय-कर देना होगा । 1 लाख से 5 लाख रूपये तक की आमदनी वाले कर-दाताओं की संख्या 3,56,878 है और 5 लाख से ऊपर की आमदनी वाले करदाताओं की संख्या सिर्फ 24,000 है । जो अब 40 प्रतिशत आयकर का भुगतान करेंगे । निश्चय ही यह प्रणाली लाभ-प्रद नहीं है । वित्त मंत्री ने वृद्ध लोगों को कुल निवल करों में 10 प्रतिशत की छूट देकर उन्हें कुछ राहत देने का प्रयत्न किया है । लेकिन इससे तो उन्होंने उनके घाव पर नमक ही छिड़का है । उन्हें समझना चाहिये कि उनमें से अधिकांश लोग छोटी बचत की आय पर ही निर्भर है, जिसमें वर्तमान में भी 13,000 रुपये तक छूट का प्रावधान है ।

महिलाओं के लिये स्टैंडर्ड डिडक्शन को 12000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है । इसमें भी राजनीति है, महोदय, तभी वित्त मंत्री ने यह कदम उठाया है ।

5.00 म० प०

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के द्वारा की गई जनगणना के अनुसार कुल कामकाजी महिलाओं में से 99 प्रतिशत महिलाओं की मासिक आय 2500 रूपये से कम है । 3000 रुपये से अधिक मासिक आयवाली महिलाओं का प्रतिशत मात्र 0.25 प्रतिशत है । अगर हम महिलाओं के संबंध में द्रुत सर्वेक्षण भी करवायें तो पायेंगे कि कर-भुगतान करने वाली श्रेणी में अधिकांश महिलायें ऐसे परिवार से होंगी जिनमें मियाँ-बीबी दोनों ही कमाते हैं । दोनों की साझा आमदनी के कारण ये परिवार उच्च मध्य वर्ग श्रेणी में आते हैं । कुल मिलाकर प्रस्तावित छूट मात्र तुष्टिकरण की ही नीति है, जो आर्थिक रूप से सबल वर्गों के लिये है ।

महोदय, वित्त विधेयक में उत्तराधिकार कर लगाने से परहेज किया गया है, जो कि जापान और ब्रिटेन जैसे पूँजीवादी देशों में भी प्रभावशाली ढंग से लगाया जाता है ।

राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा शुरू किया गया दाता पर आधारित उपहार कर को खत्म कर दिया गया है ।

कृषि से आमदनी प्राप्त करने वाली लॉबी अभी भी देश का सबसे शक्तिशाली कर-विरोधी लॉबी है ।

करों के आधार में विस्तार करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने वित्त विधेयक में व्यापारियों और दुकानदारों के लिये 1400 रुपये प्रति वर्ष का स्वैच्छिक पूर्वकल्पित कर का प्रस्ताव किया है । इन लोगों को

लेखा-प्रमाणों के माध्यम से यह दिखलाने का विकल्प है कि वे किसी प्रकार के कर भुगतान करने के लिये उत्तरदायी नहीं हैं।

प्रत्यक्ष कर की स्थिति यह है, लेकिन अप्रत्यक्ष करों पर यह जानते हुए भी कि इनकी वास्तविक रकम भुगतान सरकार के द्वारा ही की जायेगी, पर भरोसा बढ़ता ही जा रहा है।

वित्त विधेयक को देखने से लगता है कि अधिकाधिक धन की उगाही उत्पाद-शुल्क के माध्यम से की जाएगी, लेकिन ऐसा करना कितना कठिन है यह इसकी वस्तुस्थिति से देखा जा सकता है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन ज़रा चीनी, मिट्टी का तेल, दिया सलाई, कपास, सूती धागे पर लगायी गयी लेवी की ओर ध्यान दें तो पता चलेगा कि इससे मुद्रास्फीति तो बढ़ेगी ही, साथ ही यह भार एक जगह से हटकर गरीब लोगों पर पड़ेगा। संसाधन का लाभ बड़े-बड़े कारोबारियों के पक्ष में आयेगा। एक आकलन के अनुसार पॉलिस्टर धागों पर लगी उत्पाद-शुल्कों के परिणामस्वरूप केवल रिलायंस उद्योग के हाथों ही 35 करोड़ से अधिक रुपये पड़ेंगे।

विश्व बैंक के निर्देश पर सीमा शुल्क में कमी पर छूट दी गयी है।

पूंजी-गत माल में भारत की आत्म-निर्भरता 85 प्रतिशत है। विश्व बैंक की मांगों को मान लेने के कारण वित्त विधेयक में विदेशी पूंजी के अनियंत्रित आगमन की अनुमति दी गई है। हम इसके विरुद्ध हैं।

5.03 म० प०

[श्री पी० एम० सईद पीठासीन हुए]

इन सभी अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि का अर्थ है उन लोगों को पूर्णतया निचोड़ लेना जिनकी पीठ दीवार से लगी हुई है और जो अपना बचाव करने में असमर्थ हैं।

बजट के व्यय पक्ष से यह स्पष्ट है कि बजट घाटे को कम करने के लिये योजना खर्च में दी जानेवाली सहायता में कटौती करने की रण-नीति अपनायी जायेगी। इससे राज्यों को निवेशिक गतिविधि में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिलेगा। इस शून्य की स्थिति को निजी क्षेत्रों के निवेश से भरे जाने की उम्मीद है। लेकिन भारत तथा विश्व के अन्य देशों का यह अनुभव है कि सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्रों में विलीन हो जाते हैं, वह उनके बीच पनप नहीं पाते हैं।

इसीके साथ-साथ राजस्व घाटा भी बढ़ चुका है। अतः आर्थिक नीति एक-बार फिर राजस्व बढ़ाने पर ही आधारित है, क्योंकि वे कर-निर्धारण प्रक्रियाओं से पर्याप्त राजस्व जुटाने में असफल रहे हैं। इसलिये उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्रों की इकाइयों में अनिवेश की प्राथमिकता दी है और उनमें विदेशी इक्विटी को 49 प्रतिशत तक की भागीदारी की अनुमति दी है। इस प्रकार से सरकार उदारीकरण के नाम पर सभी चीजों को खुला रखने की कोशिश कर रही है।

महोदय, हमारे सार्वजनिक क्षेत्रों का समर्थन का अर्थ यह नहीं है कि हम इस भ्रम में हैं कि इनसे दुखों का अंत हो जायेगा या इनसे समाजवाद आ जायेगा। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र के विकास का आधार तैयार हुआ है और इससे हमें मूल भूत ढांचा मिला है।

महोदय, अब हमें एक वैकल्पिक नीति बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सरकार को लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाकर बाजार बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। एक विस्तृत बाजार बड़ी संख्या में लोगों को

उपभोक्ता सामग्री के उद्योगों और अनुषंगी उद्योगों में पूंजी निवेश करने के लिये आकर्षित करेगा । और इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भी अच्छा संकेत मिलेगा । ऐसा करने के बजाय सरकार विदेशी ऋण पर अधिकाधिक भरोसा कर रही है ।

चीन का उल्लेख करते हुए यह कहा जाता है वह भी अन्तर्राष्ट्रीय ऋण ले रहा है । लेकिन, महोदय, चीन ने अपने स्वदेशी टेक्नोलॉजी की सहायता से ही अपना संरचनात्मक ढाँचा निर्मित किया है । उसने अपना रेलवे, कोयला, इस्पात का विकास किया है । इसका एक अपना लागत-दक्ष प्रतिस्पर्धापूर्ण कार्यकुशल अर्थतंत्र है ।

औद्योगिक क्रांति के दूसरे चरण में चीन बाहर से ऋण ले रहा है, वह भी अपनी शर्तों पर न कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के निर्देश पर ।

महोदय, मुझे बाहर से ऋण लेने में कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते इससे हमारे देश की हालत में सुधार हो । लेकिन हमें लातीनी अमरीका के देशों और अपने पड़ोसी बांगला देश तथा पाकिस्तान के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए । प्रत्यक्ष पूंजी-निवेश और विकसित देशों के साथ निर्यात में सुधार के सम्बन्ध में मेरी निजी राय यहाँ बैठे हुए कई लोगों से अलग है । अपनी ही कई समस्याओं से घिरा पतनोन्मुख पूंजीवाद जिसे आर्थिक, मुद्रा सम्बन्धी और वित्तीय आदि जैसे आघात झेलने पड़ रहे हैं, से गरीब देशों को मुश्किल से मदद मिलने की उम्मीद है ।

इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवादी खेमा बर्बाद हो चुका है, लेकिन मंदी और बेरोजगारी से पूंजीवादी खेमें की जड़ें भी हिल रही हैं । ऐसी स्थिति में हमारे वित्त मंत्री उनसे किस प्रकार की सहायता की उम्मीद लगाये बैठे हैं ?

महोदय, प्रत्यक्ष उपभोग में कटौती करना, आयात में कमी लाना और करों के माध्यम से उगाही बढ़ाना समय की अविलम्बनीय जरूरत है । वित्त मंत्री कोई अन्यत्र मार्ग अपना रहे है । यह बेहतर होगा कि हम चीन के साथ अपनी तुलना न करें । मेरी वित्त मंत्री से प्रार्थना है कि बाजार बलों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें नरभक्षी बनने की अनुमति न दें और विदेशी उद्योगों को प्रोत्साहित करते हुए यह देखा जाए कि वे हमारे छोटे और बड़े दोनों ही उद्योगों का स्थान न ले लें । अगर भारत 10 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न कर लेता है तो उससे गरीबी और भूखमरी की समस्या का समाधान हो जायेगा । वह अगर उपलब्ध कोयला टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही कोयले का उपयोग करता है और आयातित तेल पर अपनी निर्भरता में कमी लाता है तो उस मद में 10,000 करोड़ रुपये तक होनेवाली खर्चे में भारी कटौती हो सकेगी और यह एक बेहतर स्थिति होगी । अगर वह रेल-परिवहन पर भरोसा करके वैगनों की स्थिति में सुधार करता है तो इससे डीजल की काफी बचत होगी । अगर वह सीमेंट, इस्पात, कास्टिक सोडा, सोडा ऐश, टेक्सटाइल्स, जूट जैसी विस्तृत संसाधनों वाली मूलभूत उद्योगों के प्रति प्रतिबध्द हो तो उससे एक सही और प्रतिस्पर्धावाली संरचना का निर्माण होगा ।

इस प्रकार के विकास के लिये एक अनुकूल वातावरण के निर्माण के लिये भूमि-सुधार के माध्यम से प्राथमिक क्रय शक्ति की सहायता से मंदी को खत्म किया जाना चाहिए और पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सहायता से मुद्रास्फीति और जमाखोरी के विरूध्द संघर्ष करना चाहिए । लेकिन वह सब करने के लिये वित्त मंत्री को थोड़ा कठोर होना पड़ेगा । इनके लिये विश्वास, साहस, कठोर निर्णय और दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की जरूरत है । क्या वह संपन्न वर्गों के विरूध्द कड़े कदम उठाने और अपने ही वर्गों के क्रोध का कोपभाजन बनने को तैयार है ? संभवतः नहीं । उनके लिये मैं यह एडमंड बर्क की पंक्ति उद्धृत करना चाहूँगा ।

"किसी को तंग करना या खुश करना प्यार से बढ़कर नहीं है तथा बेईमान होना मनुष्य के बस में नहीं है" ।

उदारता के नाम पर आप अर्थव्यवस्था में खुलापन ला रहे है यहाँ तक अर्थव्यवस्था की मूल संकल्पनाओं में भी खुलापन लाया जा रहा है । मैं माननीय वित्त मंत्री को शीन परडेस की पुरानी कविता याद दिलाना चाहता हूं :

"मुझसे कोई भी बलात्कार नहीं कर सकता
क्योंकि मेरी हमेशा सहमति रहती है ।"

यह भारत के लोग है जो ऐसे प्रस्ताव के विरोध बहादुरी से लड़ते रहे है ।

इन शब्दों के साथ मैं वित्त विधेयक का विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : माननीय सभापति जी, मैं वित्त मंत्री को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा और निवेदन करूंगा कि वे मेरे रचनात्मक सुझावों को निश्चित रूप से मानेंगे ।

माननीय वित्त मंत्री जी आपने अपने बजट भाषण में सबसे पहले करमुक्त सीमा को 22 हजार रूपए से बढ़ाकर 28 हजार रूपए कर के देश में वाहवाही लूटने की कोशिश की, लेकिन यह सीमा जितनी बढ़ानी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ाई और आज कांग्रेस के लोग बजट की चाहे जितनी भी तारीफ कर लें, लेकिन काम-धंधा करने वाले जितने लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं या जितने आम आदमी है, आम जनता है, उसको इससे राहत नहीं मिली है । इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस कर-सीमा को 28 हजार रूपए नहीं आप कृपा कर के 48 हजार रूपए करें । यह करना बहुत आवश्यक है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे सुझाव को मानेंगे ।

वित्त मंत्री जी अगर आप इसको नहीं करते हैं, तो सरकार के थोथे वायदे सामने आने हैं । आपने 80 एल, 80 सी सी तथा 80 सी सी बी की जो 13 हजार रूपए की छूट पहले लोगों को मिलती थी, वह भी आपने वापस ले ली है । अब आपने उसमें से माननीय मनमोहन सिंह जी, 2 दिन पूर्व घोषणा की है कि आप उसमें 7 हजार रूपए वापस देने जा रहे हैं । आपने बड़ी भारी कृपा कर दी ? यदि आप 13 हजार रूपए ही रखते है और उसके बाद आप और छूट बढ़ाते, तो कुछ राहत लोगों को मिलती । आपने 13 वापस ले लिए फिर उसमें से 7 दे दिए, तो आप स्वयं सोचिए क्या छूट दी है । आपकी तो अर्थमैटिक्स में लगता है डिस्टिंक्शन आई होगी, मेरी तो सप्लीमेंट्री आई है, इसलिए इस हिसाब को आप ही लगाइए और विचार कर लीजिए । आपने यहां 13 ले लिए उसमें से 7 दे दिए, यानी 6 हजार रूपए रह गए वे 6 हजार रूपए आपने उधर 18 से 24 करने में दिए, अर्थात आम जनता और कर्मचारियों को एक पैसे की छूट आपने नहीं दी । सिर्फ आंकड़ों की जादूगरी आपने दिखा दी है ।

श्रीमान, आपने 80 एल में 7 हजार रूपए की छूट को पुन: उपलब्ध करवा दिया, परन्तु 80 सी. सी. ए. और 80 सी. सी. बी. की सुविधा को आपने यह कह कर नकार दिया कि धारा 88 के तहत आपने देय कर में छूट को 10 हजार से बढ़ाकर 12 हजार कर दिया है, तो श्रीमान इस एक वर्ष महंगाई के बढ़े सूचकांक को ध्यान मे रखते हुए यह छूट तो 12 हजार रूपए ही होनी चाहिए थी । इस एक वर्ष में कितनी महंगाई हुई है, इस पर आप सूचकांक के तौर पर ही विचार कर लीजिए ।

सभापति महोदय, कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में कहा था कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे और अब जब आपके हाथ में सत्ता आई, वित्त मंत्री जी के नाते आपकी कलम में जोर आया है, इसलिए मेरी मांग है कि यह जो 12 हजार रुपए आपने कर दिया, यह तो महंगाई के आधार पर ठीक कर दिया लेकिन आयकर की सीमा को बढ़ाकर आपको 48 हजार रुपए करना चाहिए जो आपने नहीं किया है। इसलिए मेरी पुनः मांग है कि इस सीमा को बढ़ाकर 48 हजार रुपए करें।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि बच्चों की आय को, जो माता-पिता आयकर देते हैं, उसमें आपने जोड़ दिया है। इससे बच्चों की भावना को ठेस पहुंचाई है। मैं तो आपके हितार्थ कह रहा हूं, 14 नवम्बर का दिन चाचा नेहरू बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का भी यहां पर कई बार उल्लेख किया है, राजीव गांधी का किया है। राजीव गांधी के नाना जी पंडित नेहरू, मैं समझता हूं कि बच्चों के हितैषी रहे हैं, आपने उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। मुझे कल सपने में नेहरू जी नजर आए थे। उन्होंने कहा कि कल तुम बजट पर बोलने वाले हो, वित्त मंत्री जी सामने बैठे हों तो उनसे कह देना कि कांग्रेस के लोग क्यों मेरे आत्मा को सता रहे हैं। मुझे कल सपने में जो दिखाई दिया वह मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। आप उनकी आत्मा को न दुख पहुंचाएं और उनके आदर्शों पर चलने की दुहाई न दें। इससे मध्यम वर्गीय परिवार के हितों को तो चोट पहुंची है साथ ही बच्चों के भविष्य को भी आपने अंधकारमय बना दिया है। किसी के दो बच्चे हों और मध्यम परिवार का, यदि अकेला कमाने वाला व्यक्ति हो तो चार व्यक्तियों के आधार पर 88 हजार रुपये की आयकर में छूट प्राप्त कर सकता था आपके नियम के आधार पर। अब आपने उस पर इतना बोझ डाल दिया है कि उसका जीवन-यापन करना मुश्किल हो गया है। सम्पन्न व्यक्ति के पास तो सम्पत्ति होती है, उसका तो कहीं पर नुकसान नहीं हुआ है, उसका कोई सगा नहीं होता है, उसका सगा केवल पैसा होता है। लेकिन मध्यम वर्गीय आय वाले व्यक्ति को आपने ठेस पहुंचाई है। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि नाबालिग बच्चों की आय को, जिसको एक पिता ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर इसलिए करता है कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसके पास सम्पत्ति हो जाएगी, बच्चे पढ़-लिख जाएंगे और उनके पास स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार करने का पैसा होगा। यदि बच्चा नौकरी करने वाला भी हुआ तो उसके पास स्वतंत्र आवास की व्यवस्था होगी जिसमें वह अपना सिर छुपा सकेगा।

इन सारी बातों के आधार पर मैं फिर से निवेदन कर रहा हूं कि नया जो प्रावधान बच्चों की इनकम का, मां-बाप जो टैक्स दे रहे हैं, उसके साथ जोड़ने का जो प्रावधान है उसको समाप्त करेंगे और बच्चों की आय को अलग रखें।

आपने क्रास-गिफ्ट की बुराई को इसके साथ जोड़ा है तो श्रीमान् आप ऐसा प्रावधान ही क्यों रखते हैं जिससे यह बुराई पैदा होती है। आप कानूनों के सरलीकरण की बात करते हैं तो माता-पिता को यह छूट क्यों नहीं देते कि उनके द्वारा बच्चों को गिफ्ट की गई राशि से होने वाली आय बच्चों की आय होगी न कि माता-पिता की। आय किसी एक के खाते में और करारोपण दूसरे के खाते में यानि बेनामी प्रावधानों को आप स्वयं हवाला दे रहे हैं और आय कर दाता को ब्यूरोक्रेटस की दया के पात्र बनाए रखना चाहते हैं।

चलैया समिति जिसके बारे में बार-बार कहते हैं, उसमें दो लाख तक की आय पर कर की दर साढ़े सत्ताइस प्रतिशत रखी गई है उसे आपने क्यों नहीं माना। मेरा निवेदन है कि बच्चों की आय को माता-पिता की आय के साथ नहीं जोड़ा जाए एवं माता-पिता के उपहार से प्राप्त राशि पर होने वाली आय को भी बच्चे की ही आय माना जाए। मैं तो यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिस परिवार में पति-पत्नी में से केवल एक ही की आय हो वहां उस आय को दोनों में बराबर विभाजित करारोपण किया जाए तो टैक्स राशि में कमी होगी। कमाने वाला व्यक्ति अपने व्यापार अथवा नौकरी को तभी सुचारू रूप से चला पाता है जबकि पत्नी अपनी

पूरी मेहनत से उसे सुविधा दे । यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि करोड़पति को इस प्रावधान के होने अथवा न होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता है क्योंकि उनके परिवार का हर सदस्य पहले ही सबसे ज्यादा आयकर दे रहा है । मध्यम वर्गीय परिवार का ही व्यक्ति मरता है जो न्यूनतम कर-दर से एकदम अधिक दर से पहुंच गया है । इससे आय छुपाने व कर चोरी की संभावनाएं बढ़ेंगी । जब आपने अपने भाषण में बच्चों को बाप का बाप माना है तो बाप को अपने बाप यानि बच्चों की शरण लेकर कुछ कर बचाने दीजिए । मुझे उम्मीद है कि आप मेरे दूसरे रचनात्मक सुझाव को भी मानेंगे ।

तीसरा मेरा रचनात्मक सुझाव यह है कि पूंजीगत लाभों के महंगाई के सूचकांक से जोड़ कर एवं 1-4-81 को मूल्यांकन तिथि बनाकर आपने प्रशंसनीय राहत दी है परन्तु यह तिथि 1-4-91 भी हो सकती थी और 15 हजार की पूर्व में छूट भी जारी रहती तो सोने में सुहागा होता है । इसे बढ़ा कर तीस हजार किया जाना चाहिए ।

धारा 54 ई एवं 53 के तहत उपलब्ध छूट को वापस लेने से नव भवन निर्माण पर प्रभाव पड़ेगा । अत: यह छूट वापस मिलनी चाहिये । वित्त विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करते हुए आपने फर्मों आदि पर इस कर की दर को 40 से घटा कर तीस प्रतिशत किया है । ऐसी ही सुविधा व्यक्तियों व संयुक्त परिवारों को देकर कर-दर 20 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करने से आप प्रशंसा के पात्र होंगे । सामान्य आय की प्रथम कर-दर 20 प्रतिशत से पूंजीगत लाभ पर कर-दर का आधा यानी 10 प्रतिशत होना वांछनीय है क्योंकि पहले पूंजीगत लाभ में 15 हजार की छूट के बाद शेष लाभ का आधा ही कर योग्य माना जाता था ।

भागीदारी फर्मों पर दोहरे कर भार को समाप्त करने हेतु आपने प्रशंसनीय कदम उठाया है परन्तु भागीदारों के हाथ में वेतन आदि के रूप में दी जाने वाली राशि को 50,000 रुपये तक सीमित करके एवं फर्म पर सबसे ऊंची दर कर 40 प्रतिशत कर भार डाल कर विसंगति पैदा की है । फर्म के लाभ अथवा हानि को ध्यान में न रखते हुए भागीदारों को इसी प्रकार वेतन व सुविधायें लेने का प्रावधान होना चाहिये जैसे कि लिमिटेड कम्पनियों में मिलता है । एक छोटी भागीदार फर्म में भी उसे चार लाख का पूंजी विनियोजन तो साधारण बात है और 50 हजार की राशि तो केवल ब्याज में निकल जायेगी । जब लिमिटेड कंपनियों की तरह ही उच्चतम कर की दर पार्टनरशिप फर्म पर भी रखी गई है तो भागीदारों को भी वेतन व सुविधाओं के वही लाभ मिलने चाहियें जो कंपनी के निदेशकों को सुलभ हैं । चेलेय्या समिति के प्रतिवेदन में भी इस वेतन आदि पर कोई सीमा निश्चित करने की सिफारिश नहीं की गई है ।

सभापति महोदय, मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा । किराये पर मानक छूट देने की आपने बात कही है । मध्यवर्गीय परिवार विशेषत: सेवानिवृत्त एवं वृध्द व्यक्तियों के लिये मकान का किराया एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत होता है । मकान किराये का एक बड़ा हिस्सा गृह कर, भूमि भवन कर, सम्पत्ति कर आदि में पहले ही निकल जाता है और यह सारी आय सरकार को होती है । इतने कर देने के बाद भी मकान की किराये की आय पर मानक छूट वेतनभोगी कर्मचारियों को दी जाने वाली छूट से कम रखना मकान मालिक के साथ अन्याय है । वेतनभोगी को तो अन्य छूट योग्य भत्ते भी मिलते हैं जबकि मकान मालिक के सिर पर तो केवल खर्चों का भार है । यद्यपि माननीय वित्त मंत्री जी ने मानक छूट को 1/6 हिस्से से 1/5 किया है परन्तु साथ ही रेंट-कलेक्शन की अलग से दी जाने वाली छूट को अब इसमें शामिल कर दिया है जिससे यह बढ़ोत्तरी बेमाने हो गई है । मेरा निवेदन है कि इस छूट को वेतनभोगी कर्मचारियों की तरह किराये का एक तिहाई किया जाये एवं इसकी सीमा राशि पांच हजार से बढ़ा कर पच्चीस हजार की जावे ।

इसी प्रकार से अविभाजित हिन्दू परिवार हमारी पुरातन संस्कृति का द्योतक है । वर्तमान समय की मजबूरियां एक तो वैसे ही परिवारों को तोड़ रही हैं, ऊपर से अविभाजित परिवार की आय में छूट की सीमा को कम रखना एवं आयकर की दर शुरू से ही 30 प्रतिशत रखना संयुक्त परिवार की टूट का अतिरिक्त कारण बनता है । हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि संयुक्त परिवार की संचित सम्पत्ति का विभाजन केवल पिता-पुत्र अथवा भाई-भाई में ही नहीं अपितु पुत्रियों, पोतों, नातियों आदि सभी वर्तमान में उपस्थित पीढ़ियों तक होता है । इसमें छूट की सीमा एकल व्यक्ति से अधिक होनी चाहिये । आप अधिक न भी करें तो इसे व्यक्ति की सीमा तक तो लायें व आयकर की दरें भी उसी समान रखें ।

सरकारी निगमों की शेयर पूंजी आप निजी व्यक्तियों को देने की बात करते हैं, परन्तु क्या आपके ब्यूरोक्रेट्स ऐसा होने देंगे ? क्या वे यह पसंद करेंगे कि जनता का कोई प्रतिनिधि इन निगमों के निदेशक मंडल में चुनकर पहुंचे ? स्टेट फाइनेंशियल कार्पोरेशन एक्ट की धारा 4(3)(डी) में प्रारम्भ से यह प्रावधान है कि निगम के 25 प्रतिशत शेयर प्राइवेट लोगों को दिए जा सकते हैं । क्या आप यह बतायेंगे कि देश के 26 राज्य वित्त निगमों में से कितनों ने यह हिस्सा पूंजी प्राइवेट लोगों को दी है ? आप तो स्वयं रिजर्व बैंक गवर्नर रहे हैं एवं वित्त निगम आपके दिशा-निर्देशों पर ही कार्य करते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, फिर इन निगमों के बने रहने का क्या कारण है ?

इसी प्रकार से माननीय वित्त मंत्री जी ने आपने महिलाओं को 15,000 रुपए तक की, जिनकी आय 75 हज़ार रुपए होगी, छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन में दी है ।

सभापति महोदय : आप रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : ये नहीं रहे, इनके भाई रहे हैं । मैं इनको मनमोहन सिंह जी समझ कर, उनकी छाया समझ कर, ये उनके प्रतिरूप हैं, सारी बातें इनके सामने रख रहा हूं । मंत्री जी आपने महिलाओं को 15,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन में छूट दी है । मेरा आपसे निवेदन है कि इस विषय में आप महिलाओं और पुरुषों में अन्तर न करें, चाहे पुरुष हों और चाहे महिलायें हो, यदि उनकी आय 75 हज़ार रुपए है, तो उन सब को 15,000 रुपए तक स्टैंडर्ड डिडक्शन में, समान रूप से, महिलाओं और पुरुषों में अन्तर न करके, छूट दोनों को दी जानी चाहिए ।

महोदय, इसी प्रकार से वृद्ध व्यक्तियों के लिए आपने इस बिल में जो प्रावधान रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं । परन्तु साथ ही मैं आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि यह राशि जो आपने 50 हज़ार रुपए रखी है, यह राशि बहुत कम है । आप भी खैर, सफेद बालों वाले हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, मैं आपके हितार्थ की बात कह रहा हूं । इस पचास हज़ार की राशि को बढ़ा कर आप एक लाख रुपए करें, तब जाकर इन वृद्ध लोगों को छूट देने का लाभ होगा, वरना लाभ नहीं होगा । आपने इसी प्रकार से वैल्थ टैक्स के बारे में एसेसमेंट की परिभाषा बदल कर, अर्बन लैंड में जो कृषि भूमि का चुक है, उस कृषि भूमि पर भी आप टैक्स लेना चाहते हैं । मेरा निवेदन है कि कृषि भूमि यदि अर्बन लैंड के भीतर आती है, तो उसको भी छूट देनी चाहिए और उसको अर्बन लैंड में ही मानना चाहिए । एक निवेदन मेरा यह भी है कि एक लाख से ऊपर की आमदनी पर जो कर रहे, उसी पर सरचार्ज लगना चाहिए, नीचे वाली राशि पर नहीं । यदि पूरी राशि पर लिया जाएगा, तो ज्यादा टैक्सेबल हो जाएगा । आपने ट्रिब्यूनल में जाने की फीस एक लाख तक 250 रुपए रखी है और एक लाख से ऊपर आपने 1500 रुपए रख दी है । यह कहां का न्याय है ? इनके 250 रुपए और उनके 1500 रुपए । मेरा आपसे निवेदन है कि आपको यदि राशि एक लाख से ऊपर बढ़ानी है, तो वह राशि 500 रुपए होनी चाहिए ।

कंपनियों के लिए शेयर सिस्टम हो, इसके कारण करों में जो चोरी होती है, वह आपके ही रचनात्मक सुझावों के आधार मैंने आपको सुझाव दिए है । वृद्ध व्यक्तियों के बारे में, एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में, बच्चों के बारे में, इन सब सुझावों के बारे में आप निश्चित रूप से अपनी दृष्टि रखेंगे । जहां तक आयकर की सीमा की बात है, देश की जनता आपकी ओर निहार रही है । मनमोहन सिंह जी ने दो दिन पहले जो सुझाव दिए, उन संशोधनों को किसी ने भी नहीं माना है । मनमोहन सिंह जी की लोग बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की लोग बुराई कर रहे हैं और आपकी, आपकी तो लोग तारीफ कर रहे हैं । वे तो सामने बैठे होंगे, मनमोहन सिंह जी ने मानें या न माने ठाकुर साहब, आप तो बड़े दयालु हैं, आप कम से कम 48 हज़ार रुपए तक इनकम टैक्स की छूट की घोषणा कर देंगे । मुझे उम्मीद है, आप किसी बात का जवाब दे या न दें, आज आपके पास स्वर्णिम अवसर है, आप तत्काल खड़े हो जाइए और कह दीजिए कि मार्गव साहब आपका जो 48 हज़ार रुपए का सुझाव है, मैं उसको सहर्ष स्वीकार करता हूं । मैं समझता हूं कि ऐसी घोषणा से न केवल आपके लोग तालियां बजायेंगे, बल्कि हम लोग भी तालियां बजायेंगे ।

मैंने जो कुछ भी रचनात्मक सुझाव दिए हैं, मुझे उम्मीद है, निश्चित रूप से उत्तर देते हुए, यहां अभी चाहें तो 48 हज़ार वाली बात को मान लें और बाकी बातों को, बच्चों की बात, कृषि भूमि वाली बात, नाबालिग की बात, फर्म की बात, पार्टनरशिप की बात तथा अन्य जो बातें हैं, मान कर उत्तर देंगे ।

सभापति जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति भी आभार प्रकट करता हूं । माननीय ठाकुर साहब ने, मैंने जो कुछ भी कहा, मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुना और उम्मीद है निश्चित रूप से वे उनका पालन करेंगे । इतना कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

[अनुवाद]

श्री पीटर जी० मरबनिआंग (शिलांग) : महोदय, वित्त विधेयक पर चल रही बहस में हिस्सा लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । सर्वप्रथम, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं और वित्त विधेयक पर सभी कटौती प्रस्तावों का विरोध करता हूं ।

मैं वित्त मंत्री जी को चादर देख कर पैर फैलाने की नीति अपनाने पर बधाई देता हूं । यह सच है कि वित्त विधेयक में बहुत सी न्यूनतम व अधिकतम छूटें दी गई है जो सभी सदस्यों को संतुष्ट नहीं कर सकती हैं । फिर भी इस सदन के सभी वर्गों के सदस्यों ने इसका स्वागत किया है ।

यह सच है कि वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को युक्तिसंगत बनाने का सफलतापूर्वक प्रयास किया है और मैं सदन के सभी वर्गों से अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वित्त मंत्री को सहयोग देने की अपील करूंगा । मुझे विश्वास है कि सरकार को बजट प्रावधानों के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार में जाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए जिससे जब हम अगले वर्ष फिर से मिलेंगे तो वित्त मंत्री जी एक बढ़िया बजट तथा एक अच्छा वित्त विधेयक बहुत सी अन्य छूटों के साथ प्रस्तुत करेंगे जो इस सदन के सदस्यों को संतुष्ट कर सकेगा ।

व्यक्तिगत रूप से मैं वित्त मंत्री से इस बुराई को समाप्त करने की अपील करता हूं । जो काले धन के नाम से जानी जाती है । भारत में इस काले धन के चलन से सभी अच्छे पहलुओं को अस्वीकार करना पड़ेगा जिन्हें बजट में शामिल किया गया था और इससे जनता को मिलने वाले सभी लाभ खत्म हो जायेंगे जो इस बजट में दिये गये है । हम सब को मिलकर इस बुराई को समाप्त करना चाहिए और मैं वित्त मंत्री को सुझाव

दूंगा कि एक संसदीय समिति बनाई जाये जो इस बात का पता लगाये कि इस काले धन की बुराई को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के मार्ग में बाधक है।

अर्थव्यवस्था के विकास के मुद्दे पर बोलते हुए मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि असंतुलित अर्थव्यवस्था से सभी वर्ग तथा सभी राज्य लाभान्वित नहीं होंगे जैसा कि आप जानते है हमारे देश में कई राज्य है जिनके विकास के लिए अभी भी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कई ऐसे राज्य है जो विस्तार के चरम बिन्दु पर पहुँच गये है जिनका और विकास नहीं हो सकता है। इसलिए वित्त मंत्री जी को देश के अविकसित क्षेत्रों को ध्यान में रखना चाहिए और बुनियादी सुविधाएँ जैसे सड़के, विद्युतीकरण, पीने का पानी, चिकित्सा सुविधाएँ, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा उन क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों के विकास आदि उपलब्ध करानी चाहिए। इस तरह से हम संतुलित ढंग से अर्थव्यवस्था का विकास कर सकते हैं हमने देखा है कि एक क्षेत्र की कमी को दूसरे क्षेत्र के अतिरिक्त लाभ से पूरा किया जा सकता है। इससे भारत का विकास होगा भारत आगे बढ़ेगा। विश्व में भारत की बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था होगी। हमें विदेश ऋण से भयभीत नहीं होना चाहिए। विश्व में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि अपना स्वयं विकास नहीं कर सकता हो। उन्हें कतिपय क्षेत्रों में बाहरी सहायता की आवश्यकता पर निर्भर रहना पड़ता हैं जो कि देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए, इस समय संतुलित विकास की आवश्यकता है संतुलित विकास के लिए अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे वह राज्य जो अभी पिछड़े हुए है उन्हें अतिरिक्त बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

अब मैं पूर्वोत्तर राज्यों पर आता हूं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के सभी राज्यों का विकास अभी किया जाना है। वहाँ बुनियादी सुविधाओं की कमी है। वहाँ बुनियादी सुविधाएँ बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ पर रेल सेवा, वायु सेवा या जल मार्ग सेवा या सड़क सेवा भी उपलब्ध नहीं है। इन राज्यों का विकास बहुत अव्यवस्थित ढंग से हुआ है जैसा कि हमने देखा है पूर्वोत्तर क्षेत्र में अत्याधिक मूल्यवान खनिज संसाधन होते हुए भी बड़े उद्योगपतियों को उद्योग स्थापित करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया है। आप मेघालय जैसे राज्य को ही लीजिए। इस राज्य में जल-मार्गों का नितान्त अभाव है। मिजोरम, नागालैंड, अरूणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों की भी यही स्थिति है। मेघालय राज्य में रेलवे लाइन के विकास की बहुत कम योजनाएं है। उन क्षेत्रों के समुचित विकास के लिए सरकार को एक लाइन गोवाहटी से दमरा तक गोआरा हिल में तथा दूसरी लाइन खासी हिल में गोवाहटी से बर्नीहाट तक बनाई जानी चाहिए। ऐसा लगता है ये दोनों लाइनें मेघालय के लोगों के लिए एक सपना है यह सपना तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सरकार योजनाएँ शुरू नहीं करती। अन्यथा मेघालय बिना किसी रेलवे लाइन के ही रहेगा। इसलिए, मैं सरकार से जल्दी से जल्दी दो रेल लाइनें बनाने का अनुरोध करूंगा।

जल मार्ग के मामले में इस क्षेत्र में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पर केवल सड़क सुविधा ही उपलब्ध है। सड़क परिवहन में भी हमने पाया है कि मेघालय में बहुत से राष्ट्रीय राजमार्गों में केवल एक सड़क वाले मार्ग हैं, दो लेन वाली सड़के भी नहीं हैं। सड़कें कम चौड़ी है, मुश्किल से 10 फुट चौड़ी है और सड़को पर अधिक रूकावटें पैदा होती है। उस क्षेत्र में फाटक व्यवस्था भी है। जब कि हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं। क्या आप इस सदी में मार्गों में फाटक व्यवस्था की कल्पना कर सकते है लेकिन ऐसा मेघालय में है।

मैंने कई बार शिलांग एयरपोर्ट के बारे में प्रश्न पूछे हैं। लेकिन माननीय मंत्री हर बार कहते हैं कि यहाँ बोइंग एयरक्राफ्ट उतारने के लिए उचित जगह नहीं है, यह एयरपोर्ट 15 वर्ष पूर्व तैयार किया गया था। इसका निर्माण बोइंग एयर क्राफ्ट उतारने के लिए हुआ था जब कि मंत्री जी बार-बार कह चुके है कि यह

बोइंग उतारने के लिए नहीं है । यह कहना आसान है कि बोइंग उतारने के लिए उपयुक्त नहीं है लेकिन हम जानते हैं कि इसको बोइंग उतारने के लिए उपयुक्त बनाया जाये । शिलांग एयरपोर्ट का रनवे इम्फाल एयरपोर्ट के रनवे से बड़ा है । शिलांग एयरपोर्ट का रनवे दीमापुर एयरपोर्ट से बड़ा है, यह रांची एयरपोर्ट के रनवे से भी लम्बा है । बात केवल यह है कि सरकार का रवैया यह है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र होने के कारण इसे पिछड़ा क्षेत्र ही रहने दो । अत: मैं वित्त मंत्री से अपील करता हूँ कि यदि बोइंग उतारने के लिए उपयुक्त जगह नहीं है तो यदि आवश्यकता हो तो इतनी लम्बाई 40 मीटर और बढ़ा ली जाये और कार्य शीघ्र शुरू कर देना चाहिए । शिलांग भी इंडियन एयरलाइन्स के नक्शे में आ जायेगा ।

महोदय, जहाँ तक पर्यटन का सम्बन्ध है हम जानते है कि पर्यटक भारत के बहुत से हिस्सों में व्याप्त आतंकवाद के कारण जाने से डरते है । विदेशी पर्यटक भारत के बहुत से हिस्सों में नहीं जाना चाहते । पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुन्दर पेड़ पौधे तथा जीव जन्तु, झरने, पहाड़ तथा पठार हैं जहाँ भारतीय तथा विदेशी पर्यटक आ सकते हैं और आनन्द उठा सकते हैं । पिछले 21 वर्षों में मेघालय एक शान्तिपूर्ण राज्य रहा है, लेकिन मेघालय आने के लिए विदेशी पर्यटकों को प्रतिबन्धित क्षेत्र परमिट लेना पड़ता है । परिणामस्वरूप बहुत से विदेशी जो आना चाहते हैं और विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र चेरापूंजी को देखना चाहते है वहाँ नहीं आ सकते । आज कल पर्यटकों के एक ग्रुप को अनुमति दी गई है । लेकिन कुछ पर्यटक ऐसे हैं जो अकेले जाना चाहते हैं । क्या किसी पुरूष या महिला को पर्यटक के रूप में इस क्षेत्र में आने की अनुमति इसलिए नहीं होती क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट की आवश्यकता होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि जो विभाग इससे संबंधित है, वे मेघालय या असम या नागालैंड या मिजोरम या अरूणाचल प्रदेश में आने के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट जारी नहीं करते हैं । यह बहुत अजीब सी बात है । आखिरकार हम आधुनिक प्रौद्योगिकी, आधुनिक विज्ञान तथा तकनीक के युग में रह रहे है और अब किसी व्यक्ति को कैमरे से एक जासूस के रूप में रक्षा उद्देश्यों के लिए फोटो खींचने की जरूरत नहीं है । वह ऐसा रिमोट कंट्रोल से भी कर सकता है । मेघालय एक अत्यन्त शान्तिप्रिय राज्य है । इसलिए मैं चाहता हूँ प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट व्यवस्था को शीघ्र ही विशेषतया इसी सत्र के दौरान समाप्त कर दिया जाये । मैं राज्य मंत्री से जो यहाँ उपस्थित है, उन्हें गृह विभाग से प्रतिबंधित एरिया परमिट को समाप्त करने की अपील करनी चाहिए । मेघालय सरकार को हर जगह विशेषतया गेरा पहाड़ी या खासी पहाड़ी या जनतिया पहाड़ी पर पर्यटक कॉटेज बनाने के लिए स्थानीय लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए ।

कुछ टूरिस्ट हाउसिस हैं लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पर्यटक चाहे वे भारत के हो या विदेश के यहाँ पर नहीं आ सकते । हम किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं चाहते । यदि आप इस प्रकार का प्रतिबंध लगाते है तो मेघालय के लोग आंतरिक रेखा परमिट की माँग कर सकते हैं जिसमें भारतीयों को भी बिना परमिट के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी जैसा कि नागालैंड व अरूणाचल प्रदेश में हो रहा है । मेरे विचार से सरकार ऐसा रूख नहीं अपनाएगी । अत: मैं अपील करूंगा कि इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जो लोग इस स्थान को देखना चाहते हैं, उन्हें आने के लिये और इस स्थान को शांतिपूर्वक देखने की अनुमति अवश्य दी जानी चाहिए ।

महोदय, राज्य सरकार से, भारत सरकार को चार मझौली-सिंचाई-परियोजनाओं की स्वीकृति हेतु लिखा है, लेकिन पिछले दो वर्षों से कोई कार्रवाई नहीं की गई है । यदि ये चार परियोजनाएँ भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कर दी जाती हैं, तो इन से सरकार द्वारा खरीद के लिए और अधिक खाद्यान उपलब्ध होंगे । ये कुछ बातें हैं जिनकी वजह से हम भारत सरकार के रूख से शर्मिंदा हैं । हम विकास चाहते हैं और इसलिए उन्हें हमारे विकास में और भारत के अन्य किसी भी राज्य के समान होने में सहायता करनी ही चाहिए ।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं एक बार फिर वित्त मंत्री महोदय को सहृदय से यह वित्त विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं और मैं सभी कटौती-प्रस्तावों का विरोध करता हूं । मैं वित्त मंत्री महोदय से केवल इतना ही चाहता हूं कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी देश के शेष भागों जैसा ही मूलभूत ढांचा स्थापित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जायेगा, ताकि वे भी भारत में संतुलित अर्थव्यवस्था के विकास में अपना योगदान कर सकें ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : सभापति महोदय आपको मुझे मेरा भाषण समाप्त करने का अवसर देना है । पिछली बार, मेरे लिए यह एक बुरा अनुभव था । इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज भी बिल्कुल वैसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

महोदय, क्योंकि वित्त विधेयक संसाधन जुटाने के क्षेत्र में सरकार की आर्थिक और औद्योगिक नीति को प्रतिबिम्बित करता है, अतः इन नीतियों का संक्षेप में हमारे मूल्यांकन की पुनरावृत्ति करना आवश्यक है । ये नीतियाँ ग्रामीण-श्रमिकों, गरीबों और मझौले किसानों पर भारी बोझ लाद रही हैं । ये नीतियाँ शहरी असंगठित कामगारों और मध्यम खेती पर भी भारी बोझ लाद रही हैं । शहरी संगठित कामगार वर्ग, जिसने कम-से-कम अनेक संघर्षों के माध्यम से कुछ अधिकार प्राप्त कर लिये हैं, अब गलत छंटनी नीति के कारण, की स्थिति बहुत खराब हो गई है । ऐसी पृष्ठ भूमि में यह वित्त विधेयक लाया जा रहा है । अतः, इस विधेयक पर चर्चा के दौरान, मैं केवल इसके उपबंधों को ही नहीं लूंगी, बल्कि मैं कुछ टिप्पणियां भी करूंगी ।

महोदय, मेरा आरोप है कि इन नीतियों और साथ ही वित्त विधेयक के माध्यम से, वही वर्ग अर्थात् अमीर वर्ग चाहे वह उद्योग में लगा हो अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में हो, लाभान्वित होगा और जिस वर्ग के बारे में मैंने कहा है वही इनसे प्रभावित होगा और इस पर ही इनका अधिक असर पड़ेगा । यह वास्तविकता है । अब, ऐसा कैसे किया जा रहा है ? ऐसा अप्रत्यक्ष करों के एक बड़े नेटवर्क के माध्यम से किया जा रहा है । फिर, पहले से घोषित अथवा अब घोषित की जा रही ऐसी छूट रियायतों के माध्यम से, और जिन क्षेत्रों से संसाधन जुटाये जाने थे, वहां से ऐसा न होने के कारण ऐसा किया जा रहा है ।

वे क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? स्वाभाविक है, पहले क्षेत्र हैं बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और एकाधिकारी घराने और दूसरे ग्रामीन अमीर हैं । आपके उपबंध उनमें से कुछ भी नहीं छूते और कुछ अन्यों को समृद्ध करते हैं ।

अब, मैं इन सभी बातों के विस्तृत विश्लेषण में नहीं जाऊँगी, लेकिन उनमें से कुछेक का जिक्र करूँगी । इससे पूर्व मुझे एक टिप्पणी अवश्य करनी चाहिए । मुझे आशा है कि मेरे मा० ज० पार्टी के मित्र इसे अन्यथा नहीं लेंगे । इन क्षेत्रों में उनके सिद्धान्त लगभग सत्तासीन-दल जैसे ही हैं । जो भी रियायतें दी गई हैं, मुझे खेद है कि मैं उन रियायतों की प्रशंसा नहीं कर सकूंगी क्योंकि उन में से कुछ केवल अधिक धनवान-वर्गों को ही लाभान्वित करेंगी ।

अप्रत्यक्ष करों के बारे में मैंने पहले ही कहा है । कुल सरकारी राजस्व का अस्सी प्रतिशत अभी भी अप्रत्यक्ष कर स्रोतों से प्राप्त होता है । कौन नहीं जानता कि अप्रत्यक्ष करों का गरीबों पर धनाढ्य-लोगों के मुकाबले ज्यादा असर पड़ता है ? वित्त विधेयक में यह ध्यान रखा गया है कि प्रत्यक्ष करों के जाल को और कड़ा हो । बजट में प्रत्यक्ष-करों के क्षेत्र में बहुत-से प्रस्ताव प्रस्तावित हैं, जोकि आगे अमीर को ही और अमीर बनाते हैं । उदाहरणार्थ, ये बड़े एकाधिकारी-घरानों को उनके नीति सांझे-कोषों को बनाने की अनुमति दे रही है और इन सांझे-कोषों के लाभ को आयकर से मुक्त रखा जाता है । यह इस बजट की सबसे खराब बातों में से एक है । बहुत-से एकाधिकारी घरानों ने पहले ही अपने सांझे-कोष खोल लिये हैं । श्री रामेश्वर ठाकुर को याद होगा कि जब एस०ई०बी०आई० पर

चर्चा हुई थी, तो मैंने इस विचार का जोरदार शब्दों में विरोध किया था और यह संकेत दिया था कि उनके हाथों में धनराशि आयेगी और उसे अव्यवहारिक उद्देश्यों में उपयोग किया जायेगा । क्या ऐसा नहीं हो रहा है ? इन लोगों ने अकस्मात् कृत्रिम भय का वातावरण पैदा कर दिया था, जिससे कुछ शेयरों के भाव बहुत नीचे आ गये थे । मैं यह अवश्य कहूँगी कि इस सांझे-कोष का उपयोग उत्पादकीय उपयोग के मुकाबले अव्यवहारिक उद्देश्यों के लिए अधिक किया जाता है । आपके इतने अधिक वक्तव्य दिये जाने के बावजूद भी उसे नियंत्रित करने में आप सफल नहीं हुए हैं । निवेश-योग्य-संसाधनों के मुख्य स्त्रोतों; यानि घरेलू बचतों, उनका शिकंजा और मजबूत हो जायेगा । आप गरीबों के कोष में सहायता नहीं दे रहे हैं । सांझे-कोष व्यापार के कुछ अन्य पहलू भी हैं । उन्होंने भी छोटे निवेशकों को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि उन्हें भी बचतों के लाभ नहीं मिलते हैं और स्पर्धा भी कम है । कृपया स्मरण रखें कि सरकार के अलावा, ये छोटे निवेशक अभी भी सबसे बड़े नियोक्ता हैं और आप इन्हें इस उपबंध और अनेक अन्य उपबंधों द्वारा नुकसान पहुँचाने जा रहे हैं । इसे अवश्य ही रोका जाना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त, अनेक क्षेत्रों में सीमा-शुल्कों में काफी कटौती अथवा छूट दी गई है । अनेक वस्तुओं पर आयात शुल्कों में छूट दी गई है, जोकि भारत और विदेशों दोनों ही में बड़े घराने को लाभ पहुंचायेगी ।

हाल ही में घोषित की गई कुछ छूटों में से मैं औषध-निर्माण के कच्चे माल के बारे में दी गई छूट का स्वागत करती हूं । लेकिन इसके अलावा अन्य सभी छूट पुनः आँख में धूल झोंकने के समान है । उत्पाद-शुल्क के क्षेत्र में, सामान्य वृद्धि दस से पंद्रह प्रतिशत के लगभग हुई है । इसका मुख्य भार आम आदमी पर पड़ेगा । लेकिन उत्पाद-शुल्क में भी कुछ विचित्र बातें हैं । इसमें कुछ वृद्धियाँ अथवा छूट ऐसी हैं, जोकि गरीबों की तुलना अमीरों को फायदा पहुँचाती हैं । उदाहरण के लिए विस्कोस-स्टेपल-फाइबर पर शुल्क में वृद्धि होगी । विस्कोस-फाईबर का अधिक प्रयोग कौन करते हैं ? यह सभी जानते हैं । सूती धागे के अलावा इसका प्रयोग हथकरघा और विद्युतकरघा द्वारा किया जाता है । आप पालीस्टर फाईबर को छूट दे रहे हैं । इसका प्रयोग कौन करते हैं ? रिलायंस और मोदी वाले । क्या वे इसका प्रयोग नहीं करते ? इसलिए, उन्हें धन प्राप्त होगा और जो लोग उसे खरीदने की कोशिश करेंगे उन्हें भी अधिक धनराशि अदा करनी पड़ेगी । इससे आपको क्या मिलेगा ? इससे हमें क्या हासिल होगा ? यह मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता । खर्च को कौन वहन करेगा ? स्वाभाविक ही है, ऐसा आम करदाता करेंगे । निश्चय ही न तो मैं अथवा श्री रामेश्वर ठाकुर जी अथवा श्री दलबीर सिंह जी अथवा श्री मनमोहन सिंह जी इसे वहन करेंगे । हमारे देश की गरीब जनता को इसे वहन करना पड़ेगा ।

मैं आपको एक बात बता रही हूँ । आज सुबह सम्भावित सूखे के बारे में उत्पन्न उत्तेजना उचित ही थी । यह एक बहुत गम्भीर बात है । अभी तक, कोई भी यह नहीं कह रहा है कि हमारे यहाँ सूखा पड़ना ही नहीं चाहिए । सूखा पड़ा है, हमें पहले ही भूखमरी से हथकरघा बुनकरों में हुई मौतों की खबरें मिल रही हैं । मुझे डर है कि यह भी इसमें वृद्धि करेगा । लेकिन इससे भी अधिक, मैं ग्रामीण अमीरों के इस प्रश्न पर आती हूँ, जहां सूखा एक बड़ा गम्भीर व्यापार बनने जा रहा है ।

इससे पूर्व मैं, धन कर के प्रश्न को लेती हूँ । धन कर वास्तव में ही आपकी नीति की एक विशेषता है । संपत्ति-कर में छूट की सीमा तीन गुना पाँच लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है । इसमें सबसे ऊपर यह प्रस्ताव किया गया है कि कुछ परिसंपत्तियों जैसा कि कृषक घरानों, मोटर-कारों, शहरी-भूमि, ज़ेवरात, जलयान और निजी वायुयान को संपत्ति-कर से पूर्ण छूट दी जाये । यह वास्तव में रोचक है । गरीब आदमी का पैसा जलयान खरीदने अथवा जलयान पर कम कर देने पर क्यों खर्च हो ? क्या यह एक बहुत लाभकारी तरीका है ? कर लगाने का ऐसा तरीका कैसे आया ? उन्हें ये छूट क्यों देनी चाहियें ? इसका कोई कारण नहीं है । मेरा विश्वास है कि यदि आप अपने घोषणा-पत्र में गरीब लोगों की बात करते हैं, तो आप कृपया कम-से-कम इसे तुरन्त समाप्त कीजिये । ग्रामीण क्षेत्र में संसाधन जुटाने के प्रश्न पर कुछ कहने जा रही हूँ । ग्रामीण-अमीरों को बिल्कुल अछूता

छोड़ दिया गया है । इन ग्रामीन-अमीरों का पैटर्न क्या है ? भावी भीषण सूखे के इस परिपेक्ष्य में, वे खाद्यान्न खरीद के बारे में कैसा बर्ताव करेंगे ? मैं नहीं समझती कि खरीद करने में सरकार की बहुत ज्यादा रुचि हो । फिर भी, इन लोगों का व्यवहार कैसा था ? हरित-क्षेत्र के ग्रामीण धनाढ्य-लोग और अन्य क्षेत्रों के हरित-टुकड़ों के लोग खाद्यान्न खरीद में सहयोग नहीं देते । गेहूँ का खरीद मूल्य 275/- रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है । उस समय बाजार-भाव 330/- रुपये प्रति क्विंटल था । ग्रामीण अमीर व्यक्ति ने अपना गेहूँ केवल बाजार ही में बेचा ।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : 6 बज गये हैं । मेरे विचार से माननीय सदस्यगण कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं ।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने आरम्भ में यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था ।

श्री रंगराजन कुमारमंगलम : क्या आप इसे समाप्त करना चाहती है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : मुझे अपना भाषण समाप्त करने दें ।

सभापति महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी, आपको कितने मिनट का समय और चाहिये ?

6.00 म०प०

श्रीमती गीता मुखर्जी : ठीक है, महोदय, मैं अपना शेष भाषण कल जारी रखूँगी ।

सभापति महोदय : अब सभा कल (मंगलवार) 11.00 बजे म० पू० पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 5 मई, 1992/15 वैसाख 1914 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

पी० एल० एस० 48/12/43/92 (एन०)

250

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवाँ संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक भारत सरकार मुद्रणालय, नाशिक 422 006 द्वारा मुद्रित ।